

अध्याय-II

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों
से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 पुर्णगठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को ग्यारहवीं योजना के दौरान “पुर्णगठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)” के रूप में संशोधित (सितम्बर 2008) किया गया। आर-एपीडीआरपी का मुख्य उद्देश्य समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को कम करना, ऊर्जा क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाना और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाना था। उत्तर प्रदेश में यह योजना उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) एवं विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के द्वारा 168 शहरों में कार्यान्वित की गयी।

यह योजना भाग-ए एवं भाग-बी में विभाजित थी। भाग-ए में (i) बेसलाइन आँकड़ों तथा ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अप्लीकेशन्स एवं आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र की प्रतिस्थापना, (ii) बड़े शहरों में पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली/वितरण प्रबंधन प्रणाली (स्काडा/डीएमएस) की स्थापना शामिल थी तथा भाग-बी में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के नियमित कार्य शामिल थे।

यह योजना, परियोजनाओं की स्वीकृति (जून 2009) से तीन वर्ष के अन्दर पूर्ण की जानी थी, परन्तु इसे भाग-ए (i) के लिए मार्च 2017 तक एवं भाग-ए (ii) स्काडा और भाग-बी के लिए मई 2017 तक विस्तारित कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

योजना का भाग-ए (i)

योजना के भाग-ए के अन्तर्गत, परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत निधि ब्याज सहित ऋण के रूप में जीओआई द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी जो कि एक बार वांकित प्रणाली का प्रतिस्थापन पूर्ण हो जाने एवं स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सत्यापित कर दिये जाने के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जानी थी।

योजना का भाग-ए ₹ 775.10 करोड़ की स्वीकृत लागत से 168 शहरों में कार्यान्वित किया गया जिसमें से मार्च 2016 तक ₹ 508.01 करोड़ का व्यय किया गया। 43 चयनित शहरों में यह देखा गया कि भाग-ए के अन्तर्गत आईटी सक्षम प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी (आईटीआईए) द्वारा कार्य सम्पूर्ण होने की निर्धारित अवधि से पाँच वर्ष समाप्त होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया गया। हालांकि, सभी शहरों में परियोजनाओं को गो-लाइव घोषित किया जा चुका था।

- चूंकि आईटी सक्षम प्रणाली पूर्ण नहीं थी, अभी तक (अक्टूबर 2016) बेसलाइन आँकड़ों को पावर फाईनेन्स कार्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी (टीपीआईईए) द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका था। सभी शहरों के गो-लाइव (जून 2015) घोषित किये जाने के बाद भी प्रणाली जनित एटी एण्ड सी हानियां अनियमित एवं जुलाई 2015 से जुलाई 2016 के दौरान (-) 99.83 प्रतिशत से

99.92 प्रतिशत की सीमा में थीं। इसलिये विस्तारित अवधि (मार्च 2017 तक) में योजना के पूर्ण होने एवं जीओआई से प्राप्त ₹ 474.50 करोड़ ऋण का अनुदान में परिवर्तन की संभावना क्षीण है।

(प्रस्तर 2.1.12)

- डिस्कॉम्स ने नेटवर्क बैंडविड्थ सेवा प्रदाता (एनबीएसपी) को शहरों में आंशिक संयोजकता के लिए ₹ 8.98 करोड़ का अनियमित भुगतान किया, जबकि भुगतान एक शहर में सभी लिंक के सफल संयोजकता पर किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा किये गए सर्वेक्षण में खराब एनबीएसपी सेवाओं से सम्बन्धित तथ्य की पुष्टि लाभार्थी डिस्कॉम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा भी की गई।

(प्रस्तर 2.1.13)

- मीटर डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एमडीएएस) का मीटर ऑकड़ों को बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से प्राप्त करने का उद्देश्य असफल रहा क्योंकि 18 प्रतिशत उपकेन्द्र स्वचालित रूप से ऑकड़ों को संचारित नहीं कर रहे थे एवं मार्च 2016 तक आठ प्रतिशत फीडर्स एवं 57 प्रतिशत वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स (डीटी) को एमडीएएस में अद्यतन नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.14)

- डीटी पर स्थापित 55,751 मोडेम में से 31 मार्च 2016 तक केवल 11,933 मोडेम (16 प्रतिशत डीटी) से ही ऑकड़ों का संचारण हो रहा था। ऑकड़ों के संचारण में त्रुटि के कारण, डिस्कॉम्स ऊर्जा आकड़ों के अंतर को भरने के लिए हस्तचालित प्रविष्टियाँ करने को मजबूर थे, इस प्रकार, ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा में मानव हस्तक्षेप को समाप्त करने का उद्देश्य असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.15)

- ग्राहक सेवा केन्द्र के द्वारा जनित सूचनाएं 'सिस्टम रिकवायरमेंट स्पेसीफिकेशन' के अनुरूप नहीं थीं एवं शिकायतों की स्थिति, आयु एवं लंबित रहने के स्तर के लिए निर्धारित सूचनाएं जनित नहीं की जा रही थीं।

(प्रस्तर 2.1.17)

भाग—ए (ii) पर्यवेक्षकीय नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली

स्काडा का कार्यान्वयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 12 शहरों में ₹ 280.81 करोड़ की स्वीकृत लागत से किया जाना था। परियोजना में कोई भौतिक प्रगति चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी नहीं हुयी एवं इसका मई 2017 तक विस्तारित अवधि में भी पूर्ण होना संभव नहीं होगा; अतः ₹ 79.96 करोड़ के ऋण का अनुदान में परिवर्तन होना अननुमन्य होगा।

(प्रस्तर 2.1.25)

योजना का भाग—बी

योजना का भाग—बी 167 शहरों¹ में ₹ 6,915.57 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ कार्यान्वयन किया गया था जिसमें से मार्च 2016 तक ₹ 3,239.12 करोड़ का व्यय किया गया। हालांकि, समग्र भौतिक प्रगति छः वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी केवल 56.65 प्रतिशत थी। मात्र एक शहर इटावा मार्च 2016 तक पूर्ण किया गया था।

¹ 168 शहरों में से, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा नोएडा शहर को भाग—बी कार्य के कार्यान्वयन हेतु चयन नहीं किया गया था, जैसा कि वहां पर प्रणाली सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

- सभी शहरों को गो—लाइव घोषित करने के उपरान्त भी डिस्कॉम्स की एटी एण्ड सी हानियां जो आधार वर्ष 2009 के लिए 23.38 से 34.92 प्रतिशत की सीमा में थीं वह बढ़कर 33.04 से 45.95 प्रतिशत (जुलाई 2015 से जुलाई 2016) हो गयीं। एक पूर्ण शहर, जो कि इटावा था, में यह हानि 65.71 प्रतिशत (फरवरी 2013 से अप्रैल 2013) से बढ़कर जुलाई 2016 में 73.16 प्रतिशत हो गयी। वस्तुतः सभी चार डिस्कॉम्स में, एटी एण्ड सी हानियां, इनके अन्तर्गत आने वाले शहरों के गो—लाइव घोषित होने के बाद बढ़ गयीं। इस प्रकार, ₹ 3,556.24 करोड़ के ऋण का ₹ 1,778.12 करोड़ (ऋण का 50 प्रतिशत) के अनुदान में परिवर्तित होने की सम्भावना क्षीण प्रतीत होती है।

(प्रस्तर 2.1.28)

- बयालीस शहरों में से 33 शहरों में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन की दिनांक से कार्य आवंटन में 18 से 45 माह तक के विलम्ब एवं कार्यक्षेत्र के विचलन के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 737.88 करोड़ की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 2.1.36)

- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, टर्नकी ठेकेदार (टीकेसी) को कार्य करने का प्रस्ताव दरों की वैधता अवधि के अन्दर देने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 134.33 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

(प्रस्तर 2.1.37)

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों (दिसम्बर 2007) के अनुसार, बैंक गारंटी (बीजी) का सत्यापन स्वीकृति से पहले किया जाना चाहिए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, टीकेसी से बैंक से सत्यापन के बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की ₹ 14.32 करोड़ की बीजी स्वीकार कर लिया। अनुवर्ती जाँच (मई 2015) के दौरान यह पता चला कि बीजी नकली थीं। परिणामस्वरूप, यद्यपि अनुबंध को जुलाई 2015 में समाप्त कर दिया गया था, बीजी को भुनाया नहीं जा सका।

(प्रस्तर 2.1.38)

- आर—एपीडीआरपी के अन्तर्गत कन्नौज शहर में पार्ट—बी का कार्य अप्रैल 2015 में बंद कर दिया गया क्योंकि जीओयूपी ने, बिना कोई कारण बताये, उपरगामी विद्युत प्रणाली को आर—एपीडीआरपी योजना के स्थान पर भूमिगत प्रणाली में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत परिवर्तित कराने का निर्णय (अप्रैल 2015) लिया। हालांकि, डीवीवीएनएल के निदेशक मण्डल ने इस परिवर्तन के लिए शहर की राजनीतिक संवेदनशीलता का कारण बताते हुये योजना के लिए डीपीआर तैयार किया। इस प्रकार, कन्नौज शहर में उपरगामी लाइनों के निर्माण की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप उपरगामी लाइनों के निर्माण में ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

(प्रस्तर 2.1.40)

- डिस्कॉम्स छ: शहरों में टीकेसी को 14 से 37 माह बीत जाने के उपरान्त भी 20 उपकेन्द्रों के लिए भूमि मार्च 2016 तक उपलब्ध कराने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, चार शहरों में सम्बन्धित कार्यों के लंबित रहने के कारण छ: उपकेन्द्रों को मौजूदा पुरानी लाइनों से ऊर्जाकृत करना पड़ा। इस तथ्य की पुष्टि लखनऊ शहर में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के द्वारा की गई।

(प्रस्तर 2.1.41 से 2.1.42)

प्रस्तावना

2.1.1 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को ग्यारहवीं योजना के दौरान “पुर्नगठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)” में संशोधित किया गया। आर-एपीडीआरपी के मुख्य उद्देश्य, समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को कम करना, ऊर्जा क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाना, कटौती और रुकावट कम करना एवं उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाना, थे। एमओपी, जीओआई के समग्र निर्देशन में पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) योजना के परिचालन एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी था। उत्तर प्रदेश में यह योजना उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)/विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स)² के द्वारा 168 शहरों में कार्यान्वित की गयी।

आर-एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को दो भाग—ए एवं भाग—बी में क्रियान्वित किया जाना था। भाग—ए में (i) बेसलाइन आंकड़ों को प्रतिस्थापित करना एवं ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा के लिए आईटी एप्लीकेशन तथा आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र की स्थापना एवं (ii) बड़े शहरों³ में पर्यवेक्षक नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली/वितरण प्रबंधन प्रणाली (स्काडा/डीएमएस) की स्थापना शामिल हैं। भाग—बी में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के नियमित कार्य शामिल हैं।

निधि तंत्र एवं योजना से लाभ

2.1.2 प्रारम्भ में पीएफसी के माध्यम से जीओआई द्वारा भाग—ए और भाग—बी की अनुमोदित परियोजनाओं के लिए क्रमशः 100 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत निधि व्याज सहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना था। भाग—बी परियोजनाओं के लिए शेष निधि का डिस्कॉम्स द्वारा वित्तीय संस्थाओं (एफआई) यथा पीएफसी/आरईसी और/या स्वयं के संसाधनों से एकत्र करना था। भाग—ए के मामले में, योजना के विशानिर्देश, यह प्रावधानित करते हैं कि वांछित प्रणाली के एक बार प्रतिस्थापित हो जाने एवं स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त 100 प्रतिशत ऋण व्याज सहित अनुदान में परिवर्तित होना था। उन प्रकरण में ऋण को अनुदान में परिवर्तित नहीं किया जाना था जहाँ परियोजना विस्तारित अवधि (मार्च 2017 तक विस्तारित) के अन्दर पूर्ण नहीं हुई। भाग—बी के मामले में, यदि डिस्कॉम्स परियोजना क्षेत्र में 15 प्रतिशत एटी एण्ड सी हानियों के लक्ष्य को सतत रूप से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त कर ली गयी एवं परियोजना संचालन समिति द्वारा निर्धारित समय (मई 2017 तक विस्तारित) के अन्दर पूर्ण कर ली गयी, तो सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र में बेसलाइन डाटा सिस्टम (भाग—ए) के प्रतिस्थापित एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले वर्ष के पश्चात प्रत्येक वर्ष में भाग—बी परियोजनाओं के लिए प्राप्त ऋण का 50 प्रतिशत व्याज सहित समान किस्तों में अनुदान में परिवर्तित होना था।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स द्वारा वहन की गयी भारी हानियों, वित्तीय स्थिति एवं निधि के अभाव को ध्यान में रखते हुए, योजना का समय पर पूर्ण होना डिस्कॉम्स को आईटी सक्षम प्रणाली को प्रतिस्थापित एवं विद्युत वितरण अवसंरचना में सुधार कर एटी एण्ड सी हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करने तथा अनुदान का भी लाभ उठाने का एक अवसर प्रदान की।

² यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनियां, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल)।

³ चार लाख से ऊपर की जनसंख्या एवं 350 एमयू की वार्षिक आगत ऊर्जा वाले।

उत्तर प्रदेश में, योजना 168 शहरों⁴ में ₹ 7,971.48 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ अनुमोदित की गयी थी, जिसमें से ₹ 4,110.70 करोड़ (जीओआई: ₹ 1,990.57 करोड़ और एफआई: ₹ 2,120.13 करोड़) डिस्कॉम्स को अवमुक्त किया गया था। इसमें से, मार्च 2016 तक ₹ 3,764.72 करोड़ व्यय किया गया। योजना को अनुमोदन (जून 2009) से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर पूरा किया जाना था परन्तु भाग-ए आईटी सक्षम प्रणाली को मार्च 2017 तक तथा भाग-ए स्काडा और भाग-बी को मई 2017 तक विस्तारित कर दिया गया। आर-एपीडीआरपी योजना अब तक (अक्टूबर 2016) पूर्ण नहीं हो पायी थी।

संगठनात्मक ढांचा

2.1.3 यूपीपीसीएल जो कि नियंत्रक कम्पनी है, आर-एपीडीआरपी योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण कर रहा है। निदेशकों⁵ की सहायता से अध्यक्ष, यूपीपीसीएल परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण करते हैं।

डिस्कॉम्स का प्रबंधन निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक (एमडी) तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन अन्य निदेशक हैं। प्रत्येक डिस्कॉम्स मुख्यालय पर नोडल अधिकारी (अधीक्षण अभियंता) योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं सभी हितधारकों तथा डिस्कॉम्स के प्रत्येक मण्डल स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अधीक्षण अभियंता) के साथ समन्वय तथा परियोजना के निष्पादन और अनुश्रवण के लिये उत्तरदायी हैं। संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-2.1.1 में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का निरूपण, योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप, निष्पादित कार्यों का अनुकूलतम लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था;
- योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग मितव्ययी, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था;
- परियोजनाओं का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक, मितव्ययी और प्रभावी ढंग से किया गया था; एवं
- योजना के परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी थी।

लेखापरीक्षा की कसौटियाँ

2.1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गयी लेखापरीक्षा कसौटियाँ निम्न से ली गयी थीं;

- राष्ट्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 एवं इसके अन्तर्गत बनायी गयी राष्ट्रीय विद्युत नीति के साथ आर-एपीडीआरपी योजना के कार्यान्वयन हेतु एमओपी, जीओआई द्वारा निर्गत किए गए दिशानिर्देश;
- निदेशक मण्डल, संचालन समिति और वितरण सुधार समिति (डीआरसी) की बैठकों के एजेंडा एवं कार्यवृत्त;
- जीओआई, पीएफसी, जीओयूपी एवं डिस्कॉम्स के मध्य चतुष्पक्षीय अनुबंध एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर);


⁴ योजना के भाग-ए को 168 शहरों में तथा भाग-बी को 167 शहरों में (नोएडा को छोड़कर) क्रियान्वित किया गया।

⁵ भाग-ए के लिए निदेशक (वाणिज्यिक) तथा भाग-बी के लिए निदेशक (वितरण)।

- प्रस्ताव के लिये निवेदन (आरएफपी), निविदा अभिलेख, अनुबंध एवं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) अभिलेख;
- उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005, दर अनुसूची (टैरिफ आदेशों) एवं ग्रामीण विद्युतीकरण एवं माध्यमिक प्रणाली योजना संगठन (रेस्पो) दरों की अनुसूची; एवं
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश, यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स के अनुश्रवण आख्याएं तथा सर्वोत्तम सूचना प्रौद्योगिकी कार्य प्रणाली।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2009–10 से 2015–16 के लिए दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 के मध्य सम्पादित की गयी एवं लेखापरीक्षा ने यूपीपीसीएल और डिस्कॉम्स मुख्यालयों पर योजना से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया। विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच के लिए चार⁶ डिस्कॉम्स के 168 शहरों में से 43 शहरों (परिशिष्ट–2.1.2) का चयन स्तरीकृत क्रमरहित नमूना विधि के माध्यम से किया गया था। सभी शहरों एवं



चयनित शहरों का विवरण चार्ट–2.1.1 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा कसौटियों के संदर्भ में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई पद्धति में, 15 जुलाई 2015 को आयोजित प्रवेश बैठक में शीर्ष प्रबन्धन को लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं उद्देश्यों की व्याख्या करना तथा यूपीपीसीएल और डिस्कॉम के अभिलेखों का परीक्षण सम्प्लित था। इसके अतिरिक्त, योजना के अन्तर्गत पाँच शहरों⁷ में निर्मित 33/11 केवी उपकरणों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया तथा डिस्कॉम्स से प्रतिपुष्टि प्राप्त की गयी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रबन्धन एवं शासन को जुलाई 2016 में उनकी टिप्पणी हेतु भेजा गया था। प्रबन्धन एवं शासन के साथ एक समापन बैठक का आयोजन 30 अगस्त 2016 को किया गया था। प्रबन्धन के उत्तर अक्टूबर 2016 में प्राप्त हुए थे जिसे निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तिमीकरण करते समय उचित रूप से ध्यान में रखा गया है। शासन का उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2016) था।

वित्तीय और भौतिक प्रगति

2.1.7 मार्च 2016 तक पिछले सात वर्षों की सम्पूर्ण (168 शहर) एवं चयनित शहरों (43) में योजना की डिस्कॉमवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को परिशिष्ट–2.1.3 (ए एवं बी) तथा 2.1.4 (ए एवं बी) में वर्णित एवं तालिका 2.1.1 में संक्षेपित किया गया है।

⁶ एमवीवीएनएल, पीयूपीवीएनएल, पीवीवीएनएल एवं डीवीवीएनएल।

⁷ लखनऊ, हरदोई, फैजाबाद, उन्नाव एवं बांगरमऊ।

तालिका 2.1.1
योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(₹ करोड़ में)

योजना	सभी शहर				चयनित शहर			
	स्वीकृत लागत	अवमुक्त निधि	व्यय	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	स्वीकृत लागत	अवमुक्त निधि	व्यय	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
भाग—ए (i) आईटी प्रणाली	775.10	474.50	508.01 ⁸	90	536.95	348.69	336.26	90
भाग—ए (ii) स्काडा	280.80	79.96	17.59 ⁹	0	280.81	79.96	17.59	0
भाग—बी	6915.57	3556.24	3239.12	56.65	5042.96	1857.64	1760.19	48.06
योग	7971.48	4110.70	3764.72		5860.72	2286.29	2114.04	

ओत: यूपीपीसीएल तथा डिस्कॉम्स द्वारा दी गयी सूचनाएं

तालिका 2.1.1 दर्शाती है कि योजना की स्वीकृत लागत ₹ 7,971.48 करोड़ थी जिसमें से कुल ₹ 4,110.70 करोड़ (जीओआई: ₹ 1,990.57 करोड़ और एफआई: 2,120.13 करोड़) डिस्कॉम्स को अवमुक्त किया गया था। मार्च 2016 तक ₹ 3,764.72 करोड़ के व्यय के उपरान्त भी, भाग—ए (i) एवं बी में भौतिक प्रगति क्रमशः 90 एवं 56.65 प्रतिशत मात्र प्राप्त की जा सकी जबकि भाग—ए (ii) स्काडा में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुयी थी।

योजना का कार्यान्वयन

2.1.8 योजना के भाग—ए के कार्यान्वयन के लिए, पीएफसी की सूची में सम्मिलित सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार (आईटीसी) की नियुक्ति यूपीपीसीएल द्वारा की जानी थी। आईटीसी डीपीआर तैयार करने एवं भाग—ए से संबंधित कार्य की प्रगति के अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी था। इसके साथ ही, डिस्कॉम्स में मानव हस्तक्षेप रहित आईटी सक्षम प्रणाली (गो—लाईव¹⁰) को स्थापित करने के लिए पीएफसी की सूची में सम्मिलित फर्मों में से सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी (आईटीआईए) की नियुक्ति की जानी थी।

भाग—बी के प्रकरण में, यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स के द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा डीपीआर तैयार किये गये थे एवं परियोजना का अनुश्रवण सम्बन्धित डिस्कॉम्स द्वारा खुली निविदा के माध्यम से कार्य का आवंटन टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को किया जाना था। डिस्कॉम्स के संबंधित मण्डल के अधीक्षण अभियंता जोकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे, योजना की शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादन एवं टीकेसी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। जीओआई की संचालन समिति¹¹ द्वारा डीपीआर (भाग—ए और बी) के अनुमोदन के उपरान्त कार्य को शुरू करना था। पीएफसी के माध्यम से राज्य सरकार की वितरण सुधार समिति¹²(डीआरसी) द्वारा डीपीआर विधिवत अग्रसारित की जानी थी।

⁸ आंतरिक स्रोतों से व्यय ₹ 33.51 करोड़ सम्मिलित करते हुये।

⁹ यह स्काडा कार्यदायी एजेंसी को दिया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम एवं स्काडा परामर्शदाता को किया गया भुगतान है।

¹⁰ शहर गो—लाईव घोषित किये गये जहाँ सिस्टम रिकायामेंट स्पेसीफिकेशन के अनुसार आईटी सक्षम प्रणाली पूर्ण हैं एवं एटी एण्ड सी हानियों की आख्या मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं।

¹¹ संचालन समिति की भूमिका में अन्य के अतिरिक्त परियोजना की स्वीकृति, प्राकलन में सुधार एवं पुनरीक्षण योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण/समीक्षा एवं ऋण के अनुदान में परिवर्तन की स्वीकृति सम्मिलित है।

¹² डीआरसी की भूमिका डिस्कॉम्स के परियोजना प्रस्तावों की संस्कृति एमओपी, जीओआई से करना, योजना के अंतर्गत अनुपालन एवं माइलस्टोन्स/लक्ष्यों की प्राप्ति का अनुश्रवण करना था।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.9 उद्देश्यवार लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में योजना के भाग—ए (आईटी सक्षम प्रणाली एवं स्काडा) एवं भाग—ब के अन्तर्गत पृथक—पृथक की गई है।

भाग—ए (i) आईटी सक्षम प्रणाली

2.1.10 योजना के भाग—ए में बेसलाइन डाटा, ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा हेतु आईटी एप्लीकेशन और आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना किया जाना परिकल्पित था।

योजना के भाग—ए को 168 शहरों में ₹ 775.10 करोड़ की स्वीकृत लागत से लागू किया गया था जिसमें से पीएफसी द्वारा डिस्काम्स को ₹ 474.50 करोड़ अवमुक्त किया गया था तथा मार्च 2016 तक ₹ 508.01 करोड़ (आन्तरिक संसाधनों से व्यय किया गया ₹ 33.51 करोड़ सहित) व्यय किया गया। 43 चयनित शहरों की परियोजनाओं की स्वीकृत लागत ₹ 536.95 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 348.69 करोड़ जीओआई से प्राप्त हुआ था और मार्च 2016 तक ₹ 336.26 करोड़ व्यय किया गया था। स्वीकृत लागत, निधि की प्राप्ति एवं व्यय का डिस्काम्स वार ब्रेक—अप तालिका 2.1.2 में दिया गया है।

तालिका 2.1.2

डिस्काम्स वार स्वीकृत लागत, निधि की प्राप्ति एवं व्यय

(धनराशि ₹ करोड़ में)

डिस्काम्स	डीपीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	योग
समग्र					
शहरों की संख्या	39	44	56	29	168
स्वीकृत लागत	128.64	265.93	257.64	122.89	775.10
निधि की प्राप्ति	54.39	186.23	161.57	72.31	474.50
व्यय	86.90	186.23	153.87	81.01	508.01
प्रतिदर्श					
शहरों की संख्या	10	11	14	8	43
स्वीकृत लागत	62.07	217.58	179.81	77.49	536.95
निधि की प्राप्ति	27.61	169.07	109.34	42.67	348.69
व्यय	23.54	182.13	93.08	37.51	336.26

स्रोत: यूपीपीसीएल एवं डिस्काम्स द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ।

भाग—ए के अन्तर्गत आईटी सक्षम प्रणाली की स्थापना आईटीआईए द्वारा कार्य प्रदान किये जाने की तिथि (जनवरी 2010) से 18 माह के अन्दर किया जाना था। तथापि, आईटीआईए ने जून 2015 तक पाँच वर्षों की अवधि की समाप्ति के बावजूद केवल 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि, सभी चयनित शहरों में, 10 प्रतिशत कार्य अपूर्ण होने के बावजूद परियोजनाओं को गो—लाइव घोषित कर दिया गया। अपूर्ण रहे कार्य ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा, उपभोक्ता सेवा केन्द्र तथा बेसलाइन डाटा प्रणाली हेतु आईटी एप्लीकेशन इत्यादि थे जैसा कि अग्रेतर प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

कार्यों का क्रियान्वयन

2.1.11 एमओपी द्वारा जारी (दिसम्बर 2008) दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्काम्स को कार्य के क्रियान्वयन हेतु शहरों की प्राथमिकता को इंगित करते हुये डीपीआर को संचालन समिति, जीओआई को 25 मार्च 2009 तक प्रस्तुत किया जाना था।

यूपीपीसीएल ने डीपीआर को तैयार किये जाने हेतु इन्फोसिस टेक्नोलाजीज को आईटीसी के रूप में नियुक्त (12 मार्च 2009) किया और राज्य के 168 शहरों में आईटी सक्षम प्रणाली की स्थापना हेतु एचसीएल टेक्नोलाजीज लिमिटेड को आईटीआईए के रूप में (जनवरी 2010) नियुक्त किया। नियुक्ति और कार्य के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रेक्षणों की चर्चा नीचे की गई है:

अनुदान की हानि क्योंकि बेसलाइन डाटा प्रणाली संस्थापित नहीं की गई थी

वैँकि बेसलाइन डाटा सिस्टम दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थापित नहीं हुआ था और एटी एण्ड सी हानियों से सम्बन्धित मसलों का निस्तारण नहीं किया गया था, ₹ 474.50 करोड़ के ऋणों के अनुदान में परिवर्तन के अवसर दूरस्थ थे

2.1.12 दिशनिर्देशों में प्राविधानित था कि बेसलाइन डाटा के संग्रहण हेतु एक विश्वसनीय एवं स्वचालित स्थिर प्रणाली की स्थापना और नोडल एजेन्सी (पीएफसी) के माध्यम से एमओपी द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षकार स्वतंत्र अभिमूल्यांकन अभिकरण (टीपीआईईए) द्वारा उसके सत्यापन के उपरांत ही ऋण एवं उसपर ब्याज अनुदान में परिवर्तित होगा। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को भाग-ए के अन्तर्गत बेसलाइन डाटा प्रणाली की संस्थापन हेतु टीपीआईईए नियुक्त किया गया (मार्च 2013) था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि प्रस्तर 2.1.14 से 2.1.21 में यथाचर्चित भाग-ए के अन्तर्गत स्थापित आईटी सक्षम प्रणाली अपूर्ण रही, बेसलाइन डाटा प्रणाली को टीपीआईईए द्वारा अब तक (अक्टूबर 2016) सत्यापित नहीं किया जा सका। अग्रेतर, सभी शहरों को गो-लाइव घोषित किये जाने के बाद (जून 2015) भी प्रणाली द्वारा जनित एटी एण्ड सी हानियाँ त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि जुलाई 2015 से जुलाई 2016 के दौरान एटी एण्ड सी हानियाँ (-) 99.83 एवं 99.92 प्रतिशत के मध्य थीं (परिशिष्ट-2.1.5)। इसलिए, योजना को विस्तारित अवधि (मार्च 2017) में भी पूर्ण किये जाने और जीओआई से प्राप्त ₹ 474.50 करोड़ ऋण के अनुदान में परिवर्तन के अवसर दूरस्थ थे।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि ऋण का अनुदान में परिवर्तन अपेक्षित था क्योंकि एमओपी/पीएफसी द्वारा दी गई सत्यापन अवधि दिसम्बर 2016 थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संस्थापित आईटी सक्षम प्रणाली में प्रमुख कमियाँ अब तक (अक्टूबर 2016) विद्यमान थीं।

नेटवर्क बैण्डविथ सेवा प्रदाता (एनबीएसपी) को अनियमित भुगतान

डिस्काम्स ने अनुबन्ध के प्रावधानों की अनदेखी कर लिंक्स (केवल राजस्व बिलिंग के उद्देश्य हेतु लिंक्स) की आँशिक कनेक्टिविटी हेतु एनबीएसपी को ₹ 8.98 करोड़ का भुगतान कर दिया

2.1.13 डिस्काम्स ने, एनबीएसपी सेवाओं हेतु डिस्काम्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज (आईटीआईए) और टयूलिप (एनबीएसपी) के मध्य आठ माह (नवम्बर 2009 से जुलाई 2010) के विलम्ब से ₹ 128.60 करोड़ मूल्य का एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया (जुलाई 2010)। अनुबन्ध के उपबन्ध 8 (iv) के अनुसार, एनबीएसपी एक शहर के सभी लिंक के सफल कनेक्टिविटी के बाद ही डिस्काम्स से वेब-लिंक वार भुगतान प्राप्त करने के लिए अर्ह था।

- लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि त्रुटिपूर्ण एवं खराब सेवाओं के कारण अनुबन्ध को समाप्त कर दिया गया (अक्टूबर 2013); उस समय तक एनबीएसपी ने लिंक हेतु केवल आँशिक कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी थी। डिस्काम्स ने अनुबन्ध के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए लिंक्स की आशिक कनेक्टिविटी (मात्र राजस्व बिलिंग के उद्देश्य हेतु लिंक) हेतु एनबीएसपी को ₹ 8.98 करोड़ का भुगतान कर दिया (मार्च 2013 तक)। इसके परिणामस्वरूप, एनबीएसपी को ₹ 8.98 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि नेटवर्क बैण्डविथ हेतु भुगतान उपयोग आधारित था; अतः, उनके द्वारा लिंक्स के सुपुर्द किये जाने की तिथि से एनबीएसपी को भुगतान प्रारम्भ किया जाना आवश्यक था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एक शहर के सभी लिंक्स की कनेक्टिविटी से पूर्व भुगतान नहीं किया जाना था। एनबीएसपी द्वारा लिंक्स के आँशिक कनेक्टिविटी से सम्बन्धित तथ्य की अभिपुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थी डिस्काम्स के सीईओ के मध्य किये गये सर्वेक्षण में भी की गई थी।

- लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि अनुबन्ध के प्रावधान 7 के अनुसार, डिस्कॉम्स को अनुबन्ध के निष्पादन हेतु ₹ 12.86 करोड़ राशि (डीवीवीएनएल: ₹ 2.58 करोड़, एमवीवीएनएल: ₹ 3.41 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 4.11 करोड़ तथा पीयूवीवीएनएल: ₹ 2.76 करोड़) की निष्पादन बैंक प्रत्याभूति (पीबीजी) प्राप्त किया जाना चाहिए था जोकि प्राप्त नहीं करी गयी। वाँछित पीबीजी के अभाव में, एनबीएसपी को अनुबन्ध का निष्पादन न किये जाने पर दण्डित नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आगे यह आया कि डिस्कॉम्स (डीवीवीएनएल व पीयूवीवीएनएल) ने मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध बीजी को एनबीएसपी से नवीनीकरण नहीं कराया था। जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 5.34 करोड़ (डीवीवीएनएल: ₹ 2.58 करोड़ व पीयूवीवीएनएल ₹ 2.76 करोड़) के मोबिलाइजेशन अग्रिम को अनुबन्ध की समाप्ति पर वसूल नहीं किया जा सका।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि यद्यपि बीजी का नवीनीकरण नहीं किया गया था, डिस्कॉम्स द्वारा लैप्स हुयी बीजी से अधिक की धनराशि के एनबीएसपी के बिल स्थगित कर रोक रखे गये थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुबन्ध की नियम एवं शर्तों के अनुसार स्थगित धनराशि भुगतान योग्य नहीं थी। पुनश्च, पीबीजी प्राप्त करने की विफलता से एनबीएसपी अनुबन्ध निष्पादन से बचने में सफल हो गया एवं बीजी की समय सीमा समाप्त होने के कारण मोबिलाइजेशन अग्रिम को स्थगित धनराशि से वसूल करके हानि की पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

फीडरों/वितरण परिवर्तक मीटरों को मीटर डाटा अधिप्राप्ति प्रणाली में अद्यतन न किया जाना

2.1.14 मीटर डाटा अधिप्राप्ति प्रणाली (एमडीएएस) का मुख्य उद्देश्य किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना मीटरों से स्वतः डाटा प्राप्त किया जाना होता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 43 प्रतिदर्श जाँच किये गये शहरों में, कुल 557 उपकेन्द्रों में से केवल 462 उपकेन्द्रों (82 प्रतिशत) से डाटा कम्युनिकेशन सुविधा उपलब्ध थी। 5,281 फीडरों तथा 74,009 वितरण परिवर्तकों (डीटी) में से मात्र 4,888 फीडरों (92 प्रतिशत) और 31,875 डीटी (43 प्रतिशत) को एमडीएएस में अद्यतन किया गया था। अतः, मानवीय हस्तक्षेप के बिना मीटर डाटा के स्वतः प्राप्त किये जाने के एमडीएएस के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी क्योंकि 18 प्रतिशत उपकेन्द्र डाटा को स्वतः संवाहित नहीं कर पा रहे थे और मार्च 2016 तक आठ प्रतिशत फीडर तथा 57 प्रतिशत डीटी एमडीएएस में अद्यतन नहीं थे।



प्रणाली में अद्यतन नहीं किया गया वितरण परिवर्तक

प्रतिस्थापन एवं अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया थी एवं डीटी मीटरों की स्थिति और मोडम की उपलब्धता में क्रमिक सुधार हेतु प्रयास किये गये थे। प्रबन्धन द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तकनीकी परिवर्तनों को अपनाकर समयबद्ध तरीके से एक प्रणाली को अद्यतन किया जाना आईटी वातावरण में सुस्थापित प्रणाली के स्थिर परिचालन हेतु एक आवश्यक घटक था जिसे सुनिश्चित किये जाने में प्रबन्धन विफल रहा।

डीटी पर संस्थापित मोडमों से खराब डाटा संवहन

2.1.5 योजना में सतत आधार पर ऊर्जा डाटा को प्राप्त किये जाने हेतु प्रत्येक डीटी पर

मीटरों, मोडमों और जीपीआरएस¹³ सिम¹⁴ को संस्थापित किये जाने का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि डीटी पर संस्थापित 55,751 मोडमों में से मार्च 2016 तक मात्र 11,933 मोडमों (डीटी के 16 प्रतिशत) से डाटा संवहन प्राप्त किया जा रहा था। इस प्रकार, मोडमों से दोषपूर्ण डाटा संवहन के कारण, डिस्काम्स को ऊर्जा डाटा में अन्तर को हस्तचालित प्रविष्टियों के माध्यम से भरने पर विवश होना पड़ा जिससे ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षण में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त किये जाने का उद्देश्स पूरा नहीं हुआ।

यूपीपीसीएल ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2016) कि इन मोडमों में त्रुटियाँ सिम के निष्क्रिय किये जाने एवं डीटी मीटरों के अनुरक्षण क्रियाकलापों के कारण थीं।

दोषपूर्ण उपयोजक स्वीकृति परीक्षण

2.1.16 अच्छे आईटी संव्यवहारों के अनुसार, एक परियोजना की पूर्णता को घोषित किये जाने हेतु उपयोजक स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण होता है। इसलिए, डिस्काम्स द्वारा आईटीआईए को यूएटी पूर्णता प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने से पूर्व एसआरएस में यथानिर्दिष्ट यूएटी को अनिवार्य रूप से सम्पादित किया जाना चाहिए। एसआरएस के अनुसार, योजना की सफल पूर्णता हेतु भाग-ए के अन्तर्गत माड्यूल्स परीक्षण के साथ-साथ कुल 13 प्रकार¹⁵ के प्रणाली परीक्षण सम्पादित किये जाने का प्रावधान था।

डिस्काम्स ने सभी माड्यूल्स हेतु निर्धारित माड्यूल्स के 13 परीक्षणों को सुनिश्चित किये बिना यूएटी पूर्णता प्रमाणपत्र जारी कर दिया था (मई 2012) जबकि तीन माड्यूल्स को बिना परीक्षण किये 17 में से 14 माड्यूल्स में यूएटी सम्पादित किया गया था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 17 माड्यूल्स में से 14 माड्यूल्स में 14 मई 2012 से 19 मई 2012 के दौरान यूएटी सम्पादित करी गई, तीन माड्यूल्स¹⁶ को परीक्षण रहित छोड़ा गया। तथापि, डिस्काम्स ने सभी माड्यूल्स हेतु यूएटी पूर्णता प्रमाणपत्र जारी कर दिया था (मई 2012)। इसके अतिरिक्त, आठ माड्यूल्स¹⁷ के यूएटी के दौरान संज्ञान में आई कमियों/त्रुटियों के निवारण सम्बन्धी परिशिष्ट—2.1.6 में यथावर्णित आईटीसी की अनुशंसाओं का, डिस्काम्स/आईटीआईए द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के आगे संज्ञान में आया कि परियोजना को पूर्ण घोषित किये जाने हेतु एसआरएस के अनुसार निर्धारित 13 प्रणाली परीक्षणों में से कोई भी नहीं किया गया था (मार्च 2016)। अतः, डिस्काम्स द्वारा माड्यूल्स के निर्धारित 13 परीक्षणों को सुनिश्चित किये बिना यूएटी पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जाना युक्तियुक्त नहीं था।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि साफ्टवेयर में क्रियात्मक परिवर्तन/परिवर्धन गतिमान एवं सतत प्रक्रिया थीं एवं एक बार का कार्य नहीं था और इस आधार पर, प्रणाली के उपयोजक परीक्षण को दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसी बीच, परीक्षण किये गये माड्यूल्स की समिति की परिचालनात्मक संस्तुतियों को लागू कर दिया गया था और परीक्षण न किये गये माड्यूल्स का परीक्षण कर लिया गया था।

प्रबन्धन द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तकनीकी परिवर्तनों को अपनाकर समयबद्ध तरीके से साफ्टवेयर में परिवर्तन/परिवर्धन किया जाना आईटी वातावरण में सुस्थापित प्रणाली के स्थिर परिचालन हेतु एक आवश्यक घटक था। तथापि, प्रबन्धन ने अब तक (अक्टूबर 2016) सभी 17 माड्यूल्स का समेकित परीक्षण नहीं किया था जोकि परियोजना की पूर्णता के लिये नितान्त आवश्यक था।

¹³ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस।

¹⁴ सब्सक्राइबर आईडेटी माड्यूल।

¹⁵ यूनिट टेस्टिंग, इन्टीग्रेशन टेस्टिंग, इन्क्रीमेंटल इन्टीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, प्री-प्रोडक्शन टेस्टिंग, रीग्रेशन टेस्टिंग, परफार्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, इन्स्टालेशन टेस्टिंग, सेक्यूरिटी/पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रिकवरी/इर टेस्टिंग, एक्सेटेन्स टेस्टिंग, परफार्मेंस टेस्टिंग।

¹⁶ प्रबन्ध सूचना तंत्र, तंत्र सुरक्षा और उपभोक्ताओं के वाणिज्यिक डेटाबेस का विकास।

¹⁷ न्यू कनेक्शन माड्यूल, डिस्कनेक्शन एण्ड डिस्मैटिंग माड्यूल, नेटवर्क एनालिसिस माड्यूल, करस्टमर केयर सेंटर, वेब सेल्फ सर्विस, बिलिंग, असेट्स मैनेजमेंट एण्ड मैनेजमेंट।

उपभोक्ता सेवा केन्द्र में कमियाँ

2.1.17 एसआरएस के अनुसार, उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि के संबद्धन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक डिस्काम में एक उपभोक्ता सेवा केन्द्र (सीसीसी) की स्थापना की जानी थी। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि निम्नलिखित कारणों से सीसीसी, एसआरएस में यथा निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे थे:

- सीसीसी सर्विस माड्यूल एसआरएस में विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं की शिकायतों की 11 प्रकार की आवधिक संक्षिप्त रिपोर्ट उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था। बल्कि, यह मात्र तीन प्रकार की रिपोर्ट, जैसे सेवा अनुरोध, बिलिंग शिकायतें व मोबाइल एवं ईमेल अद्यतन आवेदन, सृजित कर रहा था;
- उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में प्रविधानित समय के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की स्थिति को सुनिश्चित किये जाने हेतु डिस्काम के उपयुक्त स्तर पर की गई कार्यवाही को चिन्हित करने में प्रणाली सक्षम नहीं थी;
- उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण हेतु डिस्काम्स द्वारा लिये गये समय को दर्शाती रिपोर्ट सृजित किये जाने का प्रावधान नहीं था; तथा
- शिकायतों के आयु-वार लम्बित रहने की स्थिति को दर्शाने वाली कोई रिपोर्ट सृजित नहीं की जा सकती थी।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि पंजीकृत उपभोक्ताओं की विद्यमान आवश्यकताओं के इनपुट के अनुसार सीसीसी को छः प्रकार की शिकायतों हेतु एकीकृत किया गया था। शेष पाँच प्रकार की शिकायतों हेतु डिजाइन प्रणाली में विद्यमान थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एसआरएस के अनुसार कुल 11 प्रकार की रिपोर्ट में से मात्र तीन रिपोर्ट सीसीसी द्वारा सृजित की जा रही थीं। शिकायतों की स्थिति, आयु और लम्बित रहने के स्तर के लिए निर्दिष्ट रिपोर्ट सृजित नहीं की जा रही थीं।

आईटी सक्षम प्रणाली में त्रुटियाँ

2.1.18 योजना के भाग-ए के अन्तर्गत ऊर्जा बिलों को बनाये जाने, ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा सम्पादित किये जाने में सक्षम आईटी एप्लीकेशन का विकास आईटीआईए द्वारा किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा किये गये विश्लेषण में आईटी प्रणाली में अधोलिखित कमियाँ पाई गई थीं:

- प्रणाली में शंट कैपेसिटर के क्रियाशील होने की स्थिति को दर्शाने का प्रावधान नहीं था;
- प्रणाली में प्रोटोकोल लोड चार्जेज हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था;
- पासवर्ड सूजन, पासवर्ड परिवर्तन एवं पासवर्ड को खोलने की प्रक्रिया एसआरएस के अनुसार नहीं थी जिससे प्रणाली में सुरक्षा अतिक्रमण के जोखिम की सम्भावना थी;
- जीआईएस की प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट का टेम्पलेट, एमडीएएस, ऊर्जा लेखापरीक्षा, नेटवर्क एनालिसिस, वर्क एण्ड एसेट्स मैनेजमेंट के माड्यूल्स को अन्तिमीकृत नहीं किया गया था;
- जनवरी/फरवरी 2014 में कस्टमर केयर एण्ड बिलिंग (सीसीबी) सर्वर के खराब कार्य-निष्पादन को प्रतिवेदित किया गया था और मार्च 2015 तक समस्या और भी बढ़ गई थी। आईटीसी द्वारा यह संस्तुत किया गया था कि यूपीपीसीएल/डिस्काम्स को आईटीआईए से समस्या न्यूनीकरण योजना सहित सीसीबी के खराब कार्य-निष्पादन हेतु रुट काज एनालिसिस (आरसीए) सम्पादित करना चाहिए ताकि भविष्य में समस्या की पुनरावृत्ति न हो। यूपीपीसीएल/डिस्काम्स ने फिर भी कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं करी;

- आर-एपीडीआरपी प्रणाली के मानकीकरण एवं सुरक्षा हेतु न तो कोई आईटी नीति बनाई गई और न ही लागू करी गई;
- डाटा सेन्टर (डीसी) के सहसम्बन्धित, डिजास्टर रिकवरी सेन्टर (डीआरसी) की क्रियाशीलता का परीक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता के बिलिंग डाटा किसी भी आकर्षिता/आपदा की स्थिति में उच्च जोखिम के समुख थे; तथा
- आईटीआईए द्वारा एमआईएस हेतु ओरेकल यूटिलिटी बिजनेस इन्टेलीजेन्स (ओयूबीआई) उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। जिसके अभाव में, प्रबन्धन एमआईएस सृजित नहीं कर सका था और एटी एण्ड सी हानियों को न्यूनतम किये जाने हेतु उपरोक्त क्रियाकलापों का अनुश्रवण करने में विफल रहा।

यूपीपीसीएल ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2016) कि आईटीआईए को, प्रणाली को क्रियाशील बनाने एवं पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को अद्यतन करने एवं सीसीबी सर्वर की क्षमता वृद्धि तथा इसकी स्थिरता सम्बन्धी निर्देश दे दिये गये थे।

जियोग्राफिक इन्फारमेशन सिस्टम डाटा को अद्यतन किये जाने में विफलता

2.1.19 सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन के उपवाक्य 4.1.2 (खण्ड जी-1) में प्रावधान था कि विक्रेता जियोग्राफिक इन्फारमेशन सिस्टम (जीआईएस) डाटा में अद्यतन परिवर्तनों हेतु अपनी कार्यविधि का विवरण देगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि योजना के क्रियान्वयन की अवधि के दौरान, नये संयोजनों, विच्छेदनों, नये उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण के कारण योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों में वैद्युत नेटवर्क के साथ ही उपभोक्ताओं के डाटा में वृहद परिवर्तन आया। आईटीआईए/डिस्काम्स ने किसी भी शहर में जीआईएस डाटा को अद्यतन नहीं किया। अद्यतन डाटा के अभाव में, सही ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के उद्देश्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि जीआईएस को एकाकी क्रियाकलाप के समान पूरा नहीं किया जा सकता था परन्तु प्रत्येक बिलिंग चक्र में मासिक सर्वेक्षण द्वारा इसे क्रमशः ठीक किया जाना था। तथापि, यह तथ्य शेष रहा कि जीआईएस में परिवर्तनों हेतु डिस्काम्स द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं करी गयी थी।

आर-एपीडीआरपी शहरों में आंकलन आधारित उपभोग

2.1.20 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार, डिस्काम्स को जून 2005 से पूर्व समर्त सेवा संयोजनों पर मीटर लगाना था। पुनश्च, योजना में सही ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा को सुनिश्चित किये जाने हेतु 100 प्रतिशत मीटरिंग किये जाने का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सभी डिस्काम्स में 68,127 केडल्यू संयोजित भार वाले 3,712 मार्ग प्रकाश के उपभोक्ता बिना मीटर के थे और बिलिंग आंकलन के आधार पर की गई थी। इसने योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत मीटरिंग के उद्देश्य को विफल कर दिया।

यूपीपीसीएल ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2016) कि मार्ग प्रकाश पर 100 प्रतिशत मीटरिंग प्राप्त किये जाने हेतु चरणबद्ध तरीके से प्रयास किये जा रहे थे।

आईटीसी की नियुक्ति में विलम्ब तथा तकनीकी रूप से अयोग्य आईटीआईए

2.1.21 लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि यूपीपीसीएल ने आईटीसी की नियुक्ति में दो माह से अधिक समय लिया था और डीपीआर को शहरों की प्राथमिकता को इंगित किये बिना 51 दिनों के विलम्ब से जीओआई के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया था

तकनीकी अयोग्य आईटीआईए की नियुक्ति तथा आईटीसी की नियुक्ति में दो माह से अधिक विलम्ब ने परियोजना के क्रियान्वयन को विलम्बित किया

(15 मई 2009)। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आगे आया कि डिस्काम्स द्वारा नियुक्त किया गया आईटीआईए तकनीकी रूप से योग्य नहीं था क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्धारित (दिसम्बर 2009) 35 अंकों के विरुद्ध इसका स्कोर 33.65 अंक था। इस प्रकार, आईटीसी की नियुक्ति में विलम्ब था एवं आईटीआईए स्टीयरिंग कमेटी द्वारा तय किये गये बैचमार्क के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य नहीं था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि आईटीसी की देरी से नियुक्ति और आईटीआईए द्वारा स्थापित प्रणाली की कमियों, जिनकी चर्चा प्रस्तर 2.1.16 से 2.1.19 में करी गयी है, के कारण योजना को अक्टूबर 2016 तक छः वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि निविदाओं का मूल्यांकन उनके स्वयं के स्तर पर किया गया था और सभी निविदादाताओं द्वारा प्राप्त अंतिम अंक 40 से अधिक थे तथा एचसीएल को आईटीआईए इसलिए चयनित किया गया कि वह न्यूनतम (एल-1) निविदादाता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आईटीआईए की नियुक्ति हेतु निविदा के मूल्यांकन के लिए आईटीसी की नियुक्ति एक विशेषज्ञ के तौर पर की गई थी। परन्तु आईटीसी द्वारा दिये गये स्कोर की अनदेखी करके आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर एचसीएल को आईटीआईए नियुक्त कर लिया गया। इस प्रकार, आईटीसी को नियुक्त किये जाने का उद्देश्य विफल रहा। तथापि, यूपीपीसीएल द्वारा किये गये निविदाओं के मूल्यांकन के समर्थन में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

परामर्शी सेवाओं पर परिहार्य व्यय

2.1.22 डिस्काम्स ने परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु आईटीसी के साथ एक अनुबन्ध (चार वर्षों हेतु वैध) निष्पादित किया (अक्टूबर 2009)। अनुबन्ध के उपवाक्य 1.9 के अनुसार, आईटीसी को अनुबन्धित ₹ 1.94 करोड़ की राशि का भुगतान प्राप्त माइलस्टोन्स (**परिशिष्ट 2.1.7**) के अनुसार किया जाना था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि अक्टूबर 2013 तक आईटीसी द्वारा वांछित सात के विरुद्ध मात्र तीन माइलस्टोन्स प्राप्त किये गये थे। तीन डिस्काम्स¹⁸ ने अनुबन्ध की वैधता मासिक समानुपातिक किश्तों में भुगतान योग्य ₹ 2.72 करोड़ की अतिरिक्त राशि के साथ विस्तारित कर दी थी (17 अक्टूबर 2013)। अन्य डिस्काम जैसे डीवीवीएनएल ने, तथापि, अनुबन्ध की वैधता अवधि विस्तारित नहीं की और आईटीसी से विद्यमान अनुबन्ध के विरुद्ध बिना किसी अतिरिक्त भुगतान को समाहित किए कार्य करवा रहा था।

इस प्रकार, तीन डिस्काम्स¹⁹ द्वारा अतिरिक्त भुगतान के साथ अनुबन्ध की वैधता को विस्तारित किये जाने के कारण ₹ 2.72 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि डिस्काम्स को आईटीसी से अमूल्य तकनीकी सहायता एवं समर्थन लेने में सक्षम बनाये जाने हेतु परियोजना हित में अतिरिक्त भुगतान न्यायसंगत था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबन्ध को बिना अतिरिक्त भुगतान के विस्तारित किया जाना चाहिए था क्योंकि आईटीसी द्वारा समस्त सहमत माइलस्टोन्स प्राप्त नहीं किये गये थे।

आईटीआईए को अनियमित भुगतान

2.1.23 आईटीआईए से हुए अनुबन्ध के उपवाक्य 14.1 में प्रावधानित था कि फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज (एफएमएस) हेतु समस्त भुगतान डिस्काम्स के ‘वाइड रोलआउट गो—लाइव’ की उद्घोषणा और आईटीआईए द्वारा ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद किया जायेगा।

¹⁸ पीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल और पीयूवीवीएनएल।

¹⁹ पीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल और पीयूवीवीएनएल।

डिस्कॉम्स ने, आईटीआईए को, डिस्कॉम्सवार रोलआउट गो—लाइव की उद्घोषणा के पूर्व ही ₹ 2.45 करोड़ (मार्च 2015 तक) के एफएमएस प्रभार का अनियमित भुगतान किया

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि डिस्काम्स ने डिस्काम्स वार सभी शहरों में रोलआउट गो—लाइव की उद्घोषणा (अप्रैल 2015 से जून 2015) के पूर्व और आईटीआईए द्वारा किसी ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बिना आईटीआईए को ₹ 2.45 करोड़ (मार्च 2015 तक) के एफएमएस प्रभारों का भुगतान कर दिया। लेखापरीक्षा के संज्ञान में यह भी आया कि ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नहीं बन रहे थे क्योंकि मार्च 2016 तक आठ प्रतिशत फीडर मीटर तथा 57 प्रतिशत वितरण परिवर्तक (डीटी) मीटर एमडीएस में अद्यतन नहीं किये गये थे और 84 प्रतिशत डीटी में संवादवहन सुविधा का अभाव था।

इस प्रकार, समस्त शहरों में डिस्काम्स वार रोलआउट गो—लाइव की उद्घोषणा के पूर्व और ऊर्जा लेखापरीक्षा सम्पादित किये बिना आईटीआईए को एफएमएस प्रभारों के भुगतान के कारण ₹ 2.45 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि उपयोगिता क्रियाकलापों को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत; यूपीपीसीएल ने मार्च 2014 से आर-एपीडीआरपी के अन्तर्गत सभी गो—लाइव शहरों के लिये एफएमएस कार्यों को प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया था। यह तथ्य शेष रहा है कि डिस्काम्स द्वारा सभी शहरों में रोलआउट गो—लाइव घोषित किये जाने से पूर्व आईटीआईए को एफएमएस प्रभारों का भुगतान किया गया था।

आईटीआई का अनुचित पक्षपात

2.1.24 आईटीआईए से हुए अनुबन्ध के उपवाक्य 69 के अनुसार, यदि आईटीआईए सभी कार्यों को अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट अवधि में सम्पादित करने में विफल हो जाये तो डिस्काम्स को, 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह के समकक्ष क्षतिपूरक हानियों की कटौती जोकि अनुबन्धित मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन होगी, करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आईटीआईए द्वारा डिजाइन की प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, जीआईएस डाटा को अद्यतन न किया जाना, सभी माड्यूल्स का एकीकृत परीक्षण न किया जाना इत्यादि के कारण सभी शहरों में कार्यक्रम का गो—लाइव दोषपूर्ण रहा। इन दोषों के बावजूद, डिस्काम्स ने दोषपूर्ण गो—लाइव हेतु पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करके तथा उनके बिलों से ₹ 77.51 करोड़ के अर्थदण्ड की कटौती न करके आईटीआईए का अनुचित रूप से पक्षपात किया।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि आईटीआईए द्वारा प्रणाली लागू करने सम्बन्धी कार्य उनके स्तर पर पूरे कर लिये गये थे और सभी शहरों को विस्तारित समय—सीमा में गो—लाइव घोषित कर दिया गया था। इसलिए, अर्थदण्ड की कटौती न किये जाने से आईटीआईए का कोई अनुचित पक्षपात किया जाना नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आईटीआईए ने परियोजना की पूर्णता में आच्छादित चरणों को सम्पादित नहीं किया और एक दोषपूर्ण एवं अपूर्ण कार्यक्रम को लागू किया जिसे अप्रैल 2015 से जून 2015 के बीच गो—लाइव घोषित किया गया था।

भाग—ए (ii) स्काडा की स्थापना

2.1.25 योजना के भाग—ए (ii) स्काडा में, दूरस्थ कार्यचालन के माध्यम से प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार किया जाना निर्दिष्ट था। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्काडा को परियोजना की स्वीकृति यानि जून 2009 से तीन वर्षों के अन्दर (मई 2017 तक विस्तारित) 12 शहरों²⁰ में लागू किया जाना था। डिस्काम्स द्वारा डीपीआर की तैयारी और परियोजना के अनुश्रवण के लिए स्काडा सलाहकार (एसडीसी) एवं परियोजना को लागू किये जाने हेतु स्काडा इम्पलीमेंटिंग एजेन्सी (एसआईए) की नियुक्ति की जानी थी।

²⁰ लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद एवं झाँसी।

डिस्कॉम्प्स ने स्काडा के अन्तर्गत ₹ 17.59 करोड़ का व्यय किया जिसमें कि मार्च 2016 तक कोई भौतिक प्रगति नहीं थी।

बारह शहरों की परियोजनाओं की स्वीकृत लागत ₹ 280.81 करोड़ थी जिसमें से ₹ 79.96 करोड़ जीओआई से प्राप्त हुआ था (सितम्बर 2012) और ₹ 17.59 करोड़ मोबिलाइजेशन अग्रिम एवं सलाहकार को भुगतान करने में व्यय किया गया था। तथापि, मार्च 2016 तक, परियोजना में कोई भौतिक प्रगति नहीं थी। स्वीकृत लागत का, निधि की प्राप्ति एवं व्यय का डिस्कॉम्वार ब्रेकअप तालिका 2.1.3 में दिया गया है।

तालिका 2.1.3

डिस्काम वार स्वीकृत लागत, निधि की प्राप्ति एवं व्यय

(धनराशि ₹ करोड़ में)

डिस्काम	डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	योग
समग्र और प्रतिदर्श					
शहरों की संख्या	3	2	4	3	12
स्वीकृत लागत	46.35	47.42	112.93	74.11	280.81
कोष की प्राप्ति	13.91	9.94	33.88	22.23	79.96
व्यय	2.88	1.74	7.11	5.86	17.59

स्रोत: यूपीपीसीएल एवं डिस्काम्स द्वारा प्रदत्त सूचनायें

जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, स्काडा कार्यों में चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से कोई प्रगति न हो सकी:

- स्काडा हेतु डीपीआर जून से अक्टूबर 2011 के दौरान स्वीकृत की गई थीं परन्तु यूपीपीसीएल द्वारा डीपीआर की स्वीकृति की तिथि से तीन माह की अनुसूचित समय सीमा के विरुद्ध स्काडा के लागू किये जाने हेतु एसआईए (सीमेन्स) से अनुबन्ध 20 से 24 माह के बाद अन्तिमीकृत किया गया (जुलाई 2013)। भाग—बी के कार्यों के क्षेत्र को देरी से अन्तिमीकृत किये जाने के कारण डिस्काम्स द्वारा एसआईए से अनुबन्ध में विलम्ब से अगस्त से अक्टूबर 2014 (18 माह में पूर्ण किये जाने थे) के दौरान निष्पादित किये गये;
- डिस्काम्स को स्काडा नियंत्रण केन्द्र (एससीसी) की स्थापना हेतु एसआईए को भवन उपलब्ध कराना था। 12 मे से सात एससीसी भवन पूर्ण नहीं थे और एसआईए को अब तक (मार्च 2016) उपलब्ध नहीं कराये गये थे; तथा
- यूपीपीसीएल द्वारा जुलाई 2013 में अन्तिमीकृत कार्य के क्षेत्र को परियोजना में कोई प्रगति न होने के दृष्टिगत, तदनान्तर (अगस्त 2015) 10 शहरों के सम्बन्ध में घटा दिया गया। तथापि, कार्य के क्षेत्र में कमी को एसआईए को सूचित नहीं किया गया, इसलिए एसआईए द्वारा अक्टूबर 2016 तक कार्य शुरू नहीं किया जा सका जैसा कि प्रस्तर 2.1.26 में चर्चा की गई है।

कार्य के क्षेत्र में कटौती के कारण हानि

2.1.26 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्काम्स को परियोजना का किसी भी स्तर पर हस्तान्तरण या त्याग नोडल एजेन्सी की लिखित सहमति के बिना नहीं करना चाहिए अन्यथा ऐसे किसी हस्तान्तरण के प्रभावी होने से पूर्व डिस्काम्स द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि व्याज सहित नोडल एजेन्सी को वापस करनी पड़ेगी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि स्काडा परियोजनाओं में कोई प्रगति न होने के दृष्टिगत, यूपीपीसीएल ने नोडल एजेन्सी की सहमति के बिना दो परियोजना कार्य के पूर्ण क्षेत्र के साथ लखनऊ और वाराणसी शहरों में; जबकि शेष दस शहरों में उपकेन्द्र स्वचालन स्तर तक घटे हुए कार्य के क्षेत्र के साथ परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया (अगस्त 2015)। कार्यक्षेत्र घटाने के कारण, उपकेन्द्र का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) ही किया गया परन्तु ऑटो रिक्लोजर स्थापित कर ऑनलाइन संचारण सुविधा प्रतिस्थापित नहीं की गयी। अतः, स्काडा का 10 शहरों के प्रकरण में एससीसी स्थापित कर वितरण तंत्र के अनुश्रवण एवं नियंत्रण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। अग्रेतर, वांछित ऑटो रिक्लोजर स्थापित कर संचारण सुविधा के

प्रतिस्थापित किये बिना 10 शहरों में स्काडा प्रणाली स्थापित करने के कारण, डिस्कॉम्स योजना के प्रावधानों के अनुसार पीएफसी को ₹ 82.66 करोड़ (₹ 18.46 करोड़ का व्याज सम्मिलित करते हुए) वापस करने के लिए उत्तरदायी थे।

इस प्रकार, क्रियान्वयन एजेन्सी को कार्यक्षेत्र स्पष्ट करने में विफलता के फलस्वरूप कोई भी प्रगति प्राप्त नहीं हुई। परिणामतः, डिस्कॉम्स, परियोजना के प्रारम्भ से (जून 2009) सात वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त भी, दूरस्थ कार्यचालन के माध्यम से प्रणाली विश्वसनीयता में सुधार करने में, विफल रहे। इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने न केवल प्रणाली विश्वसनीयता में सुधार कर एठी एण्ड सी हानियों के अनुश्रवण एवं कम करने का अवसर खोया, अपितु ₹ 79.96 करोड़ का ऋण भी, अनुदान में परिवर्तित नहीं हो सकेगा क्योंकि स्काडा में अब तक (अक्टूबर 2016) कोई प्रगति नहीं हुयी एवं विस्तारित अवधि (मई 2017 तक) में पूर्ण होना सम्भव नहीं हो सकेगा।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि यूपीपीसीएल एवं डिस्कॉम्स ने 10 शहरों में उपकेन्द्र स्तर तक एवं दो शहरों में सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र के साथ सफलतापूर्वक क्रियान्वयन की विस्तृत माह—वार / चरणबद्ध योजना एसआईए के साथ मिलकर तैयार कर ली थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स, स्काडा के घटाये गये कार्यक्षेत्र पर पीएफसी की स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, योजना के भाग—बी के अन्तर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य की धीमी प्रगति (मार्च 2016 तक 41 चयनित शहरों में केवल 48.06 प्रतिशत) को ध्यान में रखते हुए मई 2017 तक विस्तारित अवधि में स्काडा का क्रियान्वयन सम्भव नहीं होगा।

भाग—बी वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य

2.1.27 योजना के भाग—बी में नियमित वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण की परियोजनायें जैसे—उपकेन्द्रों, परिवर्तकों/परिवर्तक केन्द्रों का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण, लाइनों की रीकण्डक्टिंग, घने क्षेत्रों में एरियल बंच्ड कण्डक्टर लगाया जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों का टैम्पर प्रूफ इलेक्ट्रानिक मीटरों से प्रतिस्थापन, कैपिसिटर बैंक्स की स्थापना इत्यादि समाहित थीं। योजना के भाग—बी को 167 शहरों में ₹ 6,915.57 करोड़ की स्वीकृत लागत से लागू किया गया था जिसमें से ₹ 3,556.24 करोड़ प्राप्त हो गया था तथा मार्च 2016 तक ₹ 3,239.12 करोड़ व्यय किया गया था।

नमूना जाँच किये गये 42 शहरों की परियोजनाओं की स्वीकृत लागत ₹ 5,042.96 करोड़ थी जिसमें से ₹ 1,857.64 करोड़ प्राप्त हुआ था और मार्च 2015 तक 48.06 प्रतिशत की भौतिक प्रगति (**परिशिष्ट-2.1.3 (ए व बी)** तथा **परिशिष्ट-2.1.4 (ए व बी)**) के साथ ₹ 1,760.19 करोड़ व्यय किया गया था। चयनित 42 शहरों में से मार्च 2015 तक मात्र एक इटावा शहर की परियोजना पूर्ण की गई थी। स्वीकृत लागत, निधि की प्राप्ति एवं व्यय का डिस्काम वार ब्रेक—अप तालिका 2.1.4 में दिया गया है।

तालिका 2.1.4 डिस्काम—वार स्वीकृत लागत, निधि की प्राप्ति एवं व्यय


(धनराशि ₹ करोड़ में)

डिस्काम	डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	योग
समग्र					
शहरों की संख्या	39	44	55	29	167
स्वीकृत लागत	1639.19	1816.01	2347.66	1112.71	6915.57
निधि की प्राप्ति	1752.59	714.50	585.27	503.88	3556.24
व्यय	1568.17	680.46	540.89	449.60	3239.12
प्रतिदेश					
शहरों की संख्या	10	11	13	8	42
स्वीकृत लागत	1128.95	1411.81	1745.25	756.95	5042.96
निधि की प्राप्ति	672.42	620.25	260.87	304.10	1857.64
व्यय	628.64	620.25	211.93	299.37	1760.19

स्रोत: यूपीपीसीएल एवं डिस्काम द्वारा प्रदत्त सूचनायें

भाग—बी के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रमुख मदों की प्रगति पाँच वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी सभी शहरों में 39.50 से 67.27 प्रतिशत के मध्य तथा शेष 41 चयनित शहरों में 31.82 से 61.59 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि चार्ट 2.1.2 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.1.2
सभी शहरों तथा चयनित शहरों की प्रमुख मदों की भौतिक प्रगति



लेखापरीक्षा में यथाविश्लेषित, योजना के भाग—बी के लागू करने में धीमी प्रगति के कारण, डीपीआर बनाने में विलम्ब, त्रुटिपूर्ण डीपीआर तैयार करना, निविदाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब, ठेकदारों को अवसंरचनाओं को उपलब्ध कराने में विलम्ब, इत्यादि थे जैसा कि प्रस्तर 2.1.30, 2.1.31, 2.1.37 तथा 2.1.41 में चर्चा की गई है।

गो—लाइव पश्चातवर्ती एटी एण्ड सी हानियों में वृद्धि

2.1.28 लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि ₹ 3,239.12 करोड़ (स्वीकृत लागत का 46.84 प्रतिशत) व्यय के बावजूद, जनवरी 2010 से योजना के कार्य—निष्पादन से छ: वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भाग—बी में प्राप्त समग्र भौतिक प्रगति मात्र 56.65 प्रतिशत थी।



तक बढ़ गई थी।

अग्रेतर, इटावा शहर में, भाग—बी के अन्तर्गत कार्य मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था और शहर को जून 2015 में गो—लाइव घोषित किया गया था। शहर की बेसलाइन एटी एण्ड सी हानि 65.71 प्रतिशत (फरवरी 2013 से अप्रैल 2013 तक) थी। पीएफसी को

जैसा कि चार्ट 2.1.3 में देखा जा सकता है, सभी शहरों को गो—लाइव घोषित (जून 2015) किये जाने के बाद, आधार वर्ष 2009 में यथा सत्यापित 23.38 से 34.92 प्रतिशत के मध्य रही एटी एण्ड सी हानियाँ सभी चार डिस्काम्स में जुलाई 2015 से जुलाई 2016 की अवधि के दौरान 33.04 से 45.95 प्रतिशत

यथासंसूचित, जून से अगस्त 2015 की अवधि हेतु एटी एण्ड सी हानि 80.47 प्रतिशत थी और वह जुलाई 2016 में 73.16 प्रतिशत थी।

जैसा कि ऊपर विश्लेषित किया गया था, भाग—बी के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के बाद सभी डिस्काम्स की एटी एण्ड सी हानियाँ घटने के बजाय बढ़ गई थीं। विशेषतः, इटावा शहर के प्रकरण में जहाँ कि सभी कार्यपूर्ण हो गये थे, एटी एण्ड सी हानियों की स्थिति अधिक चौकाने वाली थी। इस प्रकार, 15 प्रतिशत एटी एण्ड सी हानियों की उपलब्धि का उद्देश्य अब तक (अक्टूबर 2016) प्राप्त नहीं किया जा सका था और विस्तारित अवधि (मई 2017 तक) के दौरान भी प्राप्त किया जाना प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः सभी चार डिस्काम्स में, एटी एण्ड सी हानियाँ उनके अन्तर्गत शहरों के गो—लाइव घोषित किये जाने के बाद वास्तविक रूप में बढ़ गई थीं। इसलिए, विस्तारित अवधि (मई 2017 तक) की समाप्ति के बाद भी ₹ 3,556.24 करोड़ के ऋणों के ₹ 1,778.12 करोड़ (ऋण का 50 प्रतिशत) अनुदान में परिवर्तन के अवसर दूरस्थ थे।

डीपीआर की तैयारी

2.1.29 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, भाग—बी की डीपीआर डिस्काम्स द्वारा तैयार की जानी थी। डीपीआर को नोडल एजेन्सी (पीएफसी) के माध्यम से आगे स्टीयरिंग कमेटी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने के लिए वितरण सुधार समिति (डीआरसी) को प्रस्तुत किया जाना था। डीपीआर की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण में कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में करी गई है।

डीपीआर की विलम्बित तैयारी

2.1.30 डिस्काम्स ने डीपीआर की तैयारी हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति करी थी (मार्च 2009 से नवम्बर 2009 तक)। डिस्काम्स द्वारा डीपीआर एमओपी को उनके अनुमोदन हेतु जून 2010 में प्रस्तुत की गई थीं। दिशानिर्देशों में यह प्राविधानित था कि भाग—बी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की औपचारिकताओं को भाग—ए के साथ शुरू किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि प्रतिदर्श जॉचे गये 42 शहरों में से 29 शहरों हेतु भाग—बी कार्यों की डीपीआर देरी से जून 2010 में प्रस्तुत की गई थीं जबकि भाग—ए की डीपीआर जून 2009 में प्रस्तुत की गई थीं। डिस्काम्स ने, दिशानिर्देशों में प्रावधान होने के बावजूद, भाग—ए एवं भाग—बी की वांछित औपचारिकतायें साथ—साथ शुरू नहीं करी थीं जिसके कारण भाग—बी की तैयारी में 11 माह का परिहार्य विलम्ब हुआ।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि डीपीआर की तैयारी में विलम्ब यूपीपीसीएल द्वारा योजना की समग्र रूप में एकीकृत नियोजन के कारण था जो आवश्यक और अवश्यम्भावी था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भाग—बी कार्यों में नियमित प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य समाहित थे एवं वे योजना के भाग—ए के क्रियाकलापों के साथ शुरू किये जा सकते थे।

त्रुटिपूर्ण डीपीआर बनाने के कारण संशोधन और लागू किये जाने में विलम्ब

2.1.31 डिस्काम्स ने परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई डीपीआर के अनुसार 30 शहरों के भाग—बी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदायें आमंत्रित की थीं (अगस्त 2011)। निविदाओं के अन्तिमीकरण करते समय, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के संज्ञान में आया (अप्रैल 2012) कि परामर्शदाताओं ने ऐसे कार्य सम्मिलित किये थे जिनकी परिणति वितरण तंत्र की क्षमता में वृद्धि हो सकती थी परन्तु इसके परिणामस्वरूप चोरी और तकनीकी हानियों में कमी नहीं आयेगी। इसलिए, ये निविदायें निरस्त कर दी गईं (अप्रैल 2012) और परामर्शदाता द्वारा संशोधित डीपीआर के आधार पर निविदायें पुनः आमंत्रित करी गईं (अगस्त 2012)। संशोधित डीपीआर एमओपी द्वारा फरवरी से जुलाई 2014 के दौरान अनुमोदित की गई। उसी दौरान, डिस्काम्स द्वारा 16 नगरों में, मूल डीपीआर में सम्मिलित ₹ 322.83 करोड़ के प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य जनवरी 2011

से जून 2014 की मध्यावधि के दौरान अपने संसाधनों से क्रियान्वित कर लिये गये थे। ये कार्य संशोधित डीपीआर में सम्मिलित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप योजना के क्रियान्वयन में चार वर्षों से अधिक का विलम्ब हुआ और ₹ 161.42 करोड़ (₹ 322.83 करोड़ का 50 प्रतिशत) के व्यय की योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति नहीं की गई।

यूपीपीसीएल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2016) कि डीपीआर को संशोधित करने का उद्देश्य और मुख्य कारण योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यों को सम्मिलित करना था।

उच्च विभव लाइनों के परिवर्तन हेतु अल्प प्रावधान

2.1.32 केन्द्रीय वैद्युत प्राधिकरण (सीआईए) ने लाइन हानियों को न्यूनतम किये जाने के लिये एचटी/एलटी लाइनों हेतु 1:1 के आदर्श अनुपात की संस्तुति की थी। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 42 शहरों में से 17 शहरों की डीपीआर में एलटी लाइनों और एचटी लाइनों के 0.25:1 के अनुपात को 0.96:1 के अनुपात में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित था। अतः, डिस्काम्स ने, यह तथ्य जानते हुए कि अधिक एचटी लाइनों से एटी एण्ड सी हानियाँ न्यूनतम होती हैं, डीपीआर में एचटी लाइनों का अल्प प्रावधान किया था; इसलिए एमओपी को प्रस्तुत करी गयी डीपीआर त्रुटिपूर्ण थीं।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि डिस्काम्स ने सम्बन्धित क्षेत्रों में एटी एण्ड सी हानियों को कम किये जाने हेतु इनकी साध्यता की सीमा तक वास्तविक आवश्यकतानुसार एचटी/एलटी लाइनों का निर्धारण और संस्थापन किया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह तथ्य शेष रहा कि एटी एण्ड सी हानियों में कमी लाये जाने हेतु योजना में यथा प्रावधानित सीआईए की संस्तुतियों के अनुसार डीपीआर तैयार नहीं करी गई थी।

बिना उचित सर्वेक्षण के डीपीआर की तैयारी के कारण परिहार्य व्यय

2.1.33 11 केवी फीडरों/एलटी लाइनों इत्यादि की अतिभारिता कम करके शीर्षोपरि वैद्युत प्रणाली को भूमिगत वैद्युत प्रणाली में परिवर्तन द्वारा एटी एण्ड सी हानियों को कम करने के उद्देश्य से आर-एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत ललितपुर नगर की डीपीआर ₹ 18.01 करोड़ की तैयार करी गई थी। उसी दौरान, डीवीवीएनएल के निदेशक मण्डल (बीओडी) ने उच्च एटी एण्ड सी हानियों को घटाने के लिए जीओयूपी की योजना के अन्तर्गत समरूप कार्य के क्षेत्र (जैसा कि आर-एपीडीआरपी में सम्मिलित था) की एक डीपीआर ₹ 46.14 करोड़ की अनुमोदित करी (नवम्बर 2015)।

इस प्रकार, डीपीआर आर-एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए उचित सर्वेक्षण करने के बाद तैयार नहीं की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप एटी एण्ड सी हानियों में कमी लाये जाने के उद्देश्य को प्राप्त किये जाने हेतु ₹ 46.14 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि भूमिगत वैद्युत प्रणाली हेतु व्यय का प्रावधान पृथक डीपीआर में किया गया था जिसका शतप्रतिशत वित्त-पोषण जीओयूपी द्वारा किया गया था और कार्य के उद्देश्य एवं क्षेत्र दोनों डीपीआर में भिन्न-भिन्न थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आर-एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत भी समान उद्देश्यों के साथ एकसमान कार्य प्रस्तावित थे जोकि इस तथ्य को इंगित करता था कि आर-एपीडीआरपी की डीपीआर में कार्य के क्षेत्र को बिना उचित सर्वेक्षण और नियोजन के सम्मिलित किया गया था।

डीपीआर की तैयारी में परिहार्य व्यय

2.1.34 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, भाग-बी के प्रकरण में परामर्शदाता की नियुक्ति वैकल्पिक थी और परामर्शदाता की सेवा की लागत का वित्त-पोषण योजना के अन्तर्गत नहीं किया जाना था। अग्रेतर, पीएफसी ने डीपीआर का प्रारूप तैयार किया था जिसमें वेब-पोर्टल के माध्यम से सीधे डाटा भरा जाना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि तीन डिस्काम्स²¹ ने डीपीआर की तैयारी हेतु ₹17.39 करोड़ की लागत से परामर्शदाताओं की सेवायें ली थीं। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि प्रतिदर्श जॉचे गये शहरों की सभी डीपीआर स्वयं डिस्काम्स द्वारा पायी गई कमियों के कारण संशोधित करी गई थीं (जुलाई 2014)। संशोधित डीपीआर में सम्मिलित किये गये मात्राओं के विवरण (बीओक्यू) तदर्थ आधार पर और बिना सर्वेक्षण के देखे गये। जब डिस्काम्स के एसईज द्वारा कार्यस्थल का सर्वेक्षण कराया गया तो मदों की मात्राओं में (-) 100 प्रतिशत से 6400 प्रतिशत के भारी विचलन पाये गये। इस प्रकार, परामर्शदाताओं द्वारा तैयार करी गई डीपीआर ज्यादा उपयोगी नहीं थी और अन्ततः डिस्काम्स के अभियन्ताओं द्वारा अन्तिमीकृत की गई बीओक्यू के आधार पर कार्य का सम्पादन किया गया। इसलिए, डिस्काम्स स्वयं डीपीआर तैयार कर सकते थे एवं परामर्शदाताओं की सेवायें किराये पर लेने पर ₹ 17.39 करोड़ का भुगतान करने से बचा जा सकता था।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि कार्य हेतु विशेषज्ञ सेवायें लेने के लिये परामर्शदाताओं की नियुक्ति आवश्यक थी। वितरण के विद्यमान तंत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डीपीआर को अधिक वास्तविक बनाये जाने हेतु डिस्काम्स के अधिकारियों ने परामर्शदाताओं से समन्वय स्थापित किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई डीपीआर त्रुटिपूर्ण थीं और कार्यों को अन्ततः सम्बन्धित एसई द्वारा सम्पादित कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर सम्पादित कराया गया।

कार्यों का क्रियान्वयन

2.1.35 वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के कार्य (परियोजनायें), सम्बन्धित डिस्काम मुख्यालय पर सर्किल वार खुली निविदा के माध्यम से चयनित विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को दिये गये। सम्बन्धित सर्किल के एसई जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी थे, टीकेसी द्वारा क्रियान्वित किये गये कार्यों के भुगतान एवं अपने सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र में भाग—बी के क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी थे।

योजना के भाग—बी को 167 शहरों में ₹ 6,915.57 करोड़ की स्वीकृत लागत से लागू किया गया था जिसमें से ₹ 3,556.24 करोड़ प्राप्त हो गया था तथा मार्च 2016 तक ₹ 3,239.12 करोड़ व्यय किया गया था। नमूना जाँच किये गये 42 शहरों²² की परियोजनाओं की स्वीकृत लागत ₹ 5,042.96 करोड़ थी जिसमें से ₹ 1,857.64 करोड़ प्राप्त हुआ था और मार्च 2016 तक 48.06 प्रतिशत भौतिक प्रगति के साथ ₹ 1,760.19 करोड़ व्यय किया गया था। चयनित 42 शहरों में से मार्च 2015 तक मात्र एक शहर इटावा की परियोजना पूर्ण की गई थी।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पायी गयी कमियों की चर्चा नीचे करी गई है:

समय अतिरेक के कारण लागत अतिरेक

2.1.36 बयालीस शहरों के सम्बन्ध में कार्य, परियोजनाओं की स्वीकृति की तिथि से 33 से 63 महीनों²³ के विलम्ब से टीकेसी को प्रदान (अगस्त 2012 से फरवरी 2015) किये गये (परिशिष्ट-2.1.8)।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 42 शहरों में से 33 शहरों के कार्य टीकेसी को डीपीआर की स्वीकृति की तिथि से 18 से 45 महीनों²⁴ के विलम्ब से दिये गये जबकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुमन्य कुल समय मात्र 18 माह (निष्पादित अनुबन्ध

42 शहरों में से 33 शहरों के कार्य टीकेसी को डीपीआर की स्वीकृति की तिथि से 18 से 45 माह के विलम्ब से प्रदान करे गये थे। इसके परिणामस्वरूप, कार्य के क्षेत्र में विचलन एवं ₹ 737.88 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

²¹ एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल और डीवीवीएनएल।

²² योजना के भाग—बी को एक शहर जो कि नोएडा है में क्रियान्वित नहीं किया गया।

²³ परियोजनाओं की स्वीकृति की तिथि से छ: माह छोड़ते हुये आगणित।

²⁴ डीपीआर की स्वीकृति की तिथि से तीन माह छोड़ते हुये आगणित।

के अनुसार) था। इसके परिणामस्वरूप, कार्यों के क्षेत्र में विचलन और ₹ 737.88 करोड़ की लागत वृद्धि हुई (परिशिष्ट-2.1.9)।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि डिस्काम्स के नियंत्रण के बाहर के कारणों से विलम्ब हुआ और लागत अतिरेक चरणबद्ध क्रियान्वयन के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विलम्ब, डीपीआर की त्रुटिपूर्ण तैयारी जिसके कारण आगे संशोधन हुये और डिस्काम्स द्वारा निविदाओं के अन्तिमीकरण में अत्यधिक समय लिये जाने के कारण था।

निविदा के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण हानि

एमवीवीएनएल, दरों की वैधता अवधि में कार्य को टीकेसी को प्रस्तावित करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 134.33 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

2.1.37 एमवीवीएनएल ने लखनऊ शहर (डीपीआर अक्टूबर 2011 में अनुमोदित थी) के कार्यों के लिये निविदा, अन्तराल अवधि के दौरान पूर्व निष्पादित कार्यों पर विचार किये बिना मई 2013 में आमंत्रित किया था। फरवरी 2014 तक दरों की वैधता वाली वित्तीय बोली अगस्त 2013 में खोली गई थी। तथापि, प्रबन्धन ने पूर्व में क्रियान्वित ₹ 309.29 करोड़ मूल्य के कार्यों की मात्रा को घटाने का निर्णय लिया (मार्च 2014) और टीकेसी को शेष कार्यों को मौलभाव की एल-1 दर ₹ 590.66 करोड़²⁵ पर क्रियान्वित करने का प्रस्ताव दिया (अप्रैल 2014)। फर्म ने अगस्त 2013 की दरों पर कार्य को करने से इन्कार कर दिया क्योंकि परियोजना को उद्धृत दरों पर क्रियान्वित करना असाध्य हो रहा था। परिणामस्वरूप, एमवीवीएनएल को जून 2014 में कार्य की पुनः निविदा करनी पड़ी और कार्य ₹ 724.99 करोड़ में उसी फर्म को परन्तु उच्चतर दरों पर दिया गया (अक्टूबर 2014)। इस प्रकार, निविदा के अन्तिमीकरण में देरी के कारण, एमवीवीएनएल को कार्य को उच्चतर दरों पर क्रियान्वित करवाना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 134.33 करोड़ (₹ 724.99 करोड़-₹ 590.66 करोड़) का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि निविदा में मौलभाव की ₹ 899.95 करोड़ की एल-1 दर डीपीआर की स्वीकृत लागत ₹ 590.66 करोड़ के सापेक्ष 52.36 प्रतिशत उच्च थी, अतः दरें अनुमोदित नहीं करी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एमवीवीएनएल ने टीकेसी द्वारा उद्धृत दरों की वैधता अवधि के अन्दर ही कार्य प्रस्तावित नहीं किया था और कार्य को उसी फर्म को स्वीकृत लागत से 22.74 प्रतिशत उच्चतर दरों पर दिया था।

वैध बैंक गारंटी (बीजी) प्राप्त करने में विफलता से हानि

2.1.38 अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, पीयूवीवीएनएल द्वारा मोबलाइजेशन अग्रिम और निष्पादन गारंटी के सापेक्ष किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्राप्त करनी थी। अग्रेतर, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश (दिसम्बर 2007) में प्रावधानित है कि बीजी का सत्यापन स्वीकृति से पहले करवाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि अनुबन्ध के समय (फरवरी 2013) पीयूवीवीएनएल के नोडल अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता) ने निष्पादन गारंटी एवं मोबलाइजेशन अग्रिम के सापेक्ष एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी²⁶ (एनबीएफसी) की ₹ 14.32 करोड़ की बीजी टीकेसी²⁷ से, बैंक से सत्यापित करवाये बिना स्वीकार कर लिया। टीकेसी कार्य को संतोषजनक रूप से क्रियान्वित नहीं कर रहा था; इसलिए, पीयूवीवीएनएल ने बीजी बैंक के समक्ष प्रस्तुत (मई 2015) की परन्तु नकली होने के कारण इनका भुगतान नहीं हो सका। बीजी नकली होने के कारण अनुबन्ध समाप्त (जुलाई 2015) कर दिया गया। इस प्रकार, आवश्यक बीजी के अभाव में, ₹ 14.32 करोड़ की धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी।

²⁵ मौलभाव की एल-1 दर ₹ 590.66 करोड़ (₹ 899.95 करोड़-₹ 309.29 करोड़)।

²⁶ चार्टर्ड मरकेन्टाइल एम0बी0 लिमिटेड।

²⁷ बीको लॉरी लिमिटेड।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि पीयूवीवीएनएल की वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति हेतु हर तरह के सुधारात्मक एवं उपचारात्मक उपाय/कदम उठाये गये थे। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि टीकेसी के विरुद्ध किसी भी विशिष्ट कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। तथ्य शेष रहा कि पीयूवीवीएनएल को, एनबीएफसी की बीजी को स्वीकृति के समय बिना उनका सत्यापन कराये स्वीकार करने की वजह से हानि हुई जिसके लिए पीयूवीवीएनएल के चूककर्ता/उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अग्रेतर, एमवीवीएनएल में भी इसी फर्म ने चूक की थी। हालांकि, एमवीवीएनएल के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित किसी भी शहर का ठेकेदारों से प्राप्त बीजी/पीबीजी का अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

ठेकेदार को उच्च दर अनुमन्य करके अनुचित लाभ

2.1.39 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, भाग—बी के कार्यों में, स्वीकृत लागत में 10 प्रतिशत की भिन्नता तथा कार्यों की मात्रा में 20 प्रतिशत की भिन्नता अनुमन्य थी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (सितम्बर 2015) कि डीवीवीएनएल के नोडल अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता) ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत इटावा शहर के (मार्च 2015 में पूर्ण) क्रियान्वित आगणन में 14 मदों में स्वीकृत दरों से उच्च दरें अनुमन्य की। अतिरिक्त भुगतान की क्षतिपूर्ति, कुल क्रियान्वित लागत को स्वीकृत डीपीआर लागत के अन्दर रखते हुए छ: मदों की मात्रा कम करके की गई। इस प्रकार, टीकेसी को ₹ 4.53 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि उल्लिखित दरें कार्यनुसार थी न कि मदानुसार। सामान्यतः किसी कार्य के क्रियान्वयन के दौरान कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार मदों में भिन्नता हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबन्ध के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य की लागत उसमें दिये मदानुसार दरों पर आधारित थी। इसलिए, ठेकेदारों को भुगतान अनुबन्ध के अनुसार करना चाहिए था।

लाइनों के निर्माण पर निष्फल व्यय

2.1.40 आरएपीडीआरपी, भाग—बी के अन्तर्गत कन्नौज शहर की डीपीआर में उपरिगामी लाइन के निर्माण की लागत ₹ 7.94 करोड़ सम्मिलित थी। टीकेसी ने 47 प्रतिशत उपरिगामी लाइनों का निर्माण किया और ₹ 3.10 करोड़ (मार्च 2015 तक) का व्यय किया। परन्तु, अप्रैल 2015 में कार्य बन्द कर दिया गया क्योंकि जीओयूपी ने, बिना कोई कारण बताये, उपरिगामी विद्युत प्रणाली को आरएपीडीआरपी के बजाय जीओयूपी की त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत भूमिगत प्रणाली में परिवर्तित कराने का निर्णय (अप्रैल 2015) लिया। हालांकि, डीवीवीएनएल के निदेशक मण्डल ने शहर की राजनैतिक संवेदनशीलता को परिवर्तन का कारण बताते हुए अप्रैल 2015 में योजना के लिए डीपीआर तैयार की। इस प्रकार, कन्नौज शहर के लिए उपरिगामी लाइनों के निर्माण के समय अनुचित योजना के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय उपरिगामी लाइनों के निर्माण पर हुआ।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि आरएपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत तथा बाद में दूसरी योजना में जीओयूपी से प्राप्त 100 प्रतिशत पूँजी से विद्युत प्रणाली को भूमिगत करने में किया गया व्यय विभिन्न उददेश्यों के साथ फलदायी रहा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यदि डीवीवीएनएल तथा जीओयूपी ने प्रारंभिक चरण पर ही भूमिगत प्रणाली/केबिल को बिछाने का कार्य नियोजित कर लिया होता तो उपरिगामी लाइनों के निर्माण पर हुए व्यय को टाला जा सकता था। अग्रेतर, राजनैतिक संवेदनशीलता की प्रकृति जिसके कारण उपरिगामी लाइनों को भूमिगत लाइनों से प्रतिस्थापित किया गया, स्पष्ट नहीं थी।

डीवीवीएनएल ने इटावा शहर में टीकेसी को ₹ 4.53 करोड़ का अनुचित लाभ, क्रियान्वित अनुमान की 14 मदों में स्वीकृत दरों से उच्च दरें अनुमन्य करके, पहुँचाया

ठेकेदारों को अवसंरचना उपलब्ध कराने में विलम्ब

2.1.41 दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉम्स को अन्य कोई अवसंरचना या सुविधाएँ जो कि ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में न हो जैसे भूमि, पोल लोकेशन आदि की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि छ: शहरों²⁸ में (कार्य सितम्बर 2012 से जनवरी 2015 के दौरान आवंटित किये गये), डिस्कॉम्स अब तक (मार्च 2016) टीकेसी को 20 उपकरणों के लिए भूमि, कार्य प्रदान करने की तिथि से 14 से 37 महीनों के उपरान्त भी उपलब्ध कराने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप भाग-बी के कार्यों के पूर्ण होने में असामान्य विलम्ब हुआ। पाँच शहरों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणामों से भी इसकी पुष्टि हुई जैसा कि प्रस्तर 2.1.43 में वर्णित है।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि इस तरह के वृहत विद्युत वितरण प्रणाली के पुनर्गठन के कार्यों में भूमि/संरचना अथवा सुविधाओं की उपलब्धता समय से सुनिश्चित नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि समय से सम्बन्धित अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए डिस्कॉम्स उत्तरदायी थे। इस तथ्य की पुष्टि लाभार्थी डिस्कॉम्स के सीईओ को प्रश्नावली जारी कर सम्पादित किये गये सर्वेक्षण में लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया से भी हुई।

सम्बन्धित कार्य पूर्ण न होने के कारण निष्कल व्यय

2.1.42 योजना के भाग-बी के अन्तर्गत कार्यकलापों को इस प्रकार नियोजित करना था कि मुख्य कार्य एवं सम्बन्धित कार्य समय से पूर्ण हो। योजना के अन्तर्गत उपकरणों का निर्माण, वर्तमान उपकरणों के अतिभार कम करने तथा उपभोक्ताओं को आपूर्ति विद्युत की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियोजित किया गया था। चार शहरों²⁹ में, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि छ: उपकरणों का निर्माण ₹ 14.13 करोड़ व्यय करके किया गया परन्तु उनको वर्तमान लाइनों से ही ऊर्जाकृत (मार्च 2016) किया गया क्योंकि नियोजित सम्बन्धित लाइनों का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। इस प्रकार, वांछित लाइनों का समय से पूर्ण न होने के कारण, ₹ 14.13 करोड़ के व्यय के उपरान्त भी योजना का अतिभार कम करने तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। पाँच शहरों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणामों से इसकी और भी पुष्टि हुई जैसा कि प्रस्तर 2.1.43 में वर्णित है।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि सामान्यतः सम्बन्धित लाइन स्थापित करने का कार्य साथ में ही नियोजित की गई थी परन्तु अन्य कारणों से व्यावहारिक रूप में पिछड़ गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सम्बन्धित लाइनों के पूर्ण होने में विलम्ब डिस्कॉम्स के स्तर पर पर्याप्त नियोजन के अभाव को दर्शाती थी। परिणामस्वरूप, अतिभारिता में कमी एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति को प्राप्त नहीं किया जा सका।

परियोजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण

2.1.43 बयालीस जाँच परीक्षित शहरों में से पाँच शहरों के छ: 33/11 केवी उपकरणों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के प्रेक्षण, जैसा कि प्रस्तर 2.1.41 तथा 2.1.42 में वर्णित है, निम्नवत् है:

- लखनऊ शहर में, दो उपकरणों का निरीक्षण किया गया। एक उपकरन्द्र (सुगामऊ) पूर्ण पाया गया परन्तु सम्बन्धित लाइन निर्मित नहीं थी। दूसरे उपकरन्द्र (प्रियदर्शनी कालोनी) के मामले में, डिस्कॉम द्वारा अवसंरचना उपलब्ध करानी थी; डिस्कॉम द्वारा

²⁸ लखनऊ, फिरोजाबाद, झांसी, जौनपुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद।

²⁹ लखनऊ, सुल्तानपुर, हापुड़ एवं मथुरा।

भूमि एवं भवन समय से उपलब्ध नहीं कराये गये, इसलिए, उपकेन्द्र को पूर्ण नहीं किया जा सका, जैसा की निम्न चित्रों में देखा जा सकता है।

लखनऊ में अपूर्ण उपकेन्द्र



सम्बन्धित लाइन के पूर्ण हुए बिना उपकेन्द्र का निर्माण, लखनऊ (सुगामऊ)



निर्माणाधीन उपकेन्द्र भवन, लखनऊ (प्रियदर्शनी कालोनी)

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि 33/11 केवी सुगामऊ उपकेन्द्र नवम्बर 2015 से 33 केवी लाइन के एक स्रोत पर भारित था तथा 33 केवी लाइन के वैकल्पिक स्रोत के कार्य में वन विभाग द्वारा राईट ऑफ वे प्रदान नहीं करने से विलम्ब हुआ। अग्रेतर, 33/11 केवी प्रियदर्शनी उपकेन्द्र के कार्य में विलम्ब जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में देरी के कारण हुआ। तथ्य शेष रहा कि डिस्कॉम द्वारा सम्बन्धित लाइन का निर्माण नहीं किया गया साथ-साथ भूमि एवं भवन समय से उपलब्ध नहीं कराये गये।

असंतुलित करेन्ट तथा अतिभारित डीटी

2.1.44 बयालीस शहरों के स्वीकृत डीपीआर के अनुसार, अतिभारिता कम करने एवं वर्तमान डीटी के असंतुलित करेन्ट को नियमित करने के लिये 7,496 डीटी स्थापित करने का प्राविधान था। जिसके विरुद्ध, योजना के अन्तर्गत मार्च 2016 तक 4,493 डीटी स्थापित किये गये।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि जाँच परीक्षित शहरों में, एमडीएस में मार्च 2016 तक अद्यतन 31,875 डीटी में से, 8,164 डीटी (25 प्रतिशत) में असंतुलित करेन्ट पाया गया तथा 1,001 डीटी (3.14 प्रतिशत) अतिभारित थे। इस प्रकार, योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त डीटी स्थापित करने के उपरान्त भी अतिभारिता कम करने तथा करेन्ट संतुलित करने का उद्देश्य प्राप्त करना विफल रहा।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि असंतुलन तथा अतिभारिता मुख्यतः चोरी तथा कठिया संयोजनों के कारण रही। डिस्कॉम्स, अधिक सतर्कता, छापे तथा चोरी-रोधी तकनीक जैसे एबीसी तथा भूमिगत केबिल लगाकर, समस्या को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे थे। तथ्य शेष रहा कि डिस्कॉम्स, अतिरिक्त डीटी स्थापित करने के उपरान्त भी, अतिभारिता को कम करने तथा करेन्ट को संतुलित करने में असफल रहे।

उपकेन्द्रों के स्थान तथा क्षमता में अनुमोदन के बिना परिवर्तन

2.1.45 डिस्कॉम्स द्वारा 10 शहरों के 18 उपकेन्द्रों का निर्माण तथा आवधन उन स्थानों पर किया जा रहा था जिनका प्रावधान अनुमोदित डीपीआर में नहीं था। चूँकि डीपीआर विशिष्ट स्थानों पर उपकेन्द्रों के लिये अनुमोदित थी, इसलिए, उपकेन्द्र के लिये स्थानों एवं क्षमता में परिवर्तन के मामले में, डिस्कॉम्स को एमओपी से पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए थी जिससे कि उसके द्वारा किये गये व्यय योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए अर्ह हो

जाते। अनुमोदित स्थानों के उपकेन्द्रों पर किये गये ₹ 27.89 करोड़ का व्यय अस्वीकार किया जाना सम्भाव्य था तथा डिस्कॉम्स को उसका बहन स्वयं के संसाधनों से करना पड़ सकता है।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि विद्युत वितरण भार आधारित था और न कि स्थान एवं नाम आधारित; इसलिये, क्रियान्वयन के दौरान कार्य में प्रस्तावित डीपीआर से वृहद स्थितिगत एवं मात्रात्मक परिवर्तन अपरिहार्य थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डीपीआर में स्वीकृत सभी कार्य स्थान विशिष्ट थे जिनका डिस्कॉम्स द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिये था।

परियोजना का समयपूर्व समाप्त

2.1.46 कन्नौज शहर के भाग—बी का कार्य टीकेसी को ₹ 15.04 करोड़ में प्रदान किया (सितम्बर 2012) गया था। इस बीच (मार्च 2015), डीवीवीएनएल की बीओडी ने जीओयूपी की योजना के अन्तर्गत शहर की वर्तमान उपरिगामी विद्युत प्रणाली (एचटी/एलटी लाइनों) को भूमिगत विद्युत प्रणाली में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया और जिसे जीओयूपी द्वारा अनुमोदित (अप्रैल 2015) कर दिया गया।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि मई 2015 में बिना नोडल एजेंसी के लिखित सहमति के डीवीवीएनएल द्वारा आरएपीडीआरपी योजना का कार्य समय से पूर्व रोक दिया गया। इस प्रकार, दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार डीवीवीएनएल को ₹ 9.83 करोड़ (ब्याज ₹ 2.23 करोड़ सहित) नोडल एजेंसी को वापस करना होगा।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि डीवीवीएनएल द्वारा आरएपीडीआरपी योजना का कार्य समय से पूर्व रोका नहीं गया। अपितु लम्बित कार्यों के क्षेत्र को संशोधित किया गया ताकि उन अवसरंचनाओं जो कि प्रस्तावित भूमिगत केबलिंग के कार्यों के कारण व्यर्थ होंगी, के निर्माण पर आगे होने वाले निवेश का परिवर्जन हो सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य नोडल एजेंसी की सहमति के बिना अपूर्ण छोड़ दिये गये थे।

उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर स्थापित करने में विफलता

2.1.47 योजना के उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने एवं बिलिंग दक्षता में वृद्धि के लिए 100 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटरयुक्त करने तथा इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को प्रतिस्थापित करने का कार्य अनुमोदित डीपीआर के अनुसार करना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 42 जाँच परीक्षित शहरों के लिये निविदाएं अगस्त 2012 से अक्टूबर 2014 में प्रदान की गयीं जिन्हें 18 महीनों की निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना था। योजना के अन्तर्गत 2,01,846 उपभोक्ता मीटर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव के विरुद्ध 31 मार्च, 2016 तक मात्र 68,371 मीटर (33.87 प्रतिशत) ही स्थापित किये जा सके। इस प्रकार, 100 प्रतिशत मीटरिंग के अभाव में, स्थायी आधार पर विशुद्ध एवं विश्वसनीय ऊर्जा लेखांकन करने का योजना का मूल उद्देश्य विफल रहा।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि कार्य प्रगति पर था एवं दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित समयावधि की समाप्ति के उपरान्त भी डिस्कॉम्स मीटर स्थापित कराने में विफल रहे एवं विस्तारित अवधि (मई 2017) में 100 प्रतिशत मीटरिंग पूर्ण करने की कोई निश्चित योजना भी सूचित नहीं की।

कैपैसिटर बैंक्स स्थापित करने में विफलता

2.1.48 कैपैसिटर बैंक्स (सीबी) की स्थापना करेन्ट एवं वोल्टेज को नियमित कर पावर फैक्टर में सुधार करती है तथा विद्युत हानि से बचत करती है। पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने आंकलित किया (जुलाई 1993) था कि 2.4 मेगावोल्ट एम्पियर

रिएक्टिव (एमवीएआर) क्षमता की एक सीबी की स्थापना करने से 0.118 एमयू विद्युत की प्रति वर्ष बचत होती है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 42 शहरों में 1701.19 एमवीएआर क्षमता के सीबी स्थापित किये जाने थे परन्तु मार्च 2016 तक केवल 15 शहरों में 438.74 एमवीएआर (17 प्रतिशत) सीबी ही स्थापित किए जा सके। इस प्रकार, सभी शहरों में सीबी स्थापना में विलम्ब के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष ₹ 287.88 करोड़ मूल्य की 73.65 एमयू विद्युत का क्षय हुआ।

यूपीपीसीएस ने बताया (अक्टूबर 2016) कि स्थापना के कार्य प्रगति पर थे और विलम्ब कुछ तकनीकी कारक जैसे कई उपकेन्द्रों में स्थान की कमी, के कारण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उल्लिखित कमियों का निराकरण डिस्कॉम्स को ही करना था।

अनियमित मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त करके अनुचित लाभ

2.1.49 सीवीसी के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 17 (i) में प्रावधान था कि केवल चयनित कार्यों के लिये ही मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनुमति देनी चाहिए एवं अग्रिम ब्याजयुक्त होना चाहिए जिससे ठेकेदार अनुचित लाभ नहीं ले सके। यूपीपीसीएल की बीओडी ने भी अगस्त 2013 में आदेश दिया कि मोबिलाइजेशन अग्रिम ब्याजयुक्त होना चाहिए।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि अक्टूबर 2012 से जून 2015 के दौरान 21 शहरों से सम्बन्धित कार्यों के लिये डिस्कॉम्स के प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) ने ₹ 74.30 करोड़ का ब्याजमुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम टीकेसी को प्रदान किया। यह कृत्य न केवल सीवीसी के दिशानिर्देशों का एवं यूपीपीसीएल की बीओडी के आदेश का उल्लंघन था अपितु डिस्कॉम्स के वित्तीय हितों के विरुद्ध भी था, क्योंकि मोबिलाइजेशन अग्रिम योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याजयुक्त ऋण (11.5 प्रतिशत) से दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.75 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि मोबिलाइजेशन अग्रिम निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्यदायी एजेंसियों को दिये गये थे, जिसकी वसूली भी अनुबन्ध के अनुसार की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ब्याजमुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करना सीवीसी के दिशानिर्देशों तथा यूपीपीसीएल की बीओडी के आदेशों का उल्लंघन था।

लेबर सेस की कटौती में विफलता

2.1.50 “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस अधिनियम, 1996” (अधिनियम), सपठित जीओयूपी के फरवरी 2010 में निर्गत आदेशों के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों के बीजकों से परियोजना लागत का एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस वसूल किया जाना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि डिस्कॉम्स ने भाग-बी के अन्तर्गत 42 शहरों के लिये ₹ 5,228.37 करोड़ का अनुबन्ध टीकेसी के साथ किया एवं मार्च 2016 तक ठेकेदारों को ₹ 1,693.07 करोड़ का भुगतान किया। डिस्कॉम्स ने ₹ 16.93 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध ₹ 16.33 करोड़ लेबर सेस की कटौती नहीं की जो कि सेस प्राधिकरियों को भेजना था। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार यह दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से, सेस प्राधिकरियों को सेस भेजने में विलम्ब की अवधि के लिये, शास्ति ब्याज भी आकर्षित करेगा। साथ ही बीजकों से लेबर सेस की कटौती नहीं किये जाने से ठेकेदारों को अनुचित रूप से लाभ हुआ।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिये सभी सीईओ को निर्देश दिये जा चुके। तथ्य शेष रहा कि ठेकेदारों के बीजकों से लेबर सेस की कटौती नहीं की गई।

डिस्कॉम्स के मोबिलाइजेशन अग्रिम से सम्बन्धित सीवीसी के दिशानिर्देशों के पालन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 12.75 करोड़ के ब्याज की हानि हुई

ठेकेदारों के बीजकों से लेबर सेस की कटौती करने में विफलता, जो कि सेस प्राधिकरियों को भेजी जानी थी, ने ठेकेदारों को ₹ 16.33 करोड़ की सीमा तक अनुचित रूप से लाभान्वित किया

सीवीसी के दिशानिर्देशों के उल्लंघन से पीएमसी को अनुचित लाभ

2.1.51 केन्द्रीय सरकार आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि परामर्शदाता का चयन पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा किया जाना चाहिए। यह अग्रेतर प्रावधान करता है कि परामर्शदाता को भुगतान मूल अनुबन्ध मूल्य के आधार पर होना चाहिए एवं कार्य की प्रगति से संसंबद्ध होना चाहिए।

- लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुये, योजना के भाग—बी के अन्तर्गत यूपीपीसीएल ने एकल निविदा के आधार पर 161 शहरों के लिए (डीपीआर मूल्य का 2 प्रतिशत तथा 1.67 प्रतिशत की दर से क्रमशः 155 शहरों के सम्बन्ध में तथा छ: शहरों में) वैपकोस लिमिटेड को पीएमसी के रूप में नियुक्त किया (मई/जून 2011)। लेखापरीक्षा के संज्ञान में अग्रेतर यह आया कि पीयूवीवीएनएल ने तीन अन्य शहरों के पीएमसी कार्य के लिये खुली निविदा आमंत्रित किया (नवम्बर 2015) एवं डीपीआर लागत के 0.43 प्रतिशत की दर से फीडबैक इफ्रा को कार्य प्रदान किया। इस खुली निविदा में, वैपकोस लिमिटेड भी सम्मिलित हुआ था और वह तकनीकी रूप से अयोग्य/अपात्र पाया गया था। इस प्रकार, यह देखा जा सका कि यूपीपीसीएल ने 161 शहरों में पीएमसी का कार्य तकनीकी रूप से अयोग्य फर्म को मुख्यतः एकल निविदा आधार पर 1.24 प्रतिशत से 1.57 प्रतिशत तक उच्च दर पर प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.76 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सीवीसी के दिशानिर्देशों के विपरीत पीएमसी का अनुबन्ध, अतिरिक्त भुगतान को कार्य की प्रगति से संसंबद्ध किये बिना, विस्तारित करने के फलस्वरूप पीएमसी को ₹ 6.17 करोड़ की सीमा तक अनुचित लाभ हुआ

- लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि पीएमसी (वैपकोस) के साथ किये गये अनुबन्ध में सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुये, स्थिर मासिक किश्तों में भुगतान का प्रावधान था जो कि कार्य की प्रगति से संसंबद्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, नीयत समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के पश्चात् भी, परामर्शदाता का अनुबन्ध कुल डीपीआर लागत के 0.5 प्रतिशत की दर से मासिक किश्तों के रूप में देय अतिरिक्त भुगतान पर, 15 महीनों के लिए विस्तारित कर दिया गया। इस प्रकार, कार्य की प्रगति से संसंबद्ध किये बिना अतिरिक्त भुगतान पर अनुबन्ध की वैधता बढ़ाने से पीएमसी को ₹ 6.17 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
- लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि तीन डिस्कॉम्स ने पीएमसी (वैपकोस) को परामर्श शुल्क का भुगतान मूल डीपीआर लागत के आधार पर किया परन्तु डीपीवीएनएल ने, सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुये, पीएमसी को संशोधित डीपीआर लागत के आधार पर भुगतान किया, जो कि उच्चतर था। इसके परिणामस्वरूप पीएमसी को ₹ 0.92 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि परामर्शदाता का गुणात्मक मूल्यांकन अत्यन्त कठिन था एवं प्रबन्धन द्वारा वैपकोस को, एक सरकारी उपक्रम होने के कारण, उपयुक्त पाया गया और योजना में वरीयता दी गई। अग्रेतर, समय विस्तार सम्पूर्ण अनुबन्ध के लिये प्रदान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खुली निविदा प्रक्रिया एक योग्य फर्म को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर कार्य प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध कराता है एवं किसी प्रकार से एक सरकारी कम्पनी की भागीदारी प्रतिबन्धित नहीं करता। तथापि, निश्चित मासिक भुगतान को कार्य की प्रगति से संसंबद्ध करना चाहिए था।

निधि का विपथन

2.1.52 चतुष्पक्षीय अनुबन्ध के उपवाक्य 12(जी) में प्रावधान था कि डिस्कॉम्स को प्रदान की गई निधि को किसी अन्य योजना अथवा उद्देश्य के लिए विपथित नहीं की जानी चाहिये।

- लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि योजना के अन्तर्गत ₹ 274.76 करोड़ की निधि डिस्कॉम्स को पीएफसी द्वारा अवमुक्त (मार्च 2011) की गई। इस निधि को, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, तत्काल विपथित किया गया एवं यूपीपीसीएल द्वारा विद्युत क्रय में इसका प्रयोग किया गया। यूपीपीसीएल द्वारा प्रयोग किये गये

₹ 274.76 करोड़ में से, डिस्कॉम्स को पाँच वर्षों के बाद भी ₹ 33.79 करोड़ वापस प्राप्त नहीं हो सके।

अग्रेतर, डिस्कॉम्स ने यूपीपीसीएल द्वारा प्रयोग किये गये उपरोक्त ऋण निधि पर देय ₹ 131.09 करोड़ के ब्याज का दावा भी नहीं किया गया।

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुबन्ध की वैधता अवधि के दौरान उपभोक्ता आधार में बढ़ोत्तरी के कारण बढ़ी हुई मात्रा/कार्य की नयी मदों को डिस्कॉम्स द्वारा वहन किया जाना था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि दो शहरों³⁰ के मामले में, योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये, पीवीवीएनएल ने ₹ 41.92 करोड़ के प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के कार्य आरएपीडीआरपी निधि से कराये।

यूपीपीसीएल ने तथ्य को स्वीकार करते हुये बताया (अक्टूबर 2016) कि चूंकि निधि डिस्कॉम्स के पास निरुपयोगी पड़ी थी इसलिए इसका उपयोग उनके द्वारा किया गया। डिस्कॉम्स को निधि का हस्तान्तरण, जब और जैसे आवश्यकता पड़ी, किया गया। हालांकि, तथ्य शेष रहा कि योजना की अपेक्षाओं के विरुद्ध, उन उद्देश्यों के लिए निधि का विपर्थन किया गया जो उन उद्देश्यों से भिन्न थे जिनके लिए यह अवमुक्त किया गया था।

अर्जित ब्याज एवं वसूल की गयी शास्ति योजना निधि में जमा न किया जाना

2.1.53 योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधि पर अर्जित ब्याज को योजना निधि में जमा किया जाना चाहिये था अथवा भविष्य में निर्गत की जाने वाली निधि से समायोजित कर लेना चाहिये था। भाग—ए एवं भाग—बी के अन्तर्गत अप्रयुक्त आरएपीडीआरपी निधि पर अर्जित (मार्च 2016 तक) ₹ 31.31 करोड़ का ब्याज और आईटीआईए पर एमवीवीएनएल द्वारा आरोपित (मार्च 2016 तक) ₹ 0.96 करोड़ की शास्ति का समायोजन पीएफसी से मांगे गये प्रतिपूर्ति दावे में नहीं किया गया।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि कुल अर्जित ब्याज निर्दिष्ट बैंक खातों में जमा किया गया था। पीएफसी द्वारा मांग किये जाने पर सभी आवश्यक एवं उपयुक्त समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जीओआई से प्रतिपूर्ति दावे की मांग के समय ही इसे समायोजित कर लिया जाना चाहिये था।

अनुश्रवण तथा गुणवत्ता नियंत्रण

2.1.54 योजना की दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य में योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण वितरण सुधार समिति (डीआरसी) के द्वारा किया जाना था जो कि संचालन समिति को योजना से सम्बन्धित प्रस्ताव को अग्रेषित करने एवं माइलस्टोन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुश्रवण के लिए गठित की गयी थी। डिस्कॉम्स के मण्डल स्तर पर, योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए एसई उत्तरदायी थे। योजना के अनुश्रवण में देखी गयी त्रुटियों की चर्चा निम्नवत की गई है :

अनुश्रवण का अभाव

2.1.55 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, जीओयूपी की अध्यक्षता में यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स के नौ सदस्यों को सम्मिलित कर मई 2009 में डीआरसी का गठन किया गया। डीआरसी द्वारा प्रत्येक द्वितीय माह के अन्तिम सप्ताह में बैठक करना अपेक्षित था। डीआरसी का गठन दर्शाता था कि यह इस प्रकार किया गया था कि यूपीपीसीएल के स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण नियमित आधार पर हो सके एवं किसी भी त्रुटि के लिये सुधारात्मक कार्यवाही यथाशीघ्र की जा सके।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि डीआरसी द्वारा मई 2009 से मार्च 2016 के दौरान अपेक्षित 41 बैठकों के विरुद्ध कुल 14 बैठकें आयोजित की गयीं एवं यह बैठकें

³⁰ सहारनपुर एवं मुरादाबाद।

संचालन समिति को अग्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर केवल विचार करने के लिये आयोजित की गयीं थीं। यह दर्शाता था कि डीआरसी ने योजना के अन्तर्गत माइलस्टोन्स एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुश्रवण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। योजना के कार्य, यथोचित अनुश्रवण के अभाव में, राज्य में प्रारम्भ होने के सात से अधिक वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किये जा सके।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि मंडल स्तर (डिस्कॉम्स में) पर एसई/सीईओ द्वारा टीकेसी के प्रतिनिधि एवं परामर्शदाता के साथ मासिक आधार पर आयोजित की गयी बैठकों के कार्यवृत्त अभिलिखित नहीं किये गये, जिसके कारण अनुश्रवण बैठकों में सीईओ द्वारा सुझाई गयी सुधारात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, एवं उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही का परीक्षण लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए डीआरसी समिति की बैठकें यूपीपीसीएल स्तर पर सभी डिस्कॉम्स के लिए आयोजित की गयीं। अग्रेतर, सीईओ स्तर के साथ-साथ डिस्कॉम्स स्तर पर भी नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गयीं एवं सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बैठकों के कार्यवृत्त भी निर्गत किये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अपेक्षित संख्या में बैठकें नहीं आयोजित की गयीं एवं संचालन समिति को अग्रेषित किये जा रहे प्रस्तावों पर केवल विचार के लिए बैठकों को आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा को एसई स्तर पर आयोजित की गयी बैठकों के कार्यवृत्त के समर्थन में अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया।

गुणवत्ता नियन्त्रण का अभाव

2.1.56 अनुबन्ध के उपवाक्य 9.1 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा क्रय की गयी सामग्री लेखांकन के उद्देश्य से डिस्कॉम्स के सम्बन्धित भण्डार खण्ड के निकटतम भण्डार केन्द्र से होते हुये ली जानी थी एवं सामग्री को सीधे टीकेसी के भण्डार में पहुँचाना था। डिस्कॉम्स ने अनुबन्ध में, टीकेसी द्वारा क्रय की गयी सामग्री की प्राप्ति के समय, गुणवत्ता जाँच के लिये कोई प्रावधान नहीं किया। गुणवत्ता जाँच के लिये किसी तंत्र के अभाव में टीकेसी द्वारा अद्योमानक सामग्री के प्रयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यूपीपीसीएल ने बताया (अक्टूबर 2016) कि परियोजना में किये गये कार्य/प्रयोग की गयी सामग्री की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया गया एवं हर मौके पर वांछित गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स द्वारा समग्री की प्राप्ति के समय गुणवत्ता जाँच के लिये तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि :

- योजना के भाग-ए के अन्तर्गत, राज्य में योजना के प्रारम्भ से सात वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी डिस्कॉम्स आईटी समर्थित प्रणाली स्थापित करने में विफल रहे। भाग-ए के कार्यों पर ₹ 508.01 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त भी, तकनीकी रूप से कमज़ोर आईटीआईए की नियुक्ति एवं यथोचित नियोजन तथा आईटीआईए से सामंजस्य में अभाव के कारण, योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका;
- कार्यदायी संस्था को कार्य का क्षेत्र स्पष्ट करने में विफलता के कारण, चार से अधिक वर्षों के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी स्काडा के कार्य में प्रगति नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, नोडल एजेन्सी (पीएफसी) की सहमति के बिना कार्य का क्षेत्र कम कर दिया गया। इस प्रकार, डिस्कॉम्स, सात से अधिक वर्षों के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी, सुदूर संचालन के द्वारा प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार करने में विफल रहे;

- योजना के भाग—बी के अन्तर्गत, डिस्कॉम्स योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर तैयार करने में विफल रहे एवं कार्य का समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सके। डीपीआर के तैयार करने में, योजना के दिशानिर्देशों, सीवीसी के निर्देश एवं वित्तीय औचित्यता के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, योजना के भाग—बी के कार्य, जनवरी 2010 से छः से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी केवल 56.65 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त कर सके; एवं
- डीआरसी/डिस्कॉम्स योजना के अन्तर्गत माइलस्टोन्स एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुश्रवण में विफल रहे। अग्रेतर, योजना की प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया जा सका क्योंकि सीईओ स्तर पर आयोजित बैठकों के अभिलेखित कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, योजना के भाग—ए, स्काडा एवं भाग—बी के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 4,110.70 करोड़ ऋण का ₹ 2,332.58 करोड़³¹ के अनुदान में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा एवं योजना का क्रियान्वयन मार्च 2017 तक विस्तारित समयावधि में भी सम्भव प्रतीत नहीं होता।

संस्तुतियां

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि:

- योजना के भाग—ए के संबंध में, डिस्कॉम्स को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर तैयार कराना एवं कार्य का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए एवं समय से आईटी समर्थित प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य आईटीआईए की नियुक्ति करना चाहिये तथा योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति श्रेष्ठ नियोजन के द्वारा एवं परामर्शदाता तथा आईटीआईए के साथ अनुश्रवण करके करना चाहिये;
- स्काडा को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से एवं योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य के क्षेत्र में कमी किये बिना क्रियान्वित करना डिस्कॉम के लिए आवश्यक है;
- डिस्कॉम्स को डीपीआर तैयार करने एवं योजना के भाग—बी के अन्तर्गत परामर्शदाता की नियुक्ति करने के लिए दिशानिर्देशों के प्रावधानों एवं समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता है। डिस्कॉम्स ने योजना के प्रावधानों एवं सीवीसी के दिशानिर्देशों के भी पालन करने की आवश्यकता है; एवं
- योजना के अन्तर्गत माइलस्टोन्स एवं लक्ष्यों के अनुश्रवण के लिए डीआरसी नियमित बैठकें आहूत करे। डिस्कॉम्स अनुश्रवण के लिए कोई गयी बैठकों के कार्यवृत्तों को भी, देखी गयी/झंगित की गयी कमियों पर उपचारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए, अभिलेखित करे।

³¹ ₹ 554.46 करोड़ का अनुदान (भाग—ए एवं स्काडा के मामले में ऋण राशि का 100 प्रतिशत जो कि क्रमशः ₹ 474.50 करोड़ एवं ₹ 79.96 करोड़ है) एवं ₹ 1,778.12 करोड़ का अनुदान (भाग—बी के मामले में प्राप्त ₹ 3,556.24 करोड़ ऋण का 50 प्रतिशत)।

2.2 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की विद्युत शाखा की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) सिविल और विद्युत कार्य सम्पादित करता है। 26 विद्युत इकाइयों (इकाइयों) द्वारा ₹ 4,006.83 करोड़ के 957 विद्युत कार्य सम्पादित किये गये। आठ इकाइयों ने, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई, ₹ 2,303.95 करोड़ मूल्य के 481 कार्य सम्पादित किया जिनमें से ₹ 804.56 करोड़ की लागत पर 273 कार्य पूर्ण किये गये और 208 कार्य प्रगति पर थे जिन पर 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 1499.39 करोड़ का व्यय हुआ था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

- कम्पनी ने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)/ऊर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा प्रदत्त उपकेन्द्रों/केबिल बिछाने के 88 कार्य सम्पादित किया। इनमें से, एक महीने से चार साल और चार महीने तक के विलम्ब के साथ मार्च 2016 के अंत तक 42 कार्य पूर्ण कर लिए गये और 46 कार्य प्रगति पर थे। कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप, 88 कार्यों पर व्यय की गई ₹ 1,155.12 करोड़ की धनराशि विलम्बित अवधि के लिए अवरुद्ध रही। क्रियान्वयन की धीमी गति का मुख्य कारण ग्राहकों द्वारा समय पर धन अवमुक्त करने के बावजूद उपठेकेदारों द्वारा कार्यस्थल पर मानवशक्ति की अपर्याप्त तैनाती, था। लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थी सर्वे के दौरान इन तथ्यों की पुष्टि ग्राहकों द्वारा की गई।

अन्य निष्केप कार्यों के विद्युत कार्यों से सम्बन्धित ₹ 867.30 करोड़ मूल्य के 83 कार्यों के पूर्ण होने की अवधि उल्लिखित नहीं थी एवं इनको क्रियान्वित करने में दो वर्ष से 13 वर्ष का समय लगा।

(प्रस्तर 2.2.9, 2.2.19, 2.2.28, 2.2.36 और 2.2.37)

- दरों की विवेकपूर्णता सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण, कम्पनी ने उच्च दरों पर उपठेकेदारों से अनुबन्ध करके ₹ 78.55 करोड़ का परिहार्य व्यय किया एवं 2011–12 से 2015–16 के दौरान उच्च दरों पर सामग्री क्रय के कारण ₹ 3.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जिससे इसके ग्राहकों अर्थात् डिस्कॉम्स, यूपीपीटीसीएल और सरकारी विभागों पर वित्तीय भार पड़ा।

(प्रस्तर 2.2.20, 2.2.38 और 2.2.39)

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश (अक्टूबर 1997, अप्रैल 2007 और फरवरी 2011) प्रावधान करते हैं कि मोबिलाइजेशन अग्रिम देने का प्रावधान निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। जहाँ यह दिया जाना है, यह ब्याज सहित होना चाहिए। कम्पनी के महाप्रबंधकों, वित्तीय सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक द्वारा सीवीसी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण और कम्पनी के मैनुअल में उल्लिखित उनके द्वारा जाँच के अभाव में, आठ इकाइयों के परियोजना प्रभारियों द्वारा उपठेकेदारों को ₹ 142.03 करोड़ का अनियमित ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम देने में परिणत हुआ जिससे ₹ 21.90 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.21)

- इकाइयों ने, मैनुअल और जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपकेन्द्रों के दो कार्य बिना निविदा आमन्त्रित किये उपठेकेदारों को और 81 अन्य कार्य बिना उचित निविदा प्रणाली का अनुपालन किये ही प्रदान कर दिया। अग्रेतर, इकाइयों ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान बिना खुली निविदा आमंत्रण के आपूर्ति आदेश के

द्वारा ₹ 19.67 करोड़ का क्रय और ₹ 173.25 करोड़ के 68 कार्य कार्यादेशों के माध्यम से क्रियान्वित किया।

(प्रस्तर 2.2.27 और 2.2.42)

- संयुक्त भौतिक सत्यापन से प्रदर्शित हुआ कि तीन इकाइयाँ वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सामग्री की सही मात्रा का आंकलन करने में असफल रहीं। परिणामस्वरूप, पाँच उपकेन्द्रों के निर्माण में वास्तविक आवश्यकता से छः से 88 प्रतिशत अधिक ₹ 55.22 लाख मूल्य के कंट्रोल केबिल, पावर केबिल और कंडक्टर खरीदे गये।

(प्रस्तर 2.2.32)

- कम्पनी ने प्राक्कलन में परियोजना अवधि के लिए लागत वृद्धि हेतु प्रावधान करने के उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के निर्णय को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 54 कार्यों के प्रकरणों में ₹ 216.16 करोड़ का लागत अतिरेक हुआ।

(प्रस्तर 2.2.37)

- कम्पनी लक्ष्यों को भौतिक रूप में निर्धारण एवं अनुश्रवण करने में विफल रही। अग्रेतर, इसने फील्ड इकाइयों से इनपुट प्राप्त किए बिना वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये क्योंकि 15 से 18 अंचलों में से छः से 13 अंचलों ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान आवश्यक सूचनाएं प्रेषित नहीं किया।

(प्रस्तर 2.2.9)

- कम्पनी ने प्रबन्ध निदेशक/निदेशक मण्डल की अनुमति प्राप्त किये बिना 10 से 30 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के विरुद्ध 33.17 से 56.51 प्रतिशत कार्य उपठेकेदारों के माध्यम से क्रियान्वित करवाया।

(प्रस्तर 2.2.12)

- कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के प्रारम्भ किये गये। जबकि 106 कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियाँ कार्य आरम्भ करने के पश्चात एक माह से 15 वर्षों तक के विलम्ब से प्राप्त की गयीं, 241 कार्यों में छः माह से 18 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त अभी तक (मार्च 2016) यह प्राप्त नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.2.13)

- मैनुअल के प्रावधानों के उल्लंघन में आठ इकाइयों ने 116 कार्यों पर प्राप्त निधियों से ₹ 59.33 करोड़ का अधिक व्यय किया।

(प्रस्तर 2.2.16)

- आठ इकाइयाँ ग्राहकों को कार्य हस्तान्तरित करने के उपरान्त ग्राहकों के खाते बन्द करने में विफल रही जिससे ₹ 10.77 करोड़ की अव्ययित शेष राशि सम्बन्धित ग्राहकों को वापस नहीं की जा सकी।

(प्रस्तर 2.2.49)

प्रस्तावना

2.2.1 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन, मई 1975 में राज्य सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में विद्युतीय स्थापन सहित सिविल अभियांत्रिक कार्यों को करने के उद्देश्य से किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) और सरकारी विभाग/उपक्रम, कम्पनी को भवन निर्माण का कार्य लागत पर सेन्टेज जोड़कर निक्षेप कार्यों के रूप में सौंपते हैं। कम्पनी प्रत्यक्ष लागत पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज अर्जित करता है। यह भावी ग्राहकों द्वारा

आमंत्रित खुली निविदा में शामिल होकर निविदा कार्य भी प्राप्त करती है। कम्पनी मुख्य रूप से डीसीयू पद्धति¹ पर कार्य करती है, इसके अलावा, यह उपठेकेदारों को सब लेटिंग करके भी कार्य सम्पादित करती है।


कम्पनी ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 18,816.43 करोड़ के सिविल और विद्युत कार्य सम्पादित किये। 26 विद्युत इकाइयों (इकाइयों) ने ₹ 4,006.83 करोड़ के 957 कार्य सम्पादित किए जो कुल सम्पादित कार्य का 21.29 प्रतिशत था। इसमें से, ₹ 3,989.64 करोड़ (99.57 प्रतिशत) के 948 कार्य निक्षेप कार्यों के रूप में प्राप्त किए और ₹ 17.19 करोड़ (0.43 प्रतिशत) के 948 कार्य निक्षेप कार्यों के रूप में प्राप्त किए। इन 957 विद्युत कार्यों में से, कम्पनी ने ₹ 3,272.43 करोड़ (81.67 प्रतिशत) के 934 कार्य डीसीयू पद्धति पर और ₹ 734.40 करोड़ (18.33 प्रतिशत) के 23 कार्य उपठेकेदार को सबलेटिंग के माध्यम से सम्पादित किये। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा कम्पनी की विद्युत शाखा के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए की गई।

संगठनात्मक ढांचा

2.2.2 कम्पनी का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) सहित अध्यक्ष और सात निदेशकों को समाहित करने वाले संचालक मण्डल (बीओडी) में निहित है। प्रबंध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी होता है, जो कम्पनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों को मुख्यालय पर एक मुख्य वास्तुविद, एक वित्तीय परामर्शदाता और आठ² अतिरिक्त महाप्रबंधक (एजीएम) तथा फील्ड में 12 अतिरिक्त अंचलीय एजीएम की सहायता से देखता है। विद्युत कार्यों का क्रियान्वयन 26 इकाइयों (जैसा कि चार्ट 2.2.1 में प्रदर्शित है) द्वारा प्रत्येक परियोजना प्रबन्धक की प्रमुखता में चार अंचलीय एजीएम (विद्युत) के पर्यवेक्षण में किया जाता है।

चार्ट 2.2.1

26 विद्युत इकाइयों के स्थान को दर्शाता मानचित्र



¹ विभागीय निर्माण इकाई (डीसीयू) पद्धति के अन्तर्गत, कम्पनी सामग्री क्रय करती है और क्रय समितियों द्वारा संस्तुत दरों पर श्रमशक्ति (पीस रेटेड वर्कसे) लगाती है।

² एजीएम (कार्मिक), एमजीएम (वाणिज्यिक), एजीएम (तकनीकी, परामर्शी और यांत्रिक), एजीएम (डिजाइन), एजीएम (अनुबन्ध), एजीएम (शिकायत), एजीएम (विधिक) और एजीएम (दावा)।

कम्पनी की विद्युत शाखा का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट—2.2.1 में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पादित की गई थी कि क्या:

- विद्युत कार्यों का नियोजन और वित्तीय प्रबंधन विवेकपूर्ण और विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप था;
- विद्युत कार्य कम्पनी के कार्यकारी मैनुअल (मैनुअल) और जीओयूपी द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप मितव्ययिता पूर्ण, दक्षता पूर्ण एवं प्रभाविकता पूर्ण ढंग से कार्यान्वित किए गए; एवं
- आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र पर्याप्त, दक्ष और प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा की कसौटियाँ

2.2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विचार की गई लेखापरीक्षा कसौटियाँ प्राप्त की गईः

- कम्पनी के मैनुअल के प्रावधानों, जीओयूपी/कम्पनी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों से;
- जीओयूपी की वित्तीय हस्तपुस्तिका (एफएचबी) के प्रावधानों, सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों से;
- प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए बजट प्रावधानों से;
- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपीपीडब्ल्यूडी) / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) / उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) / उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) की दर अनुसूची से; और
- ग्राहकों के साथ निष्पादित अनुबन्धों के नियमों एवं शर्तों से।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.2.5 निष्पादन लेखापरीक्षा 2011–12 से 2015–16 के दौरान विद्युत कार्यों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 के दौरान सम्पादित की गई। लेखापरीक्षा ने कम्पनी के मुख्यालय एवं 26 में से, स्तरीकृत यादृच्छिक सैम्पलिंग के आधार पर ₹ 2,303.95 करोड़ (57.50 प्रतिशत) टर्नओवर वाली चयनित आठ इकाइयों³ (31 प्रतिशत), के अभिलेखों का परीक्षण किया।

लेखापरीक्षा कसौटी के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्यविधि में, 21 जनवरी 2016 को आयोजित प्रवेश बैठक में प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों से अवगत कराना, अभिलेखों का परीक्षण, पृच्छाओं का निर्गमन तथा प्रबंधन के साथ विमर्श सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा क्रियान्वित 10 विद्युत कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया और ग्राहकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त की गई। शासन एवं प्रबंधन के साथ 22 अगस्त 2016 को समाप्त बैठक आयोजित की गई। लेखापरीक्षा आपत्तियों से संबंधित प्रबंधन के उत्तर अगस्त 2016 और सितम्बर 2016 में प्राप्त हुए थे जिस पर निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिमीकृत करते समय समुचित रूप से विचार किया गया। शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।


³ इकाई 18 लखनऊ, वाराणसी, इटावा, बरेली, जै0पी0 नगर/मेरठ, नई दिल्ली, हरिद्वार और परामर्शी इकाई गाजियाबाद।

विद्युत कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति

2.2.6 2011–12 से 2015–16 के दौरान 26 इकाइयों द्वारा क्रियान्वित विद्युत कार्यों की और आठ चयनित इकाइयों द्वारा क्रियान्वित कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण परिशिष्ट—**2.2.2 (ए और बी)** में दिया गया है। उसे चार्ट 2.2.2 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.2.2

सभी विद्युत इकाइयों और आठ चयनित विद्युत इकाइयों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति



जैसा कि चार्ट 2.2.2 में देखा जा सकता है, आठ चयनित इकाइयों के ₹ 2,303.95 करोड़ मूल्य के 481 कार्यों में से मात्र 273 कार्य ₹ 804.56 करोड़ की लागत पर पूर्ण किए गए और 208 कार्य प्रगति पर थे जिन पर ₹ 1,499.39 करोड़ का व्यय किया गया था। अग्रेतर, डिस्कॉम्स/यूपीपीटीसीएल द्वारा प्रदत्त उपकेन्द्रों और केबिल बिछाने के 88 कार्य (₹ 1,155.12 करोड़) और सरकारी विभागों द्वारा प्रदान किये गये अन्य निक्षेप कार्यों से सम्बन्धित 83 कार्य (₹ 867.30 करोड़) निष्पादन लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए चयन किए गए।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.7 लेखापरीक्षा के उद्देश्यवार परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

2.2.8 कार्यों के क्रियान्वयन के लिये नियोजन और वित्तीय प्रबंधन में पायी गयी कमियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

लक्ष्यों का निर्धारण और बजट तैयार करना

2.2.9 कम्पनी के मैनुअल के प्रस्तर 1117 से 1125 में प्रावधानित है कि कम्पनी का मुख्यालय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट, फील्ड इकाइयों से प्रत्येक कार्य के संबंध में बार चार्ट एवं अपेक्षित निधि की उपलब्धता पर आधारित सूचना एकत्र करके तैयार करेगा। इन बार चार्टों से, आगामी वर्ष में क्रियान्वित किये जाने वाले प्रत्येक मद के विरुद्ध सामग्री की मात्रा और उनके क्रय के संभावित मूल्य की गणना की जानी थी। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में निदेशक मण्डल (बीओडी) द्वारा बजट अनुमोदित किया जाएगा।

कम्पनी ने फील्ड इकाइयों से इनपुट प्राप्त किए बिना वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया


लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 2011–12 से 2015–16 के दौरान 15 से 18 अंचलों में से 7 से 13 अंचलों की क्षेत्रीय इकाइयों ने मुख्यालय को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करायी। इसलिए, सम्पूर्ण बजट, क्षेत्रीय इकाइयों से इनपुट प्राप्त किए बिना ही

कम्पनी के वित्तीय परामर्शदाता द्वारा तैयार और निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किए गए। अग्रेतर, मुख्यालय ने लक्ष्यों का भौतिक रूप से निर्धारण एवं अनुश्रवण नहीं किया।

2011–12 से 2015–16 के दौरान 26 इकाइयों (विद्युत) तथा आठ चयनित इकाइयों के वर्ष वार बजटीय लक्ष्यों एवं उपलब्धि की स्थिति परिशिष्ट-2.2.3 (ए और बी) में दी गई है। 26 इकाइयों (विद्युत) के लक्ष्यों एवं उपलब्धि की स्थिति चार्ट 2.2.3 में भी दर्शायी गई है।

चार्ट 2.2.3 26 विद्युत इकाइयों के वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)



परिशिष्ट और उपर्युक्त चार्ट में यह देखा जा सकेगा कि 2015–16 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 2012–13 एवं 2014–15 के दौरान 26 इकाइयों के वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में 15.57 प्रतिशत और 9.67 प्रतिशत की अल्पता थी। जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया, अल्पता का कारण था कि 2012–13 और 2014–15 के लिए निदेशक मण्डल ने विद्युत इकाइयों के वित्तीय लक्ष्यों को बिना किसी विस्तृत विश्लेषण के क्रमशः 25 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बढ़ा दिए जबकि 2012–13 और 2013–14 के लिए सम्पूर्ण बजटरी वित्तीय लक्ष्य (सभी सिविल और विद्युत कार्य) 2014–15 में पिछले वर्ष की तुलना में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्थिर थे।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि अंचलीय कार्यालयों से प्राप्त डाटा के आधार पर लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। अल्पता का मुख्य कारण ग्राहकों द्वारा निधि प्रदान करने में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप कार्यों की प्रगति धीमी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपलब्धि में अल्पता ग्राहकों से निधि के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण नहीं था, क्योंकि 2011–12 से 2015–16 में अव्ययित निधियाँ ₹ 222.92 करोड़ से ₹ 343.60 करोड़ इकाइयों के पास पड़ी थीं, जैसा कि तालिका 2.2.3 में इंगित है। अग्रेतर, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण में ग्राहकों द्वारा निधि के समय से अवमुक्त किये जाने की पुष्टि की गई।

श्रमशक्ति नियोजन


2.2.10 कम्पनी के मैनुअल के प्रस्तर 861 एवं 862 में इकाइयों में तकनीकी कर्मचारियों⁴ की संख्या टर्नओवर पर आधारित होने का उल्लेख था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 26 इकाइयों में 2011–12 से 2015–16 के दौरान टर्नओवर के आधार पर 388 से

⁴ स्थानीय अभियंता (आरई), सहायक स्थानीय अभियंता (एआरई), उपअभियंता (एसई)।

541 तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता के विरुद्ध 74 से 80 तकनीकी कर्मचारी तैनात थे, जिसके परिणामस्वरूप 312 से 465 कर्मचारियों की कमी थी जैसा कि परिशिष्ट 2.2.4 में दर्शाया गया है। इसे चार्ट 2.2.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.2.4

टर्नओवर के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता, वास्तविक तैनात कर्मचारी और कर्मचारियों की कमी



मैनुअल का प्रस्तर 860 (बी) इकाइयों के ओसत वार्षिक टर्नओवर (एएटी)⁵ के आधार पर इकाई प्रभारी के रूप में तैनाती के लिये अधिकारियों के स्तर का उल्लेख करता है। 26 इकाइयों में एएटी वार इकाई प्रभारी की नियुक्ति की वास्तविक स्थिति परिशिष्ट 2.2.5 में दी गई है। परिशिष्ट से देखा जा सकेगा कि :

- 16 इकाइयों को मुख्य परियोजना प्रबंधकों (सीपीएम) द्वारा संचालित करने की आवश्यकता थी लेकिन ये इकाइयाँ एपीएम⁶ (छ: इकाइयाँ) और आरई⁷ (10 इकाइयाँ) द्वारा संचालित की जा रही थीं।
 - छ: इकाइयों को परियोजना प्रबंधकों (पीएम) द्वारा संचालित करने की आवश्यकता थी लेकिन ये इकाइयाँ एपीएम (तीन इकाइयाँ) और आरई (तीन इकाइयाँ) के द्वारा संचालित की जा रही थीं।
 - यद्यपि एपीएम की कमी थी, इकाई में एक एमपीएम नियुक्त था जहाँ पर तैनाती हेतु आरई अह था। तीन इकाइयों में, जिसकी एएटी सीपीएम की तैनाती हेतु अह थी, बिना किसी लिखित कारण के, तैनाती में एपीएम की जगह आरई को वरीयता दी गई।
 - छ: इकाइयाँ दो एपीएम और चार आरई के अतिरिक्त प्रभार में थीं। चार आरई को इकाइयों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, यद्यपि सात एपीएम एकल प्रभार में थे।
- अपर्याप्त मानवशक्ति की तैनाती और इसकी अदक्ष उपयोग के परिणामस्वरूप, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में और कार्यों को क्रियान्वित करने में विलम्ब हुआ, जैसा कि प्रस्तर 2.2.13, 2.2.28 और 2.2.37 में चर्चा की गई है।

⁵ आधार वर्ष 1983 के सापेक्ष 2015–16 के अद्यतन मूल्य सूचकांक के अनुसार।

⁶ अतिरिक्त परियोजना प्रबंधकों।

⁷ स्थानीय अभियताओं।

प्रबंधन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में स्वीकार किया कि जीओयूपी द्वारा नवम्बर 2013 तक सीधी भर्ती के द्वारा पदों के भरने में निषेध (जुलाई 2010) के कारण मानवशक्ति की संख्या में कमी थी। अतः, कर्मचारियों की कमी के कारण, आरई और एपीएम इकाई प्रमुख के रूप में तैनात थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जा सकते थे, जैसा कि जीओयूपी के आदेश (जुलाई 2010) में प्रावधानित था। अग्रेतर, जीओयूपी द्वारा भर्ती में छूट (नवम्बर 2013) के बावजूद अभी तक (अक्टूबर 2016) ये पद भरे नहीं जा सके।

इकाइयों के मध्य कार्यों का अविवेकपूर्ण आवंटन

2.2.11 मैनुअल का प्रस्तर 17(बी) प्रावधान करता है कि लागत को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी के सर्वश्रेष्ठ लाभ के लिए प्रबंध निदेशक इकाइयों में कार्यों के आवंटन के मानदंड की व्यवस्था अपनाएगा एवं लागू करेगा। अग्रेतर, प्रस्तर 861 प्रावधान करता है कि एक इकाई प्रभारी का भौगोलिक कार्य क्षेत्र 80 किमी व्यास के वृत्त के अन्दर आने वाले कार्य स्थलों पर होगा।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आठ इकाइयों ने 143 ऐसे कार्यों को क्रियान्वित किया जिनके कार्यस्थल इकाइयों से 101 किमी से 504 किमी की दूरी पर स्थित थे। जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया, सामान्यतः दूरस्थ स्थान पर कार्य के आवंटन के परिणामस्वरूप इकाई प्रमुखों द्वारा कमोवेश खराब अनुश्रवण हुआ। लेखापरीक्षा ने उपकेन्द्र एवं केबिल बिछाने के 17 कार्यों में पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 10 से 46 माह का विलम्ब पाया। जैसा कि तालिका 2.2.1 में दिखाया गया है, उपकेन्द्रों और केबिल बिछाने से भिन्न 11 कार्यों को क्रियान्वित करने में भी 63 से 243 महीने का समय लिया गया जहां कार्य पूर्ण होने की तिथियाँ निर्धारित नहीं थीं।

तालिका 2.2.1

इकाइयों के मध्य कार्यों का अविवेकपूर्ण आवंटन

क्र०सं०	इकाई का नाम	कार्यों की संख्या (एसएस ⁸ एवं ओडब्ल्यू ⁹)	इकाई से कार्यस्थल की दूरी (किमी)	उपकेन्द्रों के मामलों में विलम्ब अवधि और दूसरे कार्यों में लिये गये वास्तविक समय (महीने में)	कार्यस्थल से समीप की इकाई का नाम (कार्यों की संख्या)
1.	इकाई 18, लखनऊ	3 एसएस	128 से 200	10 से 30	वाराणसी (1)
2.	वाराणसी	3 एसएस 7 ओडब्ल्यू	120 से 172 119 से 162	27 से 46 97 से 243	- -
3.	बरेली	5 एसएस	163 से 202	23 से 45	लखनऊ (3), मेरठ (1)
4.	इटावा	1 ओडब्ल्यू	240	74	लखनऊ (1)
5.	गाजियाबाद	1 एसएस 3 ओडब्ल्यू	104 से 439	31 63 से 85	- लखनऊ (1) बरेली (1)
6.	हरिद्वार	4 एसएस	167 से 289	20 से 30	गाजियाबाद (3) मेरठ (1)
7.	जेपी नगर / मेरठ	1 एसएस	504	12	कानपुर (1)
योग		17 एसएस 11 ओडब्ल्यू	104 से 504 104 से 439	10 से 46 63 से 243	छ: इकाईयाँ (13)

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा लैयर की गयी गणना

कम्पनी ने 55 कार्य बहुत दूर की इकाइयों को आवंटित किये, यद्यपि ये कार्यस्थल अन्य सात इकाइयों के समीप स्थित थे

लेखापरीक्षा के अग्रेतर संज्ञान में आया कि 144 कार्यों में से, 55 कार्यों के कार्यस्थल सात इकाइयों के समीपवर्ती थे लेकिन ये कार्य उनके समीपवर्ती इकाइयों को आवंटित नहीं किए गए।

⁸ एसएस उपकेन्द्रों और केबिल बिछाने के कार्यों को इंगित करता है।

⁹ ओडब्ल्यू उपकेन्द्रों और केबिल बिछाने से भिन्न कार्यों को इंगित करता है।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि मानवशक्ति की कमी के दृष्टिगत इकाइयों के मध्य कार्यों के आवंटन का निर्णय, कार्यों को दक्षता के साथ क्रियान्वित करने और समय अतिरेक एवं लागत अतिरेक से बचने के लिए, लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मानवशक्ति की कमी को ध्यान में रखते हुए, उच्च नियंत्रण के लिए दूरस्थ इकाइयों के बजाय समीपवर्ती इकाइयों को कार्य आवंटन ज्यादा विवेकपूर्ण था।

उपठेकेदारों को कार्य प्रदान करने हेतु नियोजन

कम्पनी ने एमडी/बीओडी के अनुमोदन के बिना 10–30 प्रतिशत की प्रतिबंधित सीमा के विरुद्ध 33.17 से 56.51 प्रतिशत कार्य उपठेकेदारों से करवाये

2.2.12 मैनुअल के प्रस्तर 1, 2 और 20 में प्रावधानित है कि कम्पनी सामान्यतया निर्माण कार्यों को, सामग्री, मशीन, उपकरण अधिग्राप्त करके और श्रमिकों को संलग्न करते हुए सीधे अपने कर्मचारियों के माध्यम से कराएगी। प्रस्तर 21 एवं 468, तथापि, एमडी को कोई कार्य आंशिक या पूर्ण रूप से कारण अभिलिखित करते हुए उपठेकेदार को देने हेतु अधिकृत करते थे। आगामी बैठक में ऐसे उपठेकेदारों की सूची बीओडी के समक्ष जानकारी के लिए रखा जाना अपेक्षित था।

बीओडी ने एक वर्ष में क्रियान्वित समग्र कार्यों के मूल्य के 10 प्रतिशत तक उपठेकेदारी द्वारा क्रियान्वित किये जाने का प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया (जुलाई 2008)। अधिकतम सीमा को जून 2013 में 25 प्रतिशत तक और दिसम्बर 2013 में 30 प्रतिशत तक पुनरीक्षित किया गया। कार्यों के उपठेकेदारी में निम्नलिखित कमियां लेखापरीक्षा के संज्ञान में आयीं।

- उपकेन्द्र एवं केबिल बिछाने के कार्यों के सम्बन्ध में, कम्पनी ने कार्यों के उपठेकेदारी हेतु निर्धारित सीमा को सुनिश्चित नहीं किया और उपठेकेदारों द्वारा ₹ 1,344.57 करोड़ के 117 कार्य उपठेकेदारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जो वर्ष 2015–16 में 5.55 प्रतिशत को छोड़कर वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान किए गए कार्यों के मूल्य का 33.17 प्रतिशत से 56.51 प्रतिशत के मध्य रहा, जैसा कि तालिका 2.2.2 में दिखाया गया है।

तालिका 2.2.2 उपठेकेदारों को दिये गये कार्यों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यों की संख्या	क्रियान्वित विद्युत कार्यों का कुल मूल्य	उपठेकेदारों द्वारा क्रियान्वित विद्युत कार्यों का मूल्य	सभी कार्यों से उपठेकेदारों द्वारा क्रियान्वित कार्यों का प्रतिशत
2011-12	50	786.44	350.31	44.54
2012-13	69	692.36	391.26	56.51
2013-14	76	763.05	284.21	37.25
2014-15	87	799.43	265.16	33.17
2015-16	60	965.55	53.63	5.55
योग	117*	4006.83	1344.57	33.56

स्रोत: इकाइयों द्वारा दी गयी सूचना

*चूँकि कार्यों का क्रियान्वयन एक से अधिक वर्षों में चलता रहता है।

- उपकेन्द्रों के निर्माण/केबिल बिछाने से सम्बन्धित उपठेकेदारों द्वारा किए गए ₹ 1,344.57 करोड़ के 117 कार्यों के सम्बन्ध में न तो प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किया गया और न ही बीओडी को अवगत कराया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य उपठेकेदारों को दिया गया क्योंकि यह एक नया कार्य था और कम्पनी में अनुभव और तकनीकी मानवशक्ति का अभाव था। यह अग्रेतर समापन बैठक (अगस्त 2016) में बताया गया कि उपठेकों की सीमाएँ सभी कार्यों (सिविल और विद्युत कार्य) के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थीं। यदि कार्यों की समग्रता से तुलना की जाए तो उपठेकों के माध्यम से क्रियान्वित कार्य निर्धारित सीमा के अन्दर थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्यों की लागत सीमा की अधिकता के निर्धारण में सिविल कार्य सहित कार्यों के मूल्य एवं व्यय को लिया गया था। उपठेकेदारों को कार्यों की

सबलेटिंग करने में नियमानुसार न तो प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किया गया और न ही बीओडी को इस तथ्य से अवगत कराया गया।

बिना पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए कार्यों का क्रियान्वयन

2.2.13 एफएचबी का प्रस्तर 318 और कम्पनी के मैनुअल का प्रस्तर 320 (24) के अनुसार कार्य शुरू करने के पहले विस्तृत आंकलन पर तकनीकी स्वीकृति (टीएस) प्राप्त करने का प्रावधान करता है जो सुनिश्चित करता है कि विस्तृत आंकलन सही है और वास्तुशिल्पीय ड्राइंग एवं डिजाइन तकनीकी रूप से सुदृढ़ हैं।

जबकि 106 कार्यों में कार्य शुरू होने के एक महीने से 15 वर्ष तक के विलम्ब से तकनीकी स्वीकृतियों प्राप्त की गयी, 241 कार्यों में छः महीने से 18 वर्ष समाप्त होने के पश्चात भी यह अभी तक प्राप्त नहीं की गई (मार्च 2016)

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आठ इकाइयों में परीक्षण जांच किए गए 360 कार्यों में से, चार इकाइयों द्वारा मात्र 13 कार्य ही टीएस प्राप्त करने के पश्चात प्रारम्भ किए गए। शेष 347 कार्यों में से 106 कार्यों में तकनीकी स्वीकृति एक महीने से 15 वर्ष के विलम्ब से प्राप्त की गई और ₹ 1,767.91 करोड़ व्यय किये गये एवं शेष 241 कार्यों में तकनीकी स्वीकृति छः महीने से 18 वर्ष समाप्त होने के पश्चात भी प्राप्त नहीं की गयीं (मार्च 2016)।

प्रबंधन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि फील्ड इकाइयों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र जारी कर दिया गया था।

वित्तीय प्रबंधन

2.2.14 कम्पनी की निधियों के मुख्य स्रोत निक्षेप कार्यों के सापेक्ष ग्राहकों से जमा राशि होती है। समय—समय (अक्टूबर 1996 से जुलाई 2015) पर कम्पनी द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार, फील्ड इकाइयों द्वारा ग्राहकों से सीधे निधि प्राप्त होने के प्रकरणों में, तुरंत इसे कम्पनी के मुख्यालय को प्रेषित किया जाना था। मैनुअल के प्रस्तर 137 में प्रावधानित था कि मुख्यालय इकाइयों को, क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य की अपेक्षित मात्रा पर आधारित इसकी मासिक आवश्यकता के आधार पर निधि उपलब्ध कराएगा।

आठ चयनित इकाइयों के संबंध में, 2015–16 तक के पिछले पाँच वर्षों के दौरान निधियों की प्राप्ति, इसका उपयोग और प्रत्येक वर्ष के अंत में शेष की वर्षवार स्थिति को तालिका 2.2.3 में दिया गया है।

**तालिका 2.2.3
वर्षवार निधियों की प्राप्ति, उपयोग एवं शेष**

क्र०सं०	विवरण	(₹ करोड़ में)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	प्रारम्भिक शेष	106.73	343.60	296.32	228.86	294.03
2.	वर्ष के दौरान इकाइयों द्वारा प्राप्त निधियाँ	664.44	419.40	397.45	536.17	402.67
3.	कुल उपलब्ध निधि (1+2)	771.17	763.00	693.77	765.03	696.70
4.	वर्ष के दौरान व्यय	427.57	466.68	464.91	471.00	473.78
5.	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधि (3-4)	343.60	296.32	228.86	294.03	222.92
6.	अप्रयुक्त निधियों का प्रतिशत (5/3 x 100)	44.56	38.84	32.99	38.43	32.00
7.	मासिक व्यय के बराबर अप्रयुक्त निधियाँ	9.6	7.6	5.9	7.5	5.6

झोल: कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना और मासिक प्रपत्र विवरण

जैसा कि तालिका 2.2.3 से देखा जा सकता है, कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन अपर्याप्त था क्योंकि यह उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं कर सकी, ग्राहकों से प्राप्त निधि की राशि तक व्यय को सीमित नहीं कर सकी और बैंक खातों में फ्लैक्सी सुविधा का

उपयोग न करने के कारण सम्भावित ब्याज से भी वंचित रही, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

निधियों का अल्प उपयोग

कार्यों के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति/विलम्ब के कारण ₹ 222.92 करोड़ और ₹ 343.60 करोड़ के मध्य निधियों अप्रयुक्त पड़ी रही

2.2.15 तालिका 2.2.3 से यह देखा जा सकता है कि ₹ 222.92 करोड़ और ₹ 343.60 करोड़ (उपलब्ध निधि का 32 प्रतिशत से 44.56 प्रतिशत) के मध्य निधियां 2015–16 तक पिछले पाँच वर्षों में इकाइयों में अप्रयुक्त पड़ी रही। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त निधियां इकाइयों के 5.6 से 9.6 महीनों के व्यय के बराबर थी। जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया, निधियों के अल्प उपयोग के मुख्य कारण, अवास्तविक वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण और कार्यों के क्रियान्वयन और पूर्ण होने की धीमी प्रगति/विलम्ब, थे जैसा कि प्रस्तरों 2.2.9, 2.2.28 और 2.2.37 में चर्चा की गयी है। अग्रेतर, इकाइयों ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान ग्राहक विभाग से सीधे ₹ 925.99 करोड़ प्राप्त किए लेकिन कम्पनी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर, इकाइयों ने मुख्यालय को राशि प्रेषित नहीं किया। यद्यपि, आठ इकाइयों द्वारा निधियों को बैंक में जमा किया गया और वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 42.50 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया।

प्रबंधन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि मुख्यालय को निधि भेजे जाने का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फील्ड इकाइयों को परिपत्र निर्गत कर दिया गया था। यद्यपि, निधियों के अल्प उपयोग के कारण पर प्रबंधन का उत्तर मौन था।

प्राप्त निधि से अधिक व्यय

आठ इकाइयों ने मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन करके 116 कार्यों में प्राप्त निधि से ₹ 59.33 करोड़ का अधिक व्यय किया

2.2.16 मैनुअल का प्रस्तर 39 प्रावधान करता है कि कार्यों पर व्यय ग्राहकों से प्राप्त निधियों तक सीमित होना चाहिए। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आठ इकाइयों ने 116 कार्यों पर ग्राहकों से प्राप्त ₹ 885.09 करोड़ की निधि के विरुद्ध ₹ 944.42 करोड़ का व्यय किया। इस प्रकार, इकाइयों ने 31 मार्च 2016 तक ग्राहकों से प्राप्त निधि से ₹ 59.33 करोड़ अधिक व्यय किया। अतिरिक्त व्यय की धनराशि की पूर्ति या तो स्वयं के स्रोतों से या फिर अन्य कार्यों के लिए प्राप्त निधियों के व्यावर्तन से किया गया।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि निधियां मुख्यालय/सिविल इकाइयों पर प्राप्त हुई जिन्होंने मुख्यालय के सेन्टरेज के लिये 6.5 प्रतिशत रखने के बाद विद्युत कार्यों के लिए प्रेषित किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 61 कार्यों में अतिरिक्त व्यय 6.56 प्रतिशत और 329.36 प्रतिशत के मध्य था।

ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी सुविधा नहीं प्राप्त किया गया

2.2.17 बैंक बचत खातों पर न्यूनतम ब्याज देता है लेकिन अपने ग्राहकों के बचत/चालू खातों पर उनकी मांग पर ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी सुविधा देता है जिसमें बचत/चालू खातों में पड़ी अतिरिक्त निधि का स्वतः निवेश सावधि जमा में हो जाता है जो सावधि जमा पर लागू ब्याज अर्जित करता है। जब निधि को आसन्न व्यय करने की आवश्यकता हो तो यह सावधि जमा को स्वतः भुनाने की भी अनुमति देता है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 2011–12 से 2015–16 के दौरान आठ इकाइयों में बचत/चालू खातों में ₹ 28.83 करोड़ तक का वृहद शेष था। इन इकाइयों ने अपने बचत/चालू खातों पर ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी सुविधा नहीं ली थी। परिणामस्वरूप, कम्पनी नमूना जांच किए गए 31 बैंक खातों के जमा पर ₹ 9.57 करोड़¹⁰ के संभावित ब्याज से वंचित रह गई।

प्रबंधन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि फील्ड इकाइयों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र निर्गत कर दिया गया।

¹⁰ चार प्रतिशत की वार्षिक दर से।

कार्यों का क्रियान्वयन

2.2.18 कम्पनी विद्युत कार्यों, जो सिविल कार्यों का भाग है, को क्रियान्वित करती है। इसके अतिरिक्त, यह उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) / उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के उपकेन्द्रों और केबिल बिछाने के कार्यों से सम्बन्धित विद्युत कार्य भी क्रियान्वित करती है।

26 इकाइयों द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान क्रियान्वित किये गए ₹ 4,006.83 करोड़ के कुल 957 विद्युत कार्यों में से, उपकेन्द्रों और केबिल बिछाने के ₹ 1,344.57 करोड़ (33.56 प्रतिशत) के 117 कार्य यूपीपीटीसीएल और उत्तर प्रदेश की वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के द्वारा प्रदान किए गए। ये कार्य उपठेकेदारों के माध्यम से क्रियान्वित कराए गए।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान क्रियान्वित किये गये ₹ 2,662.26 करोड़¹¹ के अवशेष 840 विद्युत कार्य भवन निर्माण कार्य के विद्युत भाग (उपकेन्द्रों एवं केबिल बिछाने के कार्य से भिन्न) से सम्बन्धित थे। ये कार्य मुख्यतः डीसीयू पद्धति से क्रियान्वित कराये गये।

उपकेन्द्रों और केबिल बिछाने के कार्यों तथा अन्य कार्यों के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

यूपीपीटीसीएल / डिस्कॉम्स के उपकेन्द्रों और केबिल बिछाने के कार्यों का क्रियान्वयन

2.2.19 2011–12 से 2015–16 के दौरान आठ चयनित इकाइयों ने उपकेन्द्रों और केबिल बिछाने के ₹ 1,175.98 करोड़ के 103 कार्य क्रियान्वित किए जिनमें से लेखापरीक्षा ने ₹ 1,155.12 करोड़ के 88 कार्यों का परीक्षण किया। सभी 88 कार्य खुली निविदा के आधार पर चयनित उपठेकेदारों के साथ टर्नकी ठेके के माध्यम से क्रियान्वित कराए गए। उपठेकेदारों को सामग्री की आपूर्ति, इरेक्शन और सिविल कार्यों के लिए अलग-अलग सहमति पत्र (एलओआई) निर्गत किया गया। मैनुअल के प्रस्तर 468 के प्रावधानों के उल्लंघन में एक कार्य¹² के प्रकरण को छोड़कर उपठेकेदारों के साथ अनुबन्ध निष्पादित नहीं किये गये।

220/132 केवी और 132/33 केवी उपकेन्द्रों के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, यूपीपीटीसीएल ने समान कार्यों के क्रियान्वयन की निविदा से प्राप्त न्यूनतम दरों को दर्शाते हुए बिल ऑफ क्वान्टिटी (बीओक्यू) प्रदान किया। इन कार्यों का आगणन यूपीपीटीसीएल द्वारा प्रदान किये दरों के आधार पर इकाइयों द्वारा तैयार किया गया। केबिल बिछाने और 33/11 केवी के उपकेन्द्रों के निर्माण का आगणन इकाइयों द्वारा बाजार सर्वेक्षण के बाद प्राप्त कोटेशन के आधार पर तैयार किया गया। इस तरह से तैयार आगणनों को स्वीकृति के लिए ग्राहक को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।



220/132 केवी उपकेन्द्र, बागपत

¹¹ ₹ 2,662.26 करोड़ में सिविल कार्यों की लागत सम्मिलित नहीं है।

¹² 220केवी उपकेन्द्र, देवर्ब, बुलंदशहर जो परामर्शी इकाई गाजियाबाद द्वारा क्रियान्वित किया गया।

डिस्कॉम्स/यूपीपीटीसीएल ने कम्पनी की इकाइयों द्वारा प्रस्तुत दरों के विश्लेषण की प्रणाली विकसित नहीं किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने कई अनियमितताएँ की जैसा कि आगामी प्रस्तरों 2.2.20, 2.2.22 से 2.2.25 और 2.2.33 में चर्चा की गयी है एवं उस पर पाँच प्रतिशत की दर पर किए गए ₹ 4.61 करोड़ के सेन्टेज के अतिरिक्त ₹ 92.12 करोड़ का अतिरिक्त/परिहार्य व्यय किया। इस प्रकार, कम्पनी ने अपने ग्राहकों, अर्थात् डिस्कॉम्स/यूपीपीटीसीएल जो सरकारी पीएसयू हैं, पर ₹ 96.73 करोड़ का वित्तीय भार डाल दिया।

उच्च दरों पर अनुबन्ध प्रदान करना

2.2.20 मैनुअल के प्रस्तर 97 और 101 में अपेक्षित है कि कार्य प्रदान करने से पूर्व दरों की औचित्यता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत बाजार सर्वेक्षण किया जाय। कम्पनी ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान उच्च दरों पर उप अनुबन्ध प्रदान करके ₹ 78.55 करोड़ का परिहार्य व्यय किया जैसा नीचे चर्चा की गई है :

- यूपीपीटीसीएल (ग्राहक) ने कम्पनी को भूमिगत एचटी केबिल (132 केवी एवं 220 केवी) बिछाने के ₹ 364.85 करोड़ के चार कार्य प्रदान किया (मई 2011 से अगस्त 2012) और कार्य प्रदान करने से पूर्व दरों की औचित्यता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दो इकाइयों¹³ ने उपरोक्त कार्य खुली निविदा आमंत्रण के बाद टर्नकी आधार पर उपठेकेदारों को प्रदान किया (जून 2011 से नवम्बर 2012)।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि इकाई ने निविदा में प्राप्त दरों की औचित्यता सुनिश्चित करने के लिए दरों का विश्लेषण तैयार नहीं किया। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, तीन कार्यों में एचटी केबिल की आपूर्ति और एक कार्य में केबिल बिछाने में, जो कार्य के कुल लागत का 30 प्रतिशत से 66 प्रतिशत था, प्रदान की गयी दरें बाजार में उपलब्ध दरों¹⁴ से 74 प्रतिशत से 176 प्रतिशत तक ज्यादा पाई गई। किसी दर विश्लेषण के अभाव में, इकाइयाँ उद्धरित दरों की औचित्यता का आंकलन नहीं कर सकी और उपठेकेदारों को कार्य उच्च दरों पर प्रदान किया, परिणामस्वरूप ₹ 62.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कम्पनी दरों की औचित्यता सुनिश्चित करने में विफल रही और उच्च दरों पर उप अनुबन्ध प्रदान कर ₹ 78.55 करोड़ का परिहार्य व्यय किया

इसी प्रकार, पाँच इकाइयों¹⁵ ने बिना कोई दर विश्लेषण तैयार किए ₹ 289.93 करोड़ में टर्नकी आधार पर 11 उपकेन्द्रों का निर्माण उपठेकेदारों को प्रदान किया (अप्रैल 2009 से अक्टूबर 2013)। परिणामस्वरूप, 22 परिवर्तकों, जो बड़ी सामग्रियों में से एक है, की आपूर्ति के लिए प्रदान की गयी दरें, ठेकेदार को 10 प्रतिशत लाभ देने के बाद भी, बाजार में उपलब्ध दरों से 21 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक अधिक पाई गई। इससे भी उपकेन्द्रों के निर्माण पर ₹ 10.94 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि सामग्रियां उचित दर विश्लेषण के बाद ही क्रय की गई थीं। इसने आगे बताया कि परिवहन, बीमा, लोडिंग, अनलोडिंग, रोड क्लीयरेन्स शुल्क, पाँच वर्ष के लिए निष्पादन गारन्टी शुल्क की लागत और 10 प्रतिशत की दर से ठेकेदार के लाभ पर लेखापरीक्षा द्वारा विचार नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ठेकेदारों को सामग्री की लागत पर 10 प्रतिशत लाभ देने के बाद ही अतिरिक्त व्यय की गणना की गयी थी। दरों के विश्लेषण के सम्बन्ध में, कम्पनी ने उपठेकेदारों की आपूर्ति के लिए अनुबन्ध प्रदान करने से पूर्व कोई दर विश्लेषण तैयार नहीं किया था लेकिन एक मामले में (केबिल और परिवर्तक लिए प्रत्येक) प्रदान दरों को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए विश्लेषण बाद में तैयार किया गया जैसा कि इस तथ्य से संकेत

¹³ इकाई 18 लखनऊ और वाराणसी।

¹⁴ आपूर्ति की दशा में बीजक, पैकिंग लिस्ट और आपूर्तिकर्ता द्वारा उपठेकेदारों को दिए गए लॉजिस्टिक पावटी और बिछाने के कार्य में उपठेकेदारों द्वारा पुनः ठेके पर दी गई दरों द्वारा प्राप्त संकेत।

¹⁵ इकाई 18 लखनऊ, इटावा, जैंपी० नगर/मेरठ, नई दिल्ली और हरिद्वार।

मिला कि दर विश्लेषण वर्तमान एपीएम, जो स्वीकृत पत्र निर्गत करने के समय के एपीएम से भिन्न थे, द्वारा हस्ताक्षरित था।

- ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो), यूपीपीसीएल की एक शाखा, विद्युत कार्यों के निर्माण के लिए लागत अनुसूची तैयार करती है।

वाराणसी इकाई ने 33/11 केवी के 31 उपकेन्द्रों¹⁶ और उससे संलग्न लाइनों के निर्माण के लिए रेस्पो की प्रचलित दरों, जिसे ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया गया था (सितम्बर 2013), से 22 से 28 प्रतिशत अधिक दरों पर आगणन तैयार कर पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ग्राहक) को प्रस्तुत किया (सितम्बर 2013)। इकाई ने, तथापि, इन उपकेन्द्रों के कार्य को उपठेकेदारों को ग्राहक द्वारा स्वीकृत दर से नौ से 12 प्रतिशत अधिक पर प्रदान किया (नवम्बर 2013)। इसके परिणामस्वरूप, ग्राहक की वित्तीय स्वीकृति से ₹ 4.20 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जो कम्पनी द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि रेस्पो की लागत सूची में शामिल परिवर्तकों की कीमत में वैट शामिल नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रेस्पो की लागत सूची में वैट शामिल था।

- वाराणसी और बरेली इकाइयों ने एक (झूंसी) और दो (रामपुर और खेंर) के क्रमशः 220/132 केवी उपकेन्द्रों का कार्य, अपने द्वारा उसी समय समान क्षमता के उपकेन्द्रों हेतु प्रदान दरों से उच्च दरों पर प्रदान किया। इसके फलस्वरूप ₹ 74.10 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि उपकेन्द्रों के लिए कार्य की सामग्री और मात्रा अलग थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि समान क्षमता के उपकेन्द्रों की तुलना उन्हीं इकाइयों के अन्दर की गई और वास्तविक क्रियान्वित मात्रा की तुलना इकाई दर से की गयी थी।

मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनियमित अवमुक्ति

2.2.21 सीवीसी के दिशानिर्देशों (अक्टूबर 1997, अप्रैल 2007 और फरवरी 2011) में प्रावधानित है कि मोबिलाइजेशन अग्रिम देने का प्रावधान निविदा प्रपत्र में स्पष्ट वर्णित होना चाहिए। जहां यह दिया जाना है, यह आवश्यकतानुसार, ठेके की लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित, 110 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी के जमा के सापेक्ष, ब्याज सहित होना चाहिए और इरेक्शन भाग के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली समयबद्ध होनी चाहिए और कार्य की प्रगति से सम्बद्ध नहीं होनी चाहिए।

अग्रेतर, कम्पनी के मैनुअल के प्रस्तरों 241(3), 242(12) और 243(9) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के महाप्रबंधक (जीएम) से इकाई प्रभारी के मार्गदर्शक या सलाहकार की तरह कार्य करने की अपेक्षा थी; वित्तीय परामर्शदाता (एफए) यह देखने के लिए उत्तरदायी था कि विभिन्न प्रकार के अग्रिम न्यूनतम रखे गये; और लेखा नियंत्रक (सीए) से इकाई में अग्रिम की स्थिति पर निगरानी रखने और इसे हर महीने कार्यवाही के सुझाव के साथ एफए के संज्ञान में लाने की अपेक्षा थी।

आठ इकाइयों के परियोजना प्रभारी ने, अपने स्तर पर, 2011–12 से 2015–16 के दौरान 47 उपकेन्द्रों/केबिल बिछाने के निर्माण कार्यों के लिए उपठेकेदारों को ₹ 142.03 करोड़ का ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम उपलब्ध कराया। चूंकि निविदा प्रपत्रों में कार्य हेतु मोबिलाइजेशन अग्रिम देने की शर्त उल्लिखित नहीं थी, उपठेकेदारों

ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम देने से आठ इकाइयों ने ₹ 21.90 करोड़ के ब्याज का अनुचित लाभ दिया यद्यपि इसका निविदा प्रपत्र में प्रावधान नहीं था

¹⁶ 1 x 5 एमवीए ट्रान्सफार्मर के 29 उपकेन्द्र और 2 x 5 एमवीए ट्रान्सफार्मर के 2 उपकेन्द्र।

को ब्याज रहित मोबिलाइज़ेशन अग्रिम देने से निविदा प्रक्रिया दूषित हुई और उपठेकेदारों को ₹ 21.90 करोड़¹⁷ के ब्याज का परिणामी अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि कम्पनी के जीएम, एफए और सीए, मैनुअल के प्रस्तरों 241(3), 242(12) और 243(9) में उल्लिखित जांचों को व्यवहृत करने में असफल रहे; अतः, परियोजना प्रभारी, उपठेकेदारों को अनियमित मोबिलाइज़ेशन अग्रिम प्रदान किये। इससे आगे मोबिलाइज़ेशन अग्रिम के अवमुक्ति से सम्बन्धित निम्न कमियां हुईः

- 47 अनुबन्धों में, अनुबन्ध के इरेक्शन भाग पर दिए गए ₹ 10.35 करोड़ शामिल करते हुए, लागत के 10 प्रतिशत से अधिक ₹ 48.28 करोड़ के अग्रिम स्वीकृत किये गये।
- दो इकाइयों¹⁸ ने तीन उपकेन्द्रों के विरुद्ध निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने से पूर्व (चार माह से दो वर्ष और 10 माह) ₹ 7.15 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया।
- ₹ 156.23 करोड़ की बैंक गारंटी (मोबिलाइज़ेशन अग्रिम का 110 प्रतिशत) की आवश्यकता के विरुद्ध, चयन की गयी इकाइयों द्वारा उपठेकेदारों से ₹ 139.83 करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त की गयी जिसके परिणामस्वरूप 47 कार्यों में ₹ 16.40 करोड़ की कम बैंक गारंटी प्राप्त हुई।
- मोबिलाइज़ेशन अग्रिमों की वसूली समय के बजाय कार्य की प्रगति पर आधारित थी। जिसके परिणामस्वरूप, कम्पनी ने उपठेकेदारों द्वारा काम को विलम्ब से पूरा करने के कारण मोबिलाइज़ेशन अग्रिमों की वसूली विलम्ब कर उपठेकेदारों को ब्याज के रूप में ₹ 5.74 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

प्रबन्धन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में अनियमितताओं को स्वीकार किया और बताया कि नये कार्यों के मामले में प्रावधानों का पालन कर सुधारात्मक कार्यवाही किया जाएगा। यद्यपि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गयी।

उपठेकेदारों को अधिक भुगतान

2.2.22 वाराणसी इकाई के प्रबन्धन ने 132/33 केवी उपकेन्द्र, गुरुदेवनगर के कार्य के लिए उपकरणों की आपूर्ति हेतु निर्गत एलओआई (दिसम्बर 2012) में दी गयी दरों से अधिक पर उपठेकेदार को भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप, उपठेकेदार को ₹ 27.35 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त और सितम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा अतिरिक्त भुगतान की गणना एलओआई में प्राविधानित उत्पाद शुल्क के अन्तर को ध्यान में रखे बिना किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सामग्री की आपूर्ति के लिए उपठेकेदारों को ₹ 8.79 करोड़ की एलओआई निर्गत की गयी थी जिसमें बीमा, उत्पाद शुल्क और यूपी वैट सम्मिलित था। यह धनराशि ग्राहक द्वारा स्वीकृत थी। अतः, उत्पाद शुल्क की धनराशि अलग से देय नहीं थी।

2.2.23 छ: इकाइयों¹⁹ के प्रबन्धन ने 132/33 केवी उपकेन्द्रों के निर्माण के 10 कार्यों को उपठेकेदारों को टर्नकी आधार पर प्रदान किया (जुलाई 2011 से अप्रैल 2013) जिसमें ₹ 77.89 करोड़ की सामग्री की आपूर्ति सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सभी मामलों में, उपठेकेदारों ने दरें सभी करों सहित उद्धृत की थी।

¹⁷ 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आगणित जैसा कि कम्पनी द्वारा किये गये अनुबन्धों में ब्याज की इस दर का प्रावधान किया गया था।

¹⁸ इकाई 18 लखनऊ एवं वाराणसी।

¹⁹ इकाई 18 लखनऊ, वाराणसी, बरेली, जैपी० नगर/मेरठ, इटावा एवं हरिद्वार।

वाराणसी इकाई ने, तथापि, दो उपकेन्द्रों²⁰ के निर्माण के लिए उपठेकेदारों को निर्गत एलओआई के नियमों व शर्तों में वैट अलग से उद्धृत दरों के ऊपर, अनुमत्य कर दिया। इस प्रकार, उपरोक्त इकाइयों ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान उपठेकेदारों को ₹ 7.19 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त और सितम्बर 2016) कि ग्राहक ने स्पष्ट किया था (अप्रैल 2011) कि वैट अतिरिक्त देय था। तदनुसार, एलओआई निर्गत किया गया जिसमें वैट अतिरिक्त प्रावधानित था और भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त सभी मामलों में निविदा अप्रैल 2011 के बाद आमंत्रित की गयी थी और वैट सहित थी।

उपठेकेदार को अनुचित लाभ

2.2.24 नई दिल्ली इकाई ने आरसी ग्रीन, नई दिल्ली पर 220/132 केवी उपकेन्द्र की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित किया (5 मार्च 2011)। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2011 इस उल्लेख के साथ थी कि निविदा उसी दिन खोली जाएगी। तीन फर्मों ने अपनी निविदा प्रस्तुत की; उनमें, सेफटी प्लस पावर लिमिटेड (एसपीपीएल) ने आपूर्ति हेतु निविदा 18 मार्च 2011 को एवं स्थापना हेतु 24 मार्च 2011 को क्रमशः ₹ 22.92 करोड़ एवं ₹ 24 लाख के लिए प्रस्तुत किया। निविदाएं 25 मार्च 2011 को खोली गयीं एवं आपूर्ति एवं स्थापना के सम्बन्ध में एलओआई क्रमशः ₹ 22.92 करोड़ की 20 मई 2011 को एवं ₹ 24 लाख की 8 अगस्त 2011 को निर्गत की गयी। इस बीच में, निविदा बंद होने के बाद, एसपीपीएल ने स्थापना हेतु उच्च राशि ₹ 2.37 करोड़ की एक अन्य निविदा प्रस्तुत की (4 अप्रैल 2011)।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि बाद में प्रस्तुत की गयी निविदा, निविदा खोलने की तारीख अर्थात् 25 मार्च 2011 के पश्चात प्रस्तुत की गयी थी, इसलिए अस्वीकार कर दी जानी चाहिये थी। इकाई के परियोजना प्रभारी ने, यद्यपि, आंचलिक जीएम का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्थापना के उसी कार्य हेतु एक ही तिथि एवं संख्या²¹ (8 अगस्त 2011) वाली एक और एलओआई ₹ 2.37 करोड़ के लिए निर्गत किया जिसके लिये ₹ 24 लाख की एलओआई निर्गत की गयी थी। इस प्रकार, परियोजना प्रभारी ने निविदा खुलने के बाद उच्च दरों पर ₹ 2.37 करोड़ में कार्य प्रदान कर एसपीपीएल को ₹ 2.13 करोड़²² का अनुचित लाभ पहुँचाया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 6 अप्रैल 2011 तक बढ़ाया गया था और उपठेकेदार ने टंकणीय त्रुटिवश पूर्व में कम दरों की निविदा प्रस्तुत कर दी थी। उत्तर गलत था क्योंकि आपूर्ति एवं स्थापना के लिए अलग—अलग निविदाएं एक ही निविदा आमंत्रण सूचना के माध्यम से आमंत्रित की गयी थी जिसे 25 मार्च 2011 को खोला गया था। इसलिए, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का विस्तार संभव नहीं था। समापन बैठक (अगस्त 2016) में एमडी और विशेष सचिव ने इस मामले की जांच करने हेतु सम्बन्धित जीएम/वित्तीय परामर्शदाता को निर्देश दिया। हालांकि, अब तक (अक्टूबर 2016) लेखापरीक्षा को दोषी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही शुरू करने की सूचना नहीं दी गयी।

2.2.25 सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 204, दीर्घकालिक अनुबंध, जहां आपूर्ति की अवधि एक साल एवं छः माह से अधिक है, में मूल्य वृद्धि की अनुमति का प्रावधान करता है। अल्पकालीन अनुबंधों में, यह निर्धारित एवं स्थिर मूल्यों का प्रावधान करता है।

कंपनी ने उच्च दरों पर कार्य करने एवं अनियमित मूल्य विचलन की अनुमति प्रदान कर उपठेकेदारों को ₹ 5.36 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

²⁰ कोरांव एवं कटघर महल।

²¹ एलओआई नं 253/ईयूडी/एसएस-आरसीजी/आरएनएन/2011 दिनांक 8 अगस्त 2011।

²² ₹ 2.37 करोड़ – ₹ 0.24 करोड़।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि दो इकाइयों²³ द्वारा तीन 220/132 केवी उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए आमंत्रित (मार्च 2009/मार्च 2011) निविदाओं में किसी मूल्य वृद्धि का उपवाक्य नहीं रखा गया था क्योंकि आपूर्ति हेतु निर्धारित अवधि एक साल एवं छः माह के अन्दर थी एवं उपठेकेदारों द्वारा भी इसकी मांग नहीं की गयी थी। तथापि, इकाइयों²⁴ ने एलओआई निर्गत करते समय, इण्डियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) सूत्र के आधार पर मूल्य वृद्धि का उपवाक्य जोड़ दिया और उपठेकेदारों को 60 एमवीए के परिवर्तकों की आपूर्ति पर ₹ 3.23 करोड़ के मूल्य वृद्धि का भुगतान किया। इस प्रकार, इकाइयों द्वारा, जीएफआर एवं निविदा प्रपत्रों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उपठेकेदारों को ₹ 3.23 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

प्रबन्धन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में 18 माह से कम अवधि के अनुबंध हेतु मूल्य वृद्धि के मुद्दे को स्वीकार कर लिया।

वित्तीय स्वीकृतियाँ नहीं प्राप्त की गयीं

2.2.26 यूपीपीटीसीएल (ग्राहक) द्वारा निर्गत एलओआई के अनुसार, कम्पनी को कार्य के क्रियान्वयन से पूर्व विस्तृत आगणन प्रस्तुत करना एवं वित्तीय स्वीकृति (एफएस) प्राप्त करना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि इकाइयों ने बिना कोई विस्तृत आगणन बनाये और मात्र ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराये गये बीओक्यू के आधार पर उपठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराना प्रारम्भ कर दिया। 13 मामलों के परीक्षण जाँच में, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि एफएस काम शुरू होने की तिथि से 14 से 58 माह के पश्चात प्राप्त किया गया। कार्य आरम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन तैयार न करने एवं एफएस प्राप्त न करने के परिणाम स्वरूप, ग्राहक ने दो मामलों²⁵ में ₹ 91.91 लाख की सीमा तक एफएस कम कर दिया जिसे कम्पनी द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन किया गया।

प्रबन्धन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर सहमति व्यक्त किया और साथ ही भुगतान की गयी अधिक धनराशि की वसूली उपठेकेदारों से करने का आश्वासन दिया।

निविदा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया

2.2.27 मैनुअल के प्रस्तर 468, 473 और 480 मुहरबंद निविदाओं के आमंत्रण हेतु, चार प्रमुख हिंदी/अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में खुले एवं सार्वजनिक ढंग से विज्ञापन के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने हेतु कम से कम एक माह का समय देकर, करने का प्रावधान करते हैं।

सीवीसी के दिशानिर्देश (नवंबर 2002), अनुबंध के अपेक्षित निष्पादन हेतु त्रुटि दायित्व अवधि के लिए उचित धनराशि की निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करने का प्रावधान करते हैं। सीवीसी के दिशानिर्देश (सितम्बर 2003), निविदा दो भागों में यथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा प्राप्त करने का प्रावधान करते हैं। वित्तीय निविदा केवल उन्हीं निविदादाताओं की खोली एवं विचार की जानी चाहिए जो तकनीकी निविदा में सफल पाये जाते हैं।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि:

²³ जै0पी0 नगर/मेरठ एवं नई दिल्ली।

²⁴ जै0पी0 नगर/मेरठ एवं नई दिल्ली।

²⁵ जै0पी0 नगर/मेरठ इकाई द्वारा क्रियान्वित 132/33 केवी उपकेन्द्र, श्यामली-श्यामला, मुजफ्फरनगर एवं बरेली इकाई द्वारा क्रियान्वित 132/33 केवी उपकेन्द्र, बघोली।

- इकाई 18, लखनऊ ने कोई निविदा आमंत्रित किये बिना एवं उसके लिए कोई कारण उल्लिखित किये बिना नामांकन आधार पर दो उपकेन्द्रों के ₹ 21.97 करोड़ के कार्यों को उपठेकेदारों को प्रदान किया।

इकाइयों ने बिना निविदा आमंत्रित किये उपठेकेदारों को दो कार्य एवं बिना उचित निविदा प्रक्रिया का पालन किये 81 अन्य कार्य प्रदान किया

- 81 उपकेन्द्रों के कार्यों का क्रियान्वयन निविदा आमंत्रण द्वारा किया गया जहाँ उपकेन्द्रों के कार्यों के लिये केवल वित्तीय निविदा आमंत्रित की गयी। परिणामस्वरूप, 81 कार्यों के सम्बन्ध में उपठेकेदारों को कार्य प्रदान करने से पूर्व निविदादाताओं की तकनीकी क्षमता सुनिश्चित नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 81 कार्यों में से, ₹ 772.37 करोड़ के 38 कार्य 13 उपठेकेदारों के माध्यम से क्रियान्वित कराया गया एवं प्रत्येक ठेकेदार द्वारा दो से सात उपकेन्द्रों का कार्य ₹ 17.86 करोड़ से लेकर ₹ 143.76 करोड़ में एक साथ मार्च 2016 तक एक से 52 माह के विलम्ब से कराया गया।

- निविदा प्रस्तुत करने हेतु एक माह की अवधि दिये जाने के प्रावधान के विरुद्ध 83 मामलों में (3 मामलों को छोड़कर जिसमें 33 दिनों का समय दिया गया था) छ: से 20 दिनों का समय ही दिया गया।

- निविदा आमंत्रण की नोटिसों (एनआईक्यू) को चार हिंदी/अंग्रेजी दैनिक के स्थान पर दो से तीन समाचार पत्रों में ही विज्ञापित किया गया था। एनआईक्यू को सीवीसी के दिशानिर्देश के अनुरूप इण्डियन ट्रेड जर्नल में विज्ञापित नहीं किया गया।

- कम्पनी द्वारा निविदा प्रपत्रों/एलओआई में दिये गये ठेके के सम्पादन हेतु निविदादाता से जमानत राशि एवं निष्पादन गारण्टी जमा करने हेतु कोई शर्त नहीं रखी गयी एवं न ही कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु वास्तव में इसे प्राप्त किया गया।

प्रबन्धन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में अनियमितताओं को स्वीकार किया और बताया कि नए कार्यों के मामले में प्रावधानों का पालन कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कार्यों के निष्पादन में विलम्ब

2.2.28 यूपीपीटीसीएल एवं डिस्कॉम्स के साथ तय नियमों और शर्तों के अनुसार, उपकेन्द्रों के निर्माण एवं केबिल बिछाने के कार्य का सम्पादन आठ माह से एक वर्ष और छ: माह के अन्दर पूर्ण किये जाने थे। लेखापरीक्षा में जांच किये गये 88 कार्यों की 31 मार्च 2016 की स्थिति तालिका 2.2.4 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.2.4
कार्यों की प्रगति

क्रं सं०	कार्यों का विवरण	स्थिति (31 मार्च 2016 को)
1	पूर्ण हुए कार्यों की संख्या	42
2	प्रगति पर कार्यों की संख्या (डब्ल्यूआईपी)	46
3	कुल कार्य	88
4	कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि (माह में)	8 से 18
5	कार्य पूर्ण करने में लगा वास्तविक समय/प्रगति पर कार्यों में मार्च 2016 तक लगा समय (माह में)	13 से 64
6	कार्यों को पूर्ण करने में हुआ विलम्ब (माह में)	1 से 52

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना।

तालिका 2.2.4 से देखा जा सकेगा कि 2011–12 से 2015–16 के दौरान उपकेन्द्रों/केबिल बिछाने के 42 कार्यों को पूर्ण किया गया एवं 46 कार्य मार्च 2016 के अंत तक प्रगति पर थे। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि पूर्ण एवं प्रगति पर कार्यों (डब्ल्यूआईपी) में एक माह से चार वर्ष चार माह का विलम्ब हुआ।

विलम्ब के कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा ने विश्लेषित किया, निम्नलिखित थे:

- यूपीपीटीसीएल द्वारा 29 कार्यों के निर्माण स्थल विलम्ब से प्रदान किये जाने के कारण एक माह से एक वर्ष छः माह का विलम्ब हुआ;
- 43 कार्यों में एक माह से एक वर्ष और दो माह का विलम्ब कम्पनी द्वारा उपठेकेदारों को कार्य प्रदान करने में विलम्ब के कारण हुआ जिसका मुख्य कारण 26 मामलों में निविदा के अन्तिमीकरण में सात दिनों से आठ माह और 28 दिनों का विलम्ब था (15 दिनों के सामान्य समय को विचार में रखते हुए); एवं
- उपठेकेदारों द्वारा क्रियान्वयन की धीमी गति का मुख्य कारण उपठेकेदारों द्वारा निर्माण स्थल पर अपर्याप्त श्रमशक्ति की तैनाती था। लेखापरीक्षा द्वारा किये गये लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान ग्राहक द्वारा भी यह पुष्ट हुआ।

कार्यों के सम्पादन में विलम्ब के परिणामस्वरूप, 88 कार्यों पर व्यय किया गया ₹ 1155.12 करोड़ विलंबित अवधि तक अवरुद्ध रहा एवं उपकेन्द्रों का भी उपयोग नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि ग्राहकों से निधि विलम्ब से प्राप्त होने, यूपीपीटीसीएल द्वारा आगणन, वित्तीय स्वीकृति एवं संयोजित लाइन प्रदान करने में विलम्ब के कारण कार्यों में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ग्राहक द्वारा दी गयी निधि, 2011–12 से 2015–16 के दौरान हुए व्यय से अधिक थी। आगणन की स्वीकृति में विलम्ब के सम्बन्ध में, कम्पनी ने स्वयं आगणन ग्राहक को स्वीकृति हेतु विलम्ब से प्रस्तुत किया। अग्रेतर, उपकेन्द्रों के पूर्ण होने के पश्चात् ही ग्राहकों द्वारा संयोजित लाइन उपलब्ध कराना अपेक्षित था।

क्षतिपूर्ति आरोपित न किया जाना

2.2.29 उपकेन्द्रों के निर्माण/केबिल बिछाने हेतु कम्पनी द्वारा उपठेकेदारों को निर्गत एलओआई (अप्रैल 2009 से नवंबर 2013) के नियमों एवं शर्तों में, चार माह से एक वर्ष छः माह की अवधि में कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रावधानित था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि उपकेन्द्रों के निर्माण/केबिल बिछाने के 88 कार्यों में से 39 कार्यों के सम्बन्ध में, आठ चयनित इकाइयों द्वारा निर्गत एलओआई में अपूर्ण कार्य का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अनुबन्ध के मूल्य के अधिकतम पाँच से 10 प्रतिशत तक की सीमा तक कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब के लिये क्षतिपूर्ति (एलडी) आरोपित करने का प्रावधान किया गया था। इकाइयों ने, हालांकि, उपठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण करने में एक माह से चार वर्ष एवं चार माह विलम्ब किये जाने के बाद भी ₹ 40.28 करोड़ का एलडी का आरोपण नहीं किया। समय विस्तार हेतु न तो ठेकेदारों द्वारा कोई आवेदन किया गया न ही कम्पनी द्वारा आज तक (मार्च 2016) स्वीकृति दी गयी।

अग्रेतर, शेष 49 कार्यों के लिए इकाइयों²⁶ द्वारा निर्गत एलओआई में एलडी के आरोपण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। एलओआई में ऐसी भी शर्त का प्रावधान न होने के कारण, उपठेकेदारों द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में एक माह से तीन वर्ष एवं

कम्पनी ने उपठेकेदारों पर कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब करने पर ₹ 40.28 करोड़ की क्षतिपूर्ति का आरोपण नहीं किया

²⁶ जैपी० नगर/मेरठ, वाराणसी एवं नई दिल्ली।

आठ माह का विलम्ब किये जाने के बाद भी इकाइयों द्वारा ₹ 9.28 करोड़ की क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि एलडी नहीं आरोपित किया गया क्योंकि ग्राहकों द्वारा उपठेकेदारों को निधि विलम्ब से/अवमुक्त न करने के अतिरिक्त ग्राहक द्वारा भूमि, परिवर्तकों एवं संयोजित लाइनों को देर से उपलब्ध कराये जाने के कारण विलम्ब हुआ था। कुछ अनुबंधों में एलडी उपवाक्य सम्मिलित नहीं किये जाने के संबंध में, इसने बताया कि भविष्य में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों के एलओआई में उक्त उपवाक्य को समाहित कर सुधारात्मक कार्यवाही की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इकाइयों पर अप्रयुक्त निधि शेष बची थी जैसा कि तालिका 2.2.3 में दर्शाया गया है एवं इसकी पुष्टि लाभार्थी सर्वेक्षण में ग्राहकों द्वारा भी की गयी थी। अग्रेतर, एलडी की गणना करते समय उपठेकेदारों को भूमि उपलब्ध कराने में हुए विलम्ब पर विचार नहीं किया गया एवं संयोजित लाइन, उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही उपलब्ध करायी जानी थी।

अग्रिमों की अनियमित अवमुक्ति

2.2.30 मैनुअल का प्रस्तर 553 प्रावधान करता है कि सुरक्षित अग्रिम की अनुमति कार्यस्थल पर लाये गये सामग्री के मूल्य के 75 प्रतिशत तक यूनिट प्रभारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, मूल्यांकित एवं प्रमाणित सामग्री पर धारणाधिकार प्राप्त करने के पश्चात उपठेकेदार को दी जा सकती है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि यद्यपि एलओआई में सुरक्षित अग्रिम उपलब्ध कराने हेतु कोई उपवाक्य नहीं था, चयनित इकाइयों ने उपठेकेदारों को उनके निवेदन पर ₹ 109.45 करोड़ का अग्रिम बिना कार्यस्थल पर किसी सामग्री को लाये एवं धारणाधिकार प्राप्त किये, उपलब्ध कराया, जो अनियमित था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि अग्रिमों का भुगतान पीआरडब्ल्यू/उपठेकेदारों द्वारा पहले से किये गये कार्यों एवं आपूर्तित सामग्री पर एसई/एआरई द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद दिये गये प्रमाणपत्र के आधार पर किया गया था। उत्तर मुद्दे को संबोधित नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा केवल आपूर्ति भाग के विरुद्ध और वह भी बिना किसी सामग्री की पावती के दिये गये अग्रिमों पर विचार किया गया था।

खराब कार्यकौशल

2.2.31 बदरपुर-गाजीपुर लाइन के 220 केवी केबिल के डाइवर्जन का कार्य यूपीपीसीएल (ग्राहक) ने कम्पनी को सेन्टेज एवं श्रमिक उपकर को छोड़कर ₹ 39.16 करोड़ की लागत पर प्रदान किया (जुलाई 2010)। नई दिल्ली इकाई ने कार्य को अक्टूबर 2010 में उपठेकेदारों को ₹ 39.16 करोड़ में प्रदान कर क्रियानिवत किया। कार्य दिसम्बर 2011 में पूर्ण किया गया एवं ग्राहक को उसी माह में हस्तांतरित कर दिया गया। इकाई ने उपठेकेदार को दिसम्बर 2011 तक ₹ 28.19 करोड़ का भुगतान कर दिया था।

लाइन को ऊर्जित करने पर, उसमें बार-बार खराबी आयी जैसा कि ग्राहक द्वारा इंगित किया गया (जून 2012 से अक्टूबर 2013)। लाइन में आयी खराबी के सुधार पर इकाई ने उपठेकेदारों की तरफ से ₹ 13.63 करोड़ (मरम्मत: ₹ 1.80 करोड़ एवं लाइन का प्रतिस्थापन: ₹ 11.83 करोड़) व्यय किये। लाइन के सुधार पर व्यय किये गये ₹ 13.63 करोड़ में से, ₹ 10.97 करोड़ का उपठेकेदारों के बकाया बिलों से समायोजन, ₹ 87 लाख जमानत जब्त करके एवं ₹ 1.29 करोड़ उपठेकेदारों की बैंक गारंटी भुनाकर किया गया। शेष धनराशि ₹ 50 लाख की वसूली नहीं की जा सकी। तथापि, इकाई ने उपठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और ₹ 50 लाख की हानि उपठेकेदार द्वारा किये गये खराब कार्यकौशल के कारण वहन किया।

प्रबन्धन ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) परन्तु ₹ 50 लाख के हानि पर कोई भी टिप्पणी नहीं की।

सामग्री का अधिक क्रय

2.2.32 उपठेकेदारों को निर्गत एलओआई की नियमों एवं शर्तों में प्रावधान था कि उपकरणों की वास्तविक मात्रा निष्पादन के दौरान लेआउट योजना, कार्यस्थल की आवश्यकता एवं अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार बीओक्यू से भिन्न हो सकते हैं।

₹ 55.22 लाख मूल्य
की सामग्री
वास्तविक
आवश्यकता से
अधिक क्रय की गयी
एवं क्षय हेतु खुले में
पड़ी रही

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि तीन²⁷ इकाइयां वास्तविक आवश्यकतानुसार सामग्री की वास्तविक मात्रा का निर्धारण करने में असफल रहीं। जिसके परिणामस्वरूप, पाँच उपकेन्द्रों के निर्माण में ₹ 55.22 लाख मूल्य के कंट्रोल केबिल, पावर केबिल एवं कंडक्टर वास्तविक आवश्यकता से छः से 88 प्रतिशत तक अधिक क्रय किये गये। अधिक सामग्री खुले में अप्रयुक्त पड़ी रही, जिसके कारण दिसंबर 2013 से मार्च 2016 तक उसका क्षरण होता रहा जिसे संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी पाया गया जैसाकि नीचे फोटोग्राफ में प्रदर्शित है:



220/ 132 केवी उपकेन्द्र, बागपत



220/ 132 केवी उपकेन्द्र, किरण्थल, बागपत

प्रबन्धन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में बताया कि अप्रयुक्त केबिल का उपयोग आगे किया जा सकता है क्योंकि कार्य प्रगति पर थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य 95 से 100 प्रतिशत तक पूर्ण हो गये थे एवं अधिकतर मामलों में क्रियान्वित मात्रा स्थापना के अंतिम बिलों/अंतिम प्रतिवेदनों से लिया गया था।

मूल्यवर्धित कर का अधिक भुगतान

2.2.33 जीओयूपी ने परिवर्तक एवं इसके पुर्जों पर मूल्यवर्धित कर (वैट) की दर 19 दिसम्बर 2014 से 14 प्रतिशत से कम कर पाँच प्रतिशत कर दिया²⁸।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि दो²⁹ इकाइयों ने दिसम्बर 2014 से जून 2015 के दौरान वैट का भुगतान पाँच प्रतिशत की प्रचलित दर के बजाय 14 प्रतिशत की पुरानी दर पर किया। इस प्रकार, इकाइयों ने दिसम्बर 2014 से जून 2015 के दौरान 23 परिवर्तकों की आपूर्ति पर उपठेकेदारों को ₹ 75.46 लाख वैट का अधिक भुगतान किया।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2016) एवं बहराइच उपकेन्द्र पर एक परिवर्तक के सम्बन्ध में ₹ 36.90 लाख की वसूली हेतु पत्र निर्गत किया गया। अन्य 22 परिवर्तकों के सम्बन्ध में, इसने बताया कि उपठेकेदारों द्वारा अधिसूचना की तिथि से पूर्व ही परिवर्तकों की आपूर्ति कर दी गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बहराइच उपकेन्द्र के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली अभी भी लम्बित थी एवं शेष 22 मामलों में, लेखापरीक्षा

²⁷ जे०पी० नगर/मेरठ, हरिद्वार एवं परामर्शी इकाई गाजियाबाद।

²⁸ अधिसूचना के एएनआई-2-1797/XI-9(14)/97-उ०प्र० अधिनियम-5/2008-आदेश-(125)-2014 दिनांक 19 दिसम्बर 2014।

²⁹ इकाई 18 लखनऊ एवं वाराणसी।

द्वारा केवल उन्हीं परिवर्तकों पर विचार किया गया था जो अधिसूचना की तिथि के बाद आपूर्ति किये गये थे।

कर बीजक प्राप्त किये बिना यूपी वैट का भुगतान

दो इकाइयों ने उपरेकेदारों से कर बीजक प्राप्त किए बिना ₹ 5.77 करोड़ के वैट का भुगतान किया और इस प्रकार कर चोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था

2.2.34 उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 22(1) प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंजीकृत विक्रेता (उस व्यापारी को छोड़कर जिसने धारा 6 के अंतर्गत एकमुश्त कर के भुगतान का विकल्प चुना हो) निर्धारित प्रपत्र पर कर योग्य वस्तुओं की बिक्री करते समय क्रेता को एक कर बीजक निर्गत करेगा।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि दो इकाइयों³⁰ ने छ: उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु कर बीजक या धारा 6 के अंतर्गत वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना उपकरणों (वैट सहित) की आपूर्ति के लिए निर्गत एलओआई के विरुद्ध उपरेकेदारों को ₹ 5.77 करोड़ के वैट सहित ₹ 49.91 करोड़ का भुगतान किया। कर बीजक के अभाव में, कर चोरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि वैट का भुगतान ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से कर बीजक प्राप्त करने के बाद किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कर बीजक उपरोक्त छ: उपकेन्द्रों से भिन्न अन्य उपकेन्द्रों के प्रकरणों में प्राप्त किया गया था।

सेवा कर की कटौती/जमा न किया जाना

2.2.35 जुलाई 2012 से लागू सेवा कर जमा करने से संबंधित अधिसूचना³¹ (जून 2012) में प्रावधानित था कि निगमित निकाय के अलावा अन्य द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के प्रकरणों में, सेवा प्रदाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों प्रत्येक 50 प्रतिशत सेवा कर जमा करने के लिए उत्तरदायी थे। निगमित निकाय द्वारा प्रदान की जा रही इन सेवाओं के प्रकरणों में, सेवा प्रदाता सेवा कर की पूर्ण धनराशि जमा करने के लिए उत्तरदायी था। कम्पनी को, एक सरकारी निकाय होने के कारण, सेवा कर जमा किया जाना सुनिश्चित करना था, क्योंकि जमा करने का दायित्व सेवा प्रदाता पर था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि:

- आठ इकाइयों ने जुलाई 2012 से मार्च 2016 के दौरान उपकेन्द्रों की स्थापना एवं कमीशनिंग (सेवा) और सिविल निर्माण (कार्य अनुबन्ध) के लिये प्रस्तुत उपरेकेदारों (निगमित निकाय से भिन्न) के बिलों से ₹ 1.25 करोड़ (सेवा कर का 50 प्रतिशत) की कटौती नहीं की।
- इकाइयां यह सुनिश्चित करने में विफल रहीं कि 17 उपरेकेदारों (निगमित निकाय) ने जुलाई 2012 से मार्च 2016 के दौरान उन्हें भुगतान किये गये ₹ 6.60 करोड़ सेवा कर जमा किये।
- ग्राहकों से वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान प्राप्त सेन्टेज की धनराशि (₹ 8.77 करोड़) पर इकाइयों द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग को देय सेवा कर ₹ 47.60 लाख जमा करने में भी इकाइयां विफल रहीं।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्गत अधिसूचना³² के अनुसार, मार्च 2015 से पूर्व स्वीकृत कार्यों पर सेवा कर लागू नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपकेन्द्रों के उपर्युक्त कार्यों पर पूर्व में भी सेवा कर से मुक्ति नहीं थी।

³⁰ वाराणसी एवं हरिहरा।

³¹ 30/2012–एसटी दिनांक 20 जून 2012।

³² 9/2016 दिनांक 1 मार्च 2016।

अन्य निष्केप कार्य के विद्युतीय भागों का निष्पादन

2.2.36 छब्बीस इकाइयों ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान उपकेन्द्रों एवं केबिल बिछाने के कार्यों से भिन्न, ₹ 2,662.26 करोड़ के 840 कार्यों का निष्पादन किया। जिसमें से, आठ चयनित इकाइयों द्वारा ₹ 1,127.97 करोड़ के 378 कार्यों का निष्पादन किया गया।

लेखापरीक्षा ने आठ इकाइयों द्वारा क्रियान्वित ₹ 867.30 करोड़ के 83 कार्यों का परीक्षण किया जिससे संबंधित परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

समय एवं लागत अतिरेक

2.2.37 जीओयूपी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति (एचएलटीसी) ने निर्देश दिया (नवम्बर 2008) कि उन कार्यों के प्रकरणों में जहाँ निर्माण अवधि एक वर्ष से अधिक थी, परियोजना की लागत वृद्धि के लिये (दस वर्षों के लागत सूचकांक पर आधारित) आगणन में ही उपयुक्त प्रावधान होना चाहिए ताकि लागत अतिव्यय और प्राक्कलन के पुनरीक्षण से बचा जा सके। जीओयूपी एक वर्ष से अधिक के निर्माण अवधि से संबंधित परियोजनाओं के प्रकरणों में लागत वृद्धि के लिए प्रावधान करने हेतु इस तथ्य को दोहराया (जनवरी 2011)।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि एचएलटीसी और जीओयूपी के निर्देशों के बावजूद भी कम्पनी ने जीओयूपी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आगणनों में लागत वृद्धि का प्रावधान नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप, 54 कार्यों (पूर्ण: 27 एवं डब्ल्यूआईपी: 27) के आगणनों को, 2011–12 से 2015–16 के दौरान, ₹ 531.06 करोड़ से पुनरीक्षित करके ₹ 747.22 करोड़ तक करना पड़ा जिसमें ₹ 216.16 करोड़ का लागत अतिरेक सम्मिलित था। कार्यों के क्रियान्वयन में दो से 13 वर्षों के समय अतिरेक के कारण लागत अतिरेक अनिवार्यतः हो गया था।

प्रबन्धन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में स्वीकार किया कि कम्पनी ने अनुमानित लागत वृद्धि को समाहित करने वाले एचएलटीसी के दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया।

उच्च दर पर सामग्री की अधिग्राप्ति

2.2.38 मैनझुल के प्रस्तर 30 में प्रावधानित है कि प्रधान कार्यालय का वाणिज्यिक अनुभाग, प्रत्येक तिमाही, लखनऊ में सभी सामान्य क्रय सामग्रियों जैसे बिजली के केबिलों, तारों एवं बिजली के सामानों की कीमतों को एकत्र करेगा। ऐसे सभी सामान्य क्रय सामग्रियों की मूल्य सूची एक पुस्तिका में मुद्रित किया जायेगा और सभी क्षेत्रीय इकाइयों को संचारित करेगा। इकाइयों की क्रय समिति को बाजार सर्वेक्षण द्वारा एकत्र की गयी दरों को लखनऊ की मूल्य पुस्तिका में संचारित दरों के साथ तुलना करना था एवं दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिये दोनों दरों को क्रय समिति आख्या (पीसीआर) में अभिलेखित करना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि वाणिज्यिक अनुभाग द्वारा विद्युत सामग्री की दरों को एकत्र एवं क्षेत्रीय इकाइयों को संचारित नहीं किया गया। मूल्य सूची के अभाव में, इकाइयां अपने द्वारा प्रदान की गयी दरों की उपयुक्तता पर निर्णय नहीं कर सकी एवं उच्च दरों पर विद्युत सामग्री का क्रय कर ₹ 2.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

- क्षेत्रीय इकाइयों ने विद्युत सामग्री का क्रय, अंचल स्तर पर संयुक्त क्रय समिति (जेपीसी) द्वारा अन्तिमीकृत दरों पर किया। अंचलों द्वारा प्रदान की गयी दरों की तुलना करने पर लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि पावर केबिल एवं एचटी पावर केबिल के लिये इटावा अंचल की जेपीसी एवं हरिद्वार और श्रीनगर इकाइयों की जेपीसी द्वारा प्रदान की गयी दरें लखनऊ अंचल की जेपीसी की दरों से 6.82 प्रतिशत से 28.72

प्रतिशत उच्च थी। इस कारण, तीन इकाइयों³³ ने 2014–15 से 2015–16 के दौरान ₹ 5.58 करोड़ मूल्य की उपरोक्त सामग्री उच्च दरों पर क्रय किया और सामग्री की अधिप्राप्ति पर ₹ 69.57 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

- विद्युत सामग्री के क्रय हेतु पहली बार जेपीसी का गठन जनवरी 2014 में इटावा अंचल द्वारा एवं अगस्त 2014 में लखनऊ अंचल द्वारा किया गया। इससे पूर्व, सामग्रियों का क्रय संबंधित इकाइयों द्वारा इकाई के क्रय समितियों द्वारा निर्धारित दर पर किया गया था। दिल्ली अंचल के अन्य दो विद्युत अंचलों (हरिद्वार और श्रीनगर इकाइयों को छोड़कर जिन्होंने जून 2013 में एक संयुक्त पीसीआर तैयार किया था) एवं कानपुर अंचल ने अभी तक (मई 2016) जेपीसीआर तैयार नहीं किया।

चूंकि, अंचलों में फरवरी 2014/अगस्त 2014 तक जेपीसी गठित नहीं की गयी, चार इकाइयों³⁴ ने 2011–12 से जनवरी 2014 के दौरान ₹ 9.72 करोड़ मूल्य के फ्लेक्सिबल वायरिंग, पॉवर केबिल, कंट्रोल केबिल एवं एचटी पॉवर केबिल का क्रय जेपीसी द्वारा बाद में अन्तिमीकृत दरों से 0.84 प्रतिशत से 60.36 प्रतिशत उच्च दरों पर किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

- हैवेल्स, निर्माता, ने कॉपर फ्लेक्सिबल वायर की दरें 20 जनवरी 2015 से घटा दी। हालांकि, हरिद्वार इकाई ने फरवरी 2015 से जनवरी 2016 के दौरान उपरोक्त सामग्री पुरानी दरों पर क्रय करना जारी रखा और कॉपर फ्लेक्सिबल तार के 2,069 कॉइल्स को उच्च दरों पर क्रय कर ₹ 4.40 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

लेखापरीक्षा के आगे संज्ञान में आया कि इकाई ने अगस्त 2014 से जनवरी 2016 के दौरान ₹ 1.90 करोड़ मूल्य के हैवेल्स एवं केर्डाई ब्राण्ड्स के 8,303 कॉइल्स कॉपर फ्लेक्सिबल तार क्रय किया; जबकि पोलीकैब्र ब्राण्ड के तार, जो गुणवत्ता में समान थी, कम दरों पर उपलब्ध थी। पोलीकैब्र ब्राण्ड के बजाय हैवेल्स एवं केर्डाई ब्राण्ड्स के तार जो महंगे थे, के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 38.94 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि विद्युत सामग्रियाँ मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रय समिति द्वारा अन्तिमीकृत दरों पर क्रय की गयी थी। इसने आगे बताया कि लखनऊ के जेपीसी की दरें देहरादून की दरों से तुलनीय नहीं थीं जो लखनऊ से 600 किलोमीटर दूर था। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्युत सामग्री की दरों का केन्द्रीय रूप से प्रधान कार्यालय पर संग्रहण एवं दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए इसका फील्ड इकाइयों को संचारण से संबंधित मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। लखनऊ अंचल एवं देहरादून स्थित हरिद्वार इकाई के मध्य दरों की तुलनीयता के संबंध में, सिक्को निर्मित केबिल की दरें दोनों स्थानों पर समान थीं। अग्रेतर, हरिद्वार इकाई द्वारा क्रय किये गए केबिल के लिए परिवहन का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

2.2.39 मैनुअल के प्रस्तर 101 में प्रावधानित है कि सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए दरों का निर्धारण बाजार सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा। यूपीपीसीएल 33 केवी लाइन एवं उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आगणन बनाने के लिये परिवर्तकों सहित विद्युत सामग्रियों का वार्षिक स्टाक इश्यू दर अधिसूचित करता है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि दो³⁵ इकाइयों ने नवम्बर 2010 से जनवरी 2015 के दौरान छ.³⁶ 33/11 केवी परिवर्तकों को यूपीपीसीएल के प्रचलित स्टॉक इश्यू दरों से उच्च दरों पर क्रय किया। इकाइयों ने, उद्धृत दरों का मूल्यांकन करते समय,

³³ इटावा, बरेली एवं हरिद्वार।

³⁴ वाराणसी, बरेली, जै0पी0 नगर/मेरठ एवं परामर्शी इकाई, गाजियाबाद।

³⁵ इकाई 18 लखनऊ एवं जै0पी0 नगर/मेरठ।

³⁶ चार 5 एमवीए एवं दो 10 एमवीए।

यूपीपीसीएल के स्टॉक इश्यू दरों से तुलना करके दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि रेस्पो दरों में वैट शामिल नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रेस्पो दरों में वैट शामिल था।

उपठेकेदारों को अनुमन्य भुगतान

2.2.40 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ग्राहक) ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, अलवर, राजस्थान के निर्माण का कार्य प्रारंभ की तिथि (10 जुलाई 2011) से 30 माह की निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रदान किया (23 जून 2011)। अतः, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 9 जनवरी 2014 थी।

कम्पनी ने बीओक्यू मूल्य पर जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को उपठेकेदार के रूप में कार्य निष्पादित करने के लिये संलग्न किया।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि यद्यपि ग्राहक ने 10 जनवरी 2014 से 21 जून 2016 तक 558 दिनों के समय का विस्तार इस शर्त के साथ स्वीकृत किया (13 अगस्त 2015) कि मूल्य वृद्धि 342 दिनों (10 जनवरी 2014 से 17 दिसम्बर 2014) के लिए ही स्वीकार्य होगी, इकाई ने जनवरी 2015 से अप्रैल 2015 की अवधि के लिए ₹ 3.09 करोड़ मूल्य वृद्धि का दावा ग्राहक से किया एवं इसका भुगतान उपठेकेदार को किया। इस प्रकार, इकाई ने ₹ 3.09 करोड़ का अधिक भुगतान उपठेकेदार को उस अवधि में किये गये कार्य के लिए किया जो अनुमन्य थी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि ईएसआईसी ने परियोजना को पूर्ण करने के लिए समय विस्तार अनुमोदित किया एवं तदनुसार वृद्धि के बिलों का भुगतान किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जून 2016 तक समय विस्तार की अनुमति दिसम्बर 2014 तक हुई मूल्य वृद्धि के भुगतान के प्रतिबंध के साथ दी गयी थी। समापन बैठक (अगस्त 2016) में, एमडी ने संबंधित जीएम को प्रकरण की जाँच करने एवं वसूली करने के निर्देश दिये।

2.2.41 जीओयूपी ने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर के निर्माण हेतु ₹ 236.26 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया (अगस्त 2007) जिसे पुनरीक्षित (मार्च 2010) करके ₹ 384.63 करोड़ किया गया। पुनरीक्षित स्वीकृति में ₹ 78.26 करोड़ के आवासीय/अनावासीय भवनों के आन्तरिक विद्युतीकरण एवं अन्य अतिरिक्त विद्युत कार्यों हेतु सम्मिलित था। आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य उपठेकेदार को प्रदान कर क्रियान्वित कराया गया।

उपठेकेदार के साथ निष्पादित अनुबंध (7 अक्टूबर 2008) की शर्तों में प्रावधानित था कि वास्तविक क्रियान्वित प्लिन्थ एरिया का भुगतान ईएफसी, जीओयूपी द्वारा अनुमोदित प्लिन्थ एरिया दरों (पीएआर) पर किया जाएगा। इसमें जीओयूपी द्वारा परियोजना के लिए अनुमोदन होने पर ही यूपीपीडब्ल्यूडी द्वारा पीएआर के पुनरीक्षण के आधार पर मूल्य वृद्धि प्रदान किये जाने का प्रावधान था। वृद्धि का प्रावधान पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तक ही था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि इकाई 18, लखनऊ ने संबंधित सिविल इकाई से भवन की वास्तविक क्रियान्वित प्लिन्थ एरिया का आंकलन नहीं किया और स्वीकृत आंगण में निर्दिष्ट प्लिन्थ एरिया पर भुगतान किया। इकाई ने कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (सितम्बर 2010) से परे की अवधि (अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2015) में क्रियान्वित कार्यों के लिए ₹ 2.25 करोड़ के अनुमन्य मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जिसे अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं किया जाना था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि मूल्य वृद्धि का भुगतान एलओआई की शर्तों के अनुसार ही किया गया था। उत्तर गलत था क्योंकि एलओआई के साथ ही साथ

कम्पनी ने
उप-ठेकेदारों को
₹ 5.34 करोड़ की
वृद्धि का अनुमन्य
भुगतान किया

अनुबंध में पुनरीक्षित पीएआर पर मूल्य वृद्धि का भुगतान कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि तक ही किया जाना था।

बिना खुली निविदा आमंत्रित किये उच्च मूल्य वाली सामग्रियों की अधिप्राप्ति एवं कार्य प्रदाय

2.2.42 जीएफआर, 2005 के नियम 146 एवं 150 में प्रावधानित है कि ₹ 25 लाख और उससे अधिक मूल्य की वस्तुएं विज्ञापित निविदाओं के माध्यम से क्रय की जानी चाहिए। जीएफआर का नियम 181 प्रावधान करता है कि ₹ 10 लाख और उससे अधिक के कार्यों को विज्ञापित निविदाओं के माध्यम से प्रदान करना चाहिए। अग्रेतर, मैनुअल के पैरा 468 और 473 प्रावधान करते हैं कि विशेषज्ञता वाले कार्यों के प्रकरणों में जिनको कम्पनी प्रत्यक्ष रूप से करने की स्थिति में नहीं है, उच्च मूल्य वाले कार्य को सर्वाधिक खुले और सार्वजनिक रीति से निविदा आमंत्रित कर उपठेकेदारों द्वारा सम्पादित कराये जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 2011–12 से 2015–16 के दौरान आठ इकाइयों ने, खुली निविदा आमंत्रित करने के बजाय, ₹ 26 लाख से ₹ 1.99 करोड़ तक के आपूर्ति आदेश जारी कर ₹ 19.67 करोड़ मूल्य की सामग्री क्रय की और ₹ 10 लाख से ₹ 6.28 करोड़ तक के 273 कार्य आदेशों द्वारा ₹ 173.25 करोड़ मूल्य के 68 कार्यों का संपादन मुहरबंद कोटेशन/सीमित निविदाओं के माध्यम से किया गया।

प्रबन्धन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में बताया कि सामग्री क्रय करने/कार्यों के निष्पादन हेतु नियत प्रक्रिया का पालन कर सुधारात्मक कार्यवाही कर दी गयी।

पूर्णता की तिथि निर्धारित नहीं की गयी

2.2.43 मैनुअल का प्रस्तर 76 एवं 244, गतिविधियों की तिथि निर्धारण, द्रुत समापन और गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए बार चार्ट पर आधारित कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक (पर्ट) को तैयार करने का प्रावधान करते हैं। यह पूर्णता की तिथि निर्धारण में भी सहायता प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि कम्पनी ने कार्यों के लिए बार चार्ट पर आधारित पर्ट नहीं तैयार किया। कार्यों की समापन तिथि न तो ग्राहक विभाग द्वारा नियत की गयी न ही कम्पनी द्वारा पर्ट के आधार पर ग्राहक से सलाह कर निर्धारित की गयी। परिणामस्वरूप, नियत लक्ष्य के अभाव में कम्पनी निष्पादन कार्य की आवश्यक गति का अनुश्रवण नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि प्रत्येक कार्य की पूर्णता कार्य की अनुमोदित लागत के विरुद्ध सरकार/ग्राहकों द्वारा निधि के प्रवाह पर निर्भर करता है। अग्रेतर, जहाँ तक संभव था बार चार्ट/पर्ट चार्ट बनाये गए थे एवं प्रत्येक इकाई द्वारा अपने अंचल को प्रस्तुत किये गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी या उसके अंचल के पास सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित बार चार्ट आधारित कोई निर्माण योजना नहीं थी।

सेन्टेज का अनियमित प्रभारण

2.2.44 जीओयूपी द्वारा निर्गत आदेश (फरवरी 2009 और जनवरी 2011) के अनुसार, क्रय की गयी सामग्री पर कोई सेन्टेज देय नहीं था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि जीओयूपी की प्रशासनिक एवं वित्तीय संस्थीकृतियों में क्रय की गयी सामग्री पर सेन्टेज न देने की अनुमति के बावजूद, पाँच इकाइयों³⁷ ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 45.46 करोड़ के क्रय की गयी सामग्री पर ₹ 5.68 करोड़ का सेन्टेज प्रभारित किया और आठ कार्यों में लेखांकित किया।

³⁷ इकाई 18 लखनऊ, इटावा, वाराणसी, बरेली और हरिद्वार।

प्रबन्धन ने समापन बैठक (अगस्त 2016) में बताया कि सेन्टरेज की उपयुक्तता हेतु, क्रय की गयी सामग्री की पहचान के लिए जीओयूपी के साथ प्रकरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे।

मूल्यवर्धित कर का अधिक भुगतान

2.2.45 जीओयूपी ने परिवर्तकों एवं इसके पुर्जों पर मूल्यवर्धित कर (वैट) की दर 19 दिसम्बर 2014 से 14 प्रतिशत से कम करके पाँच प्रतिशत कर दिया³⁸।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि जून 2015 से दिसम्बर 2015 के दौरान दो³⁹ इकाइयों ने 5 प्रतिशत की प्रभावी दर के स्थान पर 14 प्रतिशत की दर से वैट का भुगतान जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप दो कार्यों में जून 2015 से दिसम्बर 2015 के दौरान पाँच परिवर्तकों के क्रय पर ₹ 10.45 लाख के वैट का अधिक भुगतान किया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि इटावा इकाई के प्रकरण में, परिवर्तकों की आपूर्ति अधिसूचना की तिथि से पहले की गयी थी और इसलिये वैट की घटी हुई दरें प्रभावी नहीं थीं। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि परिवर्तकों की आपूर्ति अधिसूचना की तिथि के बाद की गयी थी।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं अनुश्रवण तंत्र

2.2.46 आंतरिक नियंत्रण, संचालनों की दक्षता, वित्तीय आख्या की विश्वसनीयता और लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन के युक्तियुक्त आश्वासन हेतु बनायी गयी एक प्रक्रिया है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण तंत्र त्रुटिपूर्ण था क्योंकि फ़ील्ड इकाइयों द्वारा कम्पनी के प्रधान कार्यालय को धनराशि प्रेषित न करने, ग्राहकों से प्राप्त निधि से अधिक व्यय, टीएस प्राप्त किये बिना कार्यों का निष्पादन, निर्धारित निविदा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने, मोबिलाइजेशन एवं अन्य अग्रिमों की अनियमित अवमुक्ति, वैट का अधिक भुगतान एवं कर बीजक प्राप्त किये बिना वैट का भुगतान और उपरेकेदारों के बिलों से सेवाकर की कटौती न किये जाने के प्रकरण पाये गये जैसा की प्रस्तर 2.2.13, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.27, 2.2.30, 2.2.33, 2.2.34, 2.2.35 और 2.2.45 में चर्चा की गयी है।

इनके अतिरिक्त, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्न अन्य कमियां भी पाई गईं।

सामग्री खपत विवरण नहीं तैयार किए गए

2.2.47 मैनुअल का प्रस्तर 159 अपेक्षा करता है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में और कार्य के समापन पर सामग्री खपत विवरण तैयार किये जाये।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सभी आठ इकाइयों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में और कार्य के समापन पर भी सामग्री खपत विवरण नहीं तैयार किया गया जिसके फलस्वरूप हुए अधिक/अल्प खपत का पता नहीं लगाया जा सका। कम्पनी का मुख्यालय भी अनुश्रवण करने एवं सामग्री खपत विवरण बनाना सुनिश्चित करने में विफल रहा जो कि कमजोर आन्तरिक नियंत्रण का घोतक था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी और अत्यधिक कार्य के बोझ के कारण वार्षिक सामग्री खपत विवरण नहीं तैयार किये गए; यद्यपि, फ़ील्ड इकाइयों को अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे।

³⁸ केएनआई-2-1797/XI-9(14)/97-ज0प्र0अधिनियम-5-2008-आदेश-(125)-2014 दिसम्बर 2014।

³⁹ इटावा और बरेली।

ग्राहकों के खातों को बंद नहीं किया गया

2.2.48 मैनुअल के पैरा 589 और 591 प्रावधान करते हैं कि निक्षेप कार्य के पूर्ण होते ही संबंधित कार्य के खाते को बंद कर दिया जाएगा और मुख्यालय खाते में विलय करने हेतु मुख्यालय भेज दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान आठों इकाइयों द्वारा 111 कार्य ग्राहकों को हस्तांतरित किये गए जिनके खाते अब तक (मार्च 2016) बंद नहीं किये गए थे। परिणामस्वरूप, ₹ 10.77 करोड़ का अप्रयुक्त शेष संबंधित ग्राहकों को वापस नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि इकाइयों में लेखा कर्मचारियों की कमी होने के कारण खाताबंदी प्रक्रियाधीन थी। उत्तर ने लेखापरीक्षा परिणाम की पुष्टि की।

मानवशक्ति की कमी के कारण कमजोर आन्तरिक नियंत्रण

2.2.49 मैनुअल विभिन्न उत्तरदायित्वों के साथ पदों के विभिन्न समूह का उल्लेख करता है। आंतरिक नियंत्रण तब कमजोर हो जाता है जब विभिन्न पदों के उत्तरदायित्व का निर्वहन बहुप्रभार धारक एक ही अधिकारी के द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि मानवशक्ति की कमी के कारण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कम्पनी के टर्नओवर एवं आकार के सापेक्ष पर्याप्त नहीं थी क्योंकि;

- मैनुअल में वित्तीय परामर्शदाता, लेखा नियंत्रक और कम्पनी सचिव के पदों के लिए अलग—अलग उत्तरदायित्व निर्धारित किये गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन एक ही अधिकारी यथा वित्तीय परामर्शदाता द्वारा ही किया जा रहा था;
- फील्ड इकाइयों में उपअभियंताओं द्वारा स्टोर के रखरखाव के अतिरिक्त कार्य किये जा रहे थे जिसके कारण समुचित मांग पत्र के प्रस्तुतीकरण के बाद भंडार से सामग्री की आंतरिक जांचों को अभिलिखित नहीं किया गया; और
- अल्मोड़ा और श्रीनगर इकाइयों में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान एक से पाँच उपअभियंताओं और बरेली में वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान एक से तीन उपअभियंताओं के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कोई भी आरई/एआरई तैनात नहीं किया गया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.2.50 आंतरिक लेखापरीक्षा, कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली/तंत्र के समुचित क्रियान्वयन और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गयी एक व्यवस्था है। कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा इस उद्देश्य हेतु लगाये गये चार्टर्ड/कार्स्ट अकाउन्टेंट द्वारा संपन्न की जाती है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आंतरिक लेखापरीक्षा पर्याप्त और प्रभावी नहीं थी क्योंकि:

- वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान विद्युत इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता 9.52 प्रतिशत और 73.68 प्रतिशत के मध्य थी। अग्रेतर, उपरोक्त वर्षों के दौरान मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं संपन्न की गयी।
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये गए कुल 347 प्रस्तरों में से, कम्पनी द्वारा मात्र 42 प्रस्तर (12.10 प्रतिशत) निस्तारित किये गए और 305 प्रस्तर⁴⁰ बकाया थे

⁴⁰ 2011–12: 1 प्रस्तर; 2012–14: 67 प्रस्तर; 2014–15: 237 प्रस्तर।

क्योंकि फील्ड इकाइयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। यह उच्च प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण के अभाव को दर्शाता है।

- पाँच इकाइयों⁴¹ द्वारा वर्ष 2012–13 और 2013–14 में एवं दो इकाइयों⁴² द्वारा वर्ष 2014–15 में आंतरिक लेखा परीक्षकों को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण इन इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर इन इकाइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

- मैनुअल के प्रस्तर 156 के प्रावधानों के अधीन प्रमुख विसंगतियों और गंभीर अनियमितताओं पर प्रकाश डालने वाले ‘अपवाद प्रतिवेदन’ को एमडी के समक्ष रखा जाना चाहिए था। उसे तैयार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2016) कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रस्तरों के अनुपालन की प्रगति की चर्चा निश्चित अन्तराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में की गयी थी। यद्यपि, तथ्य यथावत् था कि बड़ी संख्या में प्रस्तर बकाया थे।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि:

- कम्पनी की योजना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी लक्ष्यों को तय करने और बजट तैयार करने, निर्धारित सीमा के अन्दर कार्यों को उपरेकेदार को देना सुनिश्चित करने, कार्यों के प्रारम्भ करने से पूर्व टीएस प्राप्त करने, इकाइयों में कार्यों का बुद्धिमत्तापूर्ण आवंटन करने में और आवश्यक मानवशक्ति को भर्ती करने में विफल रही। वित्तीय प्रबन्धन भी कमजोर था क्योंकि कम्पनी उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं कर सकी, ग्राहकों से प्राप्त निधि की धनराशि तक व्यय को सीमित नहीं कर सकी और इसके बैंक खातों में फलेक्सी सुविधा प्राप्त नहीं करने के कारण ₹ 9.57 करोड़ का संभाव्य ब्याज अर्जित करने से वंचित रह गयी;
- कम्पनी ने ग्राहकों से बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये कार्य शुरू कर दिया और मैनुअल के प्रावधानों, सीवीसी के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया एवं ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनुमति देकर ₹ 21.90 करोड़ के ब्याज का, ₹ 5.34 करोड़ की अननुमन्य मूल्य वृद्धि उपलब्ध कराकर और उच्च दरों पर सामग्री की अधिप्राप्ति तथा कार्यों को प्रदान कर उपरेकेदारों को ₹ 87.62 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया;
- एचएलटीसी एवं जीओयूपी के निर्देशों के बावजूद कम्पनी ने आगणन में लागत वृद्धि हेतु प्रावधान नहीं किया। परिणामस्वरूप, 2011–12 से 2015–16 के दौरान 54 कार्यों के आगणनों का, ₹ 216.16 करोड़ का लागत अतिरेक शामिल करते हुए, पुनरीक्षण हुआ। कार्यों के क्रियान्वयन में दो से 13 वर्षों का अत्यधिक समय लगने के कारण लागत अतिरेक अनिवार्यतः हो गया था; एवं
- आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण प्रणाली अपर्याप्त और अप्रभावी थी क्योंकि कम्पनी उपरेकेदारों के बिल से ₹ 1.25 करोड़ के सेवा कर की कटौती करने में विफल रही। यह फील्ड इकाइयों द्वारा सामग्री की खपत के विवरणों को तैयार करवाना और खातों को बंद करवाना सुनिश्चित करने में भी विफल रही। आंतरिक लेखापरीक्षा पर्याप्त और प्रभावी नहीं था क्योंकि यह प्रधान कार्यालय और सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा को आच्छादित नहीं किया।

⁴¹ विद्युत इकाई 17 लखनऊ, 17 अ लखनऊ, 1 लखनऊ, वाराणसी एवं जैपी0 नगर/मेरठ।

⁴² विद्युत इकाई नोएडा-2 एवं फरीदाबाद।

संस्तुतियां

लेखापरीक्षा संस्तुत करता है कि:

- कम्पनी को लक्ष्य तय करने और बजट तैयार करने, कार्यों को निर्धारित सीमा तक सबलेट करने, तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने, कार्य स्थल की दूरी को ध्यान में रखते हुए इकाइयों में कार्यों का आवंटन करने, पर्याप्त मानवशक्ति की भर्ती करने, उपलब्ध निधि का अधिकतम उपयोग करने, ग्राहकों द्वारा प्राप्त धन के सापेक्ष व्यय सीमित करने और बैंक खातों में फलेक्सी सुविधा का उपयोग करने में मैनुअल के प्रावधानों का पालन करना चाहिए;
- कम्पनी को ग्राहकों से वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ करना चाहिए एवं व्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनुमति प्रदान करने, मूल्य वृद्धि उपलब्ध कराने, बाजार सर्वेक्षण करने के लिये मैनुअल एवं सीवीसी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करना चाहिये। सामग्री की अधिप्राप्ति और कार्यों को प्रदान करने से पूर्व उचित विश्लेषण करना चाहिये एवं समय व लागत वृद्धि से बचने के लिए एचएलटीसी के निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए; एवं
- कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फील्ड इकाइयां सामग्री खपत विवरणों को तैयार करने और खातों को बंद करने के लिए मैनुअल के प्रावधानों का पालन करें। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रधान कार्यालय और सभी फील्ड इकाइयों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया जाना चाहिए और आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों पर सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

2.3 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मीटरिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.3.1 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी), जिसका कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अगस्त 2003 में निगमन किया गया, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कार्यात्मक नियंत्रण में, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में विद्युत वितरण के उद्देश्य के साथ काम करता है।

विद्युत वितरण प्रणाली में, विद्युत की मीटरयुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना ऊर्जा की क्षति/चोरी को रोकने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले राजस्व का सही आंकलन करने में भी सहायक होता है। विद्युत अधिनियम, 2003 यह प्रावधान करता है कि कोई भी लाइसेंसधारी बिना एक सही मीटर की स्थापना के बिजली की आपूर्ति नहीं करेगा। कम्पनी के पास मार्च 2012 के अंत में कुल 22.80 लाख उपभोक्ता थे, जो मार्च 2016 के अंत तक कुल 32.29 लाख हो गए थे।

यह आंकलन करने के उद्देश्य से कि, क्या मीटर का क्रय, स्थापना, आवधिक जाँच एवं मीटर में दर्ज उपभोग के आधार पर राजस्व का आंकलन कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से एवं मितव्ययी रूप से किया गया है, वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक की अवधि आच्छादित करते हुए एक लेखापरीक्षा सम्पादित (नवंबर 2015 से अप्रैल 2016) की गई।

मीटर का क्रय, स्थापना, मीटर की जाँच, इसकी रीडिंग एवं बिल के जारी किये जाने की प्रणाली का विवरण **परिशिष्ट 2.3.1** में उल्लिखित है।

मीटर के क्रय से संबंधित अभिलेखों की जाँच कम्पनी के सामग्री प्रबंधन (एमएम) अनुभाग व चार विद्युत भंडार खंडों (ईएसडी) के स्तर पर की गयी। मीटर की स्थापना, प्रदर्शन और ऊर्जा के आंकलन से संबंधित अभिलेखों की जाँच कुल 16 विद्युत वितरण मण्डलों (ईडीसी), 18 विद्युत परीक्षण खण्डों (ईटीडी) एवं 58 विद्युत वितरण खण्डों (ईडीडी) में से चयनित 4 ईडीसी¹, 4 ईटीडी² और 12 ईडीडी³ में की गयी। इन इकाइयों का चयन स्तरीकृत सरल यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गयी लेखापरीक्षा कार्यविधि में, 22 फरवरी 2016 को उच्च प्रबंधन के साथ आयोजित प्रवेश बैठक में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करना तथा लेखापरीक्षा पृच्छाओं का जारी करना शामिल था। एक समापन बैठक 29 जुलाई 2016 को प्रबंधन के साथ आयोजित की गयी और प्रबंधन के उत्तर जुलाई 2016 में प्राप्त हुए, जिन पर विधिवत विचार किया गया। शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.2 कम्पनी के एमएम अनुभाग और चयनित मण्डलों/खंडों के अभिलेखों के विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के आधार पर पाये गए लेखापरीक्षा परिणामों की अग्रेतर प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

गैर मीटरयुक्त संयोजनो के दृष्टान्तों की अधिकता

2.3.3 उ.प्र. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (आपूर्ति संहिता) के अनुच्छेद 5.1 में प्रावधान है कि कोई नया संयोजन मीटर की स्थापना के बिना जारी नहीं किया जाएगा। उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने भी कम्पनी को अपने लाइसेंस क्षेत्र में सौ

¹ विद्युत वितरण मण्डल, आगरा, कानपुर, मैनपुरी, व इटावा।

² विद्युत परीक्षण खण्ड, आगरा, कानपुर, मैनपुरी, व इटावा।

³ विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी), I आगरा, ईडीडी II आगरा, ईडीडी फतेहाबाद, ईडीडी अकबरपुर, ईडीडी चौबेपुर, ईडीडी I मैनपुरी, ईडीडी II मैनपुरी, ईडीडी II इटावा, ईडीडी औरया, ईडीडी I हाथरस, ईडीडी II हाथरस व ईडीडी III हाथरस।

प्रतिशत मीटर लगाने हेतु एक रोडमैप प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित (अक्टूबर 2012) किया था। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में कम्पनी में मीटरयुक्त और गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं की स्थिति तालिका 2.3.1 में दी गई है।

तालिका 2.3.1

मीटरयुक्त एवं गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं का विवरण


(संख्या लाख में)

क्रं सं	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	कुल उपभोक्ता	22.80	24.26	25.66	30.99	32.29
2.	मीटरयुक्त उपभोक्ता	15.38	16.87	18.14	22.61	24.32
3.	गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं की वह संख्या जिन्हें मीटरयुक्त उपभोक्ता दिखाया गया	3.24	3.62	3.82	4.66	5.01
4.	गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं की संख्या	7.43	7.40	7.52	8.38	7.97
5.	कुल गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं की संख्या	10.67	11.02	11.34	13.04	12.98
6.	गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं का प्रतिशत	46.80	45.42	44.19	42.08	40.20

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक विवरण व सूचनाएँ

गैर मीटरयुक्त संयोजनों की संख्या मार्च 2012 के अंत में 10.67 लाख से बढ़कर मार्च 2016 के अंत तक 12.98 लाख हो गयी

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने सौ प्रतिशत मीटर लगाने हेतु यूपीईआरसी के समक्ष रोडमैप प्रस्तुत नहीं किया, जिसके लिए कोई कारण अभिलेखों में नहीं था। अग्रेतर, कम्पनी ने मीटर की स्थापना के बिना भी नए संयोजन देना जारी रखा और विद्युत बिल बनाने के लिए बिलिंग प्रणाली में काल्पनिक मीटर संख्या प्रदर्शित किया। परिणामस्वरूप, गैर मीटरयुक्त संयोजनों की संख्या मार्च 2012 के अंत में 10.67 लाख से बढ़कर मार्च 2016 के अंत तक 12.98 लाख हो गयी, जिसे चार्ट 2.3.1 में दर्शाया गया है।



प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि मीटर परिसरों में तेजी से स्थापित किये जा रहे थे एवं बिना मीटर की आपूर्ति का प्रतिशत, जो की मार्च 2012 के अंत में 33.17 प्रतिशत था, से घटकर मार्च 2016 के अंत में 25.18 प्रतिशत तक हो गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने मीटरयुक्त उपभोक्ताओं की संख्या में उन उपभोक्ताओं को भी शामिल कर लिया, जहां कोई मीटर स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि केवल काल्पनिक मीटर संख्या बिलिंग उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया था। इसलिए, इस प्रकार के गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं को मीटरयुक्त उपभोक्ताओं की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए था। इस प्रकार, गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं के प्रतिशत में पांच वर्षों में

केवल 6.60 प्रतिशत का सुधार हुआ था। अग्रेतर, प्रबंधन के उत्तर में यूपीईआरसी के समक्ष रोडमैप प्रस्तुत न करने के बारे में कुछ नहीं था।

मीटर का क्रय

2.3.4 कम्पनी का एमएम अनुभाग ईएसडी से प्राप्त मीटर की कुल वार्षिक आवश्यकता (एआर) की सूचना के आधार पर कुल क्रय किये जाने वाले मीटर की मात्रा का निर्धारण करता है। मीटर के क्रय के लिए निदेशक मंडल (बीओडी) के अनुमोदन के पश्चात एमएम अनुभाग खुली निविदाओं को आमंत्रित करता है और कम्पनी के कॉर्पोरेट स्टोर क्रय समिति (सीएसपीसी) के अनुमोदन के उपरांत उसे अन्तिमीकृत करता है।

कम्पनी के पास (मार्च 2016) कुल 15 श्रेणियों के 32.29 लाख उपभोक्ता थे, जिसमें से 12.98 लाख उपभोक्ता गैर मीटरयुक्त थे। इन गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं में से, 12.80 लाख उपभोक्ता (99 प्रतिशत) एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) और एलएमवी-5 (निजी नलकूप) से संबंधित थे। इसलिए लेखापरीक्षा ने इन तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मीटर (एकल फेज और तीन फेज मीटर) के आवश्यक क्रय पर ध्यान केंद्रित किया।

कम्पनी ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान 9.90 लाख मीटर के क्रय के लिए 18 निविदाएं आमंत्रित किया। इसमें से आठ निविदाओं को 9.56 लाख (98 प्रतिशत) एकल फेज और तीन फेज मीटर के क्रय हेतु अन्तिमीकृत किया गया।

मीटर के क्रय के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी कमियों की अग्रेतर प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

मीटर के क्रय हेतु योजना में कमी

2.3.5 आपूर्ति संहिता के प्रावधानों और यूपीईआरसी के निर्देशों के अनुसार, सभी संयोजनों को मीटरयुक्त किया जाना चाहिए था। यह इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए और भी आवश्यक हो जाता है कि कम्पनी संयोजनों को जारी करते समय मीटर की पूरी लागत उपभोक्ताओं से वसूल करती है। शत-प्रतिशत मीटरिंग का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रय किये जाने हेतु मीटर की मात्रा का उचित आंकलन अत्यंत महत्व रखता था एवं इसका आंकलन मौजूदा गैर मीटरयुक्त संयोजनों, संभावित दोषपूर्ण मीटरों और जारी किये जाने वाले नए संयोजनों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए था।

मीटर की कुल आवश्यकता, क्रय हेतु योजना, वास्तविक क्रय और क्रय में कमी की वर्षवार स्थिति परिशिष्ट 2.3.2 के अनुसार है। आवश्यकता, बनाई गयी योजना और अल्प क्रय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.3.2 में दिखाई गयी है।

तालिका 2.3.2

मीटर की कुल आवश्यकता और क्रय हेतु योजना

(संख्या में)


वर्ष	कुल आवश्यकता	क्रय हेतु योजना	वास्तविक क्रय	कुल आवश्यकता के सापेक्ष अल्प क्रय
2011–12	1315925	45000	355204	960721
2012–13	1153911	180000	222568	931343
2013–14	1116948	98005	200235	916713
2014–15	1484964	185689	442214	1042750
2015–16	1371956	525000	561326	810630

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा आगणित व कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं

परिशिष्ट 2.3.2 एवं तालिका 2.3.2 के विश्लेषण से निम्न तथ्य सामने आये :

- मीटर के क्रय की योजना में कमी थी क्योंकि कम्पनी के एमएम अनुभाग और भंडार मंडल ने मीटर की आवश्यकता का आंकलन मौजूदा गैर मीटरयुक्त उपभोक्ताओं, प्रतिस्थापित किये जाने वाले दोषपूर्ण मीटरों और नए संयोजनों की संख्या का निर्धारण किये बिना किया। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 11.17 लाख से 14.85 लाख मीटरों की आवश्यकता के सापेक्ष बिना किसी विशिष्ट कारण को बताये 0.45 लाख से 5.25 लाख मीटरों के क्रय की योजना कम्पनी ने बनाई, जिसे चार्ट 2.3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3.2
मीटर की कुल आवश्यकता, क्रय हेतु योजना, और क्रय में कमी



मीटर के क्रय की योजना में कमी से मार्च 2016 को समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान 8.11 लाख और 10.43 लाख मीटरों का अल्प क्रय किया गया।

- हालांकि मीटर का वास्तविक क्रय योजित मीटरों की संख्या से अधिक थी, परन्तु यह हमेशा वास्तविक आवश्यकता से कम थी जिससे मार्च 2016 को समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान 8.11 लाख और 10.43 लाख मीटरों की कमी बनी रही। परिणामस्वरूप, मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के अंत में एलएमवी-1, 2 और 5 श्रेणियों के 12.80 लाख उपभोक्ता गैर मीटरयुक्त थे।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में 0.56 लाख से 2.38 लाख के बीच मीटर भंडार में थे तथा मीटरों की स्थापना और प्रतिस्थापन पूरे वर्ष निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं थीं। उत्तर मीटर क्रय की योजना बनाने में असफलता के कारणों एवं उचित तथ्यों से सम्बंधित नहीं था जिसकी वजह से आवश्यकता के सापेक्ष मीटरों का अल्प क्रय हुआ था।

निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी

2.3.6 क्रय के विवेकपूर्ण अभ्यास के अनुसार, कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदाओं को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाये ताकि मीटर की वार्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय पर आवश्यक मात्रा क्रय की जा सके।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि कम्पनी ने वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान 9.56 लाख एकल और तीन फेज मीटरों के क्रय हेतु आठ निविदाएं आमंत्रित की, जिसमें से 2,75,000 मीटरों के क्रय हेतु केवल दो निविदाओं को वित्त वर्ष 2015–16 की शुरुआत से पहले आमंत्रित किया और समय पर अंतिम रूप दिया गया। शेष छह निविदाओं के संबंध में, कम्पनी ने निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया अभिलेखों में बिना किसी भी कारणों को दर्ज किये, तीन से चार महीने की देरी के साथ शुरू की।

परिणामस्वरूप, निविदाओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष (**परिशिष्ट-2.3.3**) के शुरू होने के बाद छह से नौ महीने के विलम्ब से अन्तिम रूप दिया जा सका।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि निविदा को अंतिम रूप देने से पहले, नमूना मीटरों को मान्यता प्राप्त मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाना था जिसमें 10 से 15 दिनों का समय लगा। प्रबंधन का उत्तर तथ्यों से सम्बद्धित नहीं था क्योंकि प्रबंधन ने निविदा आमंत्रण प्रक्रिया विलम्ब से शुरू की जो निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब का मुख्य कारण था।

उच्चतर दरों पर मीटरों का क्रय

2.3.7 कम्पनी ने निविदा को अन्तिम रूप दिया एवं 1.50 लाख एकल फेज मीटरों की निविदित मात्रा के सापेक्ष 90,000 मीटरों के क्रय हेतु ₹ 936 प्रति मीटर के दर से जो मई 2014 तक वैध थी, क्रयादेश जारी किया (नवम्बर 2013)। कम्पनी ने अग्रेतर नवम्बर 2013 में अन्तिमीकृत निविदा की वैधता की समाप्ति के बावजूद मौजूदा फर्मों को ही 1.35 लाख मीटरों की आपूर्ति हेतु पूर्व की दरों पर ही पूरक आदेश (1 जुलाई 2014) जारी किये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एकल फेज मीटरों का बाजार मूल्य घट रहा था क्योंकि मीटर का मूल्य जून 2012 में ₹ 1,036 प्रति मीटर से घटकर नवम्बर 2013 में ₹ 936 प्रति मीटर और मई 2014 में ₹ 909 प्रति मीटर हो गया था। इसलिए दरों के घटते क्रम को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का फायदा उठाने के लिए 1.35 लाख एकल फेज मीटरों के क्रय हेतु सात माह पूर्व के दरों पर क्रयादेश जारी करने के बजाय नयी निविदाओं को आमंत्रित करके क्रय किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने आगे संज्ञान लिया कि कम्पनी ने जुलाई 2014 में आमंत्रित की गयी निविदा के विरुद्ध ₹ 884 प्रति मीटर के दर को अंतिम रूप दिया (सितम्बर 2014)। इससे यह तथ्य स्थापित हुआ कि जुलाई 2014 में, जिस समय कम्पनी ने 1.35 लाख एकल फेज मीटरों के क्रय हेतु ₹ 936 प्रति मीटर की दर से क्रयादेश जारी किया, दर ₹ 884 प्रति मीटर तक घट चुके थे। इस बजह से मीटरों का क्रय उच्च दरों पर हुआ।

इसी प्रकार एक दूसरे प्रकरण में, कम्पनी ने 1.25 लाख एकल फेज मीटरों के क्रय हेतु मई 2015 में अन्तिमीकृत निविदा की ₹ 855 प्रति मीटर की पुरानी दरों पर एक पूरक आदेश (अगस्त 2015) जारी किया। लेखापरीक्षा ने पाया की कम्पनी ने ₹ 783 प्रति मीटर की प्रचलित बाजार मूल्य, जो कि कम्पनी के सहयोगी कम्पनी अर्थात् पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) ने अन्तिमीकृत (जून 2015) किया था, की अनदेखी करते हुए, 1.25 लाख एकल फेज मीटरों के क्रय हेतु पूर्व के उच्चतर दरों पर आदेश जारी किया, जबकि कम्पनी एक नयी निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया (अगस्त 2015) में थी। सितम्बर 2015 में खोली गयी इस निविदा में ₹ 762 प्रति मीटर की दर न्यूनतम पायी गयी।

इस प्रकार, 2.60 लाख एकल फेज मीटरों के क्रय हेतु घटते हुए, बाजार मूल्यों का फायदा उठाने के लिए, नयी निविदा आमंत्रित करने के बजाय पूर्व के दरों पर पूरक आदेश जारी किये जाने से मीटरों को उच्च दरों पर क्रय करना पड़ा और कम्पनी को अंततः ₹ 1.86 करोड़⁴ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि कम्पनी ने अपने सहयोगी कम्पनी (पीवीवीएनएल) द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिये जाने के पूर्व ही अपनी निविदा को अन्तिमीकृत किया था। उत्तर मुद्दे से सम्बन्ध नहीं रखता था क्योंकि कम्पनी मीटरों के घटते मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखने में असफल रही, जो कि पूरक आदेश जारी करते समय अन्तिमीकृत की गयी न्यूनतम पायी गयी निम्नतर दरों से प्रमाणित हो रहा था।

⁴ [1,35,000 एकल फेज मीटर X ₹ 52 प्रति मीटर] + [1,25,000 एकल फेज मीटर X ₹ 93 प्रति मीटर] = ₹ 1.86 करोड़।

गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त मीटर के प्रतिस्थापन में विफलता

2.3.8 वर्ष 2015–16 तक एमएम अनुभाग के द्वारा किये गए मीटरों के क्रय के अनुबंधों के नियम और शर्तों के अनुसार निर्माता मीटर की आपूर्ति से 66 महीने की अवधि या मीटरों के स्थापन की तिथि से 60 महीने के भीतर, जो भी पहले हो, में पाए गए दोषपूर्ण/अकार्यशील मीटर को बदलने की गारंटी देगा।

लेखापरीक्षा ने चयनित ईटीडी में देखा कि ₹ 2.44 करोड़⁵ मूल्य के 20,525 एकल फेज मीटर और 2,932 तीन फेज मीटर (**परिशिष्ट-2.3.4**) वर्ष 2007–08 से वर्ष 2013–14 के दौरान उपभोक्ताओं के परिसर से निकाले गए और इन मीटरों को “नो डिस्प्ले” कमी के कारण दोषपूर्ण घोषित किया गया। मीटर पाँच साल की गारंटी अवधि के भीतर दोषपूर्ण पाये गये थे लेकिन ईटीडी ने किसी भी आपूर्तिकर्ता फर्मों से दोषपूर्ण मीटरों को बदलने की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.44 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि मीटर बाहरी कमी से क्षतिग्रस्त हुए थे और दोषपूर्ण मीटर की लागत उपभोक्ताओं पर भारित कर दिया गया था। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने केवल उन्हीं मीटरों को शामिल किया था जो आंतरिक कमी की वजह से दोषपूर्ण हुए थे एवं गारंटी अवधि के अंतर्गत थे। अग्रेतर, उपभोक्ताओं से इन दोषपूर्ण मीटर की लागत की वसूली उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ था। इसलिए, उपभोक्ताओं पर इन मीटरों की लागत को भारित करने के बजाय इन दोषपूर्ण मीटरों को फर्मों से बदलना चाहिए था।

मीटरों का अप्रयुक्त पड़े रहना

2.3.9 कम्पनी ने ₹ 1.84 करोड़ मूल्य के 24,011 स्थिर एकल फेज मीटर एवं ₹ 4.59 करोड़ मूल्य के 23,742 तीन फेज मीटर वर्ष 2002 से 2005 के दौरान क्रय किये। इसी दौरान, यू पी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (होल्डिंग कम्पनी) ने निर्देशित किया (सितम्बर 2004) कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर स्थापित किये जाएं; इसलिए, इन मीटरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका और ये मीटर ईएसडी में पड़े रहे।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि कम्पनी ने 10 से अधिक वर्षों के बीतने के बाद भी इस तरह के मीटर के वैकल्पिक उपयोग करने, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों, जहां बिना मीटर के संयोजन भारी संख्या में मौजूद थे और तदर्थ बिलिंग की जा रही थी, में इसकी स्थापना आदि के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया। इस प्रकार, इन मीटरों के वैकल्पिक प्रयोग के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने में विफलता की वजह से दस साल से अधिक अवधि के बीतने के बाद भी ये मीटर अप्रयुक्त बने रहे और परिणामस्वरूप ₹ 6.43 करोड़ का कोष अवरुद्ध रहा।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि मीटर पुरानी तकनीक के कारण उपयोग नहीं किये जा सके। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रबंधन ने दस वर्ष बीत जाने के बाद भी इन मीटरों के निस्तरण/वैकल्पिक उपयोग के लिए कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारणों को निर्दिष्ट नहीं किया।

मीटरों के परिवर्तनीय कवर क्रय न किये जाने से हानि

2.3.10 कम्पनी एकल और तीन फेज मीटरों को कवर के साथ क्रय करती रही है। मीटर की स्थापना के समय, कवर बंद कर दिया जाता है और फिर यह अलग न करने योग्य हो जाता है। यदि किसी भी कारण से केबिल मीटर से अलग हो जाता है, तो केबिल कनेक्ट करने के लिए कवर को तोड़ना पड़ता है और मीटर को प्रयोग में लाने हेतु एक नए मीटर कवर की आवश्यकता होती है।

⁵ एकल फेज मीटर = 20,525 x ₹ 855 प्रति मीटर = ₹ 1.76 करोड़। तीन फेज मीटर = 2,932 x ₹ 2327.76 प्रति मीटर = ₹ 0.68 करोड़।

क्षतिग्रस्त कवरों हेतु प्रतिस्थापन मीटर कवरों का क्रय न किये जाने से कम्पनी को मीटरों के कार्यात्मक दशा में होने के बावजूद, 3,03,038 एकल/तीन फेज मीटरों के प्रतिस्थापन पर ₹ 21.64 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा

लेखापरीक्षा ने संज्ञान लिया कि कम्पनी ने वित्त वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 2,92,398 एकल फेज और 10,640 तीन फेज मीटर निकाले और इनके कार्यात्मक दशा में होने के बावजूद इन्हें दोषपूर्ण करार दे दिया क्योंकि प्रतिस्थापन योग्य कवर कम्पनी द्वारा नहीं खरीदा जा रहा था। हालांकि, कम्पनी ने अक्टूबर 2015 से प्रतिस्थापन योग्य कवर का क्रय प्रारंभ कर दिया।

इस प्रकार, प्रतिस्थापन योग्य मीटर कवर के क्रय न किये जाने के कारण कम्पनी को 3,03,038 एकल/तीन फेज मीटर के प्रतिस्थापन पर ₹ 21.64 करोड़ का परिहार्य व्यय (प्रतिस्थापन योग्य कवर लगाने के ₹ 6.12 करोड़ के खर्च को समायोजित करने के पश्चात) करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि प्रतिस्थापन योग्य मीटर कवर क्रय किये गये थे और इस तरह से हटाये गए मीटरों में इन प्रतिस्थापन योग्य मीटर कवरों का प्रयोग करके उपयोग में लाया जा रहा था। उत्तर इस मुद्दे पर कुछ नहीं था कि अक्टूबर 2015 तक दोषपूर्ण मीटरों हेतु प्रतिस्थापन योग्य मीटर कवरों का क्रय क्यों नहीं किया गया।

मीटरों की स्थापना, प्रतिस्थापन और परीक्षण

2.3.11 उपभोक्ताओं के परिसर में मीटरों की स्थापना और दोषपूर्ण मीटरों का नये मीटरों से प्रतिस्थापित करने का कार्य ईडीडी की सलाह पर ईटीडी द्वारा किया जाता है। मीटरों की स्थापना और प्रतिस्थापन के संबंध में कमियों की अग्रेतर प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

वितरण परिवर्तकों पर मीटरों की स्थापना

2.3.12 यूपीईआरसी ने वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) को चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए और लाइन हानियों को कम करने के उद्देश्य से सुधारात्मक कदम उठाने के लिए वितरण परिवर्तकों (डीटी) पर मीटर स्थापित करने के लिए निर्देशित किया (2012)। डीटी पर मीटर के संबंध में पायी गयी कमियों की नीचे चर्चा की गयी है :

- चयनित परीक्षण खण्डों में 26,133 डीटी में से 17,846 डीटी (68 प्रतिशत) मार्च 2016 के अंत तक बिना मीटर के थे, जिसने यह इंगित किया कि कम्पनी द्वारा लाइन हानियों को कम करने के उद्देश्य से यूपीईआरसी के आदेश का पालन करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए थे।

- 8,287 डीटी, जहां मीटर स्थापित किया गया था, में से केवल 468 डीटी (छः प्रतिशत) की मासिक रीडिंग ली जा रही थी और शेष 7,819 मीटरों के संबंध में मीटर रीडिंग और इन रीडिंग के उपयोग करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। इस प्रकार, 7,819 मीटरों की स्थापना पर किये गए ₹ 1.54 करोड़ के व्यय का कोई भी परिणाम नहीं निकला।

प्रबंधन ने इस मुद्दे पर कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

डबल मीटरिंग प्रणाली में कमियां

2.3.13 यूपीपीसीएल ने डिस्कॉम्स को उपभोक्ता के परिसर (10 केवीए एवं अधिक के भार वाले) में स्थापित मीटर (मुख्य मीटर) की रीडिंग की शुद्धि सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मीटर के अलावा परिसर के बाहर एक मीटर (डबल मीटर के रूप में) स्थापित करने का निर्देश दिया (अगस्त 2005)।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि मार्च 2016 के अंत तक चयनित ईटीडी के कुल 5,135 उपभोक्ताओं (10 केवीए और ऊपर के भार वाले) में से 4,208 उपभोक्ताओं (82 प्रतिशत) के लिए डबल मीटर स्थापित किया गया था। हालांकि, मीटर रीडिंग केवल

2,955 उपभोक्ताओं (70 प्रतिशत) के लिए लिया जा रहा था। इसलिए, लाइन हानियों/ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए डबल मीटर की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि डबल मीटरिंग का कार्य प्रगति पर था। उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट था कि डबल मीटरिंग का कार्य अब तक (अगस्त 2016) पूरा नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रबंधन ने सभी उपभोक्ताओं, जहां डबल मीटर स्थापित किया गया था, के रीडिंग नहीं लेने कारण प्रस्तुत नहीं किया।

दोषपूर्ण मीटरों का धीमी गति से प्रतिस्थापन

2.3.14 आपूर्ति संहिता का उपवाक्य 5.6 (सी) (ii) उल्लिखित करता है कि लाइसेंसधारी द्वारा मीटर दोषपूर्ण पाये जाने के प्रकरण में, मीटर को एक नया मीटर से 15 दिनों के भीतर प्रतिस्थापित किया जाएगा और एक तदर्थ बिल पिछले तीन बिलिंग चक्र की औसत खपत के आधार पर जारी किया जाएगा। हालांकि, तदर्थ बिलिंग एक बार में दो बिलिंग चक्र से अधिक बार बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि चयनित ईडीडी में एल.एम.वी.-1, 2 एवं 6 श्रेणी के उपभोक्ताओं के 38,845 मीटर मार्च 2012 के अंत में दोषपूर्ण पाये गये थे जो मार्च 2016 के अंत में बढ़कर 77,587 हो गये। दोषपूर्ण मीटरों के धीमी गति से प्रतिस्थापन का मुख्य कारण मीटर का अपर्याप्त क्रय था जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.3.5 में की गई है। इस तथ्य ने यह इंगित किया कि कम्पनी आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार दोषपूर्ण मीटरों का समय पर प्रतिस्थापन करने और तदर्थ बिलिंग को रोकने में विफल रही।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि कर्मचारियों की कमी के कारण प्रतिस्थापन का काम नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मीटर के प्रतिस्थापन का कार्य बाहरी एजेंसियों को भी दिया गया था, इसलिए, कर्मचारियों की कमी मुद्दा नहीं था।

मीटर के प्रतिस्थापन की लागत का वसूल नहीं किया जाना

2.3.15 आपूर्ति संहिता के उपवाक्य 5.4 (सी) के अनुसार, यदि मीटर लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की जाती है, जिसमें कि इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर का प्रतिस्थापन किया जाना भी शामिल है, मीटर की लागत कास्ट डाटा बुक में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप वसूली जायेगी। चूँकि मीटर की स्थापना/प्रतिस्थापन का कार्य ईडीडी और बिलिंग का कार्य ईडीडी को सौंपा गया है, मीटर की लागत ईडीडी की सलाह पर ईडीडी द्वारा भारित किया जाना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि चयनित ईडीडी में 32,003 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर से प्रतिस्थापित किये गए थे। हालांकि, 32,003 मीटरों के सापेक्ष केवल 2,931 मीटरों की लागत ईडीडी के द्वारा वसूल की गयी क्योंकि ईडीडी ने शेष 29,072 प्रतिस्थापित मीटरों की लागत की वसूली के लिए ईडीडी को सलाह जारी नहीं किया था। इस प्रकार, ईडीडी द्वारा संदेश जारी किये जाने की विफलता के कारण, 29,072 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों के प्रतिस्थापन के संबंध में ₹ 3.34 करोड़⁶ की वसूली उपभोक्ताओं से नहीं की जा सकी।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि प्रणाली में सुधार के लिए विभाग द्वारा इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर बदला गया था और ऐसे प्रकरण जहाँ मीटर दोषपूर्ण पाए गए, मीटर लागत प्रभारित किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर के प्रतिस्थापन की लागत उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना था।

नये इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से प्रतिस्थापित 32,003 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों में से, केवल 2,931 मीटरों की लागत वसूल की गयी

⁶ 29072 x ₹1150 प्रति मीटर लागत = ₹ 3.34 करोड़।

मीटरों का आवधिक निरीक्षण

2.3.16 आपूर्ति संहिता का उपचाक्य 5.5, मीटर की शुद्धि का अनुश्रवण करने एवं लाइन हानियों को रोकने के लिए एकल फेज मीटर का पांच वर्ष में एक बार, तीन फेज एलटी मीटर का दो वर्ष में एक बार और एचटी मीटर का प्रत्येक वर्ष निरीक्षण किये जाने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि चयनित ईटीडी ने, वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान, मीटरों की आवधिक परीक्षण की अपेक्षित संख्या 3,22,367 एकल फेज, 36,669 तीन फेज एलटी मीटर और 5,245 एचटी मीटर के सापेक्ष क्रमशः 841 (0.26 प्रतिशत), 444 (1.21 प्रतिशत) और 1,451 (27.66 प्रतिशत) की जाँच की गयी (परिशिष्ट 2.3.5)। इस तथ्य ने यह इंगित किया कि मीटर की शुद्धता जाँचने हेतु मीटरों की निगरानी किया जाना कम्पनी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, जबकि अत्यधिक लाइन हानियों को देखते हुए निरीक्षण तंत्र को कम्पनी द्वारा मजबूत बनाये जाने की जरूरत थी।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि कर्मचारियों की कमी के कारण उपभोक्ताओं के मीटर का आवधिक परीक्षण नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कर्मचारियों की कमी के मुद्दे को प्रबंधन द्वारा हल किया जाना चाहिए था।

वाह्य एजेंसियों द्वारा मीटरों का परीक्षण

2.3.17 कम्पनी के एमएम विंग ने यादव मेजरमेंट प्राइवेट लिमिटेड (वाईएमपीएल) उदयपुर को 1,00,000 एकल फेज मीटरों और 14,300 थ्री फेज मीटरों के परीक्षण/जाँच का कार्य क्रमशः ₹ 205 प्रति मीटर और ₹ 340 प्रति मीटर की दर पर आवंटित किया (जुलाई 2014)।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि :

यूपीईआरसी द्वारा मीटर की जाँच और परीक्षण के लिए निर्धारित दरों का विचार न किये जाने से कम्पनी को ₹ 1.96 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा

• यूपीईआरसी ने वर्ष 2013–14 के अपने टैरिफ आदेश में उपभोक्ता से मीटर की जाँच एवं परीक्षण के शुल्क के रूप में ₹ 50 वसूला जाना निर्धारित किया था। कम्पनी ने, हालांकि, यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित दर पर विचार किए बिना, निविदा को अंतिम रूप दे दिया और मीटर की जाँच एवं परीक्षण का कार्य वाईएमपीएल को एकल फेज मीटरों के लिए ₹ 205 प्रति मीटर (300 प्रतिशत) और 14,300 तीन फेज मीटरों के लिए ₹ 340 प्रति मीटर (580 प्रतिशत) की उच्च दरों पर आवंटित किया। वाह्य एजेंसी को आवंटित किये जाने वाले दरों को अंतिम रूप देते समय यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित दरों का विचार न किये जाने के कारण उल्लिखित नहीं किये गये। इस प्रकार, एजेंसी को कार्य आवंटित किये जाते समय यूपीईआरसी द्वारा मीटर परीक्षण के लिए निर्धारित दरों का विचार न किये जाने से कम्पनी को ₹ 1.96 करोड़⁷ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

• कम्पनी ने मार्च 2014 को 14.32 लाख मीटरयुक्त उपभोक्ताओं के सापेक्ष 1.14 लाख उपभोक्ताओं के मीटर परीक्षण का कार्य, उपभोक्ताओं के चयन किये जाने का कोई आधार निर्धारित किये बिना, आवंटित (जुलाई 2014) कर दिया। किसी भी आधार/कसौटी के अभाव में, वाईएमपीएल ने उपभोक्ताओं के मास्टर डाटा के आधार पर जांच हेतु स्वतः ही रेण्डम तरीके से उपभोक्ताओं का चयन कर लिया और 94 प्रतिशत मीटरों को सही बताया। अधिक सही मूल्यांकन के लिए, कम्पनी द्वारा फर्म को जांच किये जाने हेतु मानदंड, उपभोक्ता सूची या उच्च जोखिम वाले मीटरों/उपभोक्ताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए था।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क नए मीटरों की जाँच के लिए थे, जिसकी तुलना उपभोक्ताओं के परिसर में पहले से स्थापित मीटरों के

⁷ एकल फेज मीटर की उच्चतर दर = 1,00,000 x उच्चतर दर ₹ 155 = ₹ 1.55 करोड़।

एकल फेज मीटर की उच्चतर दर = 14,300 x उच्चतर दर ₹ 290 = ₹ 0.41 करोड़।

परीक्षण के लिए आवंटित दरों के साथ नहीं की जा सकती थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ आदेश में मीटर की जाँच और परीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क केवल नए मीटर के जाँच और परीक्षण के लिए ही लागू नहीं था।

मीटर रीडिंग और बिल जारी करना

2.3.18 एक प्रभावी मीटरिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है, ऊर्जा की वास्तविक खपत का लेखा—जोखा और सही मीटर रीडिंग के अनुसार मासिक बिल का जारी किया जाना। कम्पनी विभागीय कर्मचारियों और बाहरी एजेंसियों के माध्यम से मीटर रीडिंग का काम करती रही है। मीटर रीडिंग और बिल जारी किये जाने से संबंधित कमियों की नीचे चर्चा की गयी है :

मीटरयुक्त उपभोक्ताओं की तदर्थ बिलिंग के दृष्टान्तों की अधिकता

2.3.19 आपूर्ति संहिता के उपवाक्य 5.6 और 6.2 उल्लिखित करते हैं कि मीटर दोषपूर्ण पाए जाने की दशा में या जब मीटर रीडिंग उपलब्ध/सुलभ नहीं हो तो अनंतिम बिलिंग दो से अधिक बिलिंग चक्र से ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए ताकि अनंतिम बिलिंग को कम से कम किया जा सके।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 12 ईडीडी में घरेलू (एलएमवी–1), वाणिज्यिक (एलएमवी–2) और छोटे और मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं (एलएमवी–6) के संबंध में मीटर रीडिंग के आधार पर और तदर्थ आधार पर बिलिंग की स्थिति परिशिष्ट–2.3.6 में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि दोषपूर्ण और नहीं उपलब्ध/नहीं सुलभ मीटर के आधार पर की गयी अनंतिम बिलिंग अत्यधिक थी जो वर्ष 2011–12 में 2,32,323 मीटरयुक्त उपभोक्ताओं के सापेक्ष 93,002 (40 प्रतिशत) था, जो 2015–16 में बढ़कर 4,43,703 मीटरयुक्त उपभोक्ताओं के सापेक्ष 2,06,298 (46 प्रतिशत) हो गया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई ऊर्जा की वास्तविक खपत के आधार पर उपभोक्ताओं की बिलिंग वर्ष 2011–12 के कुल 5,54,291 (मीटरयुक्त एवं गैर मीटरयुक्त) उपभोक्ताओं और 2015–16 के कुल 6,80,419 (मीटरयुक्त एवं गैर मीटरयुक्त) उपभोक्ताओं के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में 25.13 प्रतिशत और 2015–16 में 34.89 प्रतिशत तक कम था। कम्पनी द्वारा तदर्थ बिलिंग के दृष्टान्त की अधिकता, मीटरों के पर्याप्त क्रय एवं अनुश्रवण की विफलता का संकेत था। इसके अतिरिक्त, यह वास्तविक खपत के आधार पर उपभोक्ताओं की सही बिलिंग किये जाने के आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का भी उल्लंघन था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2016) एवं कहा कि दोषपूर्ण मीटर के प्रतिस्थापन का काम प्रगति पर था।

उच्चतर दर पर कार्य का आवंटन

2.3.20 कम्पनी के एमएम अनुभाग ने ईडीसी इटावा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, ईयूडीसी अलीगढ़ और ईयूडीसी मथुरा के क्षेत्रों में हैंडहेल्ड मशीनों के माध्यम से घर-घर मीटर रीडिंग किये जाने और बिल जारी करने का काम आवंटित करने के लिए क्षेत्रवार खुली निविदाएं आमंत्रित किया (नवंबर 2012)। फर्मा को मई 2013 से अगस्त 2013 के दौरान एलओआई जारी किए गये थे।

निविदाओं के आमंत्रण, इनका अन्तिमीकरण एवं दरों के आवंटन का विवरण तालिका 2.3.3 में सारांशीकृत है :

तालिका 2.3.3
कार्यों के आवंटन के विवरण

क्रम संख्या	मण्डल के नाम	निविदाओं के आमंत्रण की तिथि	प्राइस बिड खोलने की तिथि	एलओआई जारी करने की तिथि	निविदित मात्रा (संख्या में)	आवंटित दर (₹ प्रति इकाई)	अतिरिक्त व्यय (₹ में)
1	ईडीसी इटावा	10.11.12	27.02.13	08.08.13	—	6.23 (निम्नतम दर)	—
2	ईडीसी हाथरस	27.12.12	07.03.13	15.05.13	2937600	8.40	6374592
3	ईडीसी मथुरा	08.12.12	07.03.13	31.07.13	2712600	8.50	6157602
4	ईडीसी अलीगढ़	10.11.12	27.02.13	19.08.13	711000	8.50	1613970
5	ईयूडीसी अलीगढ़	10.11.12	27.02.13	29.08.13	3594924	8.50	8160477
6	ईयूडीसी मथुरा	10.11.12	07.03.13	31.07.13	2987532	7.95	5138623
	योग				12943656		27445264

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सभी मंडलों में कार्य की व्यापकता एक समान ही थी लेकिन ईडीसी इटावा को आवंटित ₹ 6.23 प्रति इकाई की निम्नतम दर की तुलना में अन्य मंडलों की दरें 28 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक अधिक थीं। एमएम अनुभाग ने, तथापि, निविदाओं का मूल्यांकन करते समय दरों की अंतर-मंडल तुलना नहीं की ताकि कार्य मितव्यी दरों पर कराया जा सके।

इस प्रकार, एल-1 फर्मों के द्वारा उद्धृत दरों की अंतर-मंडल तुलना करने में और उनके साथ ईडीसी इटावा में आवंटित दरों (₹ 6.23 प्रति इकाई) के प्रकाश में मोल भाव करने में एमएम अनुभाग की विफलता के कारण कार्यों का आवंटन उच्च दरों पर हो गया। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान फर्मों द्वारा जारी किये गए 1,29,43,656 बिलों पर ₹ 2.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि बिलिंग की दरें वास्तव में विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र, उपभोक्ताओं के घनत्व आदि पर निर्भर करती हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ऊपर बताये गए कारणों को उच्च दरों पर कार्य आवंटित करते समय अभिलेखित नहीं किये गये। बल्कि, निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों की अंतर-मंडल तुलना न किये जाने से उच्च दरों पर कार्य आवंटित किया गया।

बिल जारी किये जाने के लिए ठेकेदार को अधिक भुगतान

2.3.21 घर-घर मीटर रीडिंग और बिल जारी करने का कार्य ईडीसी कानपुर के क्षेत्र में वैभु इन्काटेक प्राइवेट लिमिटेड को एवं ईडीसी इटावा व मैनपुरी के क्षेत्र में टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड को 36 महीने की अनुबंधित अवधि हेतु आवंटित (अगस्त 2013) किया गया।

अनुबंध के उपवाक्य 5.26.1 में उल्लिखित था कि फार्म को पूर्ण गतिविधि हेतु प्रति उपभोक्ता के हिसाब से भुगतान किया जाएगा एवं दोषपूर्ण मीटर या मीटर न लगे होने की दशा में मीटर रीडिंग के कार्य हेतु आवंटित दर (₹ 6.23 से ₹ 7 प्रति उपभोक्ता) के 50 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि छ: ईडीडी में कुल 54,11,228 उपभोक्ताओं में से 40,71,500 उपभोक्ताओं का अनंतिम आधार पर कम्पनियों द्वारा बिल बनाया गया था क्योंकि या तो उन उपभोक्ताओं के मीटर दोषपूर्ण थे या मीटर स्थापित नहीं किये गये थे। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, फर्मों को मीटर रीडिंग के लिए आवंटित दरों की आधी दरों पर भुगतान किया जाना चाहिए था। इन छ: ईडीडी ने फर्मों को पूरी दर से

एमएम अनुभाग द्वारा उद्धृत दरों की अंतर-मंडल तुलना न किये जाने से ₹ 2.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा

अनंतिम मीटर रीडिंग और बिल जारी करने हेतु फर्मों को पूरी दर से भुगतान किये जाने से ₹ 1.48 करोड़ का अधिक भुगतान हो गया

भुगतान कर दिया, जिसके फलस्वरूप 2013–14 से 2015–16 उन्हें ₹ 1.48 करोड़ (**परिशिष्ट 2.3.7**) का अधिक भुगतान हो गया।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि अधिक किया गया भुगतान फर्मों से वसूला जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि फर्मों को किये गए अधिक भुगतान की वसूली अभी तक (अक्टूबर 2016) नहीं हो पायी थी।

एलएमवी-7 के अन्तर्गत मीटरयुक्त उपभोक्ताओं के बिलिंग में कमी

2.3.22 ईडीडी के द्वारा टैक टाइप स्टैंड पोस्ट (टीटीएसपी) के विभिन्न संयोजन (2 किलोवाट प्रति संयोजन) वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान जारी किये गए थे। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि :

- चार ईडीडी में 2,708 उपभोक्ता थे जिन्हें शहरी शेड्यूल से आपूर्ति प्राप्त हो रही थी। इन उपभोक्ताओं को मीटरयुक्त उपभोक्ताओं की श्रेणी में दिखाया गया था लेकिन इन पर मीटर स्थापित नहीं थे। मीटर स्थापित न किये जाने से उपभोक्ताओं को अप्रैल 2014 से मार्च 2016 के दौरान 100 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के आधार पर अनन्तिम बिल जारी किया जा रहा था। कम्पनी ने दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी इन 2,708 उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर स्थापित करने की कोई कार्यवाही नहीं की जिससे वास्तविक उपभोग के आधार पर सही बिल जारी किया जा सके और राजस्व वसूली की जा सके।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि टीटीएसपी उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटरयुक्त श्रेणी में की जा रही थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मीटरयुक्त श्रेणी में बिलिंग तदर्थ यूनिटों के आधार पर की जा रही थी क्योंकि मीटर स्थापित नहीं थे।

- ईडीडी औरैया में टीटीएसपी के 161 मीटरयुक्त उपभोक्ता वर्ष 2013–14 में उर्जीकृत किये गए थे लेकिन इन उपभोक्ताओं का पंजीकरण एवं बिलिंग अभी तक (मार्च 2016) शुरू नहीं हो पायी थी। परिणामस्वरूप, कम्पनी को 2014–15 और 2015–16 के दौरान ₹ 50.77 लाख के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार (जुलाई 2016) किया एवं कहा कि ईडीडी औरैया के इन उपभोक्ताओं का पंजीकरण और बिलिंग किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर थी।

निजी नलकूप उपभोक्ताओं का नगरीय आपूर्ति के बजाय ग्रामीण आपूर्ति की दरों पर बिलिंग

2.3.23 निजी नलकूप (पीटीडब्ल्यू) उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची एलएमवी-5 ग्रामीण शेड्यूल⁸ से आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं एवं अन्य शहरी शेड्यूल (मीटरयुक्त आपूर्ति) से आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दर प्रभार उल्लिखित करती थी। शहरी शेड्यूल से आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं पर प्रभारित किये जाने वाले दर, ग्रामीण शेड्यूल से आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित दर से अधिक था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि ईडीडी प्रथम और द्वितीय मैनपुरी के कार्यक्षेत्र में आने वाले 8,462 से 9,301 उपभोक्ता अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान शहरी शेड्यूल से आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। इन उपभोक्ताओं को ग्रामीण आपूर्ति की दर पर बिल किया गया जबकि इन उपभोक्ताओं को शहरी शेड्यूल पर लागू होने वाली दर से बिल किया जाना था।

परिणामस्वरूप, अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान इन उपभोक्ताओं का राजस्व निर्धारण ₹ 17.81 करोड़⁹ (**परिशिष्ट 2.3.8**) से कम किया गया।

⁸ ग्रामीण शेड्यूल का तात्पर्य होता है प्रतिविन दस घण्टे की सीमा की विद्युत आपूर्ति एवं यदि विद्युत आपूर्ति दस घण्टे से अधिक है तो नगरीय शेड्यूल को संज्ञान में लिया जायेगा।

⁹ ग्रामीण शेड्यूल और शहरी शेड्यूल पर लागू होने वाली दरों के अन्तर के आधार पर आगणित।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि मैनपुरी में उपभोक्ता अतिरिक्त आपूर्ति पा रहे थे लेकिन ग्रामीण पोषकों से। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपभोक्ता शहरी शेड्यूल से आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे अतः उपभोक्ताओं को दर सूची के अनुसार शहरी शेड्यूल के लिए लागू दरों के आधार पर ही बिल किया जाना चाहिए था।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा से निष्कर्ष निकला कि :

- कम्पनी ने विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नए संयोजन बिना मीटर की स्थापना के देना जारी रखा, परिणामस्वरूप 12.98 लाख (40.20 प्रतिशत) उपभोक्ता मार्च 2016 के अंत तक गैर मीटरयुक्त रहे;
- कम्पनी ने कई गैर मीटरयुक्त संयोजनों को काल्पनिक मीटर संख्या प्रदान करके मीटरयुक्त श्रेणी में भी सम्मिलित कर रखा था;
- कम्पनी ने 3.03 लाख कार्यशील मीटरों को मीटर कवर की कमी के कारण क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया और इन मीटरों के प्रतिस्थापन पर ₹ 21.64 करोड़ का परिहार्य व्यय किया;
- कम्पनी गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त ₹ 2.44 करोड़ के मीटरों को बदलने में असफल रही;
- कम्पनी ने मीटरों के क्रयादेश, मीटर परीक्षण का कार्य और मीटर रीडिंग का कार्य बिना प्रचलित बाजार मूल्यों जिनमें दर कम थे, को, ध्यान में रखकर आवंटित किया, जिसके कारण ₹ 6.56 करोड़ की हानि हुई;
- कम्पनी के द्वारा मीटरों के आवधिक निरीक्षण का कार्य निर्धारित मानकों के सापेक्ष 0.26 प्रतिशत से 1.21 प्रतिशत तक था, जो अत्यंत कम था, जिसके कारण दोषपूर्ण मीटरों की संख्या बढ़ गयी और तदर्थ बिलिंग के दृष्टान्तों की अधिकता थी; एवं
- मीटर रीडिंग और बिल जारी करने हेतु ठेकेदारों को अधिक भुगतान और निजी नलकूपों की अनुचित बिलिंग से कम्पनी को ₹ 22.03 करोड़ का नुकसान हुआ ।

संस्तुतियां

लेखापरीक्षा संस्तुत करता है कि :

- कम्पनी को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप शत-प्रतिशत मीटरिंग करने के लिए मीटरों के क्रय की योजना बनानी चाहिए और तदनुसार क्रय किया जाना चाहिए ताकि सभी संयोजनों पर मीटर स्थापित किया जा सके;
- कम्पनी को मीटरों हेतु प्रतिस्थापन योग्य कवरों की पर्याप्त मात्रा क्रय की जानी चाहिए ताकि इस प्रकार के कवरों की कमी से मीटरों को दोषपूर्ण घोषित करने से बचा जा सके;
- कम्पनी को गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए मीटरों को वापस करने व प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए;
- कम्पनी को मीटरों के क्रय हेतु अतिरिक्त आदेश जारी करते समय और मीटर रीडिंग का कार्य आवंटित करते समय घटते हुए मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रहना चाहिए तथा दरों की अंतर-मंडल तुलना की जानी चाहिए, ताकि निम्नतर दरों का लाभ लिया जा सके;

- तदर्थ बिलिंग के दृष्टान्तों की अधिकता को रोकने और लाइन हानियों को कम करने के लिए मीटरों के आवधिक निरीक्षण हेतु तंत्र आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप मजबूत किया जाना चाहिए; एवं
- ठेकेदारों को किये गए अधिक भुगतानों को वसूला जाना चाहिए तथा राजस्व क्षति को बचाने के लिए निजी नलकूप उपभोक्ताओं की बिलिंग टैरिफ की लागू होने वाली दरों पर किया जाना चाहिए।

2.4 उत्तर प्रदेश जल निगम के निर्माण एवं परिकल्प सेवायें खण्ड द्वारा चयनित शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निर्माण पर लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.4.1 उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) का निगमन जून 1975 में एक सांविधिक निगम के रूप में उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 के अंतर्गत, राज्य में जल आपूर्ति एवं सीवरेज सेवाओं एवं उनसे संबंधित मामलों के विकास एवं नियमन के मूल उद्देश्य से किया गया था। निगम का प्रशासनिक नियंत्रण शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के पास है। निगम ने अपने कार्यों में विविधता लाने के उद्देश्य से ‘निर्माण एवं परिकल्प सेवायें’ (सी एण्ड डीएस) के नाम से एक वाणिज्यिक खंड की स्थापना अप्रैल 1989 में की। जीओयूपी ने जून 1991 में सी एण्ड डीएस को एक अनुमोदित निर्माण एजेंसी घोषित कर दिया गया। सी एण्ड डीएस की संगठनात्मक संरचना परिशिष्ट **2.4.1** में दी गई है।

भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अधिसूचित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम, 2000 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अपने क्षेत्रों में नगर निगम के कचरे के प्रबंधन एवं रखरखाव को विनियमित करने के लिए नामित किया गया। जीओआई ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 27¹ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं (एमएसडब्ल्यूएम) के निर्माण के लिए ₹ 419.61 करोड़ की स्वीकृति (सितम्बर 2006 से जनवरी 2011) प्रदान की। उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने उत्तर प्रदेश जल निगम को इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था नामित किया (दिसम्बर 2007)। निगम ने निर्णय लिया (मार्च 2008) कि इन परियोजनाओं का निष्पादन अपनी सी एण्ड डीएस खंड से कराया जायेगा।

सी एण्ड डीएस ने इन परियोजनाओं का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2008)। एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जीओयूपी, यूएलबी, सी एण्ड डीएस और विकासकर्ताओं की भागीदारी आवश्यक थी। विकासकर्ताओं के चयन के लिए जीओयूपी के अनुमोदन की आवश्यकता थी। एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि सम्बन्धित यूएलबी द्वारा प्रदान की जानी थी। सी एण्ड डीएस को निविदा आमंत्रित कर विकासकर्ताओं का चयन करना था, चयनित विकासकर्ताओं से अनुबन्ध करना एवं विकासकर्ताओं द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण करना था। विकासकर्ताओं को एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना था। सी एण्ड डीएस की एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में कोई भूमिका नहीं थी और उक्त कार्य संबंधित यूएलबी के पर्यवेक्षण में विकासकर्ताओं द्वारा की जानी थी। एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिका परिशिष्ट **2.4.2** में विस्तार से वर्णित है।

चूंकि एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन में सी एण्ड डीएस की भूमिका अति महत्वपूर्ण थी, इसलिए एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन में सी एण्ड डीएस के क्रियाकलापों को केन्द्रित कर, वर्तमान लेखापरीक्षा नवम्बर 2015 से मई 2016 के दौरान 2011–12 से 2015–16 की अवधि आच्छादित करते हुये, सम्पादित की गयी।

¹ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेस (यूआईजी) के अंतर्गत ₹ 241.60 करोड़ लागत की सात परियोजनायें (आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और वाराणसी), अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (यूआईडीएसएसएसटी) के अंतर्गत ₹ 169.03 करोड़ की 19 परियोजनाएं (अलीगढ़, बदायूं, बिलाया, बाराबंकी, बस्ती, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, लोनी, मैनपुरी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली और संभल) और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट स्कीम फॉर सेटेलाइट टाउन्स (यूआईडीएसएसटी) के अंतर्गत ₹ 8.98 करोड़ की एक परियोजना (पिलखुआ)।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह आंकलित करना था कि क्या विकासकर्ताओं के चयन के लिए अपनायी गयी बोली लगाने की प्रक्रिया निष्क्रिय, पारदर्शी थी एवं पीपीपी मॉडल पर परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में जीओयूपी द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया था; क्या निर्माण गतिविधियों का पर्यवेक्षण, पूँजी अनुदान की दावों की प्रक्रिया और अन्य क्रियाकलाप प्रभावी ढंग से एवं कुशलता पूर्वक किये गये थे; एवं क्या एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को निर्धारित सीमा के अन्दर पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा के अंतर्गत सी एण्ड डीएस मुख्यालय एवं कुल 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से उच्चतम व्यय के आधार पर चयनित 15 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं² के अभिलेखों की जांच की गयी। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनायी गयी पद्धति के अंतर्गत, 28 जनवरी 2016 को आयोजित प्रवेश बैठक में शीर्ष प्रबंधन को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या, लेखापरीक्षा के प्रश्नों को पूछना एवं एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण, सम्मिलित था। प्रबंधन और शासन के साथ 22 जुलाई 2016 को एक समापन बैठक आयोजित की गयी थी एवं प्रबंधन के उत्तर सितम्बर 2016 में प्राप्त हुये जो कि विधिवत विचार किये गये। शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

वित्तीय स्थिति

2.4.2 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का वित्त पोषण जीओआई, जीओयूपी और संबंधित यूएलबी द्वारा, 21 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं³ में 80:10:10 एवं छ: एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁴ में 50:20:30 के अनुपात में किया जाना था। निधियाँ जीओआई एवं जीओयूपी द्वारा संबंधित यूएलबी को अवमुक्त की गयी, जिसने अपना हिस्सा सम्मिलित करते हुये इसे सी एण्ड डीएस को अवमुक्त किया।

यूएलबी ने मार्च 2016 तक 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ₹ 419.61 करोड़⁵ के स्वीकृत लागत के सापेक्ष ₹ 364.38 करोड़⁶ सी एण्ड डीएस को अवमुक्त किया। सी एण्ड डीएस ने 31 मार्च 2016 तक 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त ₹ 364.38 करोड़ के सापेक्ष ₹ 307.57 करोड़ का व्यय किया। 31 मार्च 2016 तक ₹ 56.81 करोड़ की बचत/व्यय न किया गया शेष सी एण्ड डीएस के पास ही पड़ा था।

27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं और 15 प्रतिदर्श एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति चार्ट 2.4.1 में दर्शायी गयी है।


² आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, बाराबंकी, इटावा, फतेहपुर, झांसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली और पिलखुआ।

³ अलीगढ़, बदायूँ, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, लोनी, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सम्भल और पिलखुआ।

⁴ आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी।

⁵ जीओआई – ₹ 222.24 करोड़; जीओयूपी – ₹ 58.17 करोड़ और यूएलबी – ₹ 83.97 करोड़।

⁶ जीओआई – ₹ 266.18 करोड़; जीओयूपी – ₹ 65.13 करोड़ और यूएलबी – ₹ 88.30 करोड़।



जैसा कि चार्ट 2.4.1 से देखा जा सकता है, 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें जिनके लिए सी एण्ड डीएस द्वारा ₹ 364.38 करोड़ प्राप्त किये गये थे, में से ₹ 133.99 करोड़ व्यय करके केवल 11 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें⁷ पूरी की गयी, जिनके लिए ₹ 139.21 करोड़ प्राप्त हुये थे। पूर्ण एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के पूरा होने के दो से चार साल से अधिक बीतने के बाद भी, बचत ₹ 5.22 करोड़ जीओआई/जीओयूपी/यूएलबी को वापस करने के बजाय, सी एण्ड डीएस के पास पड़े हुये थे। मार्च 2016 तक शेष 16 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें⁸ जिन पर प्राप्त ₹ 225.17 करोड़ के सापेक्ष ₹ 173.58 करोड़ व्यय किये गये थे, स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात पाँच से नौ साल बीत जाने पर भी, अधूरी पड़ी थी।

इस प्रकार, 16 अधूरी परियोजनायें जिन पर ₹ 173.58 करोड़ निवेशित था अवरुद्ध/अलाभकारी पड़े थे और स्वीकृति प्राप्त होने के पाँच से नौ साल बीत जाने पर भी, इन 16 शहरों के 18.31 लाख टन नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान के एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

भौतिक स्थिति

2.4.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट⁹ (डीपीआर) के अनुसार डीपीआर की स्वीकृति के 12 महीनों के अन्दर एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें पूर्ण की जानी थीं। लेखापरीक्षा ने एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के पूर्ण होने में अत्याधिक विलम्ब, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का शुरू न होना, अधूरी एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का परित्याग और एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का अभी भी निर्माणाधीन होने का संज्ञान लिया जैसा कि प्रस्तर 2.4.9 से 2.4.12 में चर्चा की गयी है।


कुल 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं और घयनित 15 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं की भौतिक स्थिति चार्ट 2.4.2 में वर्णित है।

⁷ अलीगढ़, बाराबंकी, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और रायबरेली।

⁸ आगरा, इलाहाबाद, बदायूँ बलिया, बस्ती, फिरोजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, लोनी, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, पिलखुआ, सम्पल और वाराणसी।

⁹ एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के डीपीआर शाही विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था 'रीजनल सेन्टर फॉर अर्बन एण्ड एनवार्नमेन्टल स्टडीज' द्वारा तैयार किये गये थे।

चार्ट 2.4.2



जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, मार्च 2016 तक 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से 11 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें¹⁰ तीन से पाँच वर्ष से अधिक विलम्ब से पूर्ण हुई और शेष 16 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें¹¹ चार से आठ वर्षों से अधिक के विलम्ब से अभी तक अधूरी पड़ी थीं। 31 मार्च 2016 को अधूरी पड़ी एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं की भौतिक प्रगति तीन से 90 प्रतिशत के मध्य थी। 31 मार्च 2016 तक अधूरी 16 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से तीन एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें¹² भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण शुरू नहीं की जा सकीं, दो एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें¹³ अभी भी निर्माणाधीन थीं एवं 11 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं¹⁴ के कार्य विकासकर्ताओं द्वारा मध्य में ही छोड़ दिया गया था।

परियोजनावार स्वीकृत लागत, प्राप्त निधि, किया गया व्यय और भौतिक प्रगति का विवरण परिशिष्ट 2.4.3 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.4.4 सी एण्ड डीएस द्वारा एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

परामर्शदाताओं एवं विकासकर्ताओं का चयन

2.4.5 जीओयूपी ने राज्य में पीपीपी मॉडल पर परियोजनाओं के निष्पादन हेतु परामर्शदाताओं एवं विकासकर्ताओं का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से होना सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश (दिशानिर्देश 2007) तैयार किया (जून 2007) जिसमें राज्य में पीपीपी मॉडल पर परियोजनाओं के निष्पादन हेतु विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य की सरकारी एजेन्सियों द्वारा परामर्शदाताओं एवं विकासकर्ताओं के चयन के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वर्णित की गयी थी।

सी एण्ड डीएस, जिसे मार्च 2008 में कार्य सौंपा गया था, दिशानिर्देश 2007 के अनुसार योग्य परामर्शदाताओं एवं विकासकर्ताओं के निष्पक्ष चयन के लिए उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सी एण्ड डीएस ने पीपीपी मॉडल पर एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान दिशानिर्देश 2007 के प्रावधानों को

¹⁰ अलीगढ़, बाराबंकी, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और रायबरेली।

¹¹ आगरा, इलाहाबाद, बदायूँ, बलिया, बस्ती, फिरोजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, लोनी, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, पिलखुआ, सम्भल और वाराणसी।

¹² बस्ती, फिरोजाबाद और लोनी।

¹³ लखनऊ और पिलखुआ।

¹⁴ आगरा, इलाहाबाद, बदायूँ, बलिया, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, मेरठ, मिर्जापुर, सम्भल और वाराणसी।

बिना कारणों का उल्लेख किये, नजरअंदाज किया जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

परामर्शदाताओं के चयन में दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया

2.4.6 दिशानिर्देश 2007 के अनुसार, परामर्शदाताओं की नियुक्ति फीजिबिलिटी एवं प्री-फीजिबिलिटी के अध्ययन के लिए किया जाना था। पुनश्च, परामर्शदाताओं की नियुक्ति निजी विकासकर्ताओं के चयन में सहायता¹⁵ के लिए भी किया जाना था। परामर्शदाताओं का चयन, अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि:

- सी एण्ड डीएस ने 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना के लिये प्री-फीजिबिलिटी और फीजिबिलिटी अध्ययन करने हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति नहीं किया था। परिणामस्वरूप, पीपीपी मॉडल पर एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के क्रियान्वयन का लाभ एवं विकासकर्ताओं को वित्तीय सहायता (टिप्पिंग फीस और कैपिटल ग्रांट) के औचित्य और प्रमाणिकता का अध्ययन नहीं किया जा सका।

प्री-फीजिबिलिटी एवं फीजिबिलिटी के अध्ययन के अभाव में, विकासकर्ता के चयन के लिए अंतिम रूप दी जाने वाली बोली में भारी भिन्नतायें संज्ञान में आयीं जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

➤ विकासकर्ताओं द्वारा उद्धृत परियोजना लागत ₹ 3.98 लाख प्रति टन से ₹ 36.01 लाख प्रति टन के मध्य थी और विकासकर्ताओं द्वारा किया गया निवेश कुल परियोजना लागत का 13.54 से 72.18 प्रतिशत के मध्य था। पुनश्च, समान क्षमता के एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के मामलों में भी प्रति टन लागत और विकासकर्ता द्वारा किये गये निवेश में भारी भिन्नता थी जैसा कि तालिका 2.4.1 में वर्णित है।

तालिका 2.4.1

परियोजना लागत और विकासकर्ताओं द्वारा किये गये निवेश

परियोजना की क्षमता (टन प्रतिदिन)	एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के नाम	परियोजना लागत प्रति टन (₹ लाख में)	विकासकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले निवेश (कुल परियोजना लागत के प्रतिशत में)
30	बाराबंकी एवं मैनपुरी	18.97 एवं 30.01	26.36 एवं 67.35
55	फतेहपुर एवं बदायूँ	22.23 एवं 22.23	40.19 एवं 59.27
75	इटावा एवं सम्मल	14.68 एवं 16.30	64.21 एवं 57.67
280	गोरखपुर एवं मुरादाबाद	7.58 एवं 8.90	56.08 एवं 63.94
600	इलाहाबाद, वाराणसी एवं मेरठ	4.84, 7.74 एवं 7.74	48.62, 40.29 एवं 71.31

ज्ञात: एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सी एण्ड डीएस द्वारा विकासकर्ताओं के साथ किये गये अनुबच्च।

जैसा कि लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया, सी एण्ड डीएस द्वारा प्रति टन परियोजना लागत के लिए और विकासकर्ता द्वारा किये जाने वाले आवश्यक आनुपातिक निवेश के संबंध में कोई बैंचमार्क तय नहीं किये जाने के कारण ही परियोजना लागत में इतनी भिन्नता पायी गयी। प्री-फीजिबिलिटी एवं फीजिबिलिटी के आधार पर बैंचमार्क तय किये जाने थे, जो कि नहीं की गयी।

➤ दस एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के मामले में, कुल परियोजना लागत और विकासकर्ता एक ही थे लेकिन उनके द्वारा उद्धृत पूंजी अनुदान समान नहीं थे जैसा कि परिशिष्ट-2.4.4 में विस्तृत रूप से वर्णित है:

¹⁵ बोली अभिलेखों को बनाना, बोली प्रक्रिया और बोली मापदण्ड का अन्तिमीकरण, कन्सेशन एग्रीमेन्ट का प्रारूप बनाना आदि।

► तीन एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं¹⁶ के मामले में, सैनिटरी लैंडफिल के संचालन और रखरखाव की लागत ₹ 75 से ₹ 95 प्रति टन की दर से अनुमोदित किया गया था, जबकि अन्य चार¹⁷ समान एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में कोई संचालन एवं रखरखाव की लागत विकासकर्ता द्वारा नहीं मांगी गयी थी।

- सी एण्ड डीएस ने 19 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं¹⁸ के लिए विकासकर्ताओं के चयन में सहायता के लिए डेलॉयट टच तोहमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डेलॉइट) को परामर्शदाता नियुक्त किया जबकि आठ एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं¹⁹ में सी एण्ड डीएस ने अप्रैल से जुलाई 2008 के दौरान बिना परामर्शदाता की नियुक्ति के सीधे विकासकर्ताओं से बोली आमंत्रित किया।

चूंकि कि उपरोक्त आठ एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता नियुक्त नहीं किये गये थे, निविदा प्रक्रिया में विभिन्न कमियां पायीं गयीं यथा विकासकर्ताओं के चयन की पात्रता/योग्यता के मानदंड में वित्तीय आवश्यकता/पैरामीटर जैसे कि न्यूनतम निवल मूल्य, औसत टर्नओवर, शुद्ध नकदी स्रोत आदि, का निर्धारण नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, भाग लेने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय सुदृढ़ता का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, अनुबन्धों में कमियां थीं क्योंकि उनमें (i) एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में विकासकर्ताओं द्वारा किये गये निवेश के साक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही पूँजी अनुदान की अवमुक्ति; (ii) कुल किये गये पूँजीगत व्यय के साथ ही साथ विकासकर्ता द्वारा उद्धृत कुल परियोजना लागत के अनुपात में पूँजी अनुदान (सीजी) की अवमुक्ति; (iii) किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध की समाप्ति के मामले में दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व; और (iv) एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में संघ के चुने हुये बोलीदाताओं/सदस्यों के हितों के कम होने संबंधित प्रावधान नहीं थे। अनुबन्धों की कमियों के परिणामस्वरूप देय पूँजी अनुदान की स्वीकार्यता की जाँच किये बिना ही ₹ 51.16 करोड़ के पूँजी अनुदान अवमुक्त कर दिये गये, जैसा कि प्रस्तर 2.4.17 में चर्चा की गयी है।

- 19 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं²⁰ में परामर्शदाता के रूप में डेलॉइट के नियुक्ति के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। इसलिए, परामर्शदाता की नियुक्ति और देय पारिश्रमिक के नियम एवं शर्तों के साथ ही साथ कार्यक्षेत्र का जीओयूपी द्वारा मूल्यांकन नहीं हो सका।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि उन्हें दिशानिर्देश 2007 की जानकारी नहीं थी, इसलिए, परामर्शदाताओं के चयन में दिशानिर्देश 2007 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशानिर्देश 2007 को जून 2007 में सभी विभागों के प्रमुखों को वितरित कर दिया गया था, अतः, सी एण्ड डीएस को दिशानिर्देश 2007 के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए था।

विकासकर्ताओं के चयन में दिशानिर्देश के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया

2.4.7 दिशानिर्देश 2007 के अनुसार, पीपीपी परियोजनाओं पर विस्तृत अध्ययन के लिए प्रत्येक परियोजना के मसौदा अवधारणा के साथ ही साथ ब्राड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) पर कैबिनेट/अवस्थापना विकास विभाग (डीआईडी) से प्रारंभिक सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करनी थी। विकासकर्ताओं के चयन के लिए प्री-फीजिबिलिटी और फीजिबिलिटी अध्ययन के आधार पर बनी तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट

¹⁶ आगरा, कानपुर और मुजफ्फरनगर।

¹⁷ इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और रायबरेली।

¹⁸ इलाहाबाद, अलीगढ़, बदायूँ, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, फतेहपुर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, लोनी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पिलखुआ, सम्भल और वाराणसी।

¹⁹ आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, कानपुर, कन्नौज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर और रायबरेली।

²⁰ इलाहाबाद, अलीगढ़, बदायूँ, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, फतेहपुर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, लोनी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पिलखुआ, सम्भल और वाराणसी।

(टीईएफआर) अंतिम सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी। विकासकर्ताओं के चयन के लिए दो चरण वाली निविदा प्रक्रिया अपनायी जानी थी। पहले चरण में, सी एण्ड डीएस द्वारा तय किये गये पूर्व-योग्यता मानदंड के आधार पर भावी विकासकर्ताओं को शार्ट लिस्ट किया जाना था और दूसरे चरण में शार्ट लिस्टेड विकासकर्ताओं से विस्तृत तकनीकी और वित्तीय निविदा आमंत्रित किया जाना था। निविदाओं का मूल्यांकन जीओयूपी की पीपीपी निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाना था और समिति की अनुशंसाओं को कैबिनेट के समक्ष विकासकर्ताओं के चयन के लिए अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि:

- सी एण्ड डीएस द्वारा सभी 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें पीपीपी मॉडल पर बिना कैबिनेट/डीआईडी के सैद्धांतिक अनुमोदन के आरम्भ कर दी गयी। परिणामस्वरूप, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के पीपीपी मॉडल पर निष्पादित किये जाने की आवश्यकता और औचित्य का संभव विकल्पों के संदर्भ में कैबिनेट/डीआईडी द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया या उन्हें नहीं अवगत कराया गया।
- सी एण्ड डीएस ने, बिना कारण बताये, दो चरण वाली बोली प्रक्रिया के स्थान पर, एकल चरण वाली बाली प्रक्रिया अपनाते हुये 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए विकासकर्ताओं का चयन किया जिसमें कि वित्तीय एवं तकनीकी दोनों बोली साथ-साथ आमंत्रित किये गये थे। दो चरण वाली बोली प्रक्रिया प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करती है और सुनिश्चित करती है कि केवल उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया जाये जिनके पास पर्याप्त क्षमता एवं संसाधन है। एकल चरण बोली को अपनाना न केवल दिशानिर्देश 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन था बल्कि एक बड़ी संख्या में योग्य बोलीदाताओं के प्रतिभाग लेने के कारण जो सर्वोत्तम शर्तों के प्राप्त होने की संभावना थी, उससे समझौता था।
- सभी 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं की बोलियों का मूल्यांकन, पीपीपी निविदा मूल्यांकन समिति के बजाय सी एण्ड डीएस की निविदा समिति द्वारा किया गया। पुनर्श्च, विकासकर्ताओं के चयन का अंतिम अनुमोदन कैबिनेट से प्राप्त नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, विकासकर्ताओं के चयन के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया का औचित्य, विकासकर्ताओं के नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें और विकासकर्ता को वित्तीय सहायता (टिपिंग फीस और कैपिटल ग्रांट) का कैबिनेट से मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि उन्हें दिशानिर्देश 2007 की जानकारी नहीं थी, इसलिए, परामर्शदाताओं के चयन हेतु दिशानिर्देश 2007 में वर्णित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशानिर्देश 2007 को जून 2007 में सभी विभागों के प्रमुखों को वितरित कर दी गयी थी, अतः सी एण्ड डीएस को दिशानिर्देश 2007 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए था।

एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2.4.8 जीओआई/जीओयूपी द्वारा अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को डीपीआर की स्वीकृति की तिथि से 12 माह के अंदर पूर्ण करना था, जिसमें निविदा प्रक्रिया पूरा करने के लिए पाँच महीने भी शामिल थे। चयनित विकासकर्ताओं को कार्य प्रदान करने के पश्चात, सी एण्ड डीएस को विकासकर्ताओं द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण करना था और यह सुनिश्चित करना था कि एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण हो जाये। फिर भी, 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से कोई भी 12 माह की निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा विश्लेषण के अनुसार, विलम्ब के प्रमुख कारण थे, जीओयूपी द्वारा कार्यदायी संस्था के नामांकन में विलम्ब (आठ से 23 माह); निविदा के अंतिमीकरण में विलम्ब (तीन से 30 माह); भूमि प्राप्त होने में विलम्ब (दो से 55 माह) विकासकर्ता की ओर से कार्य निष्पादन में डिलाई (नौ से 34 माह) और विकासकर्ताओं द्वारा एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का परित्याग (26 से 44 माह²¹)।

15 चयनित एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के संबंध में परियोजनावार विलम्ब के कारण परिशिष्ट-2.4.5 में वर्णित हैं।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सी एण्ड डीएस का पर्यवेक्षीय ढांचा अप्रभावी था क्योंकि एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें असामान्य रूप से विलम्बित थीं, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के पूरा होने से विलम्ब

2.4.9 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से, केवल 11 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें²² ₹ 133.99 करोड़ की लागत पर तीन से पाँच वर्ष से अधिक के विलम्ब से पूर्ण हुईं। 11 पूर्ण हुई एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में आठ चुनी हुई एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें²³ सम्मिलित थीं जो तीन से पाँच वर्ष से अधिक के विलम्ब से पूर्ण हुईं और उन पर ₹ 115.78 करोड़ का व्यय हुआ था।

एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब होने के प्रमुख कारण थे, जीओयूपी द्वारा कार्यदायी संस्था के नामांकन में देरी (नौ से 23 महीने), एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने में विलम्ब और विकासकर्ताओं के चयन के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब (तीन से 23 महीने), यूएलबी द्वारा परियोजना स्थल देने में विलम्ब (पाँच से 17 महीने) और विकासकर्ताओं की ओर से कार्य को निष्पादित करने में डिलाई (नौ से 31 महीने)।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2016) कि विलम्ब उक्त कारणों से ही हुआ और आगे बताया कि एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें सी एण्ड डीएस के लिए नया होने और इसकी अनुभवहीनता के कारण भी विलम्ब हुआ।

एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के अभी तक शुरू न होने से अवरुद्ध कोष

2.4.10 तीन एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें²⁴, जिनके लिए ₹ 24.81 करोड़ का अनुमोदन (सितम्बर 2006 से जुलाई 2007) हुआ था, यूएलबी द्वारा एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें अनुमोदन से आठ से नौ महीने बीत जाने के बाद भी परियोजना स्थल उपलब्ध कराने में असफल होने के कारण, शुरू नहीं की जा सकी थीं।

सी एण्ड डीएस ने, यद्यपि अभी भी भूमि को उपलब्ध कराया जाना था, उपकरणों और वाहनों²⁵ के क्रय पर, प्राप्त धन ₹ 11.89 करोड़ में से ₹ 3.23 करोड़ व्यय कर दिया, जिसमें प्रारम्भिक व्यय ₹ 0.42 करोड़ सम्मिलित थे (मार्च 2010 से जुलाई 2011)। इस प्रकार, ₹ 3.23 करोड़ अवरुद्ध पड़ा रहा और अप्रयुक्त पड़े ₹ 8.66 करोड़ को सी एण्ड डीएस द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को वापस नहीं किया गया। पुनर्श्च, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के अभीष्ठ उद्देश्य जो कि प्रतिवर्ष 1.06 लाख टन एमएसडब्ल्यू का वैज्ञानिक रीति से निपटान करना था, प्राप्त नहीं किया जा सका।

²¹ छोड़े जाने के माह से।

²² अलीगढ़, बाराबंकी, इटावा, फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और रायबरेली।

²³ अलीगढ़, बाराबंकी, इटावा, फतेहपुर, कानपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और रायबरेली।

²⁴ बस्ती, फिरोजाबाद और लोनी।

²⁵ डम्पर प्लेसर्स, रिप्यूज कलेक्टर, कारकस ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली, बिन्स, कॉम्पैक्टर्स, जेसीबीज, कैटल लिपिटंग मशीन, डस्टपैन्स इत्यादि।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि भूमि प्राप्त करने का सतत प्रयास किया जा रहा था और भूमि उपलब्ध होते ही एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को शुरू कर दिया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के अनुमोदन के पश्चात आठ से नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी इस मामले को सी एण्ड डीएस द्वारा हल नहीं किया जा सका और एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

अधूरी परियोजनाओं के परित्याग के कारण निष्फल व्यय

2.4.11 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से, 13 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें²⁶ जिन पर मार्च 2016 तक ₹ 178.31 करोड़ व्यय किये जा चुके थे, अनुमोदन के पश्चात पाँच से नौ वर्षों से अधिक समय के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अभी तक (मार्च 2016) अधूरी पड़ी थीं। पूर्वोक्त 13 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से 11 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें²⁷, जिन पर ₹ 126.50 करोड़ व्यय हुये थे विकासकर्ताओं द्वारा परित्याग कर दिया गया।

11 परित्यक्त एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से, चयनित पाँच एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं²⁸ पर किये गये व्यय ₹ 99.54 करोड़ का ब्रेक अप तालिका 2.4.2 में विस्तृत है।

तालिका 2.4.2
चयनित एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं पर किये गये व्यय का ब्रेक अप

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	विकासकर्ता का नाम	मार्च 2016 तक का व्यय			योग
			सेनिटी लैण्डफिल एवं कम्पोस्ट प्लान्ट के निर्माण पर	उपकरणों और वाहनों के क्रय पर	अन्य विविध व्यय	
परित्यक्त परियोजनायें						
1	आगरा	हनजर बायोटेक एनरजीज़ प्रा० लि०, मुम्बई	11.47	3.84	7.03	22.34
2	इलाहाबाद	सुभाष प्रोजेक्ट्स एण्ड मार्केटिंग लि०, नई दिल्ली	13.62	13.55	2.34	29.51
3	झांसी	एपीआर प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०, हैदराबाद	4.74	1.13	0.21	6.08
4	मिर्जापुर	एटूजेड मेन्टेनेन्स एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा० लि०, गुडगांव	5.38	0.90	0.18	6.46
5	वाराणसी	एटूजेड मेन्टेनेन्स एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा० लि०, गुडगांव	14.80	17.54	2.81	35.15
योग			50.01	36.96	12.57	99.54

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सी एण्ड डीएस द्वारा भुगतान रोक देने एवं केवल विद्युत उत्पादन संयंत्र के निर्माण जो कि अनुबन्ध में वर्णित कार्यक्षेत्र का भाग नहीं था, के पश्चात भुगतान अवमुक्त करने के लिए आर्बाट्रेरी शर्त का अधिरोपण कर देने पर, छ: एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं²⁹ (दो चयनित एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें³⁰सहित) के विकासकर्ताओं द्वारा परित्याग कर दिया गया। अन्य तीन एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं³¹का परित्याग कर देने के प्रमुख कारण सी एण्ड डीएस/यूएलबी से पूंजी

²⁶ आगरा, इलाहाबाद, बदायूँ बलिया, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, पिलखुआ, सम्बल और वाराणसी।

²⁷ आगरा, इलाहाबाद, बदायूँ बलिया, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, मेरठ, मिर्जापुर, सम्बल और वाराणसी।

²⁸ आगरा, इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर और वाराणसी।

²⁹ बदायूँ बलिया, मेरठ, मिर्जापुर, सम्बल और वाराणसी।

³⁰ मिर्जापुर और वाराणसी।

³¹ आगरा, इलाहाबाद और झांसी।

अनुदान/टिपिंग फीस पर मतभेद और एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं होना था।

**विकासकर्ताओं द्वारा
11 एमएसडब्ल्यूएम
परियोजनाओं का
परित्याग करने से
₹ 126.50 करोड़
निष्फल रहा**

देय भुगतान को अवमुक्त करने हेतु आर्बाट्रेरी शर्त के अधिरोपण के कारण और विकासकर्ताओं के साथ विवाद को हल करने के लिए ठोस प्रयास नहीं करने के कारण, 11 परित्यक्त एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं पर हुआ व्यय, ₹ 126.50 करोड़ निष्फल रहा और 11 शहरों में 12.34 लाख टन एमएसडब्ल्यू का वैज्ञानिक रीति से निपटान नहीं हो सका जैसा कि योजना में परिकल्पित था।

निम्नलिखित तस्वीरें आगरा और वाराणसी में विकासकर्ताओं द्वारा मध्य में ही परित्याग कर दी गयी एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को दर्शाती हैं:

परित्यक्त कचरा निस्तारण सुविधा



प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि पाँच परित्यक्त परियोजनाओं में से, दो एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं (झांसी और आगरा) में पुनः निविदा आमंत्रित की गयी थी और अन्य दो एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं (वाराणसी और इलाहाबाद) में अन्य संचालक नियुक्त कर दिया गया था। तथ्य बरकरार रहा कि तीन एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं पर हुआ व्यय ₹ 34.87 करोड़ अभी भी निष्फल पड़ा रहा।

एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के अधूरा पड़े रहने के कारण निष्फल व्यय

2.4.12 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से, दो एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें (लखनऊ और पिलखुआ) जिन पर ₹ 51.81 व्यय हुआ था अभी भी (मार्च 2016) अधूरी पड़ी थीं और एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के अनुमोदन के पश्चात पाँच से नौ वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कार्य अभी प्रगति पर था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और पिलखुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा में आता है। इन परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने में सी एप्ड डीएस और जीओयूपी दोनों विफल रहे।

**दो अधूरी
एमएसडब्ल्यूएम
परियोजनाओं पर
किया गया व्यय
₹ 51.81 करोड़
निष्फल रहा**

एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के प्रमुख कारण थे, शासन द्वारा कार्यदायी संस्था के नामांकन में विलम्ब (नौ माह), एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन के तौर तरीकों के अंतिमीकरण में विलम्ब और विकासकर्ताओं के चयन के लिए निविदाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब (29 से 30 माह), यूएलबी द्वारा भूमि प्रदान करने में विलम्ब (20 से 32 माह) और विकासकर्ताओं द्वारा सौंपे गये कार्यों के निष्पादन में डिलाई (25 माह)। इस प्रकार, दोनों अधूरी एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं पर व्यय

किया गया ₹ 51.81 करोड़ मार्च 2016 तक निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, दोनों शहरों में 4.91 लाख टन एमएसडब्ल्यू का निपटान अभी भी अवैज्ञानिक रीति से हो रहा था जिससे एमएसडब्ल्यूएम योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

निम्नलिखित तस्वीरें एमएसडब्ल्यू के अवैज्ञानिक निपटान को दर्शाती हैं।

लखनऊ में बिना प्रोसेसिंग के इकट्ठा एमएसडब्ल्यू



प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि लखनऊ एमएसडब्ल्यूएम परियोजना का कार्य परीक्षण के आधार पर शुरू हो गया था और दिसम्बर 2016 से विकासकर्ता द्वारा पूर्ण रूपेण शुरू कर दिया जायेगा। पिलखुआ एमएसडब्ल्यूएम परियोजना के मामले में 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया गया था और अंतिम किश्त प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर परियोजना पूरी कर ली जायेगी। तथ्य बरकरार रहा कि दोनों एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को ₹ 51.81 करोड़ के व्यय के पश्चात भी सितम्बर 2016 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका।

विकासकर्ताओं के साथ हुये अनुबन्धों के प्रावधानों का कार्यान्वयन

2.4.13 सी एण्ड डीएस ने विकासकर्ताओं के साथ 24 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं (तीन एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें³² जहाँ भूमि उपलब्ध नहीं थी को छोड़कर) के निष्पादन के लिए अनुबन्ध किया। सी एण्ड डीएस की भूमिका विकासकर्ताओं के कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण और देख-रेख करना एवं अनुबन्धों के नियम एवं शर्तों के अनुसार पूंजी अनुदान (सीजी) अवमुक्त करना था। अनुबन्धों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

अतिरिक्त पूंजी अनुदान प्रदान करके विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ

2.4.14 लखनऊ एमएसडब्ल्यूएम परियोजना हेतु निष्पादित (अक्टूबर 2010) अनुबन्ध के पैरा 9.1 में, विकासकर्ता को कचरा प्रसंस्करण और निस्तारण की सुविधाओं के निर्माण एवं निर्धारित उपकरण/वाहन क्रय हेतु ₹ 42.92 करोड़ का पूंजी अनुदान (सीजी) अवमुक्त करने का प्रावधान था। एमएसडब्ल्यूएम परियोजना के निर्माण को पूर्ण करने के लिए कोई अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होने पर विकासकर्ता को उसे स्वयं के स्रोतों से वहन करना था।

³² बस्ती, फिरोजाबाद और लोनी।

अननुमत्य अतिरिक्त
पूँजी अनुदान
अवमुक्त करके
विकासकर्ता को
₹ 7.96 करोड़ का
अनुचित लाभ
पहुँचाया गया

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि, अनुबन्ध में कोई प्रावधान न होने के बावजूद ₹ 9.91³³ करोड़ के अतिरिक्त पूँजी अनुदान की स्वीकृति (अगस्त 2014) जीओयूपी द्वारा विकासकर्ता³⁴ को अनुचित रूप से अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, सैनिटरी लैंडफिल सुविधा एवं नगरीय ठोस कचरे के संग्रह, भंडारण और यातायात के लिए वाहन एवं उपकरण के लागत को आच्छादित करने हेतु की गयी। स्वीकृत अतिरिक्त पूँजी अनुदान ₹ 9.91 करोड़ में से, सी एण्ड डीएस ने मार्च 2016 तक ₹ 7.96 करोड़ विकासकर्ता को अवमुक्त किया था। इस प्रकार, विकासकर्ता को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करके अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि उचित भूमि के प्राप्त होने में विलम्ब और परियोजना स्थल के परिवर्तन के कारण परिवहन प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन के कारण एमएसडब्ल्यूएम परियोजना की लागत में हुयी वृद्धि को ध्यान में रखते हुये जीओयूपी ने ₹ 9.91 करोड़ का अतिरिक्त पूँजी अनुदान स्वीकृत किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबन्ध के अनुसार पूँजी अनुदान की राशि निर्धारित थी और लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाना था और न कि जीओयूपी द्वारा।

विकासकर्ताओं को पूँजी अनुदान का अधिक भुगतान

2.4.15 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें, सी एण्ड डीएस द्वारा विकासकर्ता को भुगतान किये जाने वाले पूँजी अनुदान एवं विकासकर्ताओं के माध्यम से निवेश अनुबन्ध में निर्धारित अनुपात में भुगतान करके वित्त पोषित की जानी थीं। इसलिये, सी एण्ड डीएस को विकासकर्ता द्वारा निष्पादित कार्य के अनुपात में ही पूँजी अनुदान अवमुक्त करना था।

फतेहपुर और मिर्जापुर एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के मामले में लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि विकासकर्ता ने ₹ 13.98 करोड़ का कार्य निष्पादित किया जिसके विरुद्ध ₹ 10.49 करोड़ का पूँजी अनुदान अवमुक्त किया जाना था। सी एण्ड डीएस के परियोजना प्रबंधक ने, फिर भी विकासकर्ताओं को ₹ 13.53 करोड़ के पूँजी अनुदान का भुगतान कर दिया (जनवरी 2011 से दिसम्बर 2013) जिसके फलस्वरूप विकासकर्ता को ₹ 3.04 करोड़ का अधिक भुगतान हो गया।

विकासकर्ताओं को समय से पूर्व पूँजी अनुदान की अवमुक्ति

2.4.16 पाँच एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं³⁵ के लिए निष्पादित (मार्च 2010 से फरवरी 2011) अनुबन्धों में, विकासकर्ता को पूँजी अनुदान का 15 प्रतिशत अनुबन्ध पर हस्ताक्षर के समय, 75 प्रतिशत मासिक दावा प्रस्तुत करने एवं 10 प्रतिशत व्यावसायिक संचालन आरम्भ होने के पश्चात, अवमुक्त करने का प्रावधान था। इस प्रकार, कुल अनुमोदित पूँजी अनुदान का 90 प्रतिशत रनिंग बिलों से भुगतान करना था और शेष 10 प्रतिशत एमएसडब्ल्यूएम परियोजना पूर्ण होने पर किया जाना था। अग्रेतर, निष्पादित अनुबन्ध (नवम्बर 2008) के अनुसार, आगरा एमएसडब्ल्यूएम परियोजना में अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा के निर्माण के लिए किए गये अनुबन्ध के अनुसार, प्रत्येक रनिंग बिल से पाँच प्रतिशत की दर से प्रतिभूति की कटौती की जानी थी जिसका भुगतान एमएसडब्ल्यूएम परियोजना के पूर्ण होने के तीन माह पश्चात करना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि उक्त पाँच एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के मामले में सी एण्ड डीएस ने किये गये कार्य के मूल्य का 90 / 95 प्रतिशत (₹ 0.34 करोड़ से ₹ 3.52 करोड़ तक) से अधिक का भुगतान समय से पूर्व कर दिया (फरवरी 2009 से

³³ संग्रह और परिवहन सेवाएँ: ₹ 1.56 करोड़ और कम्पोस्ट प्लान्ट और लैंडफिल का निर्माण: ₹ 8.35 करोड़।

³⁴ ज्योती इन्वॉयरोटेक प्राईवेट लिमिटेड।

³⁵ आगरा (एमएसडब्ल्यू के संग्रह और परिवहन के लिए उपकरणों और वाहनों की अधिप्राप्ति का समझौता) इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर और वाराणसी।

विकासकर्ताओं को ₹ 6.02 करोड़ का अनियमित पूंजी अनुदान अवमुक्त करने से ₹ 2.84 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया

दिसम्बर 2014), जिसके परिणामस्परुप मार्च 2016 तक विकासकर्ताओं को ₹ 6.02 करोड़ का समय से पूर्व भुगतान हो गया (परिशिष्ट-2.4.6)। समय से पूर्व पूंजी अनुदान के भुगतान से विकासकर्ताओं को ₹ 2.84 करोड़³⁶ (परिशिष्ट-2.4.6) के ब्याज का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि चार एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं से सम्बन्धित ₹ 4.95 करोड़ की वसूली बैंक गारण्टी से कर ली गयी थी। तथापि, उत्तर में ₹ 1.07 करोड़ के पूंजी अनुदान और ₹ 2.84 करोड़ के ब्याज की वसूली न करने का कारण नहीं बताया गया था।

विकासकर्ता द्वारा किये गये प्रतिबद्ध निवेश को सुनिश्चित किये बिना पूंजी अनुदान की अवमुक्ति

2.4.17 परियोजना लागत का वित्तपोषण जो कि सी एण्ड डीएस द्वारा अवमुक्त पूंजी अनुदान (शासकीय भार) और विकासकर्ता के निवेश से किया जाना था, जैसा कि अनुबन्ध में वर्णित था। इसलिए, सी एण्ड डीएस के लिए यह आवश्यक था कि ऐसी प्रणाली विकसित करे जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि विकासकर्ता एमएसडब्ल्यूएम परियोजना में अपने हिस्से का निवेश अवमुक्त किये जाने वाले पूंजी अनुदान के समान हो। लेखापरीक्षा में संज्ञान ली गयी इससे संबंधित कमियों की नीचे चर्चा की गयी है:

विकासकर्ताओं को देय पूंजी अनुदान की अनुमन्यता सुनिश्चित किये बिना ही ₹ 51.16 करोड़ का पूंजी अनुदान अवमुक्त कर दिया गया

- पाँच एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं³⁷ के लिए निष्पादित अनुबन्धों में, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में विकासकर्ताओं द्वारा निवेश किये गये राशि के साक्ष्य में दस्तावेज प्रदान करने की कोई शर्त सन्निहित नहीं थी जिससे उनके द्वारा वास्तव में किये व्यय के अनुपात में पूंजी अनुदान जारी किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, दोषपूर्ण अनुबन्धों के कारण, सी एण्ड डीएस ने विकासकर्ता को अवमुक्त की जाने वाली पूंजी अनुदान की अनुमन्यता सुनिश्चित किये बिना ₹ 51.16 करोड़ का पूंजी अनुदान अवमुक्त (सितम्बर 2008 से अक्टूबर 2013) कर दिया।

इटावा एमएसडब्ल्यूएम परियोजना के मामले में, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि अनुमन्य राशि ₹ 3.33 करोड़ (विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाणपत्र के अनुसार आगणित) के विरुद्ध ₹ 3.83 करोड़ का पूंजी अनुदान अवमुक्त कर दिया गया (दिसम्बर 2008 से मार्च 2013), जिसके परिणामस्परुप ₹ 0.50 करोड़ के पूंजी अनुदान की अधिक अवमुक्ति और विकासकर्ता को अनुचित लाभ हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि कथित पाँच एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित करते समय, विकासकर्ता के हिस्से का निवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान, अनुभव की कमी के कारण अनुबन्ध में शामिल नहीं किया जा सका। तथ्य बरकरार रहा कि त्रुटिपूर्ण अनुबन्धों के कारण, विकासकर्ताओं के निवेश को सुनिश्चित किये बिना पूंजी अनुदान अवमुक्त किया गया।

देय पूंजी अनुदान की अनुमन्यता के आंकलन हेतु आवश्यक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ₹ 186.35 करोड़ का पूंजी अनुदान अवमुक्त किया गया

- 12 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं³⁸ के क्रियान्वयन हेतु निष्पादित समझौतों में प्रावधान था कि पूंजी अनुदान के मासिक दावे के साथ, कुल किये गये व्यय और भुगतान को प्रमाणित करते हुये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाणपत्र होना चाहिए। यह आगे प्रावधानित करता था कि पूंजी अनुदान, विकासकर्ताओं को किये गये व्यय के साथ-साथ परियोजना लागत के अनुपात में अवमुक्त की जायेगी।

³⁶ ठेकेदारों को दिये अग्रिम पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आगणित ब्याज दर जो कि अन्य सरकारी निर्माण संस्थाओं द्वारा प्रभारित किया जाता है।

³⁷ आगरा, कानपुर, इटावा, मुजफ्फरनगर और रायबरेली।

³⁸ आगरा (एमएसडब्ल्यू के संग्रह और परिवहन के लिए उपकरणों और वाहनों की अधिप्राप्ति का समझौता) इलाहाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर, झांसी, कानपुर (एमएसडब्ल्यू के संग्रह और परिवहन के लिए उपकरणों और वाहनों की अधिप्राप्ति का समझौता) लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पिलखुआ और वाराणसी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 10 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं³⁹ के मामलों में ₹ 186.35 करोड़ का पूंजी अनुदान, विकासकर्ताओं को अवमुक्त किये जाने वाले पूंजी अनुदान की अनुमन्यता के आंकलन हेतु आवश्यक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाणपत्र को प्राप्त किये बिना अवमुक्त कर दिये गये (अप्रैल 2010 से अगस्त 2015)।

लखनऊ और मुरादाबाद की एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के मामले में, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाणपत्र के अनुसार गणना किये गये पूंजी अनुदान की अनुमन्य राशि ₹ 50.94 करोड़ के विरुद्ध ₹ 54.06 करोड़ अवमुक्त किये गये (मई 2010 से अगस्त 2015)। इसके परिणामस्वरूप, विकासकर्ताओं को ₹ 3.12 करोड़ का पूंजी अनुदान अधिक अवमुक्त हुई एवं विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि संबंधित परियोजना प्रबंधक के दोष/अनभिज्ञता के कारण, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये, फिर भी, किये गये कार्य के वास्तविक माप के आधार पर ही सभी भुगतान किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सी एण्ड डीएस ने केवल पूंजी अनुदान के भाग के किये गये कार्य के माप के आधार पर पूंजी अनुदान अवमुक्त किया था न कि समग्र कार्य के माप के आधार पर। इसके अतिरिक्त, यह अनुबन्धों के प्रावधानों का भी उल्लंघन था।

समग्र कार्य का माप किये बिना पूंजी अनुदान की अवमुक्ति

2.4.18 परियोजना लागत का वित्त पोषण सी एण्ड डीएस द्वारा अवमुक्त पूंजी अनुदान (शासन अंश) एवं अनुबन्धों में वर्णित अनुपात में विकासकर्ताओं के निवेश के माध्यम से होना था। इसलिये, सी एण्ड डीएस के लिए यह अनिवार्य था कि पूंजी अनुदान को अवमुक्त करने से पूर्व समय—समय पर विकासकर्ता द्वारा निष्पादित समस्त कार्य का माप करे (शासन का अंश और विकासकर्ता के निवेशित अंश के विरुद्ध)।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 12 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁴⁰ के मामले में, सी एण्ड डीएस ने समग्र कार्य का माप लेने के बजाय विकासकर्ताओं द्वारा केवल शासन के भाग के विरुद्ध किये गये कार्य का मापन किया। विकासकर्ताओं को पूंजी अनुदान को आनुपातिक रूप से अवमुक्त करना सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ताओं के निवेश भाग के विरुद्ध कृत कार्यों का मापन नहीं किया गया। इस प्रकार, विकासकर्ताओं द्वारा किये गये समग्र कार्य के मापन के अभाव में, आनुपातिक पूंजी अनुदान की अवमुक्ति का आंकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

आगरा एमएसडब्ल्यूएम परियोजना के मामले में, विकासकर्ता द्वारा अक्टूबर 2013 में कार्य रोक दिया गया था और विभिन्न यंत्र, वाहन, प्लांट एवं मशीनरी विकासकर्ता द्वारा उठा लिये गये थे। विकासकर्ता के निवेशित अंश के विरुद्ध कृत कार्य के मापन के अभाव में, पूंजी अनुदान के अधिक अवमुक्ति से नकारा नहीं जा सकता।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि पीपीपी मॉडल पर एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन के अनुभव के अभाव में केवल पूंजी अनुदान के विरुद्ध किये गये कार्य का माप लिया गया था। तथ्य बरकरार रहा कि सी एण्ड डीएस द्वारा विकासकर्ताओं के निवेशित अंश के विरुद्ध निष्पादित कार्य का मापन नहीं किया गया।

अननुमन्य मोबिलाइजेशन अग्रिम की अवमुक्ति

2.4.19 पाँच एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁴¹ हेतु निष्पादित अनुबन्धों में विकासकर्ताओं को मोबिलाइजेशन अग्रिम देने का कोई उपवाक्य नहीं था। सी एण्ड डीएस ने, फिर भी,

³⁹ इलाहाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर, झांसी, कानपुर (एमएसडब्ल्यू के संग्रह और परिवहन के लिए उपकरणों और वाहनों की अधिप्राप्ति का समझौता) लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी।

⁴⁰ आगरा, बाराबंकी, इटावा, फतेहपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली और वाराणसी।

⁴¹ आगरा, इटावा, कानपुर, मुजफ्फरनगर और रायबरेली।

समग्र कार्य के मापन
के बजाय मात्र पूंजीगत
अनुदान के विरुद्ध
किये गये कार्य का
मापन किया

₹ 8.41 करोड़ का
अनियमित
मोबिलाइजेशन अग्रिम
अवमुक्त करके ₹ 1.74
करोड़ का अनुचित
लाभ पहुँचाया गया

विकासकर्ताओं को ₹ 8.41 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त किया (सितम्बर 2008 से जून 2010)। इसके अलावा, विकासकर्ताओं को दिये गये मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ₹ 1.74 करोड़⁴² का ब्याज भी नहीं प्रभारित किया गया। इस प्रकार, इन एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को अननुमन्य और ब्याज मुक्त ₹ 8.41 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान कर अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि विकासकर्ताओं के निवेदन को ध्यान में रखते हुये सक्षम प्राधिकारी (निदेशक, सी एण्ड डीएस) से अनुमोदन प्राप्त करके कार्य के हित में मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निविदा दस्तावेज/अनुबन्धों में कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त किया गया था।

क्षतिपूर्ति की कम वसूली

2.4.20 विकासकर्ताओं से किये गये अनुबन्धों में, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब होने पर, उसमें वर्णित दरों पर क्षतिपूर्ति (एलडी) हर्जाने लगाने का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि पाँच चयनित एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁴³ को पूर्ण करने में विकासकर्ताओं द्वारा 15 से 50 महीनों का विलम्ब किया गया जिसके लिए सी एण्ड डीएस द्वारा आज तक (मार्च 2016) समय विस्तार प्रदान नहीं किया गया था। सी एण्ड डीएस ने, फिर भी, किसी कारण का उल्लेख किये बिना, विकासकर्ताओं से वसूली योग्य राशि ₹ 20.81 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 1.62 करोड़ की क्षतिपूर्ति की वसूली की जिसके फलस्वरूप ₹ 19.19 करोड़ की कम क्षतिपूर्ति की वसूली और इस प्रकार, विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि आगरा, झांसी और मिर्जापुर एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के मामलों में विकासकर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही, लंबित पड़े मध्यस्थ मामलों को अंतिम रूप देने के बाद, की जायेगी। प्रबंधन ने, तथापि, लखनऊ और वाराणसी एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के मामले में एलडी की कम वसूली का कारण नहीं बताया।

उपकरणों और वाहनों की अग्रिम खरीद

2.4.21 छ: एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁴⁴ हेतु निष्पादित अनुबन्धों के पैरा 9.1 में प्रावधान था कि विकासकर्ता उपकरणों/वाहनों को इस तरीके से क्रय करेगा जिससे कि उनकी आपूर्ति वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के 45 दिन से पहले न हो पाये, जब तक कि अन्य प्रकार से सी एण्ड डीएस द्वारा सहमति न हो।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि चार अपूर्ण एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁴⁵ के मामले में, विकासकर्ताओं ने अनुबन्धों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये संबंधित यूएलबी को मार्च 2016 तक ₹ 49.92 करोड़ के उपकरणों एवं वाहनों⁴⁶ की आपूर्ति सात से 63 महीने पूर्व ही कर दिया (दिसम्बर 2010 से अगस्त 2015)। अग्रेतर, अन्य पूर्ण एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं (अलीगढ़ और मुरादाबाद) के मामले में विकासकर्ताओं ने संबंधित यूएलबी को ₹ 3.10 करोड़ के उपकरणों/वाहनों की आपूर्ति एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के पूर्ण होने के 14 से 30 महीने पूर्व ही कर दिया।

⁴² 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आगणित ब्याज दर जो कि अन्य सरकारी निर्माण संस्थाओं जैसे उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रभारित किया जाता है।

⁴³ आगरा, झांसी, लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी।

⁴⁴ इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद और वाराणसी।

⁴⁵ इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ और वाराणसी।

⁴⁶ डम्पर प्लेजरस्, रिफ्यूज कलेक्टर, कारकस ट्रॉली, ट्रेक्टर ट्रॉली, बिन्स, कॉम्पैक्टर्स, जेसीबीस्, कैटिल लिपिटंग मशीन, डस्टपैन्स इत्यादि।

एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के पूर्ण होने के सात से 63 महीने पूर्व ही ₹ 53.02 करोड़ के उपकरणों और वाहनों का अग्रिम क्रय उचित नहीं था, क्योंकि इन उपकरणों/वाहनों का उपयोग एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाना था।

निम्नलिखित तस्वीरों में वाराणसी में पड़े हुये अप्रयुक्त वाहनों को दर्शाया गया है:



प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के दिशानिर्देशों (अप्रैल 2010) के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपकरणों/वाहनों का क्रय ठोस कचरे का संग्रहण एवं दुलाई 1 मई 2010 से आरम्भ करने हेतु किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि समिति ने एमएसडब्ल्यूएम परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व ही खरीद करने के लिए निर्देशित नहीं किया था।

उपकरणों और वाहनों की अनियमित खरीद

2.4.22 सी एण्ड डीएस से अपेक्षित था कि अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में प्रस्तावित विभिन्न अवयवों की आवश्यकता को उपलब्ध सुविधाओं के साथ ही साथ दोबारा जाँच करता और किसी परिवर्तन की दशा में, उसे निदेशक, स्थानीय निकाय से अनुमोदन करा लेता।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि पाँचों एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁴⁷ के विकासकर्ताओं ने ₹ 55.03 करोड़ के उपकरणों और वाहनों⁴⁸ का क्रय किया और संबंधित यूएलबी को उसकी आपूर्ति कर दी, जो कि स्वीकृत डीपीआर में प्रावधानित नहीं था। तथापि, निदेशक, स्थानीय निकाय का अनुमोदन किसी भी मामले में नहीं प्राप्त किया गया था, ₹ 55.03 करोड़ के वाहनों/उपकरणों का क्रय अनियमित था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि संबंधित यूएलबी से अनुमोदित व्यवसाय/विकास योजना के अनुसार ही वाहनों/उपकरणों का क्रय किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि किसी भी परिवर्तन के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना था जो कि नहीं प्राप्त किया गया।

एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का अनुश्रवण पीपीपी समिति द्वारा नहीं किया गया

2.4.23 दिशानिर्देश 2007 में उल्लेख था कि पीपीपी अनुश्रवण समिति (पीएमसी) परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करेगी, यह देखेगी कि सहमत टीओआर एवं संविदा की शर्तों के अनुसार परियोजनाओं को पूर्ण क्रियान्वित किया गया हो और यदि

⁴⁷ आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी।

⁴⁸ डम्पर प्लेसर्स, रिफ्यूज कलेक्टर, कारकस ट्रॉली, ट्रेक्टर ट्रॉली, बिन्स, कॉम्पैक्टर्स, जेसीबीज, कैटल लिपिटंग मशीन, डस्टपैन्स इत्यादि।

अनुबन्ध के अनुसार कार्य नहीं किया गया हो तो उचित क्षतिपूति अथवा दण्ड आरोपित हो।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि पीएमसी ने एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप, कमियां जैसे कि एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब, पूँजी अनुदान का अधिक/अनियमित अवमुक्ति, क्षतिपूर्ति अधिरोपण में असफलता, उपकरणों और वाहनों का अनियमित क्रय बरकरार पायी गयी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि यद्यपि पीएमसी द्वारा अनुश्रवण नहीं किया गया, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का अनुश्रवण जीओयूपी, जीओआई और एसएलएनए के स्तर पर समय—समय पर किया गया। उत्तर से पुष्टि हुई कि एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का अनुश्रवण जैसा कि दिशानिर्देश 2007 में प्रावधानित था पीएमसी द्वारा नहीं किया गया।

अन्य कमियां

2.4.24 सी एण्ड डीएस द्वारा एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के निष्पादन में कुछ अन्य कमियां भी लेखापरीक्षा के संज्ञान में आयी जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

सेन्टेज नहीं प्राप्त हुआ

2.4.25 जीओयूपी के फरवरी 1997 के आदेश में उल्लिखित था कि निक्षेप कार्यों के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम और अन्य निर्माणी एजेन्सियां/स्वायत्त निकाय निर्माण लागत के 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभारित करेगी। जनवरी 2011 के जीओयूपी के आदेश द्वारा पुनः बताया गया कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर भी सेन्टेज प्रभारित होगा।

सेन्टेज ₹ 39.44
करोड़ जीओयूपी से
अभी तक अप्राप्त
था

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि, यद्यपि कि सी एण्ड डीएस ने एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के सम्बन्ध में जीओयूपी से सेन्टेज की मांग की थी, इसे अभी तक सी एण्ड डीएस को अवमुक्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹ 39.44 करोड़ का सेन्टेज जीओयूपी से अभी तक अप्राप्त था।

प्रबन्धन ने बताया, (सितम्बर 2016) कि सेन्टेज की राशि को सम्मिलित करते हुये संशोधित प्राक्कलन जीओयूपी को भेज दिया गया था लेकिन उसे स्वीकृत नहीं किया गया। तथ्य बरकरार रहा कि जीओयूपी से ₹ 39.44 करोड़ सेन्टेज अप्राप्त था।

वैट की अल्प कटौती

2.4.26 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 34(13) के अनुपालन में, सी एण्ड डीएस द्वारा विकासकर्ताओं के बिलों से चार प्रतिशत के बराबर स्रोत पर कर कटौती कर लेनी थी।

विकासकर्ताओं के
बिलों से वैट की
धनराशि ₹ 3.31 करोड़
की अल्प कटौती की
गयी

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सात एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁴⁹ के मामले में सी एण्ड डीएस ने विकासकर्ताओं को ₹ 144.51 करोड़ का भुगतान किया (अप्रैल 2010 से मई 2016) जिसके विरुद्ध उनके बिलों से ₹ 5.78 करोड़ वैट काटना था। सी एण्ड डीएस ने, तथापि, बिना कोई कारण बताये, केवल ₹ 2.47 करोड़ के वैट की कटौती की जिससे ₹ 3.31 करोड़ की अल्प कटौती हुयी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि छ: एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के सम्बन्ध में ₹ 2.14 करोड़ भुनाये गये बैंक गारंटी और विकासकर्ता को देय राशि से वसूल कर लिया गया था। तथ्य बरकरार रहा कि दो एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के सम्बन्ध में ₹ 1.17 करोड़ का वैट अभी भी वसूल नहीं हुआ।

⁴⁹ इलाहाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, झांसी, लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी।

कल्याण उपकर की अल्प कटौती

2.4.27 भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 4(3) एवं जीओयूपी द्वारा जारी अधिसूचना (फरवरी 2009) के अनुसार, सी एण्ड डीएस द्वारा विकासकर्ताओं के बिलों से एक प्रतिशत की दर से उपकर की कटौती की जानी थी।

विकासकर्ताओं के बिलों से ₹ 1.88 करोड़ की अल्प कटौती की गयी

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सी एण्ड डीएस ने ₹ 194.18 करोड़ का भुगतान 12 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁵⁰ के विकासकर्ताओं को किया (अप्रैल 2010 से नवम्बर 2015) और विकासकर्ताओं के बिलों से कटौती योग्य राशि ₹ 1.94 के विरुद्ध ₹ 5.60 लाख की कटौती की, जिससे ₹ 1.88 करोड़ से उपकर की कम कटौती हुयी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें उपकर लागू होने के पहले से ही अनुमोदित थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में, फरवरी 2009 में जीओयूपी द्वारा अधिसूचना के बाद निविदायें आमंत्रित एवं अन्तिमीकृत की गयीं थीं, इसलिए उपकर के कटौती संबंधी प्रावधान लागू था और सी एण्ड डीएस द्वारा उस राशि को विकासकर्ताओं के बिलों से कटौती की जानी थी।

फ्लेक्सी/आटोस्वीप सुविधा का लाभ न लेने से ब्याज की हानि

2.4.28 बैंक अपने ग्राहकों के अनुरोध पर उन्हें फ्लेक्सी/आटोस्वीप की सुविधा प्रदान करता है जिस पर बचत बैंक खातों पर लागू ब्याज की दर की तुलना में उच्च दर पर ब्याज मिलता है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सात एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं⁵¹ के निष्पादन हेतु प्राप्त कोष सी एण्ड डीएस की इकाइयों द्वारा बचत बैंक खातों में बिना फ्लेक्सी/आटोस्वीप की सुविधा प्राप्त किये रखे गये थे, जबकि, अन्य आठ एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में आटोस्वीप/फ्लेक्सी की सुविधा ली गयी थी। इस प्रकार, फ्लेक्सी/आटोस्वीप की सुविधा नहीं लेने से ₹ 1.34 करोड़⁵² के ब्याज की हानि परियोजना कोष पर हुयी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2016) कि इटावा और मुजफ्फरनगर एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं के खाते बंद किये जा चुके थे और फ्लेक्सी/आटोस्वीप सुविधा शेष बचे हुये एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में ले ली गयी थी। तथ्य बरकरार रहा कि फ्लेक्सी/आटोस्वीप की सुविधा नहीं लेने से ₹ 1.34 करोड़ के ब्याज की हानि हुयी।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा से निष्कर्ष निकला कि:

- योग्य परामर्शदाताओं और विकासकर्ताओं के चयन में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तौर तरीकों से समझौता किया गया क्योंकि सी एण्ड डीएस द्वारा पीपीपी दिशानिर्देश 2007 में उल्लिखित विकासकर्ताओं के चयन सम्बन्धी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया;
- सी एण्ड डीएस के अप्रभावी पर्यवेक्षण के कारण, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में विलम्ब हुआ और 27 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से केवल 11 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें ही सी एण्ड डीएस द्वारा पूर्ण की जा सकीं वह भी तीन से पाँच साल के विलम्ब से। शेष 16 एमएसडब्ल्यूएम परियोजनायें अभी भी पाँच से नौ वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद भी अपूर्ण थीं जिससे ₹ 173.58 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी। इस प्रकार, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का अभीष्ट उद्देश्य जो कि 16 शहरों में 18.31 लाख टन के एमएसडब्ल्यू का प्रति वर्ष निस्तारण था, इन परियोजनाओं की स्वीकृति के पाँच से नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका; एवं

⁵⁰ आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पिलखुआ और वाराणसी।

⁵¹ इलाहाबाद, इटावा, फतेहपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ और मुजफ्फरनगर।

⁵² 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर, जो कि फ्लेक्सी/आटोस्वीप सुविधा एवं बचत बैंक खाते पर लागू ब्याज दर का अन्तर था, से आगणित।

- विकासकर्ताओं को पूँजी अनुदान की अवमुक्ति, क्षतिपूर्ति आरोपित करने और उपकरणों/वाहनों के क्रय से संबंधित अनुबन्ध के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सी एण्ड डीएस असफल रहा।

संस्तुतियां

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि सी एण्ड डीएस को चाहिये कि:

- पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी तरीके से योग्य परामर्शदाताओं और विकासकर्ताओं के चयन हेतु पीपीपी दिशानिर्देश 2007 के प्रावधानों का पालन करें;
- परियोजनाओं के अभीष्ट उददेश्य की प्राप्ति के लिये, यथा नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, इमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को तय समय सीमा के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी पर्यवेक्षणीय प्रारूप का विकास करें; एवं
- विकासकर्ताओं के साथ निष्पादित अनुबन्धों के नियम व शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सुसंगत तंत्र का विकास करें।

2.5 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा देयकों की वसूली की लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.5.1 उत्तर प्रदेश राज्य में लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत सांविधिक निगम के रूप में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (निगम) की स्थापना 1 नवम्बर 1954 में की गई थी।

प्रबन्ध निदेशक (एमडी) निगम का मुख्य कार्यकारी है जो दिन-प्रति-दिन के कार्यों को, देयकों की प्रभावी वसूली हेतु जिम्मेदार मुख्यालय के दो मुख्य प्रबन्धकों (सीएम) एवं फील्ड कार्यालयों के 12 क्षेत्रीय प्रबन्धकों (आर एम) की सहायता से करता है। एमडी, सीएम एवं आरएम की भूमिका एवं विस्तृत संगठनात्मक विवरण संगठनात्मक चार्ट (**परिशिष्ट 2.5.1**) में दर्शाया गया है।

निगम में 31 मार्च 2015 को इकिवटी एवं ऋण के रूप में ₹ 929.48 करोड़ का कुल निवेश (इकिवटी: ₹ 179.28 करोड़ एवं दीर्घ/अल्पकालीन ऋण: ₹ 750.20 करोड़) एवं टर्न ओवर¹ ₹ 15.58 करोड़ था। निगम की 31 मार्च 2015 को सचित हानि ₹ 883.72 करोड़ एवं बाह्य देयता ₹ 750.20 करोड़ थी।

निगम द्वारा सितम्बर 2007 तक 41,330 उधारकर्ताओं को ₹ 3,248 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था जिसमें से 31 मार्च 2016 तक 5,812 उधारकर्ताओं से मूलधन ₹ 294.95 करोड़ के साथ ब्याज ₹ 29,762.37² करोड़ वसूली के लिए लम्बित था।

निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दिये जाने वाले ऋण को सिडबी द्वारा पुनर्वित्त-पोषित किया जाता था परन्तु निगम द्वारा देयकों का पुनर्भुगतान करने में चूक के कारण सिडबी ने ऋणों का पुनर्वित्त-पोषण जून 2007 में बन्द कर दिया। फलस्वरूप, निगम ने भी से इकाइयों को ऋण वितरण बन्द कर दिया (सितम्बर 2007)। सिडबी की कुल लेनदारी नवम्बर 2007 में ₹ 544.14 करोड़ (₹ 173.14 करोड़ ब्याज सम्मिलित करते हुए) थी। निगम ने सिडबी से एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की पेशकश की (दिसम्बर 2008) जिसे सिडबी ने ₹ 275 करोड़ अर्थात् मूलधन के 74 प्रतिशत को पाँच बराबर किश्तों में भुगतान के ओटीएस का प्रस्ताव दिया (मार्च 2009)। निगम ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यद्यपि इसके पास भुगतान हेतु धन उपलब्ध नहीं था जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि निगम के पास 2009–10 से 2013–14 तक के पाँच वर्षों की अवधि में कुल बैंक जमा और निवेश ₹ 22.59 करोड़ एवं ₹ 43.22 करोड़ के मध्य था एवं इसी अवधि में निगम का कुल लाभ ₹ 58.98 करोड़ था। ओटीएस दायित्व को पूरा करने के लिए, निगम ने राज्य सरकार से धन उपलब्ध कराने के लिए कहा (मार्च 2009) परन्तु सरकार से धन नहीं प्राप्त कर सका। निगम ने, तथापि, किसी स्रोत से धन की दृढ़ उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना, सिडबी को ₹ 2.10 करोड़ का भुगतान (जुलाई 2010) इस अनुरोध के साथ कर दिया कि भुगतान की अवधि पाँच से बढ़ाकर 15 वर्षों के लिए निर्धारित कर दी जाये। सिडबी द्वारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। अंततः, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के अपीलीय प्राधिकारी ने निगम को ₹ 661.48 करोड़ की सम्पूर्ण देयता को दो माह के अन्दर जमा करने के लिए आदेश कर दिया (फरवरी 2016) जिसमें असफल रहने पर निगम की चल एवं अचल सम्पत्ति सम्बद्ध की जायेगी। निगम ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की (अप्रैल 2016) जो अभी भी लम्बित था (सितम्बर 2016)।

निगम ने, हालाँकि, इस आदेश के अन्तर्गत सिडबी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया न ही इसकी सम्पत्तियों को बेचा गया (सितम्बर 2016)।

¹ टर्नओवर, गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों (एनपीए) के खातों में ब्याज की वसूली दर्शाता है।

² 31 दिसम्बर, 2015 तक ब्याज ₹ 29,762.37 करोड़।

सिड्बी से देयकों के निपटारे में विफलता, निगम के पुनरोद्धार हेतु जीओयूपी से पहुँच बनाने में विलम्ब एवं जीओयूपी द्वारा निगम को ध्यान न देने के कारण, निगम बन्द होने की कगार पर था।

निगम की वित्तीय स्थिति, यद्यपि, वर्ष 2007 से ही खराब थी फिर भी निगम द्वारा वर्ष 2013 तक जीओयूपी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये। निगम ने छः वर्षों से अधिक समय के पश्चात पुनरोद्धार पैकेज जीओयूपी को भेजा (दिसम्बर 2013) जो कि मार्च 2016 तक जीओयूपी के समक्ष लम्बित था। यहाँ पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि, पश्चिम बंगाल एवं उडीसा की एसएफसी ने अपने सम्बन्धित राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से संवितरण गतिविधियां फिर से प्रारम्भ कर दिया था।

इस प्रकार, सिड्बी से बकाये का निपटान विवेकपूर्ण धनराशि पर करने में निगम की विफलता एवं निगम के पुनरोद्धार हेतु जीओयूपी से पहुँच बनाने में विलम्ब एवं जीओयूपी द्वारा निगम को ध्यान न देने के कारण, निगम जिसे राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उन्नत करने का उद्देश्य सौंपा गया था, बन्द होने की कगार पर था।

निगम पर “गैर निष्पादन सम्पत्तियों का परिसमाप्तन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन वर्ष 2007–08 में शामिल किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा अभी तक (अक्टूबर 2016) चर्चा नहीं की गयी।

निगम द्वारा ऋण स्वीकृति सितम्बर 2007 से बन्द कर दिया गया था, अतः निगम की मुख्य गतिविधि देयकों की वसूली रह गयी थी। इसलिए, यह लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के उद्देश्य से सम्पादित की गयी थी कि क्या देयकों की वसूली हेतु कृत कार्यवाही एसएफसी अधिनियम एवं ओटीएस दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार थी एवं निगम में प्रभावी आंतरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण तंत्र था।

लेखापरीक्षा में, निगम के मुख्यालय एवं 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में से उच्चतम वसूली के आधार पर चयनित 5 क्षेत्रीय कार्यालयों³ के अभिलेखों की जाँच शामिल थी। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी गयी प्रणाली में 3 फरवरी 2016 को आयोजित प्रवेश बैठक के दौरान शीर्ष प्रबन्धन को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराना एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षा जारी करना शामिल था। एक समापन बैठक 26 अगस्त 2016 को प्रबन्धन के साथ की गई एवं प्रबन्धन एवं शासन से उत्तर क्रमशः अगस्त एवं सितम्बर 2016 में प्राप्त हुए जिनपर सम्यक विचार किया गया था।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.5.2 देयकों की वसूली, आंतरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण तंत्र से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

बकाया ऋणों का वर्ग समूह

2.5.3 सिड्बी के दिशानिर्देश 2005 के अनुसार, ऐसे ऋण जिनके सम्बन्ध में ब्याज व मूलधन की किश्तें 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया हो, गैर निष्पादन परिसम्पत्तियां (एनपीए) हैं। एनपीए को अग्रेतर श्रेणी, उपमानक (लगातार 15 माह तक भुगतान न होने पर) संदिग्ध-1 (लगातार 15 माह से 27 माह तक भुगतान न होने पर) संदिग्ध-2 (27 माह से 51 माह तक भुगतान न होने पर) संदिग्ध-3 (51 माह से अधिक भुगतान होने पर) एवं हानि श्रेणी (ऐसे ऋण जिनके सापेक्ष कोई बंधक परिसम्पत्ति उपलब्ध न हो) में, विभाजित किया गया है। निगम का 31 मार्च 2016 तक बकाया परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण तालिका 2.5.1 में दर्शाया गया है।

³ कानपुर, वाराणसी, बरेली, मेरठ एवं नोएडा।

तालिका 2.5.1
परिसम्पत्ति-वार देयकों का वर्गीकरण

विवरण	1 अप्रैल 2011	31 मार्च 2012	31 मार्च 2013	31 मार्च 2014	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016
मानक	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
उपमानक	0.60	0.20	0.05	0.01	0.00	0.00
संदिग्ध-1	0.63	0.26	0.62	0.01	0.00	0.00
संदिग्ध-2 एवं संदिग्ध-3	211.38	195.40	172.30	163.96	149.98	138.80
हानि सम्पत्ति	159.55	155.15	159.00	153.35	158.78	156.15
समग्र ओएसपी	372.20	351.01	331.99	317.33	308.76	294.95

ज्ञात: निगम का मासिक विवरण


जैसा तालिका 2.5.1 में देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर ₹ 294.95 करोड़ सम्पूर्ण मूलधन बकाया (ओएसपी) एनपीए था; जिसमें से, ₹ 156.15 करोड़ (53 प्रतिशत) का ओएसपी हानि श्रेणी के एनपीए से सम्बन्धित था जहाँ कि कोई परिसम्पत्ति निगम के पास अस्तित्व में उपलब्ध नहीं थी जिसके सापेक्ष वसूली की जा सके। अतः, 5,812 उधारकर्ताओं से ₹ 29,762.37 करोड़ बकाया ब्याज (ओएसआई) की वसूली की सम्भावना कठिन थी।

देयकों की वसूली हेतु तंत्र

2.5.4 निगम ने देयकों की वसूली हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया। निगम द्वारा अपनायी गयी वसूली प्रक्रिया में उधारकर्ताओं के साथ अनुश्रवण, बंधक परिसम्पत्तियों की बिक्री, वसूली प्रमाणपत्र जारी करना एवं देयकों का एक मुश्त समाधान (ओटीएस) शामिल था।

उधारकर्ताओं से देयकों की वसूली हेतु लक्ष्य बिना आधार के निर्धारित करना

2.5.5 देयकों की वसूली का लक्ष्य निर्धारण निगम के मुख्य कार्यों में से एक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012–13 तक निगम ने बकाया देयकों की वसूली का लक्ष्य निर्धारण, मानक, उपमानक, संदिग्ध-1, संदिग्ध-2 श्रेणी हेतु 100 प्रतिशत एवं संदिग्ध-3 हेतु 50 प्रतिशत एवं हानि श्रेणी हेतु 10 प्रतिशत पर तय किया था। परन्तु, इसके पश्चात, 2013–14 से 2015–16 तक के लिये ₹ 100 करोड़ एक मुश्त राशि वार्षिक आधार पर निर्धारित किया, जैसा कि दिसम्बर 2013 में जीओयूपी को प्रस्तुत पुनरोद्धार पैकेज में विचार किया गया था। लक्ष्यों एवं उसके सापेक्ष वसूली का विवरण चार्ट 2.5.1 में दर्शाया गया है।



निगम सभी पैंचों वर्षों में वसूली लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल रहा एवं देयकों की वसूली 2011–12 में ₹ 46.13 करोड़ से घटकर 2015–16 में ₹ 25.54 करोड़ रह गयी

निगम का मुख्य क्रिया-कलाप देयकों की वसूली थी और इसलिए, देयकों की वसूली का लक्ष्य निर्धारण उपलब्ध मानव शक्ति एवं देयकों के वसूली योग्य होने के आधार पर किया जाना चाहिये था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि निर्धारित लक्ष्य किसी तार्किक आंकलन पर आधारित नहीं थे और निगम की समस्याओं जैसे मानव शक्ति की कमी, चतुर्थ वेतन आयोग के अनुसार वेतन, स्टाफ के लिए भत्ता/मंहगाई भत्ता की कम दर, सुविधाओं का अभाव जैसे कार्यालय की गाड़ी, टेलीफोन इत्यादि का विचार किये बिना ही तय किये गये, जिसे लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नोत्तरी में निगम के अधिकारियों द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में पुष्टि की गयी। पुनर्श्च, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने/प्राप्त न करने के लिए कोई प्रोत्साहन देने/प्रोत्साहन न देने का निर्धारण नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, निगम किसी भी वर्ष में निर्धारित देयकों की वसूली का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। वास्तव में, लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2011–12 में ₹ 46.13 करोड़ (69.19 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 25.54 करोड़ (25.54 प्रतिशत) रह गयी थी।

देयकों की वसूली प्रक्रिया

2.5.6 पुनर्भुगतान में चूक के मामलों में, क्षेत्रीय प्रबन्धक (आरएम) देयकों के भुगतान हेतु उधारकर्ताओं को माँगपत्र जारी करता है। विक्रय दिशानिर्देश के अनुसार, लगातार दो तिमाही में वसूली असफल होने पर एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत 15 दिन का समय देते हुए मुख्य/सहायक प्रतिभूतियों को अटैच किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की जाती है। यदि उधारकर्ताओं से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो आरएम नोटिस के एक माह के अन्दर उधारकर्ता की इकाई की बिक्री का विज्ञापन देता है। यदि देयकों की वसूली परिसम्पत्तियों की बिक्री के पश्चात भी नहीं प्राप्त हो पाती है तो निगम द्वारा जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से देयकों की वसूली के लिए आरसी जारी किया जाता है। पुनर्श्च, निगम ने देयकों की शीघ्र वसूली के लिये एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना भी शुरू की है।

वसूली की प्रक्रिया पालन में प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रबन्धक और क्षेत्रीय प्रबन्धकों की भूमिका की चर्चा परिशिष्ट—**2.5.1** में की गई है।

प्रबन्धन की तरफ से वसूली की प्रक्रिया पालन में जो कमियाँ रही उनकी चर्चा नीचे की गयी है:

नोटिसें जारी करने में विलम्ब

2.5.7 वसूली की प्रक्रिया में मांगपत्र जारी करना प्रथम चरण है। उधारकर्ताओं के साथ निष्पादित ऋण अनुबन्धों में प्रावधान है कि, भुगतान में चूक के मामले में, निगम उधारकर्ताओं/जमानतदारों को मांगपत्र कारण बताओ नोटिस जारी करेगा एवं देयकों का भुगतान करने हेतु कहेगा। यदि उधारकर्ता बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो निगम एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत उधारकर्ता की सम्पत्ति हस्तगत करने हेतु नोटिस जारी करेगा और परिसम्पत्तियों की बिक्री की कार्यवाही करेगा।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 182 मामलों की नमूना जांच में से 10 मामलों में (ओएसपी: ₹ 5.25 करोड़ एवं ओएसआई: ₹ 385.45 करोड़) कारण बताओ नोटिसें दो माह से 24 वर्षों के विलम्ब से जारी की गई थीं एवं 182 चयनित मामलों में से 25 मामलों (ओएसपी: ₹ 12.19 करोड़ एवं ओएसआई: ₹ 849.20 करोड़) में धारा 29 के अन्तर्गत नोटिसें सात माह से 24 वर्षों के विलम्ब से जारी की गई जैसा कि परिशिष्ट **2.5.2** एवं **2.5.3** में विस्तृत है।

कारण बताओ नोटिसें एवं एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिसें जारी करने में विलम्ब के कारण देयकों की वसूली में विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया कि विलम्ब के मुख्य कारण, निगम के मुख्यालय स्तर पर गम्भीर डिफाल्टर मामलों


की नियमित अन्तराल पर समीक्षा प्रणाली का अभाव होना एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उधारकर्ताओं से पुरजोर अनुश्रवण का अभाव होना, थे।

निगम द्वारा देयकों की प्रक्रिया का अनुसरण सावधानी पूर्वक नहीं किया गया क्योंकि उधारकर्ताओं को नोटिसें जारी करने, समाचार पत्रों में विज्ञापन अवमुक्त करने एवं बंधक सम्पत्तियों का भौतिक हस्तान्तरण करने में विलम्ब था जिससे बंधक सम्पत्तियों की बिक्री में भी विलम्ब हुआ।

प्रबन्धन एवं शासन ने बताया (अगस्त/सितम्बर 2016) कि आरसी जारी करने की प्रक्रिया के माध्यम से वसूली करने या अदालत द्वारा स्टे होने के कारण कुछ मामलों में विलम्ब हो सकता है। कुछ मामलों में, उधारकर्ताओं द्वारा आंशिक भुगतान एवं भुगतान समय के पुर्णनिर्धारण हेतु अनुरोध करने के कारण विलम्ब हो सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निगम ने स्वयं के बिक्री दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया जिसमें डिफाल्ट के अन्तर्गत तीसरी तिमाही के दौरान नोटिस जारी करने का प्रावधान था। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा, जो मामले मुकदमेबाजी के आधीन थे उन्हें नहीं विचार किया गया एवं विलम्ब की अवधि की गणना, पहली बार डिफाल्ट के बजाय उधारकर्ताओं द्वारा अन्तिम भुगतान की तिथि से, की गई थी।


बंधक परिसम्पत्तियों की बिक्री में विलम्ब

2.5.8 वसूली प्रक्रिया के दूसरे चरण में बन्धक परिसम्पत्तियों की बिक्री है। एसएफसी अधिनियम की धारा 29 निगम को अधिकार प्रदान करती है कि देयकों के भुगतान में उधारकर्ताओं की विफलता की दशा में, बंधक परिसम्पत्तियों जैसे, भूमि, भवन और संयंत्र एवं मशीनरी, का विक्रय कर सकता है। सम्पूर्ण निगम एवं पाँच चयनित क्षेत्रों में बन्धक परिसम्पत्तियों की बिक्री की प्रगति चार्ट 2.5.2 में देखी जा सकती है।



की इकाइयों में से, मार्च 2016 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान मात्र 91 उधारकर्ताओं की इकाइयों (6.12 प्रतिशत) की बिक्री ₹ 46.13 करोड़ में की गई। इसी प्रकार, पाँच चयनित क्षेत्रों में, अप्रैल 2011 में बिक्री हेतु निगम के पास उपलब्ध 794 उधारकर्ताओं की इकाइयों (ओएसपी: ₹ 128.54 करोड़) में से मार्च 2016 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान मात्र 48 उधारकर्ताओं की इकाइयों, जो संख्या के सन्दर्भ में 6.05 प्रतिशत थीं, (ओएसपी: ₹ 20.80 करोड़) का विक्रय ₹ 25.38 करोड़ में किया गया।

अग्रेतर, मार्च 2016 तक 56 उधारकर्ताओं की इकाइयों का (ओएसपी: ₹ 23.67 करोड़) जिनका कब्जा निगम द्वारा लिया गया था (चयनित क्षेत्रों में 35 उधारकर्ताओं की इकाइयाँ शामिल थीं)



का विक्रय दो से 30 वर्षों के पश्चात भी नहीं किया जा सका; जैसा कि चार्ट 2.5.3 में देखा जा सकता है।

खराब बिक्री के कारण जैसा कि 182 नमूना मामलों की विस्तृत अध्ययन में विश्लेषण करके पाया गया, 38 मामलों में नोटिस जारी करने की तिथि से एक से 13 वर्षों के विलम्ब से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित

करना, 15 मामलों में अन्तिम तीन वर्षों में परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना, 30 मामलों में मुकदमेबाजी एवं तीन मामलों में परिसम्पत्तियों पर मालिकाना विवाद थे जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

बिक्री हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने में विलम्ब

2.5.9 लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि इन 38 मामलों में, ऋण का वितरण 1977 से 2006 के दौरान किया गया था। उधारकर्ता ऋण अदायगी में चूक गये, अतः, धारा 29 के अन्तर्गत इन उधारकर्ताओं की परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण की नोटिस 1982 से 2012 के दौरान जारी की गई थी।

बिक्री दिशानिर्देशों के अनुसार, परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए विज्ञापन, एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर, प्रकाशित किया जाना चाहिये। विज्ञापनों का प्रकाशन, तथापि, नोटिस जारी करने की तिथि से एक से 13 वर्षों के विलम्ब से किये गये। जिसके फलस्वरूप, संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य ह्यास हो गया एवं उचित मूल्य पर बिक्री नहीं की जा सकी अथवा कबाड़ के रूप में बिक्री की गई। इसलिए, ₹ 1,246.97 करोड़ के देयक (ओएसपी: ₹ 25.33 करोड़, ओएसआई: ₹ 1,221.64 करोड़) की वसूली अभी तक नहीं की जा सकी (मार्च 2016)।

अन्तिम तीन वर्षों में परिसम्पत्तियों की बिक्री हेतु विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना

2.5.10 लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 15 मामलों में, ऋण का वितरण 1979 से 1998 के दौरान किया गया था। उधारकर्ता ऋण अदायगी में चूक गये, अतः, धारा 29 के अन्तर्गत इन उधारकर्ताओं की परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण की नोटिस 1995 से 2007 के दौरान जारी की गई थी।

बिक्री दिशानिर्देशों के अनुसार, परिसम्पत्तियों की बिक्री हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रत्येक वर्ष विज्ञापन प्रकाशित किया जाना चाहिए। अन्तिम तीन वर्षों में, तथापि, कोई विज्ञापन नहीं प्रकाशित किया गया था। जिसके फलस्वरूप, परिसम्पत्तियाँ बेची नहीं जा सकी एवं ₹ 620.07 करोड़ (ओएसपी: ₹ 18.29 करोड़, ओएसआई: ₹ 601.78 करोड़) के देयकों की वसूली अभी तक नहीं हो सकी।

मुकदमेंबाजी के मामले

2.5.11 लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 30 मामलों में, ऋण का वितरण 1984 से 1998 के दौरान किया गया था। उधारकर्ताओं द्वारा ऋण अदायगी में चूक गये, अतः, धारा 29 के अन्तर्गत इन उधारकर्ताओं के परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण की नोटिस 1989 से 2004 के दौरान जारी की गई थी। यद्यपि, मुकदमेंबाजी/अदालत द्वारा रोक के कारण परिसम्पत्तियाँ बेची नहीं जा सकीं। निगम ने मामलों के शीघ्र निपटारे/अदालत के बाहर निपटारे के लिये पुरजोर प्रयास नहीं किया।

जिसके परिणामस्वरूप, परिसम्पत्तियों की बिक्री नहीं की जा सकी थी एवं ₹ 1,275.97 करोड़ (ओएसपी: ₹ 24.22 करोड़, ओएसआई: ₹ 1,251.75 करोड़) के देयकों की वसूली अभी तक (मार्च 2016) नहीं की जा सकी।

परिसम्पत्तियों पर मालिकाना विवाद

2.5.12 लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि तीन मामलों में, ऋण का वितरण 1995 से 1998 के दौरान किया गया था। उधारकर्ता ऋण अदायगी में चूक गये, अतः, धारा 29 के अन्तर्गत इन उधारकर्ताओं की परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण की नोटिस 1995 से 2002 के दौरान जारी की गई थी।

बंधक परिसम्पत्तियों के मालिकाना हक का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालयों के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा ऋण मंजूरी के समय किया जाना चाहिये। फिर भी, यह कार्य नहीं किया गया एवं ये परिसम्पत्तियाँ मालिकाना हक में विवाद के कारण नहीं बेची जा सकी। जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 59.76 करोड़ (ओएसपी: ₹ 64 लाख, ओएसआई: ₹ 59.12 करोड़) के देयकों की वसूली अभी तक (मार्च 2016) नहीं की जा सकी।

उधारकर्ताओं की न बिकी कुछ परिसम्पत्तियों की तस्वीरें नीचे दी गयी हैं:



प्रबन्धन एवं शासन ने बताया (अगस्त/सितम्बर 2016) कि उधारकर्ताओं की इकाइयाँ अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी नहीं बेची जा सकीं क्योंकि उधारकर्ताओं की इकाइयाँ सुदूर इलाकों में स्थित थीं एवं सुसंगत क्रेता उपलब्ध नहीं थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परिसम्पत्तियों के न बिकने के कारण बिक्री हेतु विलम्बित विज्ञापन/विज्ञापन न करना एवं परिसम्पत्तियों के मालिकाना हक में विवाद थे।

संयंत्र एवं मशीनरी की चोरी एवं मूल्यों में ह्रास से हानि

2.5.13 बिक्री नीति में प्रावधान था कि, चोरी की संभावना हो या उचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा उधारकर्ता की इकाई का भौतिक कब्जा ले लिया जायेगा। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि क्षेत्रीय प्रबंधकों ने, उधारकर्ता की इकाई

का एकांत में स्थित होना, मशीनरी का मूल्य एवं इसके चलायमान, परिसर की सुरक्षा, उधारकर्ता की सत्यनिष्ठा आदि कारकों के आधार पर चोरी की संभावना वाली मशीनरी को चिह्नित करने का प्रयास नहीं किया। साक्षातकार के दौरान, क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि बंधक परिसम्पत्तियों का भौतिक कब्जा, सुरक्षा गार्ड पर व्यय को बचाने के लिए, नहीं लिया गया। 182 चयनित मामलों में से, ₹ 8.94 करोड़ मूल्य की मशीनरी की चोरी के 42 मामले (23 प्रतिशत) लेखापरीक्षा के संज्ञान में आये, जिसके कारण निगम को हानि हुई (1991 से)।

अग्रेतर, 18 मामलों में, एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत नोटिस के दिनांक से 13 से 24 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी ₹ 2.96 करोड़ मूल्य के संयंत्र एवं मशीनरी नहीं बेचे जा सके जिसके लिए कोई कारण अभिलेख में नहीं था।

उधारकर्ताओं के न बिके हुये कुछ संयंत्र एवं मशीनरी नीचे दिये हुये चित्रों में दर्शाये गये हैं।



14 वर्षों से बिना बिक्री के पढ़े हुए आईएसएम (इण्डिया) लिमिटेड, नोएडा के संयंत्र एवं मशीनरी



10 वर्षों से बिना बिक्री के पढ़े हुए मनसा राम ऑयल मिल, मुजफ्फरनगर के संयंत्र एवं मशीनरी

जैसा कि लेखापरीक्षा के विश्लेषण में पाया गया, निगम ने अप्रचलन, चोरी एवं क्षय/दुरुपयोग आदि से होने वाली हानि से बचने के लिये संयंत्र एवं मशीनरी को प्राथमिकता के आधार पर बेचने का प्रयास नहीं किया। अग्रेतर, यह देखा गया कि क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा बंधक परिसम्पत्तियों का नियमित निरीक्षण नहीं किया गया तथा उधारकर्ताओं द्वारा परिसम्पत्तियों के बीमा का नवीनीकरण कराना सुनिश्चित नहीं किया गया।

वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि के पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा में वसूली के अनुसरण की प्रणाली, यथा माँग कारण बताओं नोटिस को जारी करने तथा संयंत्र एवं मशीनरी का त्वरित अधिग्रहण, को व्यवस्थित करने की संस्तुति करने के बावजूद, निगम इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही करने में अभी तक (अक्टूबर 2016) असफल रहा।

समापन बैठक (अगस्त 2016) में, लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये, प्रबंधन ने कहा कि वे अपनी बिक्री की नीति पर पुनर्विचार करेंगे।

वसूली प्रमाणपत्र के माध्यम से बकाया राशि की दर्यनीय वसूली

2.5.14 उधारकर्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करना वसूली के मुख्य तरीकों में से एक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेशित किया (मार्च 2004) कि वित्तीय निगमों के प्रबंध निदेशक, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये जाने के पश्चात, एसएफसी अधिनियम, 1951 की धारा 32जी के अंतर्गत वसूली प्रमाणपत्र जारी कर सकते थे।

जीओयूपी से एसएफसी अधिनियम की धारा 32जी के अंतर्गत आरसी जारी करने का अधिकार प्राप्त करने में विलम्ब के कारण, निगम आरसी जारी करके बकाया राशि की वसूली हेतु उधारकर्ताओं का प्रभावी ढंग से अनुसरण नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 32जी के अंतर्गत अधिकार प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार से दिसम्बर 2012 में निवेदन किया। जीओयूपी ने निगम के एमडी को, दो वर्षों के विलम्ब से दिसम्बर 2014 में, एसएफसी अधिनियम के अंतर्गत आरसी जारी करने के लिये अधिकृत किया। निगम ने, आरसी जारी करने की प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु जीओयूपी से पुनः निवेदन किया (मार्च 2015) एवं जीओयूपी से आरसी जारी करने की प्रक्रिया के अनुमोदन के अभाव में अगस्त 2016 तक आरसी जारी करना प्रारम्भ नहीं किया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर (अप्रैल 2016), निगम ने अपने विधिक प्रकोष्ठ से विधिक राय ली जिसने यह अभिमत दिया कि जीओयूपी से प्रक्रिया के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। तदानुसार, 19 महीने के अंतराल के पश्चात, निगम के एमडी ने आरएम को एसएफसी अधिनियम के अंतर्गत आरसी जारी करने के आदेश निर्गत किया (अगस्त 2016)।


इस प्रकार, जीओयूपी से अधिकार प्राप्त करने में विलम्ब एवं आरसी जारी करने की प्रक्रिया का जीओयूपी के अनुमोदन की आवश्यकता पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने में विलम्ब के कारण, निगम बकाया राशि की वसूली हेतु उधारकर्ताओं से प्रभावी ढंग से अनुसरण नहीं कर सका।

परिणामस्वरूप, ₹ 83.45 करोड़ बकाया धनराशि की वसूली के लिये 1 अप्रैल 2011 को लंबित कुल 1,069 आरसी के सापेक्ष मार्च 2016 तक पिछले पाँच वर्षों में 12 आरसी के सापेक्ष मात्र ₹ 1.17 करोड़ (1.40 प्रतिशत) ही वसूल किया जा सका।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार किया एवं एसएफसी अधिनियम की धारा 32जी के अंतर्गत आरसी जारी करने के निर्देश दिये (अगस्त 2016)।

एक मुश्त समाधान के माध्यम से बकाया धनराशि की धीमी वसूली

2.5.15 एनपीए को शीघ्रता से तरलीकृत करने के उद्देश्य से निगम ने उधारकर्ताओं से एक मुश्त समाधान (ओटीएस) हेतु एक नीति बनायी। ओटीएस योजना 1999 में शुरू की गयी जो 2009, 2010 एवं 2012 में संशोधित की गयी थी। जैसा कि ओटीएस दिशानिर्देश 2012 में प्रावधान था, उधारकर्ता द्वारा देय धनराशि दिशानिर्देशों में परिभाषित मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित होती है जो बंधक परिस्मृतियों के मूल्य से अधिक नहीं होगी।



₹ 113,03 करोड़ में ओटीएस किया। इस प्रकार, ओटीएस के माध्यम से बकाया धनराशि की वसूली मात्र 0.86 प्रतिशत (संख्या के संदर्भ में) थी जैसा कि चार्ट 2.5.4 में दर्शाया गया है।

चयनित क्षेत्रों में 2011–12 से 2015–16⁴ के दौरान किये गये ओटीएस एवं उसके सापेक्ष की गई वसूली का विवरण तालिका 2.5.2 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.5.2 अन्तिमीकृत ओटीएस एवं उनके सापेक्ष वसूली

क्षेत्र	1 अप्रैल 2011 को बकाया		ओटीएस की राशि				माफ किया गया मूल धन	(₹ करोड़ में) माफ किया गया मूल धन
	उधारकर्ताओं की इकाई (संख्या में)	ओएसपी	ओटीएस मामलों की संख्या	मूल धन + व्यय	ब्याज	योग		
बरेली	465	33.58	46	7.30	4.79	12.09	0.00	398.37
कानपुर	653	68.25	60	22.02	1.16	23.18	0.19	211.01
मेरठ	1769	57.76	118	12.51	10.11	22.62	0.03	603.66
नोएडा	693	50.23	64	5.95	3.04	8.99	0.00	349.52
वाराणसी	221	26.19	16	4.60	3.64	8.24	0.00	137.19
योग	3801	236.01	304	52.38	22.74	75.12	0.22	1699.75

झोत : क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

तालिका 2.5.2 में देखा जा सकता है कि अप्रैल 2011 के 3,801 बकाया मामलों में से, पाँच वर्षों के दौरान, मात्र 304 मामलों (आठ प्रतिशत) का ही समाधान किया गया था। अग्रेतर, इन 304 मामलों में बकाया कुल ब्याज ₹ 1,722.49 करोड़ के विरुद्ध ओटीएस के माध्यम से ब्याज की वसूली की धनराशि मात्र ₹ 22.74 करोड़ (1.32 प्रतिशत) थी और ₹ 1,699.75 करोड़ (98.68 प्रतिशत) माफ कर दिया गया था।

ओटीएस के माध्यम से धीमी वसूली, जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया, का मुख्य कारण निगम के पास एसएफसी अधिनियम के अंतर्गत आरसी जारी करने के अधिकार के अभाव में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उधारकर्ताओं पर ओटीएस करने का दबाव बनाने हेतु कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकी। ऐसे तंत्र की कमी थी जिससे अन्य सरकारी विभागों जैसे आयकर विभाग, विक्रय/व्यापार कर विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि से पड़ताल की जा सके ताकि उन भुगतान न करने वाले उधारकर्ताओं को चिन्हित एवं उनका अनुसरण किया जा सके जो सम्पन्न हैं तथा ओटीएस का भुगतान करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, ओटीएस दिशानिर्देश अपने आप में बोझिल थे, ओटीएस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया था तथा निगम द्वारा सीमित अवधि के विशेष अभियान भी नहीं चलाये गये जिससे उधारकर्ताओं को ओटीएस के लिये प्रोत्साहित किया जा सके तथा बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जा सके। अपनी प्रतिक्रिया में क्षेत्रीय प्रबंधकों, वसूली अधिकारियों एवं उधारकर्ताओं द्वारा भी इस बात पर जोर दिया गया था (सितम्बर 2016)।

प्रबंधन एवं शासन ने बताया (अगस्त/सितम्बर 2016) कि निगम के पास क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उच्च सामर्थ्य वाले उधारकर्ताओं का पता लगाने का तंत्र पहले से ही मौजूद था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उधारकर्ताओं के सामर्थ्य का आकलन केवल ओटीएस के समय किया जाता था तथा निगम के पास उच्च सामर्थ्य वाले उधारकर्ताओं का, ओटीएस का भुगतान करने के लिए, अनुसरण करने का तंत्र मौजूद नहीं था।

ओटीएस के बकायदारों के विरुद्ध कार्यवाही न होना

2.5.16 ओटीएस दिशानिर्देश-2012 के उपवाक्य 11 एवं 20(iii) में प्रावधनित है कि यदि कोई ओटीएस आवेदनकर्ता ओटीएस के अनुमोदन की तिथि से एक माह के भीतर ओटीएस राशि का 25 प्रतिशत जमा करने में विफल रहता है या निर्धारित अवधि (अधिकतम दो वर्ष) के अन्दर ओटीएस राशि का 50 प्रतिशत जमा करने में विफल

⁴ दिसम्बर 2015 तक।

रहता है तो ओटीएस निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि व्याज के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 304 ओटीएस मामलों में से 7: मामलों में, ₹ 1.05 करोड़ ओटीएस राशि में से मात्र ₹ 30.01 लाख ही उधारकर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में जमा किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों ने दिशानिर्देश के अनुसार, ओटीएस निरस्त करने और भुगतान न करने वाले उधारकर्ताओं की परिसम्पत्तियों के विक्रय हेतु कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 74.99 लाख का बकाया वसूल नहीं हो सका।

प्रबंधन एवं शासन ने कहा (अगस्त/सितम्बर 2016) कि ओटीएस के स्वीकृति पत्र में, ओटीएस के नियम एवं शर्तों का पालन करने में उधारकर्ता के असफल रहने पर ओटीएस के स्वतः निरस्त होने का प्रावधान था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ओटीएस के निरस्तीकरण में विलम्ब के कारण बंधक परिसम्पत्तियों की बिक्री प्रक्रिया शुरू करने में विलम्ब हुई।

बंधक परिसम्पत्तियों के मूल्य से कम पर ओटीएस करने में हानि

2.5.17 जिन मामलों में, बंधक परिसम्पत्तियों का मूल्य, ओटीएस दिशानिर्देश के अनुसार गणना की गयी ओटीएस राशि से अधिक होती है, यह निगम के हित में होगा कि वसूली ओटीएस के बजाय बंधक परिसम्पत्तियों की बिक्री से की जाय ताकि अधिकतम राशि वसूल हो जाये।

यह अवलोकित हुआ कि पाँच मामलों में, ₹ 3.88 करोड़ के कुल बकाया राशि के विरुद्ध ₹ 2.16 करोड़ में ओटीएस किया गया जबकि बंधक परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 11.36 करोड़ था। इसके कारण निगम को ₹ 1.72 करोड़ की हानि हुई (**परिशिष्ट 2.5.4**)।

अग्रेतर, तीन मामलों में, जिनमें कुल बकाया ₹ 59.30 करोड़ था, ₹ 6.57 करोड़ में ओटीएस किया गया जबकि बंधक परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 7.53 करोड़ था जिससे ₹ 96 लाख की हानि हुई (**परिशिष्ट 2.5.4**)।

इस प्रकार, यह ज्ञात होने के बावजूद कि बंधक परिसम्पत्तियों का मूल्य कुल बकाया राशि/ओटीएस राशि से अधिक था, क्षेत्रीय कार्यालयों ने बंधक परिसम्पत्तियों की बिक्री के बजाय ओटीएस स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप, निगम को ₹ 2.68 करोड़ की हानि हुई।

पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा में यह संस्तुति देने के बावजूद कि ओटीएस का निर्धारण उपलब्ध बंधक परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के सुसंगत किया जाना चाहिए, सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रबंधन एवं शासन ने बताया (अगस्त/सितम्बर 2016) कि एक विकासात्मक संस्था होते हुये निगम ने ओटीएस से मूलधन, व्यय और साधारण व्याज के योग से अधिक वसूल किया था जिसमें निगम की ऋण लागत आच्छादित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन मामलों में ओटीएस के बजाय परिसम्पत्तियों का विक्रय करना निगम के लिये अधिक लाभप्रद था क्योंकि बंधक परिसम्पत्तियों का मूल्य कुल देय/ओटीएस राशि से काफी अधिक था।

बकाया ऋणों पर व्याज की वसूली में विफलता

2.5.18 निगम की आय का मुख्य स्रोत उधारकर्ताओं को दिये गये ऋण पर व्याज की वसूली था। वसूली प्रक्रिया शुरू करने में विलम्ब और बकाया राशि की वसूली हेतु समय पर कार्यवाही न करने के कारण, 1 अप्रैल 2011 को 6,420 उधारकर्ताओं से बकाया ₹ 12,784.58 करोड़ व्याज के सापेक्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान निगम मात्र ₹ 79.85 करोड़ का ही व्याज वसूल पाया।

आठ मामलों में बंधक परिसम्पत्तियों के मूल्य से कम पर ओटीएस करने में निगम को ₹ 2.68 करोड़ की हानि हुई।

ब्याज के सापेक्ष नगण्य वसूली का मुख्य कारण मुख्यालय द्वारा ब्याज की वसूली की निगरानी न करना था क्योंकि बकाया ब्याज का विवरण न तो मुख्यालय पर रखा जाता था और न ही इसका विवरण क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को प्रस्तुत अपने मासिक प्रतिवेदन में दिया जाता था। वसूली प्रक्रिया में विलम्ब का भी ब्याज के संचय होने और नगण्य वसूली में योगदान था। ब्याज की राशि की वसूली में विफलता के कारण, निगम को वित्तीय हानि उठानी पड़ी और निगम को सितम्बर 2007 से ऋण प्रदान करने का मुख्य कार्य बन्द करना पड़ा।

प्रबंधन एवं शासन ने बताया (अगस्त/सितम्बर 2016) कि ब्याज की राशि की वसूली कम प्रतीत होती थी क्योंकि ब्याज की राशि का 70 से 75 प्रतिशत दण्ड एवं चक्रवृद्धि ब्याज था जो कात्पनिक था एवं वसूली योग्य नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उधारकर्ताओं से किये गये अनुबन्ध में ऋण न चुकाने की स्थिति में दण्ड और चक्रवृद्धि ब्याज वसूलने का प्रावधान था। तथापि, ब्याज का संचय वसूली में विलम्ब के कारण था।

आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र

2.5.19 निगम ने वसूली प्रक्रिया को दुरुस्त करने तथा नियमित अनुश्रवण एवं भुगतान में चूक के मामलों के अनुसरण के लिये अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को निर्दिष्ट करने हेतु वसूली मैनुअल नहीं बनाया।

निम्नलिखित से सम्बन्धित आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी लेखापरीक्षा के संज्ञान में आयी:

- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले मासिक प्रतिवेदनों में बकाया ब्याज और बकायेदारों की संख्या की सूचनाएं नहीं थीं। प्रत्येक उधारकर्ताओं की बकाया धनराशि की अद्यतन स्थिति के अभाव में, मुख्यालय ब्याज की वसूली, जो कि उसकी आय का मुख्य स्रोत था, का अनुश्रवण नहीं कर पाया।
- निगम ने नियमित अंतराल पर उधारकर्ताओं के पतों का सत्यापन करने के लिये कोई प्रणाली विकसित नहीं किया था। नमूना जाँच किये गये 182 मामलों में से 39 मामलों में (ओएसपी: ₹ 18.90 करोड़ एवं ओएसआई: ₹ 1,022.86 करोड़) उधारकर्ता अपने दिये गये पतों पर उपलब्ध नहीं थे।
- नमूना जाँच किये गये 182 मामलों में से, 25 मामलों में (ओएसपी: ₹ 3.37 करोड़ एवं ओएसआई: ₹ 306.07 करोड़) उधारकर्ताओं से तीन वर्षों से कोई संपर्क नहीं था।
- मुख्यालय का आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग, जिसमें एक अधिकारी एवं सात कर्मचारी कार्यरत थे, निष्क्रिय था क्योंकि पिछले 10 वर्षों से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा के पूर्व प्रतिवेदनों की बकाया की स्थिति एवं उनके अनुपालन की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में उद्योग बंधु (यूबी) की स्थापना, विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित उद्योगों की आगामी समस्याओं को हल करने के अतिरिक्त औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में निवेश को सरल बनाने के लिये, सोसाइटी के रूप में किया गया था। सितम्बर 2007 से निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को ऋण की स्वीकृति/वितरण समाप्त कर देने के बाद यूबी की भूमिका समाप्त हो गयी थी परन्तु अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण के कारण निगम, यूबी को योगदान करता रहा और 2008–09 से 2014–15 के मध्य ₹ 70 लाख का परिहार्य भुगतान किया।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में निष्कर्ष निकला कि:

- निगम सिड्ही के देयकों का समाधान विवेकपूर्ण धनराशि पर करने में विफल रहा क्योंकि धन का स्रोत सुनिश्चित किये बिना ही ओटीएस स्वीकार की गयी थी। इसके

साथ ही साथ निगम के पुनरोद्धार हेतु जीओयूपी तक पहुँच बनाने में विलम्ब एवं जीओयूपी की प्रतिक्रिया के अभाव ने निगम को बंद होने की कगार पर खड़ा कर दिया;

- निगम बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में अप्रभावी प्रयासों के कारण सभी पाँच वर्षों में वसूली लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक चरणों में विफल रहा जैसे उधारकर्ताओं से अनुसरण, बंधक सम्पत्ति की बिक्री, वसूली प्रमाण पत्र जारी करना एवं एक मुश्त समाधान। जिसके परिणामस्वरूप देयकों की वसूली वर्ष 2011–12 में ₹ 46.13 करोड़ (69.19 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 25.54 करोड़ (25.54 प्रतिशत) ही रह गयी थी; एवं

- निगम ने लेखापरीक्षा द्वारा की गई संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। पिछले निष्पादन लेखपरीक्षा में टिप्पणी की गयी अनियमितताएं/कमियाँ अभी भी अस्तित्व में थीं।

संस्तुतियाँ

लेखापरीक्षा संस्तुत करता है कि:

- निगम को, अन्य राज्यों की तरह निगम के पुनरोद्धार हेतु, ऋण के संवितरण पर प्रतिबन्ध उठाने हेतु एवं सिडबी के देयकों के समाधान हेतु जीओयूपी के साथ जोरदार प्रयास करना चाहिये; एवं
- निगम के गैर निष्पादन सम्पत्तियों के त्वरित परिसमापन के लिए समय–समय पर बिक्री एवं ओटीएस नीतियों में संशोधन करना चाहिये; सीमित अवधि झाइव शुरू की जानी चाहिये; जानबूझकर वसूली से बचने वालों की पहचान करनी चाहिए एवं ऐसे लोगों से वसूली के लिये प्रयास किया जाना चाहिये।

2.6 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.6.1 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अप्रैल 2004 से मार्च 2009 की अवधि की कार्यात्मकता पर निष्पादन लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की मार्च 2009 के अंत की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के अध्याय-III के प्रस्तर 3.1 में दर्शाया गया था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य की विधायिका में फरवरी 2010 में प्रस्तुत किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा अभी तक (अक्टूबर 2016) चर्चा नहीं की गयी है।

निष्पादन लेखापरीक्षा की निम्नलिखित संस्तुतियाँ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) / जीओयूपी द्वारा स्वीकार की गयी थीं।

निगम के लिए

- राज्य में पर्याप्त, मितव्ययी एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने हेतु अनुबंधित बसों की संख्या बढ़ाकर गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन का विस्तार करें;
- बकायों की समय पर वसूली हेतु राज्य सरकार के साथ कार्ययोजना के निरूपण हेतु कदम उठायें;
- सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर राजस्व के गैर परम्परागत स्रोतों को हस्तगत करने के प्रयास में तीव्रता करें जिसके फलस्वरूप बिना अतिरिक्त निवेश के नियमित राजस्व की आमद होने लगे; एवं
- शीर्ष प्रबंधन के द्वारा महत्वपूर्ण संचालन मानकों का अनुश्रवण किया जाये और सुधार हेतु उपचारी कदम उठाये जाने चाहिए।

राज्य सरकार के लिए

- राष्ट्रीय परिवहन नीति के अनुसरण में, राज्य परिवहन नीति का निरूपण करना;
- कार्पोरेट योजना के निरूपण एवं क्रियान्वयन हेतु समरूपता एवं अनवरतता के दृष्टिगत निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पर्याप्त समय के लिए नियुक्ति; एवं
- राज्य में किराये के नियमन और परिवहन सेवाओं के मानदंडों के निरूपण हेतु एक स्वतन्त्र नियामक की नियुक्ति करना।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.6.2 अनुसरण लेखापरीक्षा सम्पन्न करने का मुख्य उद्देश्य निगम/जीओयूपी द्वारा पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत संस्तुतियों के क्रियान्वयन की दिशा में हुयी प्रगति का आँकलन करना था। लेखापरीक्षा अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक सम्पादित की गयी।

लेखापरीक्षा कार्यविधि में, मुख्यालय, पाँच चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों¹ एवं सात सम्बन्धित डिपो² जो कि पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2009 के दौरान आच्छादित थे, के अभिलेख एवं वर्ष 2009–10 से 2015–16 की समयावधि से सम्बन्धित जीओयूपी के परिवहन विभाग के अभिलेखों की जाँच शामिल थी।

अनुसरण लेखापरीक्षा के उद्देश्य, इसकी कार्यविधि, कार्यक्षेत्र को समझाने एवं निगम/जीओयूपी के विचारों को प्रकाश में लाने के लिए एक प्रवेश बैठक 20 जनवरी

¹ गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ और वाराणसी।

² साहिबाबाद, कौशाम्बी, ईंदगाह, पीतल नगरी, डॉ अम्बेडकर, काशी और वाराणसी कैंट।

2016 को निगम के प्रबंध निदेशक और विशेष सचिव, परिवहन विभाग जीओयूपी के साथ आयोजित की गयी। समापन बैठक 14 जुलाई 2016 को निगम के अपर प्रबंध निदेशक और विशेष सचिव, परिवहन विभाग, जीओयूपी के साथ सम्पन्न हुई और उनके विचारों को उचित स्थानों पर शामिल किया गया है। प्रबंधन के उत्तर जुलाई 2016 में प्राप्त हुए जो कि विधिवत विचार किये गए। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

निगम द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियां एवं उनका अनुपालन


2.6.3 निगम के लिए लागू पाँच में से चार संस्तुतियों हेतु संस्तुतिवार लेखापरीक्षा परिणामों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों का संचालन

2.6.4 स्वीकार की गयी संस्तुति के अनुसार, राज्य में पर्याप्त, मितव्ययी एवं प्रभावी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निगम को गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनुबंधित बसों को बढ़ाकर अपने संचालन का विस्तार करना था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 2015) कि राष्ट्रीयकृत मार्गों की लम्बाई मार्च 2016 में वही (17,729) रही, जबकि, गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों की लम्बाई मार्च 2009 के बाद 70,354 किलोमीटर से बढ़ गयी, जैसा कि चार्ट 2.6.1 में देखा जा सकता है।

चार्ट 2.6.1
राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों की स्थिति



निगम ने, तथापि, गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अपनी बसों के संचालन के लिए प्रयास नहीं किया जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:


- निगम के पास 7,710 बसों (6,831 अपनी और 879 अनुबंधित) का बेड़ा मार्च 2009 के अंत में था। इसके उपरान्त, 1,867 बसों (446 अपनी एवं 1,421 अनुबंधित) सात वर्षों के दौरान बेड़े में शामिल की गई। निगम ने, तथापि, गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अपनी/अनुबंधित बसों के संचालन का प्रयास नहीं किया। सभी 1,867 बसों, जो कि बेड़े में सात वर्षों के दौरान शामिल की गई, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही चलाने हेतु लगा दी गई। निगम अपने 9,577 बसों के बेड़े में से एक भी बस का संचालन गैर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं कर रहा था जबकि निजी संचालक 46,938 बसों को इन मार्गों पर चला रहे थे। इस प्रकार, गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन सेवायें पूर्णरूप से निजी संचालकों के हाथ में थी।

गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस संचालन के विस्तार का निर्णय निगम के निदेशक मंडल (बीओडी) को लेना था। तथापि बीओडी ने न तो कोई कार्यवाही की और न ही लेखापरीक्षा संस्तुति लागू करने के लिए कोई ठोस योजना बनायी।

निगम द्वारा गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस संचालन में वृद्धि के लिए न कोई योजना बनायी गयी और न ही कोई कार्यवाही की गयी।

- राज्य में 2008–09 से 2015–16 के दौरान कुल उपलब्ध बसों से निगम बसों की हिस्सेदारी प्रतिशतता (स्वयं और अनुबंधित) को दर्शाते हुए एक ग्राफ चार्ट 2.6.2 में दिया गया है।

चार्ट 2.6.2 निगम की बसों की हिस्सेदारी प्रतिशत



जैसा कि चार्ट 2.6.2 से देखा जा सकता है, निगम की बसों की प्रतिशतता हिस्सेदारी 2008–09 के अंत में 28.18 प्रतिशत थी जो कि मामूली रूप से 2009–10 में 29.69 प्रतिशत तक बढ़ी परन्तु मार्च 2016 के अंत में 16.95 प्रतिशत तक घट गयी।

- राज्य में एक लाख जनसंख्या पर सार्वजनिक एवं निजी बस का तुलनात्मक घनत्व तालिका 2.6.1 में दिया गया है।

तालिका 2.6.1

सार्वजनिक एवं निजी बसों का घनत्व

क्रं सं०	विवरण	2009- 10	2010- 11	2011- 12	2012- 13	2013- 14	2014- 15	2015- 16
1	निगम की कुल बसें (अपनी एवं अनुबंधित)	8,349	8,560	8,746	8,893	9,600	9,415	9,577
2	निजी चालकों की बसें	19,775	23,362	25,682	31,608	35,873	42,451	46,938
3	जनता के लिए उपलब्ध कुल बसें	28,124	31,922	34,428	40,501	45,473	51,866	56,515
4	राज्य में कुल बसों का एक लाख आबादी पर वाहन घनत्व	14.37	15.99	16.90	19.50	21.46	24.05	26.10
5	एक लाख आबादी पर निगम की बसों का वाहन घनत्व	4.27	4.29	4.30	4.28	4.53	4.37	4.42
6	एक लाख की आबादी पर निजी चालकों की बसों का वाहन घनत्व	10.10	11.70	12.60	15.22	16.93	19.68	21.68

जैसा कि तालिका 2.6.1 से देखा जा सकता है, पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा दी गयी संस्तुति के बाद के सात वर्षों में निगम वाहनों का घनत्व स्तर 4.27 से 4.53 के मध्य रुका रहा। जबकि, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम जो कि अपेक्षाकृत कम आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र में सेवा दे रहा था, का वाहन घनत्व मार्च 2016 के अंत में 15.53 बस प्रति एक लाख की आबादी का था। इस प्रकार, निगम

राज्य में बढ़ती हुयी सार्वजनिक परिवहन की मांग के अनुरूप तालमेल रखने में सक्षम नहीं था।

इस प्रकार, अनुबंधित बसों में वृद्धि करके गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन के विस्तार हेतु पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में की गयी संस्तुति का अनुपालन नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि निगम के पक्ष में गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन हेतु परमिट जारी करने के लिए जीओयूपी के परिवहन आयुक्त को अनुरोध (अगस्त 2015) भेज दिया गया था। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों के संचालन हेतु 54 परमिट निर्गत किये गए थे परन्तु निगम अगस्त 2016 तक एक भी बस का संचालन गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर करने में विफल रहा।

बकाया राशि की समय पर वसूली हेतु कार्य योजना

2.6.5 स्वीकार की गयी संस्तुति के अनुसार, निगम को बकाया राशि की समय पर वसूली के लिए राज्य सरकार के साथ एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता थी।

इस संस्तुति पर निगम की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा ने बकाया की स्थिति (नवम्बर 2015) की जाँच की। तथापि, अवलोकन से निराशाजनक स्थिति परिलक्षित हुई और अदत्त बकाया राशि 2009–10 में ₹ 40.74 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 के अंत में ₹ 83.02 करोड़ हो गयी।

बकाया राशि के लंबित पुराने मामलों में से कुछ की नीचे चर्चा की गयी है:

- नोएडा/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में बसों के संचालन पर हानि के लिए दावों के लेखा मद मे मार्च 2009 के अंत में ₹ 7.65 करोड़ की धनराशि थी जो कि मार्च 2016 के अंत में बढ़कर ₹ 9.56 करोड़ हो गयी।

• वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा क्षेत्रों में, ₹ 44.79 लाख की धनराशि एक राजनैतिक दल (कांग्रेस–आई) के विरुद्ध सन 1982 से लंबित थी।

• पॉर्टों क्षेत्रों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2016 तक विभिन्न सरकारी विभागों के पास भेजे गये ₹ 3.74 करोड़ के बिलों (जिसका आयुवार विवरण उपलब्ध नहीं) सरकारी विभागों से सत्यापित नहीं कराये गये थे। (**परिशिष्ट-2.6.1**)

नोएडा/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों पर भारी बकाया होने के बावजूद, निगम ने हानि पर बसों के संचालन की सेवाएं जारी रखा। पुनः, निगम ने देयों की वसूली के लिए न तो अनुसरण किया और न ही इसको अपलिखित करने के लिए कोई कार्यवाही की।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि लंबित बकाया के राशि ₹ 83.02 करोड़ में से ₹ 30.25 करोड़ का पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव जीओयूपी के वित्त विभाग को भेज दिया (जून 2016) गया था। पुनः यह कहा गया कि नोएडा से शेष बकाये के लिए वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे थे, राजनैतिक दल के खिलाफ वसूली का मामला न्यायाधीन होने के कारण वसूली नहीं हो सकी, ₹ 3.74 करोड़ के बिल में से ₹ 2.02 करोड़ के बिल ग्राहक विभागों से सत्यापित कराये गये। समापन बैठक (14 जुलाई 2016) में प्रबंधन ने यह भी कहा कि 59 प्रतिशत बकाया राशि जुलाई 2016 तक वसूल हो जाएगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव की स्वीकृति जीओयूपी से प्रतीक्षारत थी और केवल ₹ 46.58 करोड़ अक्टूबर 2016 तक वसूल हुए जो कि कुल बकाया राशि का 56.10 प्रतिशत था।

पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत राजस्व के गैर परम्परिक स्रोतों का हस्तगत करना

2.6.6 स्वीकार की गयी संस्तुति के अनुसार, निगम को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर राजस्व के गैर परम्परागत स्रोतों को हस्तगत करने के प्रयास में तीव्रता करने की आवश्यकता थी जिसके फलस्वरूप बिना अतिरिक्त निवेश के नियमित आय होने लगे।


लेखापरीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2015) कि निगम ने (पीपीपी) मॉडल पर 242 बस अड्डों के विकास हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ (नवम्बर 2009) की और 12 बस अड्डों के विकास के लिए निविदा आमंत्रित (अक्टूबर / नवम्बर 2014) की परन्तु केवल आलमबाग बस अड्डे के निर्माण की निविदा को ही अक्टूबर 2014 में अंतिम रूप दिया गया। हालांकि, आलमबाग बस अड्डे के निर्माण का कार्य प्रगति (अगस्त 2016) पर था। पुनः, बीओडी ने पीपीपी मॉडल पर बस अड्डे के विकास की पूरी प्रक्रिया को बोलीदाताओं की अखंचि एवं मुकदमेबाजी के कारण रोक देने का निर्णय ले लिया (जनवरी 2016)।

निगम गैर यातायात स्रोतों से राजस्व हस्तगत करने के लिए पीपीपी परियोजनाओं को लाने में असफल रहा

निगम को अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए गैर किफायती मार्गों पर सेवा प्रदान करनी पड़ती है और किराये को भी सस्ता रखना पड़ता है। इस स्थिति में, निगम को क्रास सब्सिडी द्वारा संचालन के लिए गैर यातायात स्रोतों से आय को बढ़ाना अनिवार्य था। तथापि, निगम गैर यातायात राजस्व स्रोतों को हस्तगत करने के लिए पीपीपी मॉडल की परियोजनाओं के विस्तार में विफल रहा। लेखापरीक्षा संस्तुति के सात वर्षों (2009–10 से 2015–16) के उपरान्त भी, गैर यातायात स्रोतों से अर्जित राजस्व मासूली रहा जैसा कि चार्ट 2.6.3 से देखा जा सकता है।

चार्ट 2.6.3

यातायात और गैर यातायात राजस्व (₹ करोड़ में)



जैसा कि उपरोक्त ग्राफ से देखा जा सकता है कि गैर यातायात राजस्व 2009–10 में 3.30 प्रतिशत से गिरकर 2015–16 में 1.05 प्रतिशत रह गया जबकि कुछ अन्य सफल निगमों जैसे कि उड़ीसा और पंजाब सड़क परिवहन निगम³ में गैर यातायात राजस्व 2009–10 से 2015–16 के दौरान क्रमशः 11.68 प्रतिशत से 16.46 प्रतिशत और 4.29 प्रतिशत से 5.05 प्रतिशत के मध्य रहा। इससे यह संकेत मिला कि निगम गैर यातायात राजस्व हस्तगत करने में विफल रहा। इस प्रकार, निगम छः वर्षों के दौरान गैर

³ वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के गैर यातायात राजस्व की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

किफायती संचालन के कारण ₹ 34.57 करोड़ से ₹ 131.54 करोड़ की सीमा तक हानि में रहा, जिसकी भरपाई पीपीपी मॉडल की परियोजनाओं से होने वाली आय से नहीं हो पाया जैसा कि निष्पादन लेखापरीक्षा में संस्तुत किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि 242 बस अड्डों का विकास पीपीपी मॉडल पर करने के लिए प्रक्रिया नवम्बर 2009 में प्रारम्भ की गयी थी परन्तु बोलीदाताओं की अरुचि और मुकदमेबाजी के कारण बीओडी ने पूरी प्रक्रिया को रोकने का निर्णय (जनवरी 2016) ले लिया। इस प्रकार उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि हो गयी कि निगम लेखापरीक्षा संस्तुति को लागू करने में विफल रहा।

शीर्ष प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण संचालन मानकों का अनुश्रवण

2.6.7 स्वीकार की गयी संस्तुति के अनुसार, निगम के शीर्ष प्रबंधन को महत्वपूर्ण संचालन मानकों का अनुश्रवण करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 2015) कि महत्वपूर्ण मानकों का संतोषजनक अनुश्रवण किया गया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

- डिपो एवं क्षेत्र स्तर पर, महत्वपूर्ण मानकों जैसे कि अर्जित राजस्व, चाल किलोमीटर, बस उपयोग, लोड फैक्टर, ईंधन औसत का दैनिक आधार पर अनुश्रवण किया गया। एक ही तिथि और पिछले वर्ष के महीने से कमी/वृद्धि के आंकलन का भी अनुश्रवण हुआ एवं अपेक्षित उपाय, दिशानिर्देश, व्याख्या, प्रशंसा आदि भी जारी किये गये।
- मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधकों और सेवा प्रबंधकों के साथ मासिक बैठकें की जाती थीं। मासिक, बैठकों में सभी महत्वपूर्ण मानकों यथा लाभदायकता, बस उपयोग, लोड फैक्टर, ईंधन औसत, स्पेयर पार्ट्स और टायर उपयोग, टायर कार्यशाला का उत्पादन, अनुशासनात्मक और कानूनी मामलों में सुनवाई, बसों का अनुबंध एवं परमिट आदि का विस्तृत अनुश्रवण किया जा रहा था।
- सभी महत्वपूर्ण मानकों पर त्रैमासिक/छमाही एवं वार्षिक निष्पादन निदेशक मंडल के समक्ष समीक्षा के लिए रखा गया।

स्वीकार की गयी संस्तुतियां एवं सरकार द्वारा उनका अनुपालन

2.6.8 संस्तुतिवार लेखापरीक्षा परिणामों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

राज्य परिवहन नीति का निरूपण

2.6.9 स्वीकार की गयी संस्तुति के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति के आधार पर एक नीति तैयार किया जाना अपेक्षित था।

जीओयूपी के परिवहन विभाग से अपेक्षित था कि वह मोडल मिश्रित परिवहन हेतु एक नीति तैयार करे जो बढ़ते हुए जनसमूह के विकल्प पर केन्द्रित हो, जैसे बस, मेट्रो, उपनगरीय रेल आदि। लेखापरीक्षा ने देखा (नवम्बर 2015) कि सात वर्ष व्यतीत होने के बाद भी, राज्य सरकार ने मोडल मिश्रित सार्वजनिक परिवहन हेतु न ही कोई नीति बनायी और न ही ऐसा करने की कोई पहल की। पुनः, राज्य के सरकारी और निजी संचालकों के लिए किराया निर्धारण के लिए राज्य परिवहन अधिकरण (एसटीए) को अधिकृत किया गया। एसटीए ने सार्वजनिक संचालकों के किराये का निर्धारण एवं पुनरीक्षण समय-समय पर किया था, किन्तु निजी संचालकों के लिए इसने नवम्बर 2012 में किराया निर्धारित किया था एवं इसके उपरान्त किराया पुनरीक्षित नहीं किया गया (अक्टूबर 2016)।

उत्तर प्रदेश राज्य में, लगभग 40,000 निजी संचालकों द्वारा 46,938 बसों का संचालन किया गया जो कि राज्य की कुल संचालित बसों का 83.05 प्रतिशत था, किन्तु नवम्बर 2012 से किराये का पुनरीक्षण न किये जाने से एसटीए लोगों को सस्ती परिवहन सेवा

उपलब्ध कराने में असफल रहा। इस प्रकार, लेखापरीक्षा की संस्तुति को सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया तथा राज्य के पास निजी संचालकों की सेवाओं को विनियमित करने की नीति नहीं थी।

विशेष सचिव, परिवहन विभाग द्वारा समापन बैठक (14 जुलाई 2016) में पुष्टि की गयी कि कोई राज्य परिवहन नीति, राष्ट्रीय परिवहन नीति के आधार पर अलग से निर्गत नहीं की गयी है। बल्कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के अन्तर्गत नीति/नियमों के लिए निर्देश जारी किये जाते हैं। तथ्य बरकरार रहा कि राष्ट्रीय परिवहन नीति की तर्ज पर राज्य परिवहन नीति न बनाये जाने का कारण शासन द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया।

पर्याप्त समय के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति एवं कार्पोरेट योजना का कार्यान्वयन

2.6.10 स्वीकार की गयी संस्तुति के अनुसार, सरकार को चाहिए था कि निगम के लिए मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति न्यूनतम तीन वर्षों के लिए करे जैसा कि योजना के निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु समरूपता एवं निरन्तरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 1994 के नीति दस्तावेज में प्रावधानित किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2015) कि सरकार ने सात वर्षों (2009–10 से 2015–16) के दौरान 11 प्रबंध निदेशकों की तैनाती की। प्रत्येक प्रबंध निदेशक का कार्यकाल 18 दिनों से एक साल तक महीने एवं 19 दिनों तक बदलता रहा। इस प्रकार, सरकार अपनी नीति को लागू नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा का मत है कि मुख्य कार्यकारी का अल्प कार्यकाल संगठन की समग्र निष्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालता है। निगम की दशा में, अल्प कार्यकाल के विपरीत प्रभाव इंगित करने की चर्चा नीचे की गयी है:

- 2009–10 से 2013–14 के दौरान पाँच वित्तीय वर्षों में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रबंध निदेशकों को दो से तीन बार बदला गया। निगम को पूरे पाँच सालों में कुल ₹ 339.17 करोड़ की हानि हुई।
- सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2014–15 की निगरानी एवं नियंत्रण एक प्रबंध निदेशक द्वारा की गयी, जिसके दौरान निगम ने कुछ बेहतर परिणाम दिखाया और ₹ 2.48⁴ करोड़ का लाभ हुआ।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

स्वतंत्र परिवहन नियामक की नियुक्ति

2.6.11 स्वीकार की गयी संस्तुति के अनुसार, राज्य सरकार के परिवहन विभाग से अपेक्षित था कि राज्य में एक स्वतंत्र परिवहन नियामक की नियुक्ति करे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2015) कि निगम पूर्व में किराये का पुनरीक्षण डीजल मूल्य की वृद्धि को देखते हुए कर रहा था। सरकार ने, हालांकि, नवम्बर 2012 में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन अधिकरण (एसटीए) को संचालन की लागत (मात्र ईंधन, वेतन एवं भत्ते), औसत भार कारक पर यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखकर अधिसूचना में निर्धारित सूत्र के अनुरूप किराया पुनरीक्षित करने के लिए अधिकृत किया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सरकार लेखापरीक्षा संस्तुतियों को, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, आत्मसात नहीं किया:

⁴ वर्ष 2014–15 के अनंतिम लेखे के अनुसार।

- किराये का पुनरीक्षण सूत्र कुछ सीमा तक धारारेखित किया गया था परन्तु पूर्णतया नहीं। सूत्र में ईधन, वेतन एवं भत्ते पर विचार किया गया था किन्तु अन्य कारकों जैसे कि बसों का मूल्य ह्लास, स्थायी खर्च, पूँजीगत व्याज आदि पर विचार नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि सूत्र, जिसे हानि की प्रतिपूर्ति के लिए किराये के पुनरीक्षण के लिए बनाया था, वह निष्पादनी था क्योंकि 2009–10 से 2013–14 के दौरान ₹ 34.57 करोड़ से ₹ 131.54 करोड़ की सीमा तक की वित्तीय हानियां हुईं।
- एसटीए द्वारा पुनरीक्षित किराया बिना सरकार की स्वीकृति के लागू नहीं किया जा सकता; इसलिए, एसटीए किराये को अर्थपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से पुनरीक्षित करने के लिए स्वतंत्र नहीं था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कुल बसों की हिस्सेदारी में निगम की हिस्सेदारी घटते क्रम में एवं निजी बसों की हिस्सेदारी बढ़ते क्रम में थी। इसलिए, सरकार के पास स्वतंत्र परिवहन नियामक निकाय के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किराया निर्धारित करने के लिए एवं राज्य में परिवहन सेवाओं को विनियमित करने लिए एक नीति होनी चाहिए थी।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

निष्कर्ष

अनुसरण लेखापरीक्षा ने अनावृत किया कि एक संस्तुति का निगम द्वारा अनुपालन किया गया और छ: स्वीकृत संस्तुतियों का निगम एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी भी अनुपालन किया जाना था क्योंकि पूर्व में पायी गयी कमियां अभी भी व्याप्त हैं जो कि नीचे उल्लिखित हैं:

- निगम ने राज्य के 1,85,730 किलोमीटर गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन के लिए एक भी बस को शामिल नहीं किया। जबकि 46,938 निजी बसें (राज्य की कुल बसों का 91 प्रतिशत) गैर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलाई जा रहीं थीं;
- निगम ने पुरानी बकाया राशि की प्राप्ति के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, बकाया राशि ₹ 36.44 करोड़ अक्टूबर 2016 के अंत तक लंबित थी;
- निगम गैर यातायात राजस्व स्रोत हस्तगत करने के लिए पीपीपी मॉडल की परियोजना बढ़ा कर गैर मितव्ययी संचालन को क्रॉस सब्सिडी से भरपाई करने की लेखापरीक्षा संस्तुति को लागू करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, निगम को पिछले छ: वर्षों के दौरान हुई शुद्ध हानि ₹ 34.57 करोड़ से ₹ 131.54 करोड़ की भरपाई गैर यातायात राजस्व से नहीं की जा सकी;
- राष्ट्रीय परिवहन नीति के आधार पर सरकार ने स्वयं के लिए परिवहन नीति नहीं बनायी;
- शासन ने प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति बहुत कम समयावधि 18 दिन से एक साल नौ महीने तक जारी रखी; एवं
- शासन ने निगम के लिए एक स्वतंत्र परिवहन नियामक की नियुक्ति नहीं की।

